द्वादश माला, खंड 7, अंक 16

सोमवार, 21 दिसम्बर, 1998

30 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक संम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नही माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 16, सोमवार, 21 दिसम्बर, 1998/30 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 303	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 304 से 320	21-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 3403 से 3632	54-305
सभा पटल पर रखे गए पत्र	305-316
राज्य सभा से संदेश	316
समितियों के प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	
चौथा प्रतिवेदन	317
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	317
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	317
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन	317-318
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	318
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	318
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
बिहार के पूर्णिया जिले में कुछ आदिवासी महिलाओं और बच्चों को कथित रूप से जलाया जाना	
श्री राम विलास पासवान	322
श्री लालकृष्ण आडवाणी	322-329
कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	329
विधेयक-पुर: स्थापित	
(एक) वाणिज्य बोर्ड और विकास प्राधिकरण (आयकर से छूट) विधेयक	330
(दो) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक	330
(तीन) आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक	331

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
भारतीय हॉकी टीम को बधाई	331-333
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) कासगंज-बदायूं मार्ग पर काछिला घाट पर रेल पुल का पुनर्निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
डा० महादीपक सिंह साक्य	333
(दो) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर महोबा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री गंगा चरण राजपूत	333
(तीन) पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता	
डा० प्रभा ठाकुर	333-334
(चार) जनपथ, नई दिल्ली में डा० अम्बेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री नादेन्दला भास्कर राव	334
उत्तर प्रदेश में विशेषकर आजमगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री दरोगा प्रसाद सरोज	334
(छह) दक्षिण रेल जोन के लिए मेट्रो भूमिगत और मेट्रो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी० गोपाल	335
(सात) बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महाप्रबंधक, दूरसंचार के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	335
(आठ) एक अलग बोडो लैंड राज्य शीघ्र बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	335-336
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-99	
श्री राजो सिंह	339
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	342
श्री मोहन सिंह	345
कुमारी ममता बनर्जी	347
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	352
श्री चेतन चौहान	358
श्री वारकला राधाकृष्णन	362
डा० सरोजा वी०	364
श्री जी०एम० बनातवाला	366
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	368
डा० रामकृष्ण कुसमरिया	370

विषय	कॉलम
श्री टी०आर० बालू	371
श्री कल्पनाथ राय	374
श्री प्रमथेस मुखर्जी	376
श्री समीक लाहिड़ी	378
प्रो० पी०जे० कुरियन	379
श्री वी०वी० राघवन	382
श्री रामदास आठवले	383
श्री मित्रसेन यादव	384
श्री यशवंत सिन्हा	385
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	397
श्री मनोरंजन भक्त	399
डा० सुब्रहम्ण्यम स्वामी	402
खण्ड 2, 3 और 1	401
पारित करने के लिए प्रस्ताव	403
नियम 193 के अधीन चर्चा	
बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति	
श्रीमती गीता मुखर्जी	404
श्री सुरेन्द्र सिंह	406
श्री के०एस० राव	407
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	418
श्री शैलेन्द्र कुमार	420
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ	421
श्री पी०एस० गढ़वी	423
श्री बूटा सिंह	425
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद)	426
श्री किशन सिंह सांगवान	427-430
आधे घंटे की चर्चा	
राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुनः चालू किया जाना	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	409
श्री अमर पाल सिंह	412
श्री काशीराम राणा	413

लोक सभा

सोमवार, 21 दिसम्बर, 1998/30 अग्रहायण, 1920(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री अब्दुल हन्नान अंसारी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1984-89 के दौरान बिहार के मधुबनी संसदीय चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

व्यवसाय से कृषक और व्यापारी श्री अंसारी राज्य में विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा सामाजिक और कल्याणकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे।

श्री अंसारी सुविख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया और उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भी सहयोग दिया।

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी का 71 वर्ष की आयु में 26 नवम्बर, 1998 को मधुबनी में निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है, यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

जैव ग्राम योजनाएं

*301. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : **क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही जैव ग्राम योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में ऐसी जैव ग्राम अवधारणा का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने ग्राम मोचा, पोरबंदर के पास गुजरात में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल साल्ट एवं मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर में एक मॉडल जैवग्राम स्थापित करने संबंधी एक परियोजना मंजूर की है।

(ख) से (घ) वर्तमान परियोजना की सफलता एवं इसके प्रभाव के आधार पर जैवग्राम संकल्पना का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण जनता के लाभ के लिए प्रमाणित जैव प्रौद्योगिकियों का सबसे निचले स्तर पर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों को जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु एक प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी जो जैवग्राम संकल्पना का एक महत्वपूर्ण अंग है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप सीधे उत्तर दे सकते हैं क्योंकि विवरण पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह विवरण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार हेगड़े कृपया अपने पूरक प्रश्न रखें।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार अगली शताब्दी की टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होगी लेकिन आज दुनिया में बायो प्रोडैक्ट की जो बढ़ती हुई मांग है, उसके लिए भारत का फंड एलोकेशन, भारत का टोटल आउटपुट काफी कम दिखाई देता है। दुनिया में इसकी मांग 3,20,000 करोड़ रुपये है जबकि भारत में टोटल आउटपुट केवल 2,800 करोड़ रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए और भारत के एक्सपोर्ट को इस फील्ड में बढ़ाने के लिए आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार इसके सेक्सससफुल इम्पलीमैंटेशन के लिए चार मंत्रालयों का कोआर्डिनेशन चाहिए-पहला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार हेगड़े, वे पूरा ब्यौरा देंगे। कृपया प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और

नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन चारों मिनिस्ट्रीज का इस संबंध में क्या कोआर्डिनेशन या मैकेनिज्म है ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर इन मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और योजनाएं बनाते समय उनसे प्राप्त इनपुट्स का भी प्रयोग किया जाता है।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने **जो बताया यह ठीक है लेकिन भारत का फंड एलोकेशन 110 करोड़ रुपये है, जो कि बहुत कम है। कुल 2,800 करोड़ रुपये के आउटपुट के हिसाब से अगर हम भारत का फंड एलोकेशन देखें तो वह प्वाइंट वन परसेंट भी नहीं होता है। इस फंड एलोकेशन को ज्यादा करने के लिए सरकार क्या कर रही है क्योंकि आर एंड डी का कार्य सिर्फ गवर्नमैंट इंस्टीट्यूशन में होता है, प्राइवेट सैक्टर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर प्राइवेट सैक्टर में आर एंड डी को बढ़ावा नहीं देंगे तो दुनिया में हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आर एंड डी को प्राइवेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है और उसके लिए कितना फंड एलोकेशट किया है ?**

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम निजी सैक्टर को इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत बढ़ावा देते हैं और जो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के विभाग में विकसित होती है, उनको हम हस्तांतरित करते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि प्राइवेट सैक्टर से बहुत लोग इस क्षेत्र में रुचि रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य और नीति है कि प्राइवेट सैक्टर को अधिक से अधिक इन्वाल्व करें। इसलिए जैव [illegible] योजना बनाई गई, उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों [illegible] बतायें कि किस तरह से अधिक से अधिक इस [illegible] उपयोग करके हम अपने देश के एक्सपोर्ट और [illegible] को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, फंड एलोकेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोजेक्ट ऑफ बायो-विलेज (जैवग्राम) स्कीम मुख्यतः ग्रामीण लोगों के लिए है। यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री पिछड़े क्षेत्रों और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य सभी ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों जहां इस प्रकार की योजना अत्यधिक आवश्यक है, पर विचार करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे प्राथमिकता देगी।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : *वैसे अभी यह एक ही गांव में* शुरू की गई है लेकिन 30 डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजैक्ट अन्य राज्यों में भी इसके लिए प्रस्तावित हैं। अगर ऐसे किसी क्षेत्र से कोई योजना आयेगी तो उस पर हम जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य इस योजना को गांवों तक पहुंचाना, इसके लाभ से ग्रामवासियों को परिचित कराना और उनके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। इसलिए हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : यूनियन के लीडर्स तो आपके हैं, आप खुद ही इनीशिएट कर सकते हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : उसमें वहां से प्रपोजल आना चाहिए। उनके यहां से स्कीम आते ही हम इसे निश्चित रूप से लेंगे *(व्यवधान)*

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना से कितने व्यक्तियों को अभी तक लाभ हुआ है और इस योजना को और व्यापक बनाने के लिए क्या सरकार की इसे हर राज्य अथवा हर प्रखण्ड तक ले जाने के लिए कोई प्लानिंग है ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : अभी यह योजना जिस गांव के अन्दर शुरू हो रही है, उसकी जनसंख्या 2100 है और उसमें 40.99 लाख रुपये की टोटल कास्ट ऑफ प्रोजैक्ट है। तीन वर्ष के लिए यह प्रोजैक्ट काम करेगा। आज उस गांव में 44 प्रतिशत अनएम्पलायमेंट हैं। हमारी योजना यह है कि उनके यहां जो 300 एकड़ की वेस्टलैंड है, उसको हम विकसित करें और साथ ही साथ जो सी वीड्स हैं, उनको वहां विकसित करें। वहां जो पीने का पानी खारा हो गया है, उसको ठीक करें। इसी तरह से जो वहां वी.एक्स.एल. नाम की एक इंडस्ट्री है, उससे भी यह बात हुई है कि इस गांव के उत्पादन को प्रोसेस करे। इस तरह से एक गांव में यह पायलेट प्रोजैक्ट है, लेकिन ऐसा मैंने आपको बताया कि ऐसे 30 डिमोंस्ट्रेशन प्रोजैक्ट बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यू.पी., केरल, महाराष्ट्र, ए.पी., दिल्ली और एन.ई. में काम कर रहे हैं और लगभग 15,000 फैमिलीज इससे बेनीफिट हुई हैं। इसमें ट्रेनिंग और सैल्फ एम्प्लायमेंट की भी पूरी गुंजाइश है।

[अनुवाद]

डा० सरोजा वी० : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बायो-विलेजिज की संकल्पना को वर्तमान परियोजना की सफलता और इसके प्रभावों को आधार मानकर विस्तार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से उस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूं जिसे हमने पहले ही भावनगर, गुजरात में शुरू किया है। परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ? परियोजना में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री से प्रशिक्षण की किस्म तथा इसके ब्यौरे के बारे में जानना चाहता हूं। क्या तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव आया है जो इस संबंध में लम्बित है ? यदि हां तो क्या इस पर विचार किया जाएगा ?

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : देखिये, जैसा मैंने बताया, इसका तीन वर्ष का ड्यूरेशन है। तीन वर्ष पूरे होने पर ही इसके पूरे इम्पैक्ट का पता लगेगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जैसा मैंने वहां बताया कि सी वीड्स पैदा की जाएंगी और इनके पास ग्राउण्डनट तथा अन्य जो वहां के उत्पाद हैं, उसमें गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ग्राउण्ड नट रिसर्च लैबोरेट्री के साथ मिलकर, उनका भी विकास किया जायेगा।

अभी 1998 के जनवरी माह में यह प्रोजैक्ट शुरू हुआ है, .अत: इसका परिणाम आने में अभी समय लगेगा। तमिलनाडु में ऑलरेडी डिमोंस्ट्रेशन प्रोजैक्ट काम कर रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को : उत्तर से पता चलता है कि परियोजना एकदम आरम्भिक चरण में है। श्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक प्रश्न पूछा है। जिसका माननीय मंत्री ने उत्तर नहीं दिया है। सम्भवत: उन्होंने इसे टाल दिया है। इस योजना के लिए बजट प्रावधान बहुत ही अपर्याप्त और नगण्य हैं। महोदय, भारत जैसे देश में जैव प्रौद्योगिकी और बायोमास का गैस में परिवर्तन करना बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जिनसे समाज को बहुत व्यापक रूप से मदद मिलेगी। अब तक नगरपालिका के अपशिष्टों को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु कोई योजना विकसित नहीं की गई है। अनेक स्थानों पर पायलट परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। लेकिन वे बहुत सफल नहीं हुई हैं। क्या ऐसी कोई योजना अथवा कोई पायलट परियोजना या कोई नोडल एजेंसी है जो नगर अपशिष्टों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की इस योजना पर कार्य कर रही हो ?

क्या यह बायो-मास कार्यक्रम का एक हिस्सा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करेगी ? अन्यथा, यह हमेशा पायलट परियोजना ही बनी रहेगी और यह शुरू नहीं होगी।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह नगरपालिका की अपशिष्ट पदार्थों से तैयार की गई ऊर्जा के परिवर्तन संबंधी परियोजना नहीं है। यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, यह हमारे अंतर्गत नहीं है। हमारा कार्य सिर्फ जैव-तकनीकी का उपयोग करने, कृषि आदानों में सुधार करने हेतु जैव-तकनीकी तरीकों का उपयोग करने, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करने, परती भूमि परियोजनाओं को उत्पादकारी इकाइयों में परिवर्तित करने और एक बेहतर और उन्नत गुणवत्ता वाले बीजों को प्रदान करने से संबंधित है। इस परियोजना में ये सारी बातें शामिल हैं। लेकिन ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत आता है।

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

***302. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और क्या इस प्रणाली में देश के उद्योग और व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई रोजगारोन्मुखी शिक्षण प्रणाली तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की पुनरीक्षा में किस-किस ग्रुप को सहयोजित किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) बेरोजगारी की स्थिति कई तरह के कारकों से उत्पन्न होती है, यथा—जन शक्ति की मांग और पूर्ति, अर्थ व्यवस्था की संरचना, मजदूरी की दर, उपभोक्ता का व्यवहार तथा अन्य कारक। जिस तरह से आज विश्व का तेजी से भूमंडलीकरण हो रहा है उसमें यह स्थिति और गंभीर हो जाती है क्योंकि मांग के पैटर्न तथा कुशल जन शक्ति संबंधी आवश्यकता में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में समय-समय पर बुनियादी स्तरों पर कार्य संस्कृति पनपाने से लेकर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण, तृतीयक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जैसे अनेक किस्म के प्रयत्न किए गए हैं। औपचारिक शिक्षा प्रणाली तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली यथा मुक्त विद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए यह काम किया गया है।

बेहतर सहलग्नता को बढ़ावा देने तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा पर और अधिक ध्यान देने के लिए सरकार व्यापार, उद्योग, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक समुदाय के लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। इसके फलस्वरूप छात्रों के अपेक्षाकृत एक बड़े हिस्से को रोजगार उन्मुख कोटि परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गत वर्षों में तकनीकी संस्थाओं, जिसमें इंजीनियरी, चिकित्सा और प्रबंध संस्थाएं भी शामिल हैं, की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में इंजिनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज का जिक्र किया है कि वहां जॉब ऑरिएंटिड कोर्सेज, हैं, मैं इस बात को मानता हू। हमारे मुल्क में प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल की शिक्षा इंसान को दुनिया के बारे में समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाई स्कूल के बाद हमारे मुल्क के बच्चे जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, वह तकनीकी रूप से दुरुस्त नहीं है। आज देश में लाखों नौजवान बी.ए., एम.ए. और एम.एस.सी. की डिग्रियां लेकर बेकार घूम रहे हैं, [illegible] रोजगार की जरूरत है, मगर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरा वजीरे तालीम से यह जानना है कि क्या हाई स्कूल के बाद की तालीम को इस प्रकार का बनाया जाएगा कि छात्र जब बी.ए., एम. ए, और एम.एस.सी. की डिग्रियां लेकर निकलें तो उन्हें रोजगार मिल सके, वे व्यवसाय कर सकें और देश को बनाने में अपना भी योगदान दे सकें, उनकी भी भागीदारी हो ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इससे सहमत हूं कि हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा के कोर्सेज में इस तरह के परिवर्तन किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों को केवल डिग्री के बाद इधर-उधर नौकरी के लिए न घूमना पड़े, बल्कि वे अपना व्यवसाय कर सकें और उनको काम भी ठीक से मिल सके। 1994-95 में 209 संस्थाओं ने जिनमें 19 यूनिवर्सिटीज और 190 कालेज थे, इस तरह के कोर्सेज को शुरू किया था। यू.जी.सी. ने 39 विषयों में अपनी तरफ से इन कोर्सेज को स्थापित करके दिया है। 1995 से ये कोर्सेज शुरू हुए हैं, 1998 में पहली बार वे लड़के पास होकर निकलेंगे तो हम यह पता करेंगे कि इन कोर्सेज से कितने लोगों को काम मिल सका और कितनों को नहीं मिल सका। 1712 वोकेशनल कोर्सेज हैं जो 1356 कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में चलाए गए हैं। हमारा इरादा यह है कि हम इस मामले में यूनिवर्सिटी से ही नहीं, बल्कि दसवीं-बारहवीं कक्षा के छात्रों को

भी इस काबिल बनाएं कि वे आवश्यकतानुसार अपने समाज की सेवा कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। इस बारे में सेकंडरी स्कूलों में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में मुझे यह स्वीकार करना है कि सेकंडरी स्कूलों में वोकेशनलाइजेशन की स्कीम राज्य सरकारों पर मुनस्सर करती है। इसमें हमारा तजुर्बा यह रहा है कि जहां हमने अपनी तरफ से पूरे पैसे इसके लिए दिए, वहीं अनेक राज्य सरकारों ने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया और वह स्कीम जिस तरह से प्रभावी रूप से चलनी चाहिए, नहीं चल पा रही है।

श्री दत्ता मेघे : क्या वे स्कीम बंद कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यहां यह सवाल पैदा होता है कि सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई हो और जमीन जोत ली हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। हो सकता है कि दफ्तर के अंदर या सरकारी फाइलों में इस तरह के तजुर्बे हो रहे हों। मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं कि एक पैरलल तालीम का सिलसिला आज हिन्दुस्तान के अंदर है जिसके अंदर संस्कृत विद्यालय और मदरसे हिन्दुस्तान के में चलाए जाते हैं। वहां जो बच्चे पास होते हैं, वे क्लर लैंग्वेज या खास किस्म की तालीम लेकर निकल रह ह। पिछले दिनों सरकार ने फैसला किया था कि इन मदरसों के अंदर या संस्कृत विद्यालयों के अंदर कम्प्यूटर या दूसरी तकनीकी जैसे इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रॉनिक्स तालीम का सिलसिला चालू किया जाए, उनके अंदर इंग्लिश और साइंस की तालीम भी दी जाएगी, क्या सरकार ने उसमें पहल की है ओर क्या उसमें सरकार को कामयाबी मिली है ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : सरकार की यह स्कीम बदस्तूर चालू है और हम इन मदरसों और विद्यालयों में मॉडर्नाइजेशन के हक में हैं। लेकिन इसके लिए स्कीम वहां से आनी चाहिए क्योंकि ये मदरसे हमारी परिधि से बाहर हैं। या तो वे अपनी राज्य सरकार के मार्फत आते हैं और यदि सीधे भी हमारे पास आएं तो स्कीम उनकी तरफ से आनी चाहिए। हमने इस स्कीम का बजट में प्रावधान कर रखा है और वे पैसे राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। जिन मदरसों से यह स्कीम आती है, उन्हें हम पूरी मदद करते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अब तक कितने हुए हैं ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : इसके लिए नोटिस चाहिए क्योंकि यह सवाल इस प्रश्न की परिधि में नहीं है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, फातमी जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस सवाल के द्वारा उठाया है। आज बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वह जमाना दूसरा था जब जोशी जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद रिश्तों की लाइन लग जाती थी और कोई ग्रेजुएट हो गया तो नौकरियों की लाइन लग जाती थी, शादी और नौकरियों के अनेकों ऑफर्स आते थे लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज हालत यह है कि ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि कम से कम ब्लॉक लैवल पर एक आई.टी.आई. हो और जैसा उन्होंने कहा कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएं तो कम से कम एक इकाई ब्लॉक लैवल पर इसमें ले लें। जहां तक यह कहना कि यह राज्य सरकार का विषय है, मैं आपकी बात मानता हूं कि यह उनका विषय है और उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए लेकिन जब तक यहां से गाइडलाइंस नहीं जाएंगी, जैसे पिछली बार एजुकेशन मिनिस्टर्स का सम्मलेन हुआ था, ऐसे सम्मेलनों में यह बात उठाई जाए जिससे देश की प्रगति में वह सहारा बन सकें और बेरोजगारी दूर हो सके। जब तक हम टैक्नीकल एजुकेशन गांव तक नहीं ले जाएंगे, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी कोई योजना बनी है कि ब्लाक लैवल पर एक आई.टी.आई. कम से कम हो ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : इस संबंध में हमारी एक स्कीम वोकेशनेलाइजेशन की है। उसकी गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर सर्वे करके इस योजना के अंतर्गत जहां जैसी वोकेशनल शिक्षा की जरूरत हो, वहां वह दी जाए। यह काम राज्य सरकारों को करना है। इस मामले में आई.टी.आई.ज. को स्थापित करने के बारे में भी सरकारों को हिदायतें दी गई हैं और वह काम भी राज्य सरकारों के जिम्मे है। हम उन्हें गाइडलाइंस देते हैं और हमारी गाइडलाइंस ये हैं कि एक जिले में टैक्नो-एजुकेशन सर्वे कराके जिस तरह की टैक्नो एजुकेशन की जरूरत है, राज्य सरकारें उन्हें खोलें, उसके लिए हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं।

श्री रामानन्द सिंह : यह सच है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी बढ़ाने वाली है। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात स्वाधीनता आंदोलन के दौर में कही थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्राइमरी स्तर से, बुनियादी शिक्षा को प्रसारित करने और उसे बढ़ावा देने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : हमने इस संबंध में आठ राज्यों के मंत्रियों की एक समिति बनाई है और वह इस संबंध में विचार कर रही है। जनवरी में उसकी बैठक होगी और तब इस बारे में पूरी योजना लेकर आएंगे कि हम किस प्रकार से बच्चों को बेसिक शिक्षा से लेकर आगे तक पूरे तौर पर शिक्षित कर सकेंगे और उसमें हम कितना कम्पोनेंट व्यवसायिक शिक्षा का रख सकेंगे। उसमें इस बारे में पूरा विचार किया जाएगा। सरकार इस बारे में बहुत जागरूक है और बजाए इसके कि बहुत बड़ी संख्या में लोग केवल डिग्री लेकर आएं, हम चाहते हैं कि वे लोग उपयोगी बनें, उपभोक्ता ने बनें बल्कि उत्पादक बनें, यह सरकार की नीति है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद महोदय। चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने मुक्त विश्वविद्यालयों का भी उल्लेख किया है अत: मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की काफी मांग है। क्या सरकार इसकी मंजूरी देने जा रही है क्योंकि इन दिनों एम.बी.ए. से वास्तव में रोजगार प्राप्त हो सकता है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : पाठ्यक्रमों की मंजूरी विश्वविद्यालयों पर निर्भर है। ये स्वायत्तशासी निकाय हैं। आप इसे अच्छी तरह जानती हैं।

लेकिन यदि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को कहीं भी कोई दिक्कत होती है तथा इसे सरकार के पास भेजती है तो सरकार इसपर विचार करेगी। अन्यथा, इस संबंध में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को ही निर्णय लेना है। *(व्यवधान)* ए.आई.सी.टी.ई. भी है। लेकिन

वो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर रही हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ए.आई.सी.टी.ई. से भिन्न है।

डा० बिक्रम सरकार : महोदय, यह रोजगार उन्मुख शिक्षा के एक महत्वपूर्ण मामले के संबंध में पूछा गया विशिष्ट प्रश्न था। देश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या पिछले दशक में दोगुनी हो गई है। वर्ष 1985 में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस महत्वपूर्ण मामले से निपटने में असफल रही है। ऐसी कोई निगरानी नहीं की गई है जिसका उल्लेख किया जा सके।

अत: आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि क्या वे एक नई शिक्षा नीति तैयार करने पर विचार कर रहे हैं जिसमें निगरानी एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं मानता हूं कि निगरानी अत्यधिक आवश्यक है। सरकार द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े सामान्यत: अत्यधिक असंतोषजनक हैं। हम इस दिशा में, इसके बारे में सोच रहे हैं।

हमने यह भी प्रस्ताव किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास एक अत्यधिक सुदृढ़ सांख्यिकी विभाग हो ताकि हम सूचना पर निगरानी रख सकें। सभा को ज्ञात होगा कि हम अभी भी वर्ष 1991 में की गई जनगणना के सर्वेक्षण के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं। अब वर्ष 1998 है। मेरे लिए इन मुद्दों की योजना बनाना भी अत्यधिक कठिन है। अत: हम अपने मंत्रालय में एक सुदृढ़ सांख्यिकी मशीनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस सभा के सहयोग से हम ऐसा करने में सफल होंगे।

श्री टी०आर० बालू : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की विशेष समस्या का प्रश्न है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डा० जोशी लम्बे समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर थे। संसद सदस्य के रूप में रहने के पश्चात भी वे उस विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के आचार्य थे। मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं। क्या वे अभी भी उस विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कार्यरत हैं ? उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं वर्ष 1994 में अधिवर्षिता के कारण सेवा निवृत्त हो चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वर्तमान प्रश्न से संबंधित है।

श्री कमलनाथ : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। दूसरी तरफ उन्होंने जिला स्तर पर आई.टी.आई. संस्थानों के सर्वेक्षण की बात की है। श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाया गया प्रश्न एम.बी.ए. से संबंधित था। क्या मंत्री महोदय एम.बी.ए. पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों में व्याप्त अव्यवस्था से अवगत हैं ? यह विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। राज्य द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण रखने की विचित्र भूमिका शुरू की गई है।

दूसरी तरफ, केंद्र सरकार तथा ए.आई.सी.टी.ई. महज मूक दर्शक बनकर रह गई है। क्या मूक दर्शक बने रहने तथा उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही इन संस्थानों पर नियंत्रण करने अथवा इनका भगवाकरण करने का एक छुपा हुआ प्रयास है ? ऐसा क्यों हो रहा है ? आप नए संस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं। आप आई.टी.आई. के नए संस्थानों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो संस्थान उचित रूप से चल रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे तथा जिनसे पास होने वाले छात्रों को रोजगार मिल रहा था वे इस समय अव्यवस्था की स्थिति में हैं। इसके क्या कारण हैं ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में अव्यवस्था व्याप्त किसी संस्थान को लाते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उनसे सहमत हूं। सवाल एम.बी.ए. और एम.बी.बी.एस. का नहीं है, आज बी.ए. से लेकर इंजीनियरिंग, मेडीकल या जो भी उनके पास डिग्री है उसे लेकर अनेकों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। राजेश पायलट जी ने आई.टी.आई. का जिक्र किया है, आई.टी.आई. का एक्सपेरीमेंट बहुत सफल नहीं हुआ है। आई.टी.आई. से भी ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत से नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी समाप्त करने का एक बहुत इम्पोरटेंट आस्पेक्ट सामने आ रहा है। अगर हम प्राइवेट सैक्टर में सेल्फ एम्प्लायमेंट की स्कीम यूथ्स को सजेस्ट करें, कोआपरेटिव सैक्टर में कोई ऐसा काम शुरू करें, क्या सरकार इस मामले में विचार करना चाहेगी ? यूथ्स को इस संबंध में उनकी एजूकेशन के दौरान में ही ऐसी ट्रेनिंग मिले कि वे डिग्री लेने के बाद कहां-कहां काम शुरू कर सकते हैं, क्या इस संबंध में भी सरकार विचार करना चाहेगी ताकि बेरोजगारी समाप्त हो सके।

डा० मुरली मनोहर जोशी : सरकार इस संबंध में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और हमने यह निश्चय किया है कि उद्योग, विज्ञान, टैक्नोलॉजी की संस्थाएं और शिक्षा संस्थाएं आपस में बार-बार मिलें तथा एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें। आज स्थिति यह है कि तेजी से बदलती हुई टैक्नोलॉजी में बहुत पुराने कोर्सेस संदर्भहीन हो गए हैं। हमारी कठिनाई यह है कि कोर्सेस को बदलने और उनको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम गाइडलाइंस देते हैं लेकिन यह अधिकार विश्वविद्यालयों, आई.टी.आईज तथा आई.आई.टीज. के पास ही रहता है। हमारी चेष्टा यह है कि हम उन्हें यह बताएं और समझाएं कि अगर नई टैक्नोलॉजी के संदर्भ में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के पाठ्यक्रम नहीं बदलेंगे तो यह स्थिति बनी रहेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाओं के लोग उद्योग और इस बारे में सतत् जागरूक रहें तथा देश के पाठ्यक्रम निरंतर आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहें। हमने इसमें विज्ञान और तकनीकी संस्थाओं से बात की है, उद्योग की संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं तथा यूजीसी से भी बात कर रहे हैं। हम बार-बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो देश की आवश्यकताओं और नयी बदलती हुई तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप हो। मैं समझता हूं कि देश में, विशेष कर विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है कि वे अपने पाठ्यक्रमों को बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करें। अभी वहां पुराने पाठ्यक्रम चल रहे हैं, इस मामले में विश्वविद्यालयों में बड़ा ढीलापन है। अगर नई परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम बदलें तो यह कठिनाई दूर हो सकती हैं, जहां तक आई.टी.आई. का प्रश्न

है, मैंने आपको बताया है कि हम आई-टी-आई. खोलने के लिए मदद करते हैं लेकिन सम्मानित सदस्यों को यह अनुभव होना चाहिए कि इन सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार मदद करती है, गाइडलाइंस देती है, हम गाइडलाइंस के लिए जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी दूर करना शिक्षा मंत्रालय का काम नहीं है, हम तो देश की जो आवश्यकताएं हैं, जो मैन-पावर, इंस्टीट्यूट हमें बताता है, तकनीकी संस्थाएं बताती हैं उसके अनुसार विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को मदद करते हैं, गाइड लाइंस देते हैं। यह मिला-जुला काम है और इसको कई मंत्रालय मिल कर ही कर सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बेरोजगारी के बढ़ने के कई कारण बताए हैं। लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा है। चूंकि बेरोजगारी के बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण [illegible] इसलिए बुनियादी शिक्षा अथवा प्राथमिक शिक्षा को [illegible] जानी चाहिए जबकि भारत में बुनियादी शिक्षा की [illegible] बहुत ही शोचनीय है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार भारत में बुनियादी अथवा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

माननीय मंत्री महोदय इस बात से सहमत हो गए हैं और उन्होंने यह उत्तर दिया है कि इसके परिणामस्वरूप

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि सरकार व्यापार, उद्योग आदि से जुड़े व्यक्तियों के साथ लगातार संबंध बनाए हुए है और जिसके परिणामस्वरूप देश में प्रबन्धन संस्थानों सहित कई व्यावसायिक कालेज स्थापित किए गए हैं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के बीच बहुत ही बेतुकी प्रतिस्पर्धा है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें। अन्यथा मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के अन्तर को खत्म करने के बारे में विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, जहां तक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उसके विस्तार का सवाल है, मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि हमने आठ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति बनाई है, जो सारी शिक्षा के संबंध में चलने वाली योजनाओं पर विचार करेगी। हमारा इरादा यह है कि एक पूरे मिशन नोट पर काम करने वाली योजना बनाई जाए, जो पूरे मिशन के भाव से बेसिक शिक्षा को ऊपर लाए। क्योंकि निचले स्तर पर, बेसिक शिक्षा के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। जिसकी हमें बहुत चिंता है। इस कार्य को सारे देश को मिलकर करना है। सरकार इस मामले में बहुत चिंतित है। जहां तक उन्होंने सवाल उठाया कि अर्बन और रूरल लोगों के बीच के गैप को पूरा करना है, सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आगे आए, मेरा कहना यह है कि सरकार अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों में ऐसे केन्द्र चलाती है जिनमें पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनमें पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में सरकार का प्रयास रहता है। अगर किसी क्षेत्र विशेष से मांग आती है तो सरकार उस पर पूरा ध्यान और पूरी सहायता देगी।

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष जी, फातमी जी ने एक ऐसा सवाल उठाया और राजेश पायलट जी ने कुछ हद तक उस पर प्रकाश डाला कि रोजगार-उन्मुख शिक्षा कैसे हो। यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था कि रोजगार-उन्मुख शिक्षा कैसे हो ? इस पर जय प्रकाश नारायण जैसे लोगों ने पूरे देश को आमंत्रित किया था कि रोजगार-उन्मुख शिक्षा कैसे दी जाए, कौन सा तरीका उसके लिए हो। लेकिन काफी समय तक विचार करने के बाद भी इस देश में वे नेता नहीं निकले जो हमें यह बताएं कि इस तरह की रोजगार-उन्मुख शिक्षा हम दे सकते हैं। यह कोई छोटा सवाल नहीं है। इसमें जो लोग बैठे हैं, वे काफी नहीं हैं और यह देश बहुत बड़ा है। जय प्रकाश नारायण जी के समय में इस बारे में पूरे देश का आह्वान किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह डिस्कशन नहीं है, यह प्रश्नकाल है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री लाल मुनी चौबे : श्री जय प्रकाश नारायण उस समय सत्ता में नहीं थे, उनकी कोई सरकार नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रोजगार-उन्मुख शिक्षा के लिए ऐसी एक समिति बनाएगी जिसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिले ताकि हमारे देश के शिक्षित लोगों को रोजगार मिल सके और देश को आगे बढ़ने में गति मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सजेशन है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार प्राइवेट संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं, उद्योगों, कृषकों आदि के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है और हमारा यह उद्देश्य है कि शिक्षा जॉब-ऑरिएंटेड ही नहीं, जॉब-क्रिएटिव भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति पढ़-लिखकर इतना सक्षम बने कि वह खुद रोजगार क्रिएट कर सके। नौकरी की दृष्टि से शिक्षा हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सक्षम और उद्यमशील बने जिससे रोजगार के लिए उसे किसी का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता ही न पड़े। हमें ऐसी शिक्षा-व्यवस्था की जरूरत है, आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है। सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि हमारा यह संकल्प है कि शिक्षा प्रणाली को बदलती हुई आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालना है जिसमें शिक्षित व्यक्ति का नयी-नयी टैक्नोलॉजी और आविष्कारों के साथ औद्योगिक प्रगति में हम पूरा योगदान ले सकें।

श्री लाल मुनी चौबे : मैं पूछ रहा था कि क्या सरकार ऐसी कमेटी बनाएगी, जो यह बताए कि जॉब ऑरिएंटेड शिक्षा कैसी हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री के०एस० राव : महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कई इंजीनियरी कालेजों और मेडिकल कालेजों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। यह सच है। लेकिन देश को निचले स्तर पर कुशल लोगों और तकनीशियनों की आवश्यकता है। इंजीनियर और डाक्टर यह सोचते हैं कि वे इंजीनियर और डाक्टर हैं और उनमें पद का गुरूर होता है। लेकिन वे कोई शारीरिक कार्य नहीं करते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उद्योगों में तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करने, अस्पतालों में परा-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और चार्टर्ड एकाउण्टेंटों के लिए लेखाकारों को अपने लेखे लिखने का प्रशिक्षण देने की एक अनिवार्य शर्त लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस तरह से क्या आप इस संबंध में कोई विधान लाने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह विधान बनाने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न ढांचे में परिवर्तन लाने से संबंधित है *(व्यवधान)*

श्री के०एस० राव : हमारा मुख्य उद्देश्य देश के लोगों की क्षमताओं में सुधार लाने का है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं आपसे सहमत हूं। यह सरकार कुशल-जनशक्ति में सुधार लाने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए हैं ओर उसमें 94 व्यवसायों को शामिल किया है।

इस संबंध में हमने पाठ्यक्रम तैयार कर लिए हैं और उन्हें कालेजों व स्कूलों को उपलब्ध करा दिया है ताकि वे उन पाठ्यक्रमों को लागू कर सकें। हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री के०एस० राव : उद्योग के क्षेत्र में आपने क्या किया है ? *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : उद्योगों और स्कूलों के बीच हमेशा ही अंतर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कवाडे। कृपया एक बहुत ही संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन और टैक्निकल एजुकेशन के द्वारा इस देश में बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी और केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन नामक संस्था के नॉर्म्स की वजह से महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में फिजिकल इंस्टीट्यूशन्स और कालेज बंद होने जा रहे हैं। एन.सी.टी.ई. के नॉर्म्स अभी तक स्पष्ट नहीं हैं जिससे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कालेजों के बंद होने की संभावना है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन नाम की जो संस्था केन्द्रीय स्तर पर बनी है, इसके जो नॉर्म्स हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन करिए।

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : फिजिकल एजुकेशन देने से शारीरिक शिक्षा देने वाले अध्यापक निर्माण होते हैं। इस संस्था के नॉर्म्स किस प्रकार तय किए जाएंगे जिससे ये संस्थाएं बंद न हों ?

[अनुवाद]

डा० मुरली मनोहर जोशी : मुझे इसके लिए एक अलग सूचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 303 श्री ए० वेंकटेश नायक

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा है। कृपया स्थिति को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर पहले ही आधे घंटे तक चर्चा कर ली है। श्री वेंकटेश नायक।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। श्री फातमी कृपया अपने आसन पर बैठ जाएं।

डीयर पार्क में जानवरों का भूखा मरना

+

***303. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवंबर, 1998 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "टेम पार्क डीयर माईट डाई एज़ फीड्स टेपर ऑफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में बहुत से जानवरों का जीवन खतरे में पड़ गया है क्योंकि वन विभाग उनकी देखभाल करने से मुकर गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इन जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वनमंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

समाचार लेख में बताया गया है कि खतौली के डीयर पार्क में चीतलों, खरगोशों और गायना सूअरों के लिए उपयुक्त मात्रा में भोजन नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश के डीयर पार्कों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने की स्कीम थी। परन्तु अब यह स्कीम बन्द कर दी गई है और डीयर पार्कों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय को विभाग की बजट में होने वाली बचतों में से पूरा किया जाता [illegible] मिली है कि अलग बजटीय आवंटन न होने की [illegible] लिए पर्याप्त भोजन मुहैया कराने में कुछ कठिनाइयां [illegible] सरकार से कहा गया है कि वह पार्क के लिए पर्याप्त राशियां उपलब्ध कराए।

श्री ए० वेंकटेश नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भाग (ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों में उन सभी पशुओं से संबंधित है जिनके जीवन को खतरा है और इन पशुओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाये गए उपायों के बारे में पूछा गया था। लेकिन माननीय मंत्री ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

अनेक पशुओं का जीवन खतरे में है और वन-विभाग के अधिकारी धनाभाव के कारण उनकी देखभाल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि डियर पार्क के रखरखाव के लिए व्यय संबंधी योजना को बंद कर दिया गया है और केन्द्र तथा राज्यों की तरफ से कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। मैं बिना धन के डियर पार्क स्थापित करने के औचित्य को समझने में असमर्थ हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन पशुओं के संरक्षण और डियर पार्क के रख-रखाव हेतु पर्याप्त धन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, डियर पार्क 20-25 वर्ष पूर्व बनाये गए थे जब कुछ राज्य सरकारों ने मनोरंजन के स्रोत के रूप में इसे शुरू किया था। यदि मैं निर्भिकतापूर्वक बोलूं, तो ये डियर पार्क विक्टोरिया युग के प्रभाव में बनाये गए थे जिनमें कुछ पशु इस तरह रखे जाते थे कि कुछ लोग आ सकें और उन्हें देखकर प्रसन्न हों। तथा उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार न किया जाए। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने पाया कि ये डियर पार्क किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे थे। जब चिड़ियाघर बनाए गए थे तो वे किसी उद्देश्य के साथ निर्मित किए गए थे जिसमें वैज्ञानिक पहलू के साथ-साथ कुछ मनोरंजन को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों द्वारा अधिक शैक्षणिक प्रोत्साहन प्रदान करना ही प्रमुख उद्देश्य था। चिड़ियाघर और डियर पार्क जीवित माने जाते हैं लेकिन डियर पार्क चिड़ियाघर की तरह कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सभी डियर पार्कों का निरीक्षण किया और पाया कि कुछ डियर पार्क राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। उन्हें बंद करने के लिए कह दिया गया। यह डियर पार्क उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन हैं। जब हमारा ध्यान इस समाचार की ओर गया जिसका आपने उल्लेख किया है, तो हमने उत्तर प्रदेश सरकार को डियर पार्क बंद करने और पशुओं को जंगल में छोड़ने का शीघ्र आदेश दिया था।

श्री ए० वेंकटेश नायक : जैसा कि हम अवैध शिकार से अवगत हैं, डियर पार्क से ये पशु दिनोंदिन गायब होते जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसे अवैध शिकार को रोकने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : सच कहा जाये तो डियर पार्क और शिकार का एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। डियर पार्क चिड़ियाघर की तरह हैं, जो वास्तव में चिड़ियाघर की आवश्यकताओं के सदृश नहीं है जबकि शिकार सामान्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और जंगलों में होता है जहां लोग जाते हैं और शिकार करते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में ऐसा नहीं होता है पशु जब कैद में होता है तो उसका शिकार किया जा सकता है। इसलिए जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो विरोधाभास नहीं है।

लेकिन सामान्यत: वन्यजन्तुओं के संरक्षण और वन में रह रहे पशुओं की घट रही संख्या से भारत सरकार चिंतित है। यह भी सत्य है कि हम वन्य पशुओं का संरक्षण उस तरह से करने में समर्थ नहीं हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए। वनों में इनकी संख्या घटने का एक कारण यह है कि इन पशुओं के रहने की जगह कम होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना वन के आप बाघ नहीं रख सकते। वन क्षेत्र घट रहा है और प्रत्येक बाघ अपना क्षेत्र निश्चित कर लेता है। बाघ को अपने रहने के लिए एक बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है इसलिए, रहने का स्थान कम होने के कारण बाघों के साथ-साथ वनों में अन्य पशुओं की संख्या भी घटती जा रही है।

हमने कई उपाय किए हैं। यह वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का 25वां वर्ष है। इस अवसर का उपयोग करते हुए, वनों में पशुओं के संरक्षण हेतु जनमत को समझाने और जागरूकता पैदा करने हेतु कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए गये हैं। आमतौर से वन्य जन्तुओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। इस वर्ष, हमने ये सभी कदम उठाए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय संसद सदस्य ने यह प्रश्न पूछा क्योंकि इस सदन में वन्य जन्तुओं पर शायद ही कभी चर्चा होती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम वन्य जन्तुओं पर ज्यादा चर्चा करेंगे और इसके लिए धन आवंटित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री डी०एस० अहिरे (धुले) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के खतौली चीतल और डीयर पार्क में जानवरों के लिये चारा और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु धन की कमी होने के कारण दुर्लभ जानवरों जैसे चीतल और हिरण की जान खतरे में है। देश के कई राष्ट्रीय उद्यानों में पशु-पक्षियों के संबंध में ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास

इसकी जानकारी है कि देश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में 1998-99 के दरमियान कुल कितनी धनराशि दी गई है और यदि दी गई है तो क्या इट इज अप टू दी रिक्वायरमेंट ? अगर ऐसा है तो सरकार इस समस्या से निपटने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार किसी भी डीयर पार्क को धन नहीं देती है। नेशनल जू अथॉरिटी द्वारा जिन जू को ऐक्रेडिट किया जाता है, भारत सरकार उनको धन देती है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले सालों में जो धनराशि दी गई है, वह इस प्रकार है :

[अनुवाद]

> ''इस वर्ष हम विभिन्न चिड़ियाघरों को 5 करोड़ रुपये प्रदान करेंगे। मेरे पास सभी चिड़ियाघरों की एक सूची है जिनको यह राशि देना है। चिड़ियाघर की श्रेणी से राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल बाहर हैं। राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर नहीं हैं, उद्यान (पार्क) वे हैं जहां वन में कीमती पशु रखे जाते हैं और सम्पूर्ण वनस्पति को प्राकृतिक रूप में बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए, ऐसे उद्यानों को सहायता राशि भी दी जाती है। इस वर्ष, भारत सरकार वन्य जीवन पर कुल 115 करोड़ रुपये व्यय करेगी जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों पर 11.50 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा, 17 करोड़ रुपये अभयारण्य पर और 17 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट टाइगर पर व्यय किया जाएगा।''

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त : अध्यक्ष महोदय, देश में जितने डीयर पार्क बनाये जा रहे हैं, उनमें हिरण सिर्फ देखने की चीज नहीं है लेकिन इन हिरणों के माध्यम से कस्तूरी नामक बहुत अच्छी औषधि प्राप्त होती है जो लाइफ सेविंग ड्रग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कस्तूरी देने वाले हिरणों से प्राप्त होने वाले हिरणों को पालने की व्यवस्था कर रही है क्योंकि आज कस्तूरी 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह एक बहुत अच्छी औषधि है। क्या सरकार इसकी अलग से व्यवस्था करने का उपाय कर रही है ?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, हम नये डियर पार्क बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं बल्कि जो डीयर पार्क बने हुए हैं, उन्हें रैगुलेट किया गया है। जो डीयर पार्क नार्मस में नहीं थे, उनको बंद किया गया है लेकिन डीयर से कस्तूरी निकालने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने मस्क डीयर फार्मिंग के बारे में बताया, सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन यह मेरे मंत्रालय का काम है कि वाइल्ड एनीमल्स नेचुरल फार्म में रहें। उनका इकनामिक एक्स्प्लायटेशन करने की कोई योजना हमारे पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन : श्रीमान्, यह मुख्य प्रश्न से कुछ भिन्न है। मैं सी.आर.जेड. अधिसूचना की तरफ वन और पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो केरल की सरकार और वहां के लोगों से बहुत हद तक संबंधित है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि तटीय पट्टियों को 'कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स' घोषित करते हुए केरल सरकार द्वारा पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1996 और पर्यावरण रक्षा नियमों, 1996 के अंतर्गत उठाई गई आपत्तियों का अध्ययन किया गया है ? प्रतिवेदन को प्रमुख बिन्दु अधिसूचना के समान दृष्टिकोण के विरुद्ध था।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे केरल सरकार के दो प्रमुख सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अर्थात् सी.आर.जेड-II श्रेणी में केरल के तटीय क्षेत्र को शामिल करना और 100 मीटर से 50 मीटर तक तरंग-रोध के लिए प्रस्तावित अविकसित क्षेत्र को कम करना।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुख्य मुद्दा वन्य जीवन था है, लेकिन अनुपूरक, जो कि मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं अपना उत्तर देना चाहूंगा।

यह सत्य है कि सी.आर.जैड. के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में केरल और अन्य तटवर्ती राज्य सरकारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बारे में केरल सरकार ने समय-समय पर केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं। हमने विभिन्न समितियों का गठन किया है और यह मामला विचाराधीन है। मैंने सभी तटवर्ती राज्यों के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनके विचार सुने हैं। इस मामले पर मैंने केरल सरकार के साथ एक बैठक करने की योजना भी बना ली है। जैसे ही यह सत्र पूरा होगा, मैं निश्चित रूप से इस मामले और साथ-साथ अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के मामलों की भी छानबीन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ए.पी. एरिया के अंतर्गत देश में बहुत से अभ्यारण्य बने हैं। जब 20 वर्ष पहले ये अभ्यारण्य बनाये गये थे, उस समय हिरणों की संख्या 40-50 तक सीमित थी।

लेकिन आज वहां के हर अभ्यारण्यों में हिरनों की संख्या कम से कम तीन-चार हजार से ऊपर चली गई है। आपका कानून यह है कि हिरनों को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसको अरैस्ट कर लेते हैं और उस पर केस कर देते हैं, लेकिन अगल-बगल में जो खेती है, वहां की फसल का इतना नुकसान हिरन करते हैं कि उसके लिए आपके पास कई बार स्कीमें महाराष्ट्र सरकार ने भेजीं और इनडिविजुअल्स ने भी भेजीं कि एक तो वहां फेन्सिंग करें और जो उनकी संख्या है, उसको कम करने का कुछ प्रयास करें जिससे किसानों की फसल का नुकसान होता है, दूसरे अनाज का नुकसान होता है, वह रूके। क्या ऐसी स्कीम आपकी ऐनवार्यमेंट मिनिस्ट्री बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट से विचार-विमर्श करके एक अच्छी कंप्रिहेन्सिव स्कीम के तहत आप फेन्सिंग लगाएंगे ताकि किसानों की फसल बच सके ? मैं खासकर शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में कह रहा हूं।

श्री सुरेश प्रभु : काफी राज्यों में ऐसी स्थिति है। कई राज्यों में नीलगाय की संख्या बहुत बढ़ गई है। ऐसी स्थिति जब पैदा होती

है तो उस स्थिति से निपटने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ऐसे अधिकार दिये हैं कि उसका इस्तेमाल करके जहां कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो वह एक्शन लें। पूरी पॉवर्स उसको हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : आपके यहां हिरन को वाइल्डलाइफ में नहीं लिया गया है और आपकी सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनकर शास्त्री यह क्या है ? कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

: यह क्या है, श्री सोनकर शास्त्री ? आप अनुमति के बिना कैसे बोल सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : यदि किसी स्पीसीज की संख्या किसी एक प्रदेश में जरूरत से ज्यादा हो तो उसकी डील करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ऐसे अधिकार हैं जिनका वह प्रयोग कर सकता है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह ठीक है कि उनको मारने से अच्छा है कि खेतों की फेन्सिंग करके रोकें जिससे किसानों को भी तकलीफ होती है वह भी दूर हो। इको डेवलपमेंट स्कीम और फेन्सिंग की स्कीम हमारे पास हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जहां तक पॉसिबल हो, हम फेन्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी योजना चालू है। मैं मानता हूं कि सभी नेशनल पार्क्स में भी फेन्सिंग करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आवश्यक धन और डिमाण्ड को ध्यान में रखते हुए जहां भी हो सकेगा, हम जरूर करेंगे।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : अध्यक्ष जी, अभी माननीय सांसद वैद्य विष्णु दत्त ने कस्तूरी मृग के बारे में सवाल पूछा था। मैं उसी संदर्भ में माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मस्क डीयर बहुत ही सुन्दर जानवर है और टूरिस्ट अट्रैक्शन के अलावा इसमें मस्क जैसी औषधि मिलती है। यह सात से दस हजार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। आजकल इनकी इल्लीगल पॉचिंग हो रही है और मेरे क्षेत्र में ऊखीमठ नामक स्थान पर इस प्रकार का पार्क सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अभी यह आयुर्वेद विभाग, हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे है और उसकी दशा अच्छी नहीं है।

अभी माननीय मंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की, टाइगर प्रोटेक्शन की बात की, जो इस प्रकार के जानवर हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात की, क्या माननीय मंत्री जी इस मस्क डीयर की प्रोटेक्शन का काम वन मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय के अधीन लाएंगे और क्या हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके इसे अपने मंत्रालय के अधीन लेंगे ?

श्री सुरेश प्रभु : वैसे तो जिन जानवरों की डेफिनिशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के शेडयूल 1 और 2 में है, उनकी रक्षा करना हमारे मंत्रालय का कर्तव्य है, इसलिए यदि ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार का विभाग हमारे पास भेजता है तो हम उसका जरूर स्वागत करेंगे। मैं अपने बाजू में बैठे हुए मंत्री जी से इस प्रकार की रेक्वेस्ट करता हूं

मध्याह्न 12:00 बजे

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खतौली में हिरणों का जो डियर पार्क है, उसमें कितने हिरणों की मृत्यु उनको समय पर खाने की चीजें न मिलने के कारण हो गई।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि यह योजना अब समाप्त कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह राज्य सरकारों से यह कहने की स्थिति में हैं कि वह पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएं।

श्री सुरेश प्रभु : जिस उद्यान कि आप बात कर रहे हैं उसमें किसी भी जानवर की मृत्यु की बात प्रकाश में नहीं आई है। एहतियाती उपायों के रूप में चूंकि वे उस हिरण उद्यान को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं, अत: राज्य सरकार को सभी हिरणों को उद्यान में से निकालकर जंगल में छोड़ देने के आदेश दे दिये गए हैं। कल मैं वहां स्वयं गया था और मैंने कल इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री से भी बातचीत की क्योंकि मुझे आज संसद में इस प्रश्न का उत्तर देना था।

अध्यक्ष महोदय : डा० सोनकर शास्त्री, कृपया थोड़े में कहें क्योंकि समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

डा० विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों की सुरक्षा करना अच्छी बात है, किंतु पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) में एक विशेष जंगली जानवर, जिसे नील घोड़ा कहा जाता है और घड़गोज जैसे उसके अनेक नाम हैं, उसकी वजह से वहां के किसानों को व्यापक रूप से नुकसान हो रहा है। जहां जंगली जानवरों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, वहीं किसानों के मुआवजे की भी कोई व्यवस्था हो, क्या इसके संबंध में कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, नील गाय के संबंध में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल में इस तरह से है कि यदि चीफ वाइल्ड लाइन वार्डन लोगों के हितों की रक्षा करने में सफल न हो और वह चाहे तो मुआवजा दे सकता है। वैसे यह राज्य शासन का मामला है। माननीय सदस्य जिस राज्य से चुनकर आये हैं उस राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इस बारे में सूचित करें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवा

***304. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की ,राज्य-वार/संघ राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस समय किशोर बालिका योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या समेकित बाल विकास सेवा, प्रारंभिक बाल देखभाल और स्कूल पूर्व शिक्षा योजनाओं से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की समीक्षा करने और इन्हें अधिक आकर्षक बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कई अध्ययनों से यह परिलक्षित हुआ है कि समेकित बाल विकास सेवा तथा इसके प्रारम्भिक बाल देखभाल शिक्षा घटक ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर लिए हैं।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्कीम के वित्तीय मानदण्डों में संशोधन, आवश्यक निवेश उपलब्धीकरण, स्कीम की समृद्धि और गुणवत्ता में सुधार प्रस्तावित है।

विवरण-I

चालू आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नाम	चालू आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	209
2.	अरुणाचल प्रदेश	45
3.	असम	107
4.	बिहार	323
5.	गोवा	11
6.	गुजरात	203
7.	हरियाणा	114
8.	हिमाचल प्रदेश	72
9.	जम्मू और कश्मीर	113
10.	कर्नाटक	185
11.	केरल	120
12.	मध्य प्रदेश	355
13.	महाराष्ट्र	271
14.	मणिपुर	32
15.	मेघालय	30
16.	मिजोरम	21
17.	नागालैंड	41
18.	उड़ीसा	279
19.	पंजाब	110
20.	राजस्थान	191
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	432
23.	त्रिपुरा	31
24.	उत्तर प्रदेश	560
25.	प. बंगाल	294
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5
27.	चण्डीगढ़	3
28.	दिल्ली	29
29.	दादरा और नागर हवेली	1
30.	दमन और द्वीव	2
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	5
	कुल	4200

विवरण-II

किशोर बालिका स्कीमों (स्कीम-I तथा स्कीम-II) के तहत स्वीकृत ब्लाकों तथा लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	ब्लाकों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	37	67810

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—
3.	असम	10	—
4.	बिहार	74	11854
5.	गुजरात	1	416
6.	गोवा	15	—
7.	हरियाणा	4	11491
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3651
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3150
10.	कर्नाटक	23	39866
		13	15547
	प्रदेश	48	65146
13.	महाराष्ट्र	39	20208
14.	मणिपुर	1	—
15.	मेघालय	1	3600
16.	मिजोरम	1	1955
17.	नागालैंड	1	—
18.	उड़ीसा	24	42614
19.	पंजाब	3	—
20.	राजस्थान	24	3934
21.	सिक्किम	1	240
22.	तमिलनाडु	33	23241
23.	त्रिपुरा	1	—
24.	उत्तर प्रदेश	99	—
25.	प. बंगाल	41	29388
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	100
27.	चण्डीगढ़	1	141
28.	दादरा और नगर हवेली	1	500
29.	दमन और द्वीव	1	1280
30.	दिल्ली	3	2599
31.	लक्षद्वीप	1	—
32.	पांडिचेरी	1	1359
	कुल	507	350090

प्रमुख शहरों में खतरनाक कचरा

*305. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और भारत के अन्य बड़े शहरों में खतरनाक कचरे से निपटने की कठिन समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी हां, परिशिष्ट अपशिष्टों का निपटान चिन्ता का विषय है, इस बारे में उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

1. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1989।
2. जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 की अधिसूचना।
3. परिसंकटमय अपशिष्टों से संबंधित मानकों और नियमों के उल्लंघन के लिए किसी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को निर्देश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिनांक 8 जनवरी, 1997 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन।
4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट पैदा करने वाले उद्योगों की सूची बनाना।
5. केन्द्र सरकार द्वारा 1996 के बाद से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/राज्य सरकारों के माध्यम से परिसंकटमय अपशिष्ट के हस्तन के प्राधिकार की स्थिति की लगातार समीक्षा किए जाने के परिणास्वरूप अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन में सुधार हुआ है।
6. राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक अपशिष्टों के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान स्थलों का पता लगाना। एक आन्तरिक उपाय के रूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने परिसंकटमय अपशिष्ट पैदा करने वाले उद्योगों को निर्देश दिया है कि वे अपने संयंत्र के परिसरों में पर्यावरणीय तौर पर सुरक्षित तरीके से सृजित अपशिष्ट का भंडारण/निपटान करें।
7. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट न्यूनीकरण के संबंध में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
8. बड़े शहरों में तथा उनके आस-पास निपटान स्थलों की पहचान तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए 19.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता।
9. परिसंकटमय अपशिष्टों और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

10. रांगरेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) जिले के डुन्डीगल गांव में एक शोधन, भण्डारण तथा निपटान सुविधा (स्थापना के अंतिम चरण में) की स्थापना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वन-रोपण कार्यक्रम

*306. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि विभिन्न वन-रोपण कार्यक्रमों के अंतर्गत लगाए गए पेड़-पौधों की देखभाल समुचित ढंग से या बिल्कुल भी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने गत पांच वर्षों के दौरान कानपुर में 2.25 लाख पौधे लगाए थे लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण ये नष्ट हो गए; और

(घ) यदि हां, तो पौधों की उचित और ठीक देखभाल के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत वृक्षों की उत्तरजीविता की मानीटरी संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी विभिन्न स्कीमों के जरिए वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन कराए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय भी देशभर में आकस्मिक रूप से चुने हुए 50 जिलों में वार्षिक नमूना जांच के माध्यम से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत मॉनीटरी करता है। इन्हें 1991-92 से 1996-97 के लिए पूरा किया गया है तथा इससे कुल मिलाकर समग्र उत्तरजीविता दर 55 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक के बीच है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य वन विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों (1993-94 से 1997-98) के दौरान कानपुर नगर और कानपुर देहात में 56.51 लाख पौध लगाई गई थी, और औसत उत्तर जीविता दर लगभग 60 प्रतिशत है।

(घ) 8वीं योजना अवधि में पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन का व्यापक मूल्यांकन किया गया था और नवीं योजना अवधि से आगे के लिए इन स्कीमों के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। राज्य सरकारों को भेजे गए संशोधित दिशा-निर्देशों में सूक्ष्म योजना बनाने और संयुक्त वन प्रबंधन पर बल दिया गया है। वनीकरण और रख-रखाव कार्य में स्थानीय समुदायों को शामिल करना बेहतर तथा अधिक लागत प्रभावी कार्य सुनिश्चित करना है। नए दिशा-निर्देशों में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए रख-रखाव के लिए निधियां देने की व्यवस्था है। मॉनीटरी और मूल्यांकन भी अच्छी तरह से किया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सीय प्रयोजनार्थ शेरों का अवैध शिकार

*307. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शेरों की खाल, दांत, हड्डी आदि की जापान और चीन को तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) कलकत्ता में पिछले तीन वर्षों के दौरान निदेशक, राजस्व आसूचना और क्षेत्रीय उपनिदेशक, वन्यजीव संरक्षण द्वारा तीन बाघ की खालें, 10 कि.ग्रा. बाघ की हड्डियां और 291 बाघ के नाखून जब्त किए गए। इस कारण से कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बाघ के शरीर के भागों की तस्करी किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) बाघों का चोरी-छिपे शिकार करने और इनके शरीर के विभिन्न भागों का अवैध व्यापार करने पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. अनाधिकार शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रण करने हेतु सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन जैसे भारतीय प्राणी विज्ञान और वानस्पतिक सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

2. वन्य जीव उत्पादों के व्यापार और तस्करी के नियंत्रण में उपर्युक्त विभागों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी.बी.आई. और अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि सहित एक विशेष समिति का सृजन किया गया है।

4. सशस्त्र दस्तों, वाहनों, संचार नेटवर्क सहित सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा उद्यान प्रबंधकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. संसूचन और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट निष्पत्ति और बहादुरी के कार्यों के लिए पुरस्कार और पारितोषिक देने की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

6. राज्य सरकारों को निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गश्त को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं।

7. प्रभावी आसूचना प्राप्त करने और कानूनों को लागू करने हेतु विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई है।

8. बाह्य सीमा व्यापार नियंत्रण के संबंध में चीनी गणराज्य के साथ एक समझौते पर और नेपाल सरकार के महामहिम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

9. बाघ संरक्षण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय मामलों को उठाने के लिए बाघ रेंज देशों अर्थात् "ग्लोबल टाइगर फोरम" के लिए एक मंच के सृजन का मामला उठाया।

[illegible] को वन्यजीवन संरक्षण में किए गए प्रयासों में [illegible]स्ते गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को शामिल [illegible] लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ करना।

11. संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों में बाघ व्यापार मार्ग खोजने तथा बाघ के हिस्सों और उत्पादों के लिए अदालती पहचान, संदर्भ नियम-पुस्तिका बनाने हेतु समर्थन कार्यक्रम।

12. राज्य सरकारों को क्षेत्रों के पारि-विकास के लिए जैविक दबाव कम करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

13. बाघ परियोजना क्षेत्रों में विशिष्ट स्पेशल फोर्स।

वन सुरक्षा परिषद

*308. **श्री संदीपान थोरात :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन और सतत् विकास संबंधी विश्व आयोग ने भारत सहित अन्य विकासशील देशों के लिए एक वन सुरक्षा परिषद गठित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके अभिप्राय और प्रभावों सहित इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) वन तथा सतत् विकास संबंधी विश्व आयोग, एक गैर-सरकारी संगठन ने अपनी पहली प्रारूप रिपोर्ट में भारत सहित 15 देशों की एक वन सुरक्षा समिति गठित करने का सुझाव दिया है। वन सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य वन संकट का शीघ्र समाधान खोजना है। जिससे विशिष्ट और अत्यावश्यक समाधानों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इसमें वे समाधान भी हैं जो वर्तमान मामलों के अधिक संगत हैं और जो विशिष्ट विश्वव्यापी अन्तर-सरकारी प्रणालियों की सीमा के अंतर्गत हैं और जो काफी तेजी से प्रगति करने में सक्षम हैं। आयोग महसूस करता है कि यद्यपि उच्च राजनैतिक तथा कार्यकारी स्तर एफ-15 देशों के लिए जरूरी है और यह प्रक्रिया हर हालत में इन देशों की सरकारों तक ही सीमित होनी चाहिए। वन संकट के समाधान के कार्य के साथ-साथ समाज के कई वर्गों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा वन उद्योग निगमों एफ-15 देशों के लिए गए वैज्ञानिकों और समुदायों के प्रयास शामिल हैं। आयोग यह भी महसूस करता है कि एफ-15 देश एक संभावित विश्व प्रयास के लिए संभावनाओं, विकल्पों और समाधानों की बुनियाद बना सकता है जिसमें सभी देशों को शामिल किया जा सकेगा। इसकी कार्यसूची को वनों पर अंतर-सरकारी पैनल और इस आयोग के प्रस्तावों से चुना जा सकता है जिसमें अत्यधिक अनुकूल मध्यस्थताओं, पद्धतियां तैयार करने और संकट के स्रोतों के समाधान वाले उपायों तथा उनके ग्रुप में ही उनके हल ढूंढ़ने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। तत्पश्चात् सभी देशों में इन समाधानों को लागू करने के लिए एक कन्वेंशन किया जा सकता है।

(ग) और (घ) भारत अपने वन संसाधनों का प्रबंधन राष्ट्रीय वन नीति जो जन समर्थक है, के द्वारा कर रहा है और इसने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा शुरू होने के पश्चात् नया आयाम ले लिया है। भारत ने अकेले ही अपनी ओर तथा विकासशील देशों की ओर से वनों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढ़ने के लिए अग्रणीय भूमिका निभाई है। भारत, वनों पर अन्तर-सरकारी मंच की चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस मंच की स्थापना सतत् विकास आयोग द्वारा की गई है जिसमें जी-77 और चीन के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया गया है। वनों पर सामाजिक आर्थिक निर्भरता के मामलों और सतत् वन प्रबंधन के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता की आवश्यकता को इस मंच में उपयुक्त रूप से उठाया गया है। इसको देखते हुए, भारत आई.एफ.एफ की चर्चाओं से उत्पन्न सर्वसम्मति वाले मामलों पर विश्वास करता रहेगा। परन्तु वन और सतत् विकास दर पर विश्व आयोग के विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है।

सरस्वती वंदना और वन्दे मातरम का गायन

*309. **श्री एस० सुधाकर रेड्डी :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी आदेशों के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में सरस्वती वंदना और वन्दे मातरम के गायन को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सूचना मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के इस कदम के विरोध में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आपत्तियां की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार का इस मुद्दे से किस प्रकार निबटने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप की सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने स्कूलों में ''सरस्वती वंदना'' और ''वंदे मातरम्'' के गायन को अनिवार्य करने के लिए कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं। अन्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी सूचना मांगी गई है।

तथापि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने दिनांक 17.4.97 को एक शासनादेश जारी किया था जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत लड़के और लड़कियों में चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु उन स्कूलों के लिए समय सारणी निर्धारित की गई थी। समय सारणी में अन्य बातों के साथ स्कूल शुरू होने के समय ''ईश वंदना'' तथा व्यायाम, योग आदि जैसे कार्यकलाप और शिक्षण कक्ष के लिए प्रस्थान से पूर्व राष्ट्रीय गान का गायन शामिल थे।

राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के विचार से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''कल्प योजना'' शुरू करने के लिए 25.7.98 को कतिपय निर्देश जारी किए गए थे। ''कल्प योजना'' में अन्य बातों के साथ ''वंदे मातरम्'' और मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने ''वंदना'' का गायन शामिल था। इस संबंध में जारी आदेशों को बाद में राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

केन्द्र सरकार का सरकारी स्कूलों में ''वंदे मातरम्'' या ''सरस्वती वंदना'' को अनिवार्य करने का प्रस्ताव नहीं है। इसी तरह, एक भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह के प्रस्ताव की सूचना नहीं दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का इस मामले में कोई और कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं है।

जाली अंक पत्रों के आधार पर महाविद्यालयों में प्रवेश

***310. श्री नरेश पुगलीया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में हजारों छात्र जाली अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिल किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर छात्रों को दाखिला देते हैं और उन दस्तावेजों की पुनः जांच की जाती है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों द्वारा केवल असली प्रमाण पत्र धारकों को दाखिला देने के लिए कोई दोषरहित प्रणाली अपनाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जाली दस्तावेजों के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों के दाखिले होने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। विश्वविद्यालय ने सभी कालेजों को निर्देश दिया है कि वे अंकपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के विस्तृत विवरण फ्लापीज पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य संबद्ध जांच निकायों के पास भेजें। के०मा०शि०बो० ने विश्वविद्यालय को आश्वासन दिया है कि वे दस्तावेजों की जांच करेंगे तथा उन्हें और आगे जांच के लिए विश्वविद्यालय को भेज देंगे। यद्यपि राज्य बोर्डों का उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं है फिर भी विश्वविद्यालय इस मामले पर उनके साथ प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है।

ऐसे जाली दाखिलों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के रिकार्ड की जांच पहले कालेज में तथा फिर विश्वविद्यालय स्तर पर करने की पद्धति विकसित की है। यदि किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह/शिकायत हो तो इसे जारी करने वाले प्राधिकरण को जांच के लिए वापिस भेज दिया जायेगा। जाली दस्तावेजों के बारे में ''जारी करने वाले प्राधिकरण'' द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद अभ्यर्थी का दाखिला रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

***311. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1982 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कौन-कौन से मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए प्रस्तुत करता है। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गयी थीं जिनमें इन दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, उपलब्धियों आदि का विशेष उल्लेख किया गया है। ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं थी कि जिन पर सरकार कोई कार्रवाई करती।

पत्तन कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

***312. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री एम० वेंगा रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पत्तन कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने हेतु नीदरलैंड सरकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ गठबन्धन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पत्तन कर्मचारियों की उत्पादकता को विश्व में सबसे कम माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पत्तन कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी हां।

(ख) रायल नीदरलैंड्स सरकार ने महापत्तनों में पत्तन श्रमिकों [illegible] अंतर्देशीय श्रम संगठन द्वारा परियोजना प्रस्ताव [illegible] का वित्त-पोषण किया है। इस प्रस्ताव के पहले [illegible] कलकत्ता, मुम्बई, कोचीन, चेन्नई और जवाहर लाल नेहरू नामक 5 महापत्तनों में कंटेनर हैंडलिंग के लिए पत्तन श्रमिक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। दूसरे चरण में कलकत्ता, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, मुरगांव, पारादीप, चेन्नई और जवाहर लाल नेहरू नामक 7 महापत्तनों में बल्क हैंडलिंग के लिए पत्तन श्रमिक प्रशिक्षण की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) विभिन्न प्रकार के कार्गो, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के आधार पर विभिन्न पत्तनों से संबंधित अधिप्रमाणित एवं अधिसूचित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण भारत में पत्तन श्रमिकों की उत्पादकता की तुलना समस्त विश्व के अन्य पत्तनों की श्रमिक उत्पादकता से करना संभव नहीं है।

भारतीय पत्तन श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उपायों में प्रशिक्षण, प्रोत्साहन स्कीमें और उत्पादकता से जुड़े पुरस्कारों का भुगतान शामिल है।

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

***313. श्री नादेन्दला भास्कर राव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी में आपूर्ति किए जाने वाला पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यमुना के जल में किए जाने वाले हानिकारक प्रदूषण के स्तर की प्रभावी रोकथाम करने के लिए बनाई गई दीर्घकालिक कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट/हलफनामे में यह बात नहीं कही है कि राजधानी में सप्लाई किया जाने वाला पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दीर्घकालिक कार्य योजना के भाग के रूप में किए गए/करने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. पीने के पानी की जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए छः आंचलिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी संदूषित न हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक मोबाइल वेन भी लगाई गई है।

2. सर्विस जलाशयों की आवधिक सफाई संबंधी अहतियाती उपाय उठाए गए हैं जिससे पेयजल की पूर्ति बनाए रखी जा सके। नलकूपों, अधिक गहरे हैंड पम्पों, बरसाती कुओं के पानी की नियमित आधार पर जांच की जाती है।

3. लोगों को सलाह दी गई है कि वे पीने के लिए उथले हैण्ड पम्पों के पानी का प्रयोग न करें। पुनर्वास कालोनियों के सभी उथले हैण्ड पम्पों पर लाल रंग से ''पीने के योग्य नहीं'' लिख दिया गया है।

4. 284 एमजीडी से 497 एमजीडी तक क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली में 15 सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है।

5. सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता दिसम्बर, 1999 तक 500 एमजीडी और दिसम्बर, 2002 तक 600 एमजीडी तक बढ़ाई जाएगी।

6. क्षमता बढ़ाने के लिए सीवेज की निकासी के लिए समकालिक कार्रवाई भी शुरू की गई है।

7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से 15 सार्वजनिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र मंजूर किए गए हैं जो कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं।

8. दिल्ली जल बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से आवधिक रूप से पेय जल में विद्यमान कीटनाशक अपशिष्टों के संबंध में निगरानी करता है।

9. दिल्ली जल बोर्ड ने जल संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार की है, जिसमें रिसाव का पता लगाना और इसकी तत्काल मरम्मत करना, जल शोधन संयंत्रों में संसाधित अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना आदि शामिल है।

10. अपर यमुना और पश्चिमी यमुना नहर के उपरि भागों में प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए नदी के साथ लगे उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्यावरणीय मानकों को परी तरह से पालन करें।

11. सीवेज को सीवेज शोधन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 17 अतिरिक्त सीवेज पंपिंग केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।

12. खराब सीवरों को डेस्लिट करने और उन्हें पुन: ठीक करने का कार्य किया जा रहा है।

13. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना की जल गुणवत्ता का आवधिक रूप से मॉनीटरन किया जा रहा है।

14. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय भू जल बोर्ड उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए दिल्ली में भूजल के मॉनीटरन अध्ययन कर रहे हैं।

15. यमुना नदी बेसिन के आवाह क्षेत्र में बरसात का पानी जमा करके यमुना नदी में पानी का न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने की कार्रवाई शुरू की गई है।

16. यमुना नदी के उपरि भागों और पश्चिमी यमुना नहर में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है।

संस्कृत शिक्षा के लिए बजट प्रावधानों में वृद्धि करना

*314. **श्री विट्ठल तुपे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान संस्कृत शिक्षा के लिये बजट प्रावधानों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार कुछ संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संस्कृत भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान् और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998-99 के दौरान, भारत सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के लिए वर्ष 1997-98 में 14.33 करोड़ रु० का जो संशोधित अनुमान था, उसे बढ़ाकर कुल 30 करोड़ रु० का बजट आवंटन कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संस्कृत को लोकप्रिय बनाने तथा इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए, सरकार के पास संस्कृत शिक्षा के विकास की एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम है जिसकी पांच उप योजनाएं हैं अर्थात (1) संस्कृत के प्रकांड पंडितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, (2) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना, (3) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की योजना, (4) संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण की योजना और (5) राज्य सरकार के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देने की योजना। भारत सरकार विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देती है। ये संस्थाएं विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं जिनमें आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों तथा स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद की योजना, शास्त्र चूड़ामणि योजना के कार्यान्वयन की योजना, अखिल भारतीय संस्कृत वक्तृता प्रतियोगिता, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वैदिक सम्मेलनों को आयोजित करने की योजना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय प्रति वर्ष संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले पन्द्रह संस्कृत, एक पाली, तीन फारसी के विद्वानों को राष्ट्रपति प्रमाणपत्र पुरस्कार प्रदान करता है।

ललित कला अकादमी में कुप्रबंधन

*315. **श्री दिनशा पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी में कुप्रबंधन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अकादमी के पुनर्गठन तथा इसके कार्यकरण पर पूरा नियंत्रण रखने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ललित कला अकादमी के संगम-ज्ञापन तथा नियम एवं विनियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन करने और अगले वर्ष जल्दी ही विधिवत् गठित किए गए शासी निकायों को अकादमी का प्रबंधन पुन: सौंपने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसका आशय स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व के बीच उचित संतुलन बनाए रखना है।

विवरण

ललित कला अकादमी के पूर्व प्रबंधन द्वारा कुप्रबंध, अनियमितताओं, पक्षपात आदि की कई शिकायतों, कर्मचारियों की यूनियनों से प्राप्त कई प्रतिवेदनों तथा माननीय संसद सदस्यों के संदर्भों के आधार पर,

सरकार ने प्रशासनिक जांच अकादमी के लेखों की विशेष लेखापरीक्षा का आदेश दिया। जांच के महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

(क) सामान्य परिषद् के कुछ अधिकारियों/सदस्यों का पक्ष लेने के लिए नियमों का घोर उल्लंघन।

(ख) सरकारी निधियों का कुप्रबंधन तथा दुरूपयोग।

(ग) मर्यादा के सामान्य सिद्धान्तों का तथा राष्ट्रीय अकादमी के प्रबंधन से अपेक्षित नैतिक संहिता तथा आचार व्यवहार का उल्लंघन।

विशेष लेखा परीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए :-

(क) 1. कार्यकारी उप-अध्यक्ष, जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, को अकादमी की फैलोशिप प्रदान की गई।

2. फोटोग्राफी की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आये पुरस्कार अभिनिर्णायक मंडल सदस्यों तथा ललित कला अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के निकट के संबंधियों को प्रदान किए गए।

3. अकादमी की समितियों के कुछ सदस्यों ने यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते के रूप में अदेय वित्तीय लाभ प्राप्त किए।

4. अकादमी के कुछ अधिकारियों ने, यात्रा की जिस श्रेणी से यात्रा की उससे अधिक की श्रेणी के रेल किराये का दावा किया।

5. दीर्घाओं के आवंटन में अनियमितताएं पाई गईं।

6. प्रक्रिया को अपनाए बिना एक कार्यकारी बोर्ड के सदस्य को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

7. स्वयं के प्रदर्शों की खरीद के लिए समिति सदस्यों का दबाव।

8. खरीदी गई कुछ कला कृतियां स्टाक प्रविष्टियों में उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए यह असम्मान्य नहीं है कि खरीद असत्य थीं।

9. अध्यक्ष की विवेकाधीन निधियों में से धन उन मदों के लिए विपथित किया गया जो इस नियमावली के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

10. फ्रेम, ग्लास, पेंट आदि जैसी मदों की खरीद पर कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं की गई है।

11. गैर-विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए गैर मान्यता प्राप्त संगठनों को अनुदान प्रदान किए गए हैं।

12. उप-सचिव (प्रशा०), अध्यक्ष के निजी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, अ०श्रे० लिपिकों तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं।

13. पदोन्नतियों तथा सेवानिवृत्तियों के पश्चात सेवा में विस्तार प्रदान करने में भी अनियमितताएं पाई गई हैं।

14. ऐसे कई मामलों का पता लगा है जहां कलाकारों को अकादमी दीर्घाएं संशोधन पूर्व दर पर आवंटित की गई हैं।

15. प्रिंटिंग न्यू लैटर, बधाई आदि पर डाक से निकासी में विलम्ब से ऐसे व्यय का पता लगा है जिसे बचाया जा सकता था।

16. बिना बिके प्रकाशनों का संचय बहुत अधिक था।

17. अकादमी के कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया अनुचित थी।

जांच/लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर तथा साथ ही हक्सर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में अकादमी की बाधा के आधार पर सरकार ने, ललित कला अकादमी (प्रबंधन को अधिकार में लेना) अधिनियम 1997 द्वारा ललित कला अकादमी का प्रबंधन 24 जनवरी, 1997 को अपने अधिकार में ले लिया तथा एक प्रशासक नियुक्त कर दिया।

सरकार के निदेशानुसार, ललित कला अकादमी ने रिपोर्टों में दर्शाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं पहले ही शुरू कर दी हैं। ललित कला अकादमी के वर्तमान एसोसिएशन विवरण-पत्र में अकादमी के महापरिषद् तथा कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।

पत्तनों में अतिरिक्त क्षमता

*316. **श्री के०पी० मोहन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान पत्तनों में 159 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) पत्तनों में उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के संबंध में निजी क्षेत्रों से कुल कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों में 159 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए पुराने और अप्रचलित उपकरणों को प्रतिस्थापित करके वर्तमान बर्थों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने, प्रबंधन में सुधार करके, श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुन: तैनाती द्वारा उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने, नई सुसज्जित बर्थों का निर्माण करने और पत्तन सुविधाओं के विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ख) महापत्तनों के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 7215 करोड़ रु० के परिव्यय के अतिरिक्त लगभग 8000 करोड़ रु० का निजी निवेश जुटाने का प्रस्ताव है।

(ग) अभी तक 42 मिलियन टनों की क्षमता और 3000 करोड़ रुपयों के निवेश से संबंधित नौ प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण

*317. **श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा उद्योगों से बेहतर सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है ताकि उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उद्योगों के लिए विकसित की गई किसी प्रौद्योगिकी का आज तक व्यावसायीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्य-निष्पादन क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं। सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं के पास अपनी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण हेतु उद्योग तथा अन्य संभाव्य ग्राहकों के साथ अन्त:क्रिया की सुस्थापित क्रियाविधियां पहले से ही हैं।

(ग) और (घ) विगत वर्षों के दौरान सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं ने अपने द्वारा विकसित 800 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण किया है। इनके ब्यौरे तथा निष्पादकता इस प्रकार है :-

आर्थिक क्षेत्र	वाणिज्यीकृत प्रौद्योगिकियों की संख्या	अनुमानित वार्षिक औद्योगिक उत्पादन/ मूल्य संवर्धन (रुपए करोड़)
1. रसायन	240	1800
2. खाद्य व खाद्य संसाधन	80	700
3. जैव प्रौद्योगिकी	10	200
4. चर्म व चर्म रसायन	40	200
5. मशीनरी तथा उपस्कर	80	200
6. औषध तथा भेषज	40	100
7. इलेक्ट्रानिकी तथा उपकरणन	140	100
8. आवास तथा निर्माण	50	100
9. खनिज, धातुएं तथा पदार्थ	60	100
10. ऊर्जा तथा अन्य	60	100
कुल	800	3600

[हिन्दी]

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

*318. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में कितने स्थानों पर सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ख) बिहार में इसका विस्तार कितना है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी शुरू की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सहित नौ मुक्त विश्वविद्यालयों तथा 57 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। बिहार में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (ii) नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय और (iii) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, पटना विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का पटना में एक क्षेत्रीय केन्द्र और सम्पूर्ण बिहार राज्य में 22 अध्ययन केन्द्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 1997-98 में छात्रों की कुल नामांकित संख्या 14,722 है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 172.19 लाख रु० व्यय किए गए।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कतिपय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम हैं जिनमें आम जनता को पंचायती राज परियोजना, चर्म शोधन कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर है।

[अनुवाद]

महिला अधिकार आयुक्त

*319. **डा० उल्हास वासुदेव पाटील :**
डा० सुगुण कुमारी चलामेला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने सरकार से सभी लिंग भेद संबंधी मामलों की देखभाल करने के लिए एक महिला अधिकार आयुक्त नियुक्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में और अधिक शक्तियां समाहित करने हेतु इसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बित विकास परियोजनाएं

***320. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पर्यावरण और वन विभाग के पास स्वीकृति के लिए विभिन्न राज्यों की विद्युत, सिंचाई उद्योग एवं अन्य विकास कार्यों की लम्बित पड़ी योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रस्तावों की स्वीकृति तेजी से दिए जाने के संबंध में सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हैं। परियोजना प्रस्तावों से मांगी गई पूर्ण सूचना तथा संबंधित विवरण की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर लिए जाते हैं। इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावों को निर्णय के बारे में 30 दिन के भीतर सूचित कर दिया जाता है।

विवरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लम्बित विद्युत सिंचाई, औद्योगिक तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं की सूची

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	को भेजे गए	लम्बित होने के कारण
1	2	3	4
विद्युत परियोजनाएं			
आन्ध्र प्रदेश			
1.	मैसर्स एल.वी.एस. पावर लि० द्वारा गुर्रम पालेम गांव, पैन्डुरथ मंडल, विशाखापटनम, जिला हैदराबाद में 46.08 मेगावाट का गबैस आधारित मिनी पावर प्लांट	अक्तूबर, 98	प्रक्रियाधीन
दिल्ली			
2.	मैसर्स अपोलो, एनर्जी क०लि० द्वारा नरेला दिल्ली में कोयला आधारित 330 मेगावाट टी.पी.पी.	अप्रैल, 97	सी.पी.सी.बी.डी.पी.सी.सी.सी. से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है
गोवा			
3.	मैसर्ज रिलायन्स सालगोकर पॉवर क०लि० द्वारा सानकोल (गोवा) में गैस टरबाईन पर आधारित 48 मेगावाट सी.सी.पी.पी.	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
गुजरात			
4.	मैसर्ज एन.टी.पी.सी. द्वारा गन्धार, भरूच जिला (गुजरात) में 650 मेगावाट की संयुक्त साइकिल पावर परियोजना चरण-II	जुलाई, 98	अतिरिक्त परीक्षण के अंतिम चरण में
5.	मैसर्ज गुजरात मिनरल डिवलपमेंट कार्पो०लि० द्वारा गांव छेरनानी जिला कच्छ में 2.125 मेगावाट अकरीमोता टी.पी.पी.	अगस्त, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
हिमाचल प्रदेश			
	यू.एच.एल. हाइड्रो इल्कट्रिक प्रोजेक्ट-III 2x50 मेगावाट, बालारपुर इण्डस्ट्रीज लि०	जून, 1998	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
7.	खसोली एच.ई. प्रोजेक्ट (12) मेगावाट (एच-पी इल्कट्रिसिटी बोर्ड)	सितम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
	केरल		
8.	मैसर्ज कोचीन रिफायनरीज लि० कोचीन द्वारा अम्बाला मुगल जिला एरनाकुलम में 522 मेगावाट सी.सी.पी.पी.	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है
	महाराष्ट्र		
9.	मलशेल घाट पम्पड स्टोरेज स्कीम 600 मेगावाट महाराष्ट्र कृष्णा बैल्ली डिवलपमैंट कार्पोरेशन, पूना	मई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है
10.	चिखलदारा पम्पड स्टोरेज स्कीम 2×200 मेगावाट सिंचाई विभाग महाराष्ट्र सरकार	जून, 98	प्रतिक्रियाधीन
	मिजोरम		
11.	टूईवाई हाइट्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (100 मेगावाट)	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
12.	टीस्टा हाइट्रोइलैक्ट्रिक परियोजना चरण-V एन.एच.पी.सी.	मार्च, 98	प्रक्रियाधीन
	उड़ीसा		
13.	मैसर्ज सी.ई.पी.ए. द्वारा हिरमा जिला झाड़ ससुदुगा में 6×660 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
14.	मैसर्ज स्टेरलाईट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि० द्वारा झाडसुगुदा उड़ीसा में 6×120 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट	अक्टूबर, 98	प्रक्रियाधीन
	पंजाब		
15.	मैसर्ज सियल लि० द्वारा राजपुरा के समीप डाबनहेडी जिला पटियाला (पंजाब) में 120 मेगावाट डी.जी. पावर प्लांट		
16.	मैसर्ज हिन्दुस्तान पैट्रोलियम द्वारा फूलो खेड़ी, जिला भटिंडा (पंजाब) में 490 मेगावाट पावर प्लांट	सितम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
	तमिलनाडु		
17.	मैसर्ज तमिलनाडु कैमिकल्स प्रोजेक्ट लि०, चेन्नई का 63.75 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
	सिंचाई परियोजनाएं		
	असम		
18.	चम्पामती सिंचाई परियोजना सिंचाई विभाग	मई, 98	प्रक्रियाधीन
	उड़ीसा		
19.	लोअर इन्दिरा सिंचाई परियोजना सिंचाई विभाग	अप्रैल, 98	परीक्षण की अंतिम अवस्था में
	उद्योग		
	आन्ध्र प्रदेश		
20.	मैसर्ज एस.जे.के. स्टील लि० द्वारा जम्बालापादु तडीपातरी जिला अनंतपुर में 3,00000 टी.पी.ए. इन्टीग्रेटिड काम्पलैक्स	जून, 98	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
21.	मैसर्ज प्रियादर्शिनी सिमेंट लि०. द्वारा रायपुरम नालगोण्डा में 215 मेगावाट कैपटिव पावर प्लांट के साथ 0.8 एम.टी.पी.ए. सिमेंट प्लांट	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
22.	येरगुन्ताला में मैसर्ज जुआरी सिमेंट लि० का 5000 टी.पी.डी. सिमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन तथा एक्सटेंशन	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
बिहार			
23.	मैसर्ज आई.ओ.सी. द्वारा बरौनी रिफायनरी का 4.2 एम.टी.पी.ए. से 6.0 एम.टी.पी.ए. तक विस्तार	अक्टूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
गुजरात			
24.	मैसर्ज इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा वडिनार-काण्डला प्रोडक्ट पाईपलाइन	जुलाई, 98	अतिरिक्त स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है
25.	मैसर्ज कृभको का हजीरा फर्टीलाईजर प्रोजेक्ट चरण-II	अगस्त, 98	प्रक्रियाधीन
कर्नाटक			
	...स्तान पैट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा मंगलौर-बंगलौर ...लाइन परियोजना	जुलाई, 98	प्रक्रियाधीन
27.	मैसर्ज ए.एम.पी. इण्डिया लि० द्वारा बंगलौर में इलैक्ट्रिकल्स इलैक्ट्रोनिक्स कनैक्टरस आदि का विनिर्माण	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र			
28.	मैसर्ज यूनी क्लीगंर लि० द्वारा पुणे में एस्बेस्टोस पर आधारित गास्केट शीटींग संयंत्र	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
उड़ीसा			
29.	मैसर्ज स्टैरलाईट इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा जासुगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम स्मैलटर प्रौजेक्ट	अक्टूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
राजस्थान			
30.	मैसर्ज विन्टेज डिस्टैलरीज लि० द्वारा अलवर में 40 के.एल. अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इकाई	जुलाई, 98	प्रक्रियाधीन
तमिलनाडु			
31.	मैसर्ज राणा ब्रेक्स लाईनिंग लि० द्वारा अम्बैटूर चेन्नई में प्रॉडक्शन कैपेसिटि के विस्तार के लिए एस्बेस्टास का विनिर्माण	अक्टूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
32.	मैसर्ज हरिहर एलॉच कास्टिंग प्रा०लि० द्वारा तिरची में एलाच स्टील कास्टिंग का उत्पादन	अक्टूबर, 98	प्रक्रियाधीन
33.	6.5 एम.एम.टी.पी.ए. रिफायनरी एट कुडालोर वी.टी. मैसर्स पेनार रिफानरीज लि०	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
34.	मैसर्ज पायनीयर एलॉयज कास्टिंग लि० द्वारा सिपकोट इन्डस्ट्रियल एस्टेट में फाउन्ड्री यूनिट	दिसम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
उत्तर प्रदेश			
35.	मैसर्स कृभको की गोरखपुर फर्टेलाइजर परियोजना	अगस्त, 98	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
36.	मैसर्ज पहाड़पुर फर्टिलाईजर एंड कैमिकल्स लि० द्वारा हल्दिया में ग्रास रूट फर्टिलाईजर (यूरिया) काम्पलैक्स	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा
	अन्य		
37.	पंजाब के लिए मैसर्ज एच.पी.सी.एल की कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना	अगस्त, 98	प्रक्रियाधीन
	अन्य विकासात्मक परियोजनाएं		
	आन्ध्र प्रदेश		
38.	मैसर्ज इण्डियन रेयर अर्थ्स लि० द्वारा चिमिली बीच गारनेट सैंड प्रोजेक्ट	जून, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
39.	जिला नालगोण्डा हैदराबाद में माईहोम सिमेंट्स इन्डस्ट्रीज लि० का कैप्टिव लाइमस्टोन	नवम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
	गुजरात		
40.	अकरी मोटा जिला कच्छ में मैसर्ज जी.एम.डी.सी. की लिग्नाईट माईन	अप्रैल, 96	प्रक्रियाधीन
41.	माटा-नो मद जिला कच्छ में मैसर्ज जी.एम.डी.सी. की लिग्नाइट माइन	अप्रैल, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
42.	मैसर्ज जी.एम.डी.सी. की लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट उमराशर, जिला कच्छ	अप्रैल, 96	प्रक्रियाधीन
43.	मैसर्ज ओरियन्ट एब्रेसिब लि० का बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट जिला जामनगर	दिसम्बर, 97	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
44.	लाइम स्टोन माइन ऑफ मैसर्ज अब्बास भाई दोस्तमोहम्मद खीरा, जिला जामनगर	अक्टूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
45.	पोज्जेलोना, कले एंड सिलिका सैंड ऑफ मैं सांकी इंडस्ट्रीज लि०	अगस्त, 98	प्रक्रियाधीन
	महाराष्ट्र		
46.	लोहरा (ईस्ट) कोलमाइन ऑफ मैं० एसीपी लि०	जनवरी, 96	प्रक्रियाधीन
47.	लोहारा (वेस्ट) कोल माइन ऑफ मैं नियोन डेनरो इस्पात लि०	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
48.	अउनी ओपन कास्ट कोल माइन ऑफ डब्ल्यू सी.एल.	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
	राजस्थान		
49.	कैप्टिन लाइम स्टाकमाइन लि० चितौड़गढ़ ऑफ मैसर्ज ओरिएंट सीमेंट्स लि०	दिसम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
50.	जिला करौली में बाराइट्स चाइना कले एंड कवार्टज माइन ऑफ मैसर्ज शिव कुमार द्विवेदी	जुलाई, 98	प्रक्रियाधीन
51.	जिला भीलवाड़ा में क्वार्टज एंड फेल्डमारमाइन ऑफ मैसर्ज बी.एन. माइनिंग क०	जुलाई, 98	प्रक्रियाधीन
52.	रामपुरा अगूचामाइन एक्सपेंशन बाई मैसर्ज हिन्दुस्तान जिंक लि०	अगस्त, 98	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
53.	जिला चिदाम्बर में हैवी मिनरल्स कुडीरैमो झां माइन ऑफ मैसर्ज इंडियन रेयर अर्थ लि०	मार्च, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
54.	माइन आई ए ओपन कास्ट कैप्टिव लिग्नाइट माइन ऑफ मैसर्स नयेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि०	अक्टूबर, 98	प्रक्रियाधीन
55.	आयरन ओर ऑफ मै० ए नारायन	नवम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
	ढांचागत सुविधा		
	अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह		
56.	कन्सट्रक्शन ऑफ लाइटिड बेकौन एट रोसेन पोर्ट ग्रेटर निकोबार आइलैंड	अक्टूबर, 98	प्रक्रियाधीन
	आंध्र प्रदेश		
	ट्रक्शन आफ डेडीकेटिड जैटी फॉर बी.पी.आई. पावर पतनम "ख" (2×260 एम डब्ल्यू) थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन नैल्लौर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश	अक्टूबर, 98	प्रक्रियाधीन
	गोवा		
58.	प्रोपोज्ड कन्सट्रक्शन आफ ए टाइम शेयर बीच रिसोर्ट बाई मि० डैरिल पैरेरिया इन प्रापर्टी सर्वे नं० 248/1 आफ कैलेंगुट विल्लेच, गोवा	जनवरी, 97	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
59.	प्रोपोज्ड कन्सट्रक्शन आफ ए होटल प्रोजेक्ट इन सर्वे नं० 117/1, ऑफ परोसिम विल्लेज आफ मोरमोगोवा तालुका मैं० नोवा निर्साट प्रा० लि०	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
60.	कन्सट्रक्शन आफ होटल वाई मै० सनसेट रिसोर्ट्स प्रा०लि० इन सर्वे नं० 103/1 आफ केवलोसिमन विल्लेज आफ सालसेर तालुका, गोवा	जुलाई, 98	प्रक्रियाधीन
61.	प्रोपोज्ड कन्सट्रक्शन आफ ए बीच रिसोर्ट वाई मि० गर्थ डी सूजा इन सर्वे नं० 109/1 केवलोस्सिम विल्लेज, गोवा	अक्तूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
62.	प्रोपोज्ड कन्सट्रक्शन आफ टाइमशेयर रिसोर्ट/मेहेन्द्रा बीच व्यू रिसोर्ट इन सर्वे नं० 176/1 (भाग) आफ वारचा विल्लेच आफ सालसेर तालुका मै० महेन्द्रा होलीडे एंड रिसोर्ट इंडिया लि०	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
	गुजरात		
63.	पंजाब रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन द भंटिडा डिस्ट्रिक्ट आफ पंजाब एस.पी.एम. आफ द कोस्ट आफ मुंडारा गुजरात फोर हैंडलिंग क्रूड ऑयल टैंकर्स एच.पी.सी.एल.	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
	कर्नाटक		
64.	120 मैगावाट बार्ज माउंटिड पावर प्रोजेक्ट एट मंगलौर, दक्षिण कनाडा जिला, कर्नाटक बाई मै० स्मिथ को-जेनेरेशन इंडिया प्रा.लि.	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
	महाराष्ट्र		
65.	बोरली बांद्रा लिंकरोड	अप्रैल, 98	प्रक्रिया के अंतिम चरण में है
66.	कन्सट्रक्शन आफ ब्रेक वाटर एंड अदर रिलेटिड एक्टीविटीज फोर एलएनजी इम्पोर्ट टर्मिनल एट डाभोज	जून, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है

1	2	3	4
67.	एक्सपेंशन आफ अभिषेक बीच रिसोर्ट एट सर्वे न० 56-2 बी/1 एंड 56-2 सी एट विल्लेज गणपति पूले, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरि, महाराष्ट्र मै० कर्टसी होटल प्रा०लि०	जुलाई, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
68.	ट्रांसपोर्टिंग कोल कारगो बाई रोड फोरम मुद्रा जेट्टी टू नागोथने रेल साइडिंग फोर एमएसईबी मै० एसक्वापर ऑयल ट्रेड प्रा०लि०	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
69.	कन्स्ट्रक्शन आफ मुम्बई नासिक एक्सप्रैसवे	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
70.	कन्स्ट्रक्शन आफ मुम्बई तालसारी एक्सप्रैसवे	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
71.	कन्सट्रक्शन आफ मुम्बई सावंतवाड़ी एक्सप्रैसवे फेज-1 मुम्बई टू महानद थिरले टू एमबेट डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
72.	प्रोपोज्ड वाक वे एंड प्रोमोनाइडज फ्रोम द फुट आफ हैंडलिंग गार्डन टू नेपियन सी रोड मालावार हिल सिटीजन्स फोरम	अक्तूबर, 98	प्रक्रियाधीन
73.	कन्स्ट्रक्शन आफ अकोला बाईपास ऑन एनएच 6 इन द स्टेट आफ महाराष्ट्र	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
उड़ीसा			
74.	प्रोपोज्ड फिश लैंडिंग सेंटर एट गोपालपुर ऑन सी इन द डिस्ट्रिक्ट आफ गंजम, उड़ीसा	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
75.	प्रोपोज्ड फिश लैंडिंग सेंटर एट किरटानिया इन द डिस्ट्रिक्ट आफ बालासोर, उड़ीसा	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
76.	प्रोपोज्ड फिश लैंडिंग सेंटर एट तालसराय इन द डिस्ट्रिक्ट आफ बालासोर, उड़ीसा	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
राजस्थान			
77.	राजस्थान स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट आरएसएचपी फेज-1	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
वानिकी संबंधी मंजूरी			
आंध्र प्रदेश			
1.	माइनिंग आफ सेंड बीच फार इंडियन एयर अर्थ लि०	फरवरी, 98	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
2.	माइनिंग आफ लाइम स्टोन, राष्ट्रीय इस्पात निगम	मार्च, 98	क्षेत्र जांच की प्रतीक्षा है
3.	माइनिंग आफ लाइम स्टोन, मै० केसीपी	नवम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
अरुणाचल प्रदेश			
4.	फारेस्ट लैंड टू मै० असम सॉ मिल्स टिम्बर क.लि.	अक्तूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
बिहार			
5.	400 केवी लाईन सासाराम टू रिहांड	जनवरी, 98	प्रक्रियाधीन
6.	स्टोन कैरिंग लीज	दिसम्बर, 97	तदैव
गुजरात			
7.	कन्स्ट्रक्शन आफ कुंतली डैम	जून, 97	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
8.	फोर कन्स्ट्रक्शन आफ मिड स्ट्रीम जेट्टी टू वल्लरपुर इंडस्ट्री लि०	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
9.	फोर साल्ट वर्क्स टू अदानी केमीकल्स लि०	अक्तूबर, 97	राज्य सरकार को गैर वन भूमि के विकल्पों की जांच करके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है
हिमाचल प्रदेश			
10.	पार्वती स्टेज-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	सितम्बर, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
कर्नाटक			
11.	फारेस्ट लैंड इन फो०/मैं० डब्ल्यू सीपी लि०	अक्तूबर, 89	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
12.	कन्स्ट्रक्शन आफ न्यू टैंक एट जाला साउंड फिली	फरवरी, 96	प्रक्रियाधीन
	...लीज आफ फोरस्ट लैंड फोर लाईंग आफ पाइपलाइन टू हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०	जून, 98	क्षेत्र जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
केरल			
14.	रेजिंग आफ पेपर प्लांटेशन	जनवरी, 97	प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र			
15.	भगवानपुर माइनर इरिगेशन	जुलाई 96	प्रक्रियाधीन
16.	पेदशी माइनर इरिगेशन टेंक	फरवरी, 96	प्रक्रियाधीन
		जनवरी, 98	प्रक्रियाधीन
17.	मांदरा माइनर इरिगेशन टैंक	नवम्बर 98	प्रक्रियाधीन
18.	बेवारताला माइनर इरिगेशन	सितम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
19.	भूरातोला माइनर इरिगेशन परियोजना	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
20.	कसोला माइनर इरिगेशन टैंक	सितम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
21.	मुम्बई तालासारी एक्सप्रेस वे	मई, 98	प्रक्रियाधीन
22.	डिंडोरा बैरेंज एंड के०टी० वेयर	सितम्बर, 97	प्रक्रियाधीन
मध्यप्रदेश			
23.	पन्ना जिले में सर्वे और जांच	सितम्बर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
24.	डब्ल्यू सी एल द्वारा भूतल कोयला खनन	जून, 97	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
25.	फोल्ड फायरिंग रेंज	अक्तूबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
26.	एसईसीएल द्वारा भूतल कोयला खनन	मई, 97	प्रक्रियाधीन
27.	बीजासेंड टैंक परियोजना	अक्तूबर, 98	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
28.	एनएमडीसी में डायमंड परियोजना के लिए वन भूमि	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
29.	सुखेरी टैंक परियोजना निर्माण	मार्च, 97	तदैव
30.	अमानाल्लाटैंक परियोजना निर्माण	मई, 1997	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
उड़ीसा			
31.	कासिया आयरन एंड डोलोमाइट माइनिंग	अक्तूबर, 98	प्रक्रियाधीन
32.	रूंगटा के पक्ष में खनन	अक्तूबर, 98	तदैव
33.	कोयला खनन के लिए वन भूमि	अक्तूबर, 98	तदैव
34.	आयरन और माइनिंग हेतु केसी प्रधान	अक्तूबर, 98	तदैव
35.	ईस्टर्न इंडिया रिफायनरी परियोजना	जुलाई, 98	वन्यजीव और पुनर्वास या योजना की स्थिति के बारे में राज्य सरकार से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा है
36.	इन्द्रावती पावर हाउस से थेरू बालूई ग्रिड स्टेशन तक 220 केवीटी/एल	नवम्बर, 98	प्रक्रियाधीन
37.	तालाबीरा ब्लाक-1 कोलमाइन आफ मै० इंडियन एल्यूमिनियम क० और पुनर्वास योजना	सितम्बर, 98	तदैव
38.	कलारगंज माइन्स आफ ओएमसी लि०	जून, 97	तदैव
राजस्थान			
39.	सोप स्टोन का खनन	अक्तूबर, 97	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
40.	सोप स्टोन का खनन	जून, 98	तदैव
41.	अतिक्रमणों को नियमित करना	फरवरी, 96	तदैव
42.	फारेस्ट लैंड फोर सिलिका सैंड माइनिंग	जुलाई, 1998	प्रक्रियाधीन
सिक्किम			
43.	तीस्ता बांध का निर्माण	मार्च, 98	तदैव
उत्तर प्रदेश			
44.	कोटेश्वर बांध के लिए वन भूमि	दिसम्बर, 88	राज्य सरकार को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया
45.	मोधा बांध के लिए अपवर्तन	जून, 94	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

काकीनाडा पत्तन का विकास

3403. श्री यू०वी० कृष्णमराजु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए काकीनाडा गहन जल पत्तन 5 मिलियन टन से अधिक कार्गो की ढुलाई करने हेतु पूरी तरह चालू है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष हेतु कितनी बजट राशि का आवंटन किया गया है और काकीनाडा गहन जल पत्तन को चालू करने हेतु अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) विशाखापत्तन-काकीनाडा सम्पथ की संभावित मांग को पूरा करने के लिए काकीनाडा पत्तन के विकास हेतु और किन योजनाओं पर विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) काकीनाडा में गहन जल पत्तन, तट से जुड़ी तीन मौजूदा बर्थों के साथ वार्षिक रूप से 3 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वर्तमान में बर्थों पर यांत्रिक उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण लगभग 1 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर रहा है।

(ख) इस वर्ष के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि गहन जल पत्तन एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की ऋण

सहायता से पूरा किया गया है और प्रचालन तथा प्रबंध की निजीकरण के लिए पेशकश की गई है। काकीनाडा पत्तन के विकास पर 293 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं।

(ग) मै० इंटरनेशनल सी पोर्टस प्राइवेट लि०, सिंगापुर को काकीनाडा में मौजूदा 3 बर्थों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए तथा चौथी बर्थ के निर्माण के लिए भी चुना गया है।

[हिन्दी]

देवास से नेमावर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

3404. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में देवास से नेमावर तक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

...रिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र ... ... हां।

(ख) विभिन्न अन्य प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

मुकदमेबाजी का त्वरित निपटान

3405. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993 में मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों की बैठक की सिफारिशों के आधार पर मुदकमेबाजी का मितव्ययी तथा त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के 1993 में हुए सम्मेलन में, मामलों को कम खर्चीले और शीघ्र निपटान की व्यवस्था करने के लिए अनेक सिफारिशें की गई हैं। सरकार ने, इस संबंध में, अनेक कदम उठाए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के लिए प्रयास, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि, लोक अदालतों के लिए कानूनी आधार का उपबंध और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय 3 के उपबंधों का सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार करने के पश्चात् लोक अदालतों में सिविल न्यायालय को शक्तियां निहित करना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति तथा विवादों के समाधान के अन्य वैकल्पिक और स्थानीय रूप से समुचित पद्धतियों को अपनाना भी सम्मिलित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने, मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों का समूहन और वर्गीकरण, विशेषीकृत न्यायपीठों की स्थापना, अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण आदि। उच्च न्यायालयों ने, मामलों का प्रायः आस्थगन कम करने के लिए अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

प्रशासनिक और प्रक्रिया विधि आयोग

3406. श्री अजय कुमार एस० सरनायक : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक और प्रक्रिया विधि संबंधी कानूनों की समीक्षा करने के लिए कोई आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लगभग 3 वर्ष पूर्व साक्ष्य और आपराधिक कानून के मूल कानूनों को संशोधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था लेकिन लोक सभा के भंग होने के साथ वह खत्म हो गया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विधेयक में आवश्यक संशोधन करके इसे संसद में पुनः पेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) सरकार ने, प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन के लिए 8 मई, 1998 को एक आयोग गठित किया है। आयोग के निर्देश-निबंधनों में अन्य बातों के साथ, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित प्रशासनिक विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पुनर्विलोकन और उसके पश्चात्, निरसन और संशोधन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भी सम्मिलित है।

(ख) से (घ) भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पारिणामिक संशोधन करने के लिए, दंड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1995 लोक सभा में 21 अगस्त, 1995 को पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक लोक सभा के विघटन के साथ व्यपगत हो गया।

नए सिरे से विधेयक पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

मुम्बई में न्यायाधिकरण पीठ

3407. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम के अंतर्गत मुम्बई में एक न्यायाधिकरण पीठ की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम के

उपबंधों में, नई दिल्ली में मुख्य न्यायपीठ के साथ राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार किया गया है। इस न्यायाधिकरण की अन्य न्याय पीठें चेन्नई, कलकत्ता और मुम्बई में स्थापित की जाएंगी। इन्हें खोला जा रहा है। इस अधिनियम में किसी भी जोखिमी पदार्थ को हैंडल करते हुए होने वाली किसी भी दुर्घटना से व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुई क्षति हेतु राहत पहुंचाने तथा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए और ऐसी दुर्घटनाओं के कारगर और शीघ्र निपटान हेतु कड़े दायित्वों के उपबन्ध हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में वनों का विकास

3408. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वनों के विकास के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण स्कीमों के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि के लिए राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मंजूर किए गए प्रस्ताव

I. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्कीमें :

स्कीम/परियोजना	मंजूर की गई कुल केन्द्रीय सहायता	अब तक रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता
	(रुपये लाख में)	
1	2	3
1. एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम (आईएईपीएस)		
1. बांसवाड़ा जिला	340.57	103.84
2. झालावाड़ जिला	373.45	108.88
3. कोटा जिला	365.73	104.19
4. टोंक जिला	196.76	30.07
5. उदयपुर जिला	365.81	118.66
2. राजस्थान के लिए क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना (राज्य के साथ 50 : 50 हिस्से आधार पर)	1610.63	517.96
3. राजस्थान के लिए औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वन उत्पादन का संरक्षण और विकास	504.45	162.11

लम्बित/विचाराधीन प्रस्ताव

(I) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्कीमें :

1. "एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना" स्कीम के तहत जयपुर जिले के लिए 308.66 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय वाली एक परियोजना (इस स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर यह मंजूरी पूरी की जाएगी।)

2. "वृक्ष एवं चरागाह बीच विकास स्कीम" के अंतर्गत 31 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय वाली एक परियोजना।

3. "भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित आदिवासियों और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को शामिल करना" स्कीम के अंतर्गत 107.60 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय वाली एक परियोजना।

(II) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं :

विदेशी सहायता के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत अरावली वानिकी परियोजना पर ओईसीएफ, जापान द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इंदिरा महिला योजना

3409. श्री अशोक प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा महिला योजना किस तारीख को शुरू की गई थी तथा उसके लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में विशेषकर गाजियाबाद और बुलन्दशहर क्षेत्रों के किन-किन ब्लाकों में यह योजना लागू की गई है और अब तक इस योजना के अंतर्गत गठित महिला ग्रुपों की संख्या क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के सभी ब्लाकों में उक्त योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) इन्दिरा महिला योजना की शुरूआत

देश के 200 ब्लाकों में 20 अगस्त, 1995 को प्रायोगिक आधार पर की गयी। स्कीम की मूल संकल्पना महिला समूह बनाकर उनमें जागरूकता वृद्धि लाना आयोत्पादक गतिविधियां शुरू करना तथा अन्तर-क्षेत्रीय सेवाओं के संकेन्द्रण के माध्यम से उन्हें 'शक्तिसम्पन्न' बनाना है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 31000 से अधिक महिला समूह बनाये जा चुके हैं।

(ख) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के अग्रांकित जिलों तथा ब्लाकों में इन्दिरा महिला योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है :

जिला	ब्लाक
बिजनौर	नजीबाबाद
	कीरतपुर
	मोहम्मदपुर-देवमल
	हलदौर (खारी झालू)
	कोतवाली
	नेहतौर
	दल्लापुर (धामपुर)
	बुधनपुर-सेऊहारा
	नूरपुर
जालौन	रामपुरा
	कुठौंद
	माधोगंज
	जालौन
	नदीगांव
	डकोरा
	कडौरा
रायबरेली	सिंहपुर
	ऊंचाहार
	सलोन
	तिलोई
	महाराजगंज
	बहादुरपुर
सोनभद्र	बाभानी
	चौपान
	दुद्धी
	म्योर पुर
	रॉबर्टगंज
	चतरा
	घोरवाल
	नगवा

मार्च, 1998 के अन्त तक स्कीम के अन्तर्गत सभ्य में 2412 महिला समूह स्थापित किये गये।

(ग) इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ब्लाकों को कवर करने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षण योजना

3410. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत बिहार को किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत बिहार को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई :

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रु०)
1995-96	2007.59
1996-97	2790.74
1997-98	3793.24

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवन-वृत्ति प्रगति योजना लागू करना

3411. श्री टी० गोविन्दन : **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में संस्कृत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जीवन-वृत्ति प्रगति योजना (कैरियर एडवांसमेंट स्कीम) लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मदरसों का आधुनिकीकरण

3412. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार मदरसों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार देश में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या इस धन का प्रयोग मदरसों के आधुनिकीकरण के बजाय शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का मदरसों को कम्प्यूटर तथा खेलकूद शिक्षा आरम्भ करने में सक्षम बनाने हेतु अधिक धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ख) और (ग) जी हां। भारत सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने संबंधी एक योजना का संचालन करती है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

1. विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषाओं के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100% तक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. मदरसों में इन विषयों से संबंधित बुक बैंकों तथा पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।
3. विज्ञान/गणित किट और अनिवार्य उपस्करों इत्यादि का प्रावधान जुटाना।

विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों की दर्शाने वाला वर्षवार तथा राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) इस प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में किए गए उल्लेख के अनुसार आधुनिक विषयों के शिक्षकों के वेतन तथा अन्य मदों के लिए इन निधियों का उपयोग किया जाता है।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	1995-96 के दौरान जारी की गई राशि	1996-97 के दौरान जारी की गई राशि	1997-98 के दौरान जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	10.95	0.30
2.	असम	19.45	8.37	शून्य
3.	बिहार	शून्य	44.38	12.67
4.	हरियाणा	1.32	7.40	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	0.61
6.	कर्नाटक	2.74	2.38	19.98
7.	केरल	12.77	शून्य	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	11.09	शून्य	24.43
9.	महाराष्ट्र	शून्य	1.82	1.59
10.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	1.83
11.	राजस्थान	4.07	11.26	13.71
12.	सिक्किम	0.30	0.26	0.27
13.	तमिलनाडु	0.30	शून्य	शून्य
14.	त्रिपुरा	7.30	37.65	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	34.88	91.61	78.84
16.	पश्चिम बंगाल	24.32	24.77	19.04
17.	चंडीगढ़	शून्य	0.30	शून्य
18.	दिल्ली	1.52	शून्य	शून्य
	कुल	120.07	241.15	173.27

[हिन्दी]

नए विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना

3413. श्री एच०पी० सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बिहार में नए विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राज्य विधायी

अधिनियम के तहत स्थापित बिहार के निम्नलिखित आठ विश्वविद्यालय तथा एक संस्था वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12-ख के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता पाने के लिए, बशर्ते वे अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों, उपयुक्त घोषित करने के प्रस्ताव वि.अ.आ. के विचाराधीन हैं :-

1. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची।
3. जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
4. बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, माधेपुर।
5. सिद्ध कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका।
6. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
- मुक्त विश्वविद्यालय, पटना।
9. इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना।

विद्युत उत्पादन

3414. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तामसिन बांध से विद्युत उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का व्यापक अध्ययन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिया जाएगा ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) तामसिन बांध से विद्युत उत्पादन की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को व्यापक अध्ययन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विद्युत उत्पादन

3415. श्री बी०एम० मेनसिंकाई : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कर्नाटक में स्वीकृति प्राप्त/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तिथि
क.	**के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति प्राप्त/मूल्यांकित**			
1.	सरापदी एचईपी (एच)	3x30	7/89	04.12.90
2.	रायचूर चरण-3 (टी)	2x210	7/95	19.12.95
3.	तोरानांग्लू टीपीएस (टी) (संशोधित)	2x120 (2x130)	3/95	20.03.96
4.	मंगलौर टीपीएस (टी)	4x250	1/95	22.04.96
ख.	**विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो के.वि.प्रा. में विचाराधीन हैं**			
5.	मंजनगुड सीसीपीपी (टी)	110	31.12.97	
6.	तातीहल्ला (एच)	410 जीडब्ल्यूएच	8/98	
7.	कनीमिंके (बंगलौर) (टी)	107.8	31.12.97	
8.	माण्ड्या सीसीपीपी (टी)	164.4	31.12.97	
9.	हासन सीसीपीपी (टी)	189	31.12.97	
10.	तालगी (बीजापुर) टीपीपी (टी)	1x350	30.03.98	
11.	नागार्जुन टीपीपी (टी)	2x500	27.07.98	

गाय के गोबर से मूल्य भारित उत्पाद बनाने के लिए अनुसंधान

3416. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किए गए कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि गाय के गोबर/गोमूत्र का प्रयोग तरल और ठोस वानस्पतिक खादों (कम्पोस्ट) के उत्पादन के लिए करने के अतिरिक्त, जैव-कीटनाशी दवाओं, मनुष्य/पशुधन के लिए औषधियों, प्रसाधन सामग्री और विद्युत उत्पादन जैसे मूल्य भारित उत्पादों के लिए किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सी.एस.आई.आर. (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) की प्रयोगशालाओं द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्य किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं। सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं ने गाय के गोबर/मूत्र का उपयोग करके मानव/पशुधन आदि हेतु जैव-नाशकमार औषध बनाने के लिए प्रयोग नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जवाहर लाल नेहरू पत्तन

3417. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू पत्तन की गहराई बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाएं

3418. श्री सी०डी० गामीत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 15 हजार मिलियन रुपये वाली शत प्रतिशत इक्विटी शेयर वाली विद्युत परियोजनाओं को स्वत: स्वीकृत परियोजना के तौर पर मानने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए विदेशी इक्विटी हेतु स्वचालित अनुमोदन प्रदान करने संबंधी विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों की हाल ही में समीक्षा की है और इस प्रकार की परियोजनाओं को स्वचालित अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार स्वचालित अनुमोदन पद्धति वाली विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण संबंधी परियोजनाओं को 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागेदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते इस प्रकार की किसी भी परियोजना में विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

[अनुवाद]

डल झील का संरक्षण

3419. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कश्मीर में डल झील को संरक्षण दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए सरकार को 291 करोड़ रुपये देने होंगे; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) केन्द्र सरकार ने कश्मीर में डल झील के संरक्षण के लिए केवल 'सिद्धांत रूप' में अनुमोदन दिया है।

(ख) राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श से परियोजना की निश्चित अनुमानित लागत तैयार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जम्मू और कश्मीर की 1997-48 की वार्षिक योजना के अंतर्गत इस परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सिक्किम में विद्युत परियोजनाएं

3420. श्री भीम दाह्याल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में चालू विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है।

(ख) अब तक इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है।

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सिक्किम में दो परियोजनाएं चल रही हैं जिनका ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अभी तक खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)	टिप्पणियां
1.	रोलेप एचईपी	9	0.14 (12/97)	स्थल पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं। इनटेक तथा जल संचालन प्रणाली के लिए निविदा आमंत्रित कर दी है। इसके सन् 2001-02 तक चालू हो जाने की प्रत्याशा है।
2.	रंगित जल विद्युत परियोजना यूनिट-2	20	300 (10/97 तक)	उपस्कर अधिष्ठापना संबंधी कार्य पूरे होने वाले हैं। परियोजना को दिसम्बर, 1998 में चालू करने का लक्ष्य है।

लघु वन उत्पाद का स्वामित्व अधिकार

3421. श्री **गिरिधर गमांग** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह करेंगे कि :

(क) पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों/ग्राम सभाओं को लघु वन उत्पाद का स्वामित्व अधिकार देने संबंधी विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों को उनकी टिप्पणियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक उनके मंत्रालय को राज्यवार कौन-कौन सी टिप्पणियां भेजी गई हैं;

(घ) आदिवासियों के लिए वन नीति के आधार पर देश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को लघु वन उत्पाद का अधिकार देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक विकास का प्रावधान करने और योजना तैयार करने के लिए राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए क्या पहल की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों/ग्राम पंचायतों को लघु वन उत्पादों का स्वामित्व अधिकार देने संबंधी विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की टिप्पणियां अभी प्राप्त की जानी हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने दिनांक 29.7.1998 को सभी संबंधित राज्यों को लिखा है कि वे आदिवासियों के विकास हेतु उचित नियम तथा विनियम तैयार करके पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों/ग्राम सभाओं को लघु वन उत्पाद के स्वामित्व संबंधी अधिकार के प्रावधानों को लागू करें। जून-जुलाई, 1998 के दौरान आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठकों में राज्यों से उनकी टिप्पणियां भेजने हेतु अनुरोध किया गया था।

विवरण

पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों/ग्राम सभाओं को लघु वन उत्पाद संबंधी स्वामित्व अधिकार देने के मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें

1. "लघु वन उत्पाद" का तात्पर्य इमारती लकड़ी के अलावा एक गैर विनाशक आधार पर फसली वन उत्पाद से है। "वन उत्पाद" तथा "इमारती लकड़ी" वाक्यांश का अर्थ भारतीय वन अधिनियम, 1927 वाला ही रहेगा।

2. तेन्दू पत्ता तथा अप्टा को लघु वन उत्पाद की सूची में से नहीं निकाला जाना चाहिए लेकिन "बांस" को लघु वन उत्पाद के अर्थ के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

3. ग्राम सभाओं/पंचायतों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों तथा जैव-मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी भूमियों से प्राप्त लघु वन उत्पादों के स्वामित्व की अपेक्षा भोगाधिकार दिए जाने चाहिए।

4. लघु वन उत्पादों का व्यापार कर रहे निगम/संघों का वर्तमान प्रबंधन इसी रूप में जारी रहना चाहिए तथा उन्हें ग्राम/सभाओं/संयुक्त वन प्रबन्धन अभिकरणों को भी व्यापार में शामिल करना चाहिए तथा कोई भी तीसरी एजेंसी नामित या चयनित, इस गति-विधि में शामिल नहीं होनी चाहिए।

5. वन सुरक्षा समितियों के मामले में लघु वन उत्पादों के विकास तथा सुरक्षा हेतु भोगाधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के बीच संयोजन होना चाहिए।

6. केवल पांचवें अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में संरक्षित क्षेत्रों अर्थात (राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, जैव-मंडल आरक्षित क्षेत्रों) को छोड़कर सभी सरकारी वनों से प्राप्त लघु वन उत्पादों के भोगाधिकार दिए जाने चाहिए तथा राज्य को नियमों, संघों, स्थानीय उद्यमियों आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण लघु वन उत्पादों का नियमन तथा व्यापार जारी रखना चाहिए। सभी लघु वन उत्पादों से प्राप्त कुल अधिशेष राजस्व का 25% लघु वन उत्पादों के विकास हेतु लघु वन उत्पाद के व्यापार के लिए उत्तरदायी एजेन्सी के माध्यम से वापिस ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। अन्य 25% को उपरोक्त एजेन्सी के माध्यम से सामुदायिक विकास हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए तथा बाकी बचे 50 प्रतिशत को संग्रहकर्ताओं को उनके द्वारा संग्रह किए गए उत्पाद की कीमत के अनुपात में दे दिया जाना चाहिए।

तटवर्ती परिवहन और पत्तन

3422. श्री देवजी भाई जे० टंडेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तटवर्ती परिवहन और लघु पत्तनों के विकास के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें दमन और दीव को भी सम्मिलित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। लघु पत्तनों के विकास और देश में लघु पत्तनों और महापत्तनों के समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक नौचालन राज्य विकास समिति का गठन किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

3423. श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों, विशेषकर तमिलनाडु सरकार ने निर्धारित तिथि तक गैर सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों के पूर्ण योग्यता प्राप्त छात्रों को 1999-2000 के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप हजारों योग्य छात्रों का शैक्षणिक भविष्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं के स्थापनार्थ संबंधित राज्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करें। इस उद्देश्य के लिए एक समय सूची निर्धारित की गई है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। तमिलनाडु में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथा अनुमोदित डिग्री स्तर के 125 इंजीनियरी कालेज हैं। किसी संस्था के अनुमोदन अथवा अन्यथा किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले निजी तौर पर सुनवाई करके आवेदकों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

योग की शिक्षा का बन्द किया जाना

3424. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्यालयों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को जारी रखने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1989-90 में आरम्भ की गई इस योजना को तत्काल समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1989-90 में तैयार करके शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना – ''स्कूलों में योग का संवर्धन'' के कार्यान्वयन का अनुभव बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। शिक्षा विभाग के पास अब दो कोणीय रणनीति है :-

1. नियमित स्कूल पाठ्यचर्या में योग को एक विषय के रूप में शुरू करने पर विचार करना।

2. स्कूलों में योग शुरू करने की एक नई योजना सभी संबंधित विभागों से निवेश लेकर इस समय विभाग में तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार शिक्षा परियोजना की उपलब्धियां

3425. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''बिहार शिक्षा परियोजना'' के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत बिहार के गया जिले को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गया जिले में उक्त परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) बिहार शिक्षा परियोजना (बी०ई०पी०) शुरू में 1991-92 में 3 जिलों – रांची, रोहतास और पश्चिम चंपारण में आरंभ की गई थी तथा बाद में 4 जिलों – चतरा, पूर्वी, सिंहभूम, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में 1992-93 में इसका विस्तार किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना का कार्यान्वयन उपर्युक्त 7 जिलों में मार्च, 1998 तक जारी रखा। बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मिली उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) गया जिला ''बिहार शिक्षा परियोजना'' के अंतर्गत शामिल नहीं था। तथापि गया को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा कार्यान्वित

किए जा रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०–III) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ग) गया जिले में बिहार शिक्षा परियोजना के तहत खर्च की गई राशि से संबंधित प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि अक्तूबर, 1997 से गया जिले में कार्यान्वित किए जा रहे डी०पी०ई०पी० – III के तहत नवबंर, 1998 तक 93.17 लाख रु० की राशि खर्च की गई है।

विवरण

– गांवों में सूक्ष्म आयोजना का आयोजन किया गया है।

– स्कूलों के लिए गांवों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है।

– बाल मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक रैलियों का आयोजन किया गया है।

– मनोरंजक शिक्षण पद्धति के जरिए बाल केंद्रित शिक्षा में ...क कक्षाओं में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 10 ...य प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

– समूह संसाधन केंद्र के स्तर पर शिक्षकों का आवर्ती प्रशिक्षण और गहन चिन्तन भी आयोजित किया गया है।

– स्थान विशिष्ट शिक्षण-सह-अध्ययन सामग्री (टी०एल०एम०) तैयार करने और कक्षाओं में पढ़ाते समय उनका प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित, प्रोत्साहित और उचित मात्रा में वित्त पोषित किया गया है।

– प्राथमिक कक्षाओं वाले सभी स्कूलों को स्कूल सुधार के लिए 2000/- रु० (दो हजार रु०) का वार्षिक नकद अनुदान दिया गया है।

– निम्नलिखित दक्षता आधारित पाठ्त पुस्तकें विकसित की गई हैं :–

  – भाषा : हिंदी – I/उर्दू – I/बंगला – I/बंगला-I)

  – गणित : गणित (हिंदी)-I/गणित (हिंदी)-II/गणित (उर्दू)-I/गणित (उर्द)-II/गणित (बंगला)-I/गणित (बंगला)-II

– उपर्युक्त 10 पुस्तकों को बिहार सरकार द्वारा सात बी०ई०पी० जिलों के लिए कोर पाठ्य पुस्तकों के रूप में स्वीकार किया गया है।

– आर्थिक सामाजिक तथा अन्य मजबूरियों के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए एन०एफ०ई० केंद्र खोले गए।

– दुर्गम तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए बी०ई०पी० जिलों में प्रायोगिक आधार पर शिक्षा प्रेमी स्कूल खोले गए।

– बी०ई०पी० जिलों में शिक्षा शास्त्रीय आवश्यकता, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी तथा सामुदायिक स्वामित्व के सिद्वांत पर स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में समूह संसाधन केंद्र तथा ब्लाक संसाधन केंद्र निर्मित किए गए।

– महिला समूहों का गठन किया गया है। सहयोगिनियों की पहचान की गई है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। जगजगी केंद्र जिनमें बाल जगजगी केंद्र भी शामिल हैं, स्थापित किए गए हैं। महिला शिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। महिला कुटीरों का निर्माण किया गया है।

– बचत समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं में बचत और जमा को प्रोत्साहित किया गया है।

धौलीगंगा पनविद्युत परियोजना

3426. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा पनविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है तथा परियोजना को बंद किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम एक बाधा है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) परियोजना के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के दोहरीकरण का प्रस्ताव

3427. श्री जयराम आई०एम० शेट्टी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर से कुन्डापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 के दोहरीकरण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए काफी लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राजमार्ग के दोहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का मौजूदा रुख और भावी योजना क्या है; और

(घ) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का दोहरीकरण कब तक कर लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के पास प्रस्ताव अभी वैचारिक स्तर पर है और इसलिए कोई ब्यौरे नहीं लिए जा सकते।

मित्तल समिति की रिपोर्ट

3428. श्री महेश कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मित्तल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) सिफारिशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आई०आर०सी०एम० के निदेशक मंडल ने दि० 18.12.97 को मित्तल समिति की सिफारिशों पर विचार किया था और उन्हें अनुमोदन प्रदान कर दिया था तथा ये सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं।

विवरण

मित्तल समिति की सिफारिशें

1. निगम निम्नलिखित उपाय कर सकता है :

(i) आर एंड पी नियमावली में फरवरी, 1991 से लागू पूर्व प्रभावी संशोधन वापस ले लिए जाएं। निगम यदि आवश्यक समझे तो नियमों में भविष्य में प्रभावी संशोधन कर सकता है।

(ii) प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या कुल रिक्त स्थानों की संख्या के 50% तक सीमित करके 1.2.1991 से निर्धारित की जाएं।

(iii) प्रतिबंध आदेशों में छूट देकर उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए औचित्य देते हुए बोर्ड की अनुमति प्राप्त जाए।

.ार एंड पी नियमानुसार और रोस्टर प्वाइंट को रखने के पश्चात् भरे जाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमत सीमा तक रिक्त स्थान भरने के लिए सिफारिश हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक बुलाई जाए।

(v) बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा में अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर फरवरी, 1991 के बाद पदोन्नत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर पदावनत कर दिया जाना चाहिए।

(vi) अ०जा०/अ०ज०जा०/अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का पुनर्गठन किया जाए। अधिमानत: किसी बाहरी व्यक्ति को भी विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल किया जाए।

(vii) यद्यपि अलग-अलग पदों के लिए अ०जा०/अ०ज०जा० के आरक्षण हेतु रोस्टर रखा जा रहा है, पदों की अनारक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है। निगम को सामान्य अभ्यर्थी द्वारा पद भरने से पहले विहित प्रकिया का अनुपालन करने के पश्चात् वर्तमान अथवा आगे ले जाए गए पद को जो आरक्षण प्वाइंट में आता है, भविष्य में अनारक्षित कर देना चाहिए।

(viii) निगम को आई०डी०ए० पद्धति का पालन करने और 1.1.1989 से निगम में वेतनमान संबंधी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

साबरमती नदी सफाई परियोजना

3429. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबरमती नदी सफाई परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या परियोजना पर खर्च की गई भारी राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के शेष कार्य को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत गुजरात में साबरमती नदी पर 30.11.98 तक 13.39 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह परियोजना की लगभग 15 प्रतिशत प्रगति दर्शाती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने पहले किए गए धन विचलन की भरपाई कर दी है।

(ङ) स्कीम के मार्च 2001 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

पत्तनों पर प्रदूषण

3430. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पत्तनों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में पारादीप पत्तन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) सभी पत्तन परियोजनाओं की, जिसमें पारादीप पत्तन भी शामिल है, कार्यान्वियन से पहले पर्यावरणीय अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए, [illegible] अनुसार जांच की जाती है।

के जन्म की तीन सौवीं वर्षगांठ

3431. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 को "मानव भावना वर्ष" घोषित करने का निर्णय लिया है और खालसा के जन्म की तीन सौवी वर्षगांट के समारोहों के एक भाग के रूप में इस बारे में यूनेस्को को भी लिखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तीन सौवीं वर्षगांठ के समारोहों के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान की भी मंजूरी दी है;

(ग) यदि हां, तो समारोह की मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समारोहों के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके गठन, कृत्य और कार्य-प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1999 को "मानव भावना वर्ष" के रूप में घोषित करने के लिए यूनेस्को को पत्र लिखा था।

(ख) और (ग) खालसा की स्थापना के त्रिशताब्दी संबंधी समारोहों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 नवंबर, 1998 को हुई। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात् विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों व कार्यकलापों को अंतिम रूप प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उस बैठक में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत सरकार देश भर में समारोह आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का अंशदान देगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। खालसा की जन्म त्रिशताब्दी मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन करने संबंधी संकल्प की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ

संख्या एफ 3.2.95—सी एन्ड एम
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली 21.10.1998

संकल्प

खालसा-जन्म की त्रिशताब्दी उपयुक्त तरीके से मनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नानुसार एक राष्ट्रीय समिति गठित की है :—

1.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री	सदस्य
3.	श्री चन्द्र शेखर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री	सदस्य
4.	श्री एल०के० आडवाणी गृह मंत्री	सदस्य
5.	डा० मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
6.	श्री जार्ज फर्नांडीस भारत के रक्षामंत्री	सदस्य
7.	श्री एम०एल० खुराना केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
8.	श्री आर०के० हेगड़े केन्द्रीय मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री, पंजाब	सदस्य
10.	श्री फारूक अब्दुल्ला मुख्य मंत्री, जम्मू कश्मीर	सदस्य
11.	श्री गुरुचरण सिंह टोहरा अध्यक्ष, श्री गुरु प्रबंधक कमेटी	सदस्य
12.	श्री सुरजीत सिंह बरनाला रसायन एवं उर्वरक मंत्री	सदस्य
13.	डा० मनमोहन सिंह पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य

14. श्री ओम प्रकाश चौटाला — सदस्य
पूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा

15. श्री शरद पवार — सदस्य
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री
(विपक्ष के नेता)

16. अध्यक्ष, गुरुद्वारा बोर्ड — सदस्य
तख्त श्री अबोहल नगर, हजूर सहिब
नांदेड (महाराष्ट्र)

17. अध्यक्ष, प्रबंधक समिति — सदस्य
तख्त श्री पटना साहिब
पटना (बिहार)

18. अध्यक्ष, दिल्ली सिक्ख — सदस्य
गुरुद्वारा प्रबंधक समिति
दिल्ली

19. श्री कुशा भाऊ ठाकरे — सदस्य
अध्यक्ष भाजपा

20. श्रीमती जे० जयललिता — सदस्य
पूर्व मुख्य मंत्री
तमिलनाडु

21. श्री मुलायम सिंह — सदस्य
भारत के पूर्व रक्षा मंत्री

22. श्री गुलजार — सदस्य
91-ए, कोजी होम
250 पाली हिल, बांद्रा वेस्ट
मुम्बई

23. सुश्री शबाना आजमी — सदस्य
702, सागर सम्राट
ग्रीन फिल्ड
जुहु, मुम्बई

24. श्री कुलदीप नैय्यर — सदस्य
पत्रकार
संसद सदस्य

25. श्री वी०एन० नारायणन — सदस्य
संपादक
हिन्दुस्तान टाइम्स

26. श्री विजय चौपड़ा — सदस्य
संपादक
हिन्द समाचार-पत्र समूह
जालन्धर

27. एयर चिफ मार्शल अर्जुन सिंह — सदस्य
(सेवानिवृत्त)

28. श्री आर०एस० नरूला — सदस्य
मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

29. डा० महीप सिंह, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) — सदस्य
एच-108, शिवाजी पार्क
नई दिल्ली

30. डा० अमरीक सिंह — सदस्य
पूर्व कुलपति
पंजाब विश्वविद्यालय
पटियाला

31. श्री एस०एस० जोहाल — सदस्य
पूर्व कुलपति
पंजाब विश्वविद्यालय
पटियाला

32. डा० जे०एस० ग्रेवाल — सदस्य
पूर्व कुलपति
गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय
अमृतसर

33. श्री कृपाल सिंह — सदस्य
इतिहासकार

34. श्री तरलोचन सिंह — सदस्य
अध्यक्ष दिल्ली पर्यटन निगम

35. श्री के०एस० दुग्गल — सदस्य
पी-7, हौजखास एन्कलेव
नई दिल्ली-16

36. सुश्री अमृता प्रीतम — सदस्य
के-25 हौजखास एन्कलेव
नई दिल्ली-16

37. श्री शमीम सरीन — सदस्य
सरदार बाजार
अमृतसर कैन्ट

38. श्रीमती प्रभजोत कौर — सदस्य
डी०-203, डिफेंस कालौनी
नई दिल्ली

39. श्री एस०एस० आहलूवालिया — सदस्य
10, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड
नई दिल्ली

40. श्री जी०के० सुदीप — सदस्य
एन-413, सुन्दर नगर
एस०वी० रोड, मालड वेस्ट
मुम्बई

41. श्री खुशवंत सिंह — सदस्य
49 ई, सुजान सिंह पार्क
नई दिल्ली-3

42. श्री रमीन्दर सिंह — सदस्य
संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया
7, बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-7

43. श्री सरताज सिंह — सदस्य
संसद सदस्य
डी-2 (ओल्ड) एम०एस० फ्लैट
बाबा खड़क सिंह मार्ग
नई दिल्ली

44. प्रो० यशपाल — सदस्य
बी, ग्रीनव्यू अपार्टमेन्ट सेक्टर-15 ए
201301

45. श्री हरि किशन सिंह सुरजीत, — सदस्य
संसद सदस्य
23, तुगलक रोड
(पुलिस स्टेशन के पास)
नई दिल्ली

46. श्री बी०एस०एस० सचदेवा — सदस्य
बी-242, चितरंजन पार्क
नई दिल्ली-19

47. डा० एस०एस० नूर — सदस्य
74 ए, विजयनगर
दिल्ली-9

48. न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह — सदस्य
295, सेक्टर-17
पंचकुला, हरियाणा

49. डा० किरण बेदी — सदस्य
2, तालकटोरा लेन
नई दिल्ली

50. न्यायमूर्ति यशपाल सिंह — सदस्य
62, लोधी एस्टेट
नई दिल्ली

51. श्री जसवन्त सिंह सेठी — सदस्य
7, राजेन्द्र पार्क
नई दिल्ली-6

52. प्रो० अजायब सिंह — सदस्य
बी-1/132, जनकपुरी, नई दिल्ली

53. श्री अवतार सिंह हिट — सदस्य
बी-307, हरि नगर,
नई दिल्ली-54

54. श्री परमजीत सिंह तरना — सदस्य
23/41 पंजाबी बाग (पूर्वी)
दिल्ली

55. श्री कुलदीप सिंह भोगल — सदस्य
11, हरिनगर आश्रम
नई दिल्ली-24

56. डा० के०पी० अग्रवाल — सदस्य
सुधर्मा 1/5, गोखले मार्ग
लखनऊ (उ०प्र०)

57. श्री कमलजीत सिंह — सदस्य
44/सी, सिंगार नगर
लखनऊ-226005

58. श्री ए०डी० सिंह — सदस्य
42, भूतल
राजगुरू नगर
लुधियाना-141001

59. श्री बलवन्त सिंह — सदस्य
हैदराबाद-500012

60. श्री वीरेन्द्र सिंह — सदस्य
183, जोरबाग
नई दिल्ली

61. श्री पृथीपाल सिंह — सदस्य
अध्यक्ष (महाराष्ट्र)
राष्ट्रीय सिक्ख संगत
165, धर्मपेठ एक्सटेंशन
नागपुर-440010

62. श्री एच०एस० हंसपाल — सदस्य
पूर्व सांसद
के-17 राजौरी गार्डन
नई दिल्ली

63. प्रो० चन्दूमाजरा — सदस्य
संसद सदस्य

64. सरदार पृथ्वीपाल सिंह — सदस्य
इलाहाबाद

65. श्री कल्याण सिंह — सदस्य
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

66. श्री गोपीनाथ मुण्डे — सदस्य
उप मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र

67. श्री बंसी लाल — सदस्य
मुख्य मंत्री, हरियाणा

68. श्रीमती सुषमा स्वराज — सदस्य
मुख्य मंत्री, दिल्ली

69. श्री नरेन्द्र मोहन सदस्य
संसद सदस्य

70. श्री ब्रजेन्द्र सिंह, सदस्य
संपादक,
अजीत समाचार-पत्र समूह
जालंधर

राष्ट्रीय समिति खालसा जन्म त्रिशताब्दी को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी

समिति के पास सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार है।

(एस० सत्यमूर्ति)
संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को राजपत्र असाधारण में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

(एस० सत्यमूर्ति)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, रिंग रोड
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

1. संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी अनुभाग।
2. संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
3. खालसा जन्म त्रिशताब्दी को मनाने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्य।
4. प्रधानमंत्री के कार्यालय को दिनांक 21.9.98 के उनके यू०ओ० संख्या 58031 सी 2598-ई० एस-2 के सन्दर्भ में।
5. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव।
6. राज्य मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) के निजी सचिव।
7. सचिव (संस्कृति) के प्रधान निजी सचिव।
8. संयुक्त सचिव (एस०) के निजी सचिव।
9. उप प्रधान सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली (10 प्रतियां)।

(एस० सत्यमूर्ति)
संयुक्त सचिव

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

संख्या एफ 3-2/95-सी० एण्ड एम० (पार्ट-I)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3.12.98

संकल्प

इस विभाग के दिनांक 21 अक्तूबर, 1998 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में खालसा के जन्म की त्रिशताब्दी मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित को नामित किया गया है :—

1. सरदार ओंकार सिंह थापर
2. कैप्टन अमरिन्द्र सिंह
3. सचिव (संस्कृति विभाग)
4. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार

ह०/-
(एस० सत्यमूर्ति)
संयुक्त सचिव

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए। आदेश यह भी दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

ह०/-
(एस० सत्यमूर्ति)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी अनुभाग
2. संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय

3. खालसा के जन्म की त्रिशताब्दी मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्य

4. प्रधानमंत्री कार्यालय को दिनांक 24 नवम्बर, 98 के उनके यू०ओ० संख्या 580/31/सी/25/98-ई०एस० 2 के सन्दर्भ में।

5. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव।

6. राज्य मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) के निजी सचिव।

7. सचिव (संस्कृति) के प्रधान निजी सचिव।

8. संयुक्त सचिव (एस) के निजी सचिव।

9. उप प्रधान सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग नई दिल्ली (10 प्रतियां)।

ह०/-
(एस० सत्यमूर्ति)
संयुक्त सचिव

[हिन्दी]

विवेकाधीन कोटा रद्द करना

3432. श्री अरविंद कांबले : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने संसद सदस्यों और मंत्रियों के सभी प्रकार के विवेकाधीन कोटे को रद्द करने हेतु सरकार को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने, संसद सदस्यों और मंत्रियों के सभी प्रकार के वैवेकिक कोटे उत्सादित करने की बाबत कोई साधारण निदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने, रिट याचिका संख्या 585/94, शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ में, 23 दिसम्बर, 1996 को, सरकारी गृहों के आवंटन के लिए मंत्रियों के कोटे पर 5 प्रतिशत की परिसीमा लगा दी है। इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने, वैवेकिक कोटे का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का भी निदेश दिया है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अब मार्गदर्शी सिद्धांत बना लिए गए हैं। 1993 की रिट याचिका संख्या 886, सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ और अन्य में उच्चतम न्यायालय ने, 31.3.1995 को, पैट्रोलियम उत्पाद अभिकरणों के वैवेकिक आवंटन को विनियमित करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित किए हैं। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने, यह भी निदेश दिया है कि वैवेकिक आवंटनों की संख्या सामान्यत: उस औसत वार्षिक विपणन योजना के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें से पैट्रोलियम उत्पादों के लिए फुटकर आउटलेट के आवंटन आमतौर पर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

सड़क परिवहन निगमों को दिए जाने वाला अंशदान

3433. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों ने देश के सड़क परिवहन निगमों को दिए जाने वाले अपने अंशदान को रोक लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से रोका गया है और उसके कारण क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड में चंडीगढ़ का हिस्सा

3434. श्री सत्यपाल जैन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1996 के लागू होने के फलस्वरूप अस्तित्व में आया संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की भांति भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा उत्पादित विद्युत में से हिस्सा लेने का हकदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा उत्पादित विद्युत में से उसे उसका उचित हिस्सा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो चंडीगढ़ को विद्युत का कितना हिस्सा और किस दर पर दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड (बी०बी०एम०बी०) की स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत भागीदार राज्यों नामश: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की ओर से भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं के प्रशासन अनुरक्षण और प्रचालन करने के लिए किया गया था। उत्तराधिकारी राज्यों को विद्युत आवंटन किए जाने से संबंधित मामले पर निर्णय 17.4.1967 को आयोजित बैठक में लिया गया था जिसके अनुसार राजस्थान की हिस्सेदारी और सामूहिक संचयन आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् भाखड़ा परिसर में उत्पादित विद्युत का 3.5% भाग के लिए चंडीगढ़ हकदार है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के समान हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के साथ व्यवहार करने के लिए बी०बी० एम०बी० से अगस्त, 1983 में अनुरोध किया गया था और वर्तमान

में तदर्थ आधार पर भाखड़ा और ब्यास परियोजनाओं से आवंटित लाभ की मात्रा पर तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब तक कि दोनों परियोजनाओं में सभी उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकार और देयताओं की हिस्सेदारी के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। इस मुद्दे पर बी०बी०एम०बी० की विभिन्न बैठकों में विचार किया गया था और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने यह अवलोकन किया है कि चंडीगढ़ को साझेदार स्तर प्रदान करना एक नीतिगत मामला है और इससे पंजाब राज्य के अधिकार और साझेदार राज्यों के बीच भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों और देयताओं के अंतिम संविभाजन से जुड़े मुद्दे प्रभावित होंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य ने उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा (1996 का मुकदमा सं० 2) दायर किया है जिसमें भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से 12% नि:शुल्क विद्युत की अधिक भागेदारी और आपूर्ति का दावा किया गया है। मामले पर निर्णय होना है।

16.9.98 को चंडीगढ़ में विद्युत मंत्री द्वारा बुलाई गई एक सरकारी स्तर की बैठक जिसमें साझीदार राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भी भाग लिया गया था, में यह सुझाव दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के सम्मुख हि०प्र० सरकार द्वारा दायर लंबित मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हिमाचल प्रदेश को प्रदान किए गए साझेदार स्तर के अनुरूप ही बी०बी०एम०बी० चंडीगढ़ संघ क्षेत्र को साझेदार स्तर प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

वर्तमान में बी०बी०एम०बी० 34 पै०/कि०वा०घं० की दर से इस ऊर्जा के लिए बिल प्रस्तुत कर रहा है। चंडीगढ़ 5.63 पैसे/कि०वा०घं० की दर से भुगतान मुहैया कर रहा है। चंडीगढ़ संघ क्षेत्र को साझेदार घोषित कर दिए जाने पर चंडीगढ़ से अनुपातिक निवल जो एंड एम खर्च वसूल किया जाएगा जैसा कि अन्य साझेदारों से वसूल किया जा रहा है।

मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

3435. कुमारी किम गंगटे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति उचित रख-रखाव की कमी के कारण दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

3436. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कॉलेज, कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र इत्यादि जैसे उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के हाल ही में अनुमोदन से सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में स्थापित तकनीकी संस्थाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्राइवेट क्षेत्र की अधिकांश संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। क्योंकि इन संस्थाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है इसलिए जहां तक ऐसी संस्थाओं में प्रवेश का संबंध है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को समान आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

तकनीकी शिक्षा

3437. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार एवं सुधार हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उड़ीसा सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई है और कितने बोर्ड के पास लंबित हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सरकार ने देशभर में तकनीकी शिक्षा पद्धति के सुनियोजित एवं समन्वित विकास के लिए संसद के अधिनियम, नामत: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना की है। अब अ०भा०त०शि० परिषद् ने विनियम अधिसूचित किए हैं जिनका उद्देश्य देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा में कोटिपरक और मात्रात्मक सुधार करना है।

(ङ) शैक्षिक सत्र 1999-2000 के दौरान विभिन्न विषयों में नए कालेज शुरू करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

इंजीनियरी (डिग्री)	–	32
इंजीनियरी (डिप्लोमा)	–	16
फार्मेसी (डिग्री)	–	06
फार्मेसी (डिप्लोमा)	–	02
वास्तुकला (डिग्री)	–	01

[हिन्दी]

विभिन्न अधिनियमों में संशोधन

3438. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इन समुदायों के कल्याण के लिए बने विभिन्न अधिनियमों में संशोधन करने तथा नए कानून बनाने के लिए उनके मंत्रालय को क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर सरकार द्वारा उक्त सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है और सरकार ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ बने मौजूदा अधिनियमों और नियमों में संशोधन करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रपति को प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन देता है। ऐसे प्रतिवेदनों में आयोग के सुझाव/सिफारिशें होती हैं। आयोग ने, अब तक चार प्रतिवेदन और एक विशेष प्रतिवेदन दिया है। आयोग का पहला, दूसरा और विशेष प्रतिवेदन, उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ दोनों सदनों के पटल रख दिए गए हैं। आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

सरस्वती वन्दना का गायन

3439. श्री विजय गोयल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के विरोध के पश्चात् सरकारी आयोजनों में सरस्वती वन्दना के गायन पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्मेलन से पूर्व सरकारी आयोजनों में सरस्वती वन्दना का गायन होता था; और

(ग) यदि हां, तो उन आयोजनों के नाम क्या हैं जिनमें सरस्वती वन्दना का गायन होता था ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निम्नतर न्यायपालिका संबंधी संगोष्ठी

3440. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अगस्त, 1998 को नई दिल्ली में नागरिक स्वतंत्रता के अखिल भारतीय अधिवक्ता फोरम द्वारा निम्नतर न्यायपालिका संबंधी संगोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में चर्चित मुद्दे क्या थे तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त परामर्शदाता

3441. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने 1997 और 1998 के दौरान परामर्शदाता नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और करार की शर्तें व विचारणीय विषय क्या हैं;

(ग) क्या परामर्शदाता को नियुक्त करने का इस तरह का करार सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के परामर्शदाताओं को नियमों का उल्लंघन कर के उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क), (ख) और (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आयोग ने अपने कार्यकरण में, विशेष रूप से विधिक कार्य के क्षेत्र में अपनी सहायता के लिए 1.1.1998 से परामर्शदाता नियोजित किया है। उसकी समेकित फीस 1.1.98 से 31.3.98 तक 15,300 रुपए प्रतिमास और 1.4.98 से आगे 10,800 रुपए प्रति मास नियत की गई है। टेलीफोन और उसके आवास से सरकारी वाहन द्वारा लाए जाने और पुनः आवास तक भिजवाने की सुविधा भी उसे प्रदान की गई है।

(ग) परामर्शदाता की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वही थीं जिनके अधीन वह भारत निर्वाचन आयोग के साथ बातचीत करने के पश्चात्, आयोग की सेवा करने के लिए तैयार हुआ था और वे शर्तें परामर्शदाताओं को नियोजित करते समय सरकारी विभागों द्वारा अनुसरण की जाने के लिए अपेक्षित कार्यकारी अनुदेशों के सर्वथा अनुरूप नहीं थीं।

दादरा और नागर हवेली में सड़कें

3442. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली में कोई समुचित सड़क संपर्क नहीं है और लोगों को सड़क मार्ग से यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या (दादरा और नागर हवेली में) वापी और सिलवासा के बीच की 18 किलोमीटर लंबी सड़क जीण-शीर्ण अवस्था में है और उसकी मरम्मत किए जाने या सड़क के उस हिस्से को फिर से बिछाने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) केन्द्र सरकार मुख्यतया राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के तहत आने वाली शेष सभी सड़कों के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। तथापि, दादरा और नागर हवेली प्रशासन ने बताया है कि यह संघशासित क्षेत्र सड़कों से भली-भांति जुड़ा हुआ है और जनता को इस क्षेत्र में परिवहन की कोई समस्या नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) दादरा और नागर हवेली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि 3.2 कि०मी० का एक छोटा खंड, जो संघ शासित प्रदेश को गुजरात से जोड़ने वाली लिंक सड़क का एक भाग है, खराब स्थिति में है। इस सड़क की मरम्मत संबंधी मामले में दादरा और नागर हवेली संघशासित तथा गुजरात सरकार को फैसला करना चाहिए।

विद्युत के बंटवारे के लिए तैयार की गई योजना

3443. श्रीमती कमल रानी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा विद्युत के बंटवारे के लिए कोई योजना बनायी गयी है अथवा बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादनरत विद्युत केन्द्रों से उत्तरी क्षेत्र को शामिल करते हुए विभिन्न राज्यों के साथ विद्युत की हिस्सेदारी का फार्मूला निम्नानुसार है :–

1.0 ताप और न्यूक्लीय विद्युत केन्द्र :

केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत की हिस्सेदारी के लिए निम्नलिखित फार्मूले को 1978 में तैयार किया गया था और सामान्यत: इसी की अनुपालना की जा रही है।

क. 10% विद्युत उस राज्य को आवंटित की जाएगी जिसमें केन्द्रीय ताप विद्युत संयंत्र अवस्थित है (गृह राज्य)।

ख. 75% विद्युत, क्षेत्र में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता तथा गत पांच वर्षों के लिए क्षेत्र के राज्यों में ऊर्जा खपत की पद्धति के अनुरूप क्षेत्र के राज्यों (गृह राज्य सहित) के मध्य संवितरित की जाएगी। इन दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाएगा। क्षेत्र के संघ राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति उपर्युक्त आवंटनों के जरिए की जाएगी।

ग. क्षेत्र में समय-समय पर पृथक राज्यों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 15% विद्युत को केन्द्रीय सरकार के पास अनावंटित रखा जाएगा।

उपरोक्त फार्मूला सामान्यत: न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों पर भी लागू होता है।

2.0 जल विद्युत केन्द्र

केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत केंद्रों से हिस्सेदारी के फार्मूले को 1981 में तैयार किया गया और 1990 में संशोधित किया गया। 1990 में संशोधित फार्मूला अब सामान्यत: जल विद्युत केंद्रों से विद्युत की हिस्सेदारी के लिए प्रयोग होता है :

(क) 15% उत्पादन क्षमता को केंद्रीय सरकार के पास "अनावंटित" रखा जाएगा जिसे सम्पूर्ण आवश्यकता के आधार पर क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर वितरित किया जाएगा।

(ख) विद्युत केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत के 12% की क्षेत्र के उन राज्यों को (उस राज्य सहित जहां जल विद्युत परियोजना अवस्थित है) नि:शुल्क आपूर्ति की जाएगी। किसी विशिष्ट स्थल पर परियोजना की स्थापना के कारण जलमग्नता, व्यक्तियों का विस्थापन इत्यादि विपदायें आई हैं और यह आवंटन इस तरह की विपदा की सीमा के अनुपात में किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु उत्पादित ऊर्जा के आंकड़ों की गणना बस-वार स्तर पर की जाएगी अर्थात पारेषण लाइन हानियों को लेखे में लिए बिना तथा अनुषांगिक खपत को छोड़ने के पश्चात 12% नि:शुल्क विद्युत के आवंटन के लिए विपदा की सीमा का मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाएगा।

(ग) शेष विद्युत (73%) का वितरण क्षेत्र के राज्यों के मध्य गत वर्षों के दौरान क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय योजना सहायता की पद्धति तथा पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र के राज्यों में विद्युत की खपत के आधार पर की जाएगी, जिसमें दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मौसम का अध्ययन

3444. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा० अशोक पटेल :
श्री प्रभुदास कठेरिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मौसम का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए एक अति परिष्कृत समुद्री उपग्रह छोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय उक्त प्रस्ताव किस चरण में है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्रविज्ञानीय अध्ययनों के लिए पहला स्वदेशी उपग्रह ओसेन सेट-I (आई०आर०एस०-पी 4) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई०एस०आर०ओ०) द्वारा विकसित किया गया है और इसे स्वदेशी पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी०एस०एल०वी०) द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है। यह उपग्रह दो भारयोगों नामत: ओसेन कलर मानीटर (ओ०सी०एम०) और मल्टी फ्रीक्वेन्सी स्कैनिंग माइक्रो वेव रेडियोमीटर (एम०एस०एम०आर०) के माध्यम से उपयोगी समुद्र सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध कराएगा। ये तटीय मात्स्यकी संसाधनों पर कार्य करने के लिए उपयोगी हैं और समुद्र के ऊपरी तल के तापमान, हवा, वायुमण्डल, [illegible] और वर्षा वाले बादल, जो मानसून प्रणालियों और चक्रवातों [illegible] अच्छी समझ के लिए सहयोगी होते हैं, पर आंकड़े

(ग) यह उपग्रह विकास की उन्नत स्थिति में है और इस उपग्रह का प्रक्षेपण 1999 के प्रारम्भ के चरण में करने की योजना है।

जैव प्रौद्योगिकी का विकास

3445. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव-प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी हां। उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों को सभी जैवप्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए स्वत: लाइसेंस मिल जाता है; इन परियोजनाओं में औषधियों के किण्वन आधारित्त उत्पादन, विशिष्ट रसायनों, एन्जाइमों, जैवसक्रिय अणुओं, जैवउर्वरकों, जैवकीटनाशकों, प्रयोगशाला विशेषताओं आदि से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। अधिक उपज क्षमता वाले संकर बीजों के उत्पादन एवं उत्कृष्ट पादपों के ऊतक संवर्धन प्रवर्धन जैसे उच्च-तकनीकी कृषि गतिविधियों को औद्योगिक कार्यकलापों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि निवेश को बढ़ावा मिले। इक्विटी में 51% तक का विदेशी सहयोग स्वत: है; 51% से अधिक विदेशी इक्विटी के लिए योग्यता के आधार पर जांच की जाती है। I (डी एंड आर) अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दोनों के अनुसार आनुवंशिक पद्धति से रूपान्तरित जीवों की जांच की जाती है ताकि पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में पता लगाने और आवेदकों द्वारा पुनर्योगज डी०एन०ए० जैव सुरक्षा मार्गनिर्देशों के अनुपालन के बाद इनका वाणिज्यिक अनुमोदन एवं अंगीकरण हो सके। एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स (ई०पी०सी०जी०) स्कीम के तहत लाभ दिलवाने की दृष्टि से जैवप्रौद्योगिकी कार्यकलापों का वर्गीकरण किया गया है। 100% ऊतक संवर्धन आधारित उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने वाले आवेदकों से अपेक्षा है कि वे निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ई०ओ०यू०) अथवा निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई०पी०जेड०) के अंतर्गत यूनिटों को लगाने के लिए 60% मूल्य वृद्धि सुनिश्चित करें। कच्चा माल और तैयार उत्पादों पर सीमा एवं आबकारी शुल्क का यौक्तिकीकरण भारतीय उद्यमियों को आयातित उत्पादों के समान स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत दायर मामले

3446. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने मामले दायर किए गए;

(ख) उनमें से कितनी कंपनियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है; और

(ग) एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के तहत कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है और उनमें प्रत्येक व्यक्ति को मुजावजा स्वरूप कितनी राशि दी गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2क के अन्तर्गत व्यादेश आवेदनों और धारा 12ख के अन्तर्गत मुआवजा आवेदनों सहित 1996 और 1997 में क्रमश: 1490 तथा 1596 जांचें संस्थित/पंजीकृत की गई थीं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अपनी कार्यवाहियों के संबंध में कम्पनियों और अन्य अस्तित्वों में कोई भेद नहीं करता। वर्ष 1996 और 1997 के दौरान 370 और 604 मामलों का निपटान किया गया।

(ग) 1996 और 1997 के दौरान निपटाए गए मुआवजा आवेदनों की संख्या क्रमश: 61 तथा 220 थी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अपने आदेशों के निष्पादन के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखता है। इस प्रकार के आदेशों को सक्षम न्यायालयों द्वारा निष्पादित किया जाता है।

मुरमुगाओ पत्तन न्यास

3447. श्री रवि सीताराम नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरमुगाओं पत्तन न्यास के कार्यकरण को सुचारु बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) मुरगांव पत्तन के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए कोई अलग प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पत्तन न्यास के कामकाज को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में पत्तन न्यास बोर्ड को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की है। इन प्रयासों से पत्तन न्यास बोर्ड को अपना कामकाज सुचारु बनाने और अपने प्रबंधन की गुणता तथा पत्तन सेवाओं के मानकों में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

वर्षा

3448. **श्री एस० गंगाधर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जून से 30 सितम्बर, 1998 तक कितनी वर्षा हुई है; और

(ख) इसका कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान देश में समग्र रूप से 905.0 मि०मी० की सामान्य वर्षा के स्थान पर 957.6 मि०मी० वर्षा हुई, जो अपने दीर्घ अवधि औसत मान की 106% है।

(ख) चालू वर्ष में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 101.03 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के उत्पादन से थोड़ा कम है। तथापि, मौसम की अनुकूल स्थिति, बेहतर जलाधार के साधन, बुवाई की अच्छी स्थिति तथा इनपुट्स की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप रबी फसल की बेहतर स्थिति के कारण 1998-99 के दौरान समग्र रूप से खाद्य उत्पादन की संभावनाएं आशाजनक है। गन्ने तथा तिलहन-फसलों के उत्पादन की संभावनाएं आशाजनक हैं। तथापि मोटे दानेदार अनाजों का उत्पादन इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कुछ कम होने की संभावना है।

अंतरिक्ष दीर्घा की स्थापना

3449. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के विश्वेश्वरैया औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय में एक अंतरिक्ष दीर्घा स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के पास विश्वेश्वरैया औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलौर में "मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष निर्गमन प्रौद्योगिकी" नामक अंतरिक्ष दीर्घा स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह दीर्घा 700 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में होगी और इसमें उड़ान यांत्रिकी, अंतरिक्ष यान-प्रक्षेपण, मिशन नियंत्रण, राकेट व उपग्रह, उपग्रह अनुप्रयोग, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष थिएटर आदि जैसे अनुभाग शामिल होंगे। इस परियोजना को 30-35 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दिनांक 31.3.1999 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

चैन्नई में चर्मशोधशालाओं को केन्द्रीय सहायता

3450. **श्री ए० गणेशमूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में चर्मशोधशालाओं को फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले अपशिष्टों के रिसाव को शुद्ध करने हेतु वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रानीपेट और इसके आसपास की चर्मशोधशालाओं से बाहर निकलने वाले अपशिष्टों का दिशा परिवर्तन किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा चर्मशोधशालाओं के लिए शुद्धिकरण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार दिल्ली और मुम्बई की ही भांति एक बोर्ड का गठन करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) फैक्टरियों आदि से उत्सर्जित होने वाले बहिस्रावों के शोधन से संबंधित विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत, सामान्य बहिःस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण हेतु तमिलनाडु के चमड़ा उद्योगों सहित सभी लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने न्यायाधीश पी० भास्करन की अध्यक्षता में तमिलनाडु राज्य के लिए एक "लोस ऑफ इकोलॉजी (प्रिवेंशन एंड पेमेंन्ट्स ऑफ कम्पन्सेशन) प्राधिकरण का गठन किया है, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ" ऐसे चमड़ा उद्योगों को, जिन्हें शोधन संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं और तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वैध प्रमाण पत्र भी नहीं हैं, उन्हें स्थायी रूप से बंद करने अथवा उन्हें अन्यत्र ले जाए जाने हेतु निर्देश देने की कार्यवाही भी करता है।

अंता गैस ताप विद्युत गृह

3451. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अंता चरण-II को गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र को गैस आवंटन तथा केन्द्र सरकार की मंजूरी कब तक मिल जायेगी;

(ख) क्या चालू अंता गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र के लिए गैस आवंटन विद्युत विभाग की नीति के अनुसार इसे "बेस लोड स्टेशन" के रूप में चलाने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं तो चरण-I तथा चरण-II के लिए भी गैस का अतिरिक्त आवंटन कब किया जायेगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने एच०बी०जे० पाईपलाइन से आपूर्ति किए जाने वाले मुख्य ईंधन के रूप में गैस पर विचार करते हुए वर्ष 1988 में अन्ता गैस विद्युत परियोजना चरण-2 (430 मे०वा०) के विस्तार हेतु मूल रूप से एक प्रस्ताव तेयार किया था। तथापि, गैस की अनुपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। मुख्य ईंधन के रूप में नापथा के इस्तेमाल की व्यवस्था करते हुए 650 मे०वा० की क्षमता के साथ इस विस्तार परियोजना को वर्ष 1997 में इस प्रावधान के साथ पुन: तैयार किया गया था कि जब भी उपलब्ध हो, प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाएगा। परियोजना को नवम्बर, 1997 में नापथा का [illegible] दिया गया है। परियोजना को केन्द्रीय विद्युत [illegible] 1998 में तकनीकी-आर्थिकी स्वीकृति भी प्रदान

(ख) और (ग) अन्ता गैस आधारित साइकिल विद्युत स्टेशन चरण-1 व 2 एम०सी०एम०डी० गैस आवंटन (जिसमें 1.75 एम०सी०एम०डी० मूल लिंकेज तथा चरण-1 को चरण-2 से किया गया 0.25 एम०सी०एम०डी० का पुन: आवंटन शामिल है) किया गया है जो कि कम/पूर्ण भार पर स्टेशन का प्रचालन करने के लिए पर्याप्त है।

अन्ता चरण-2 के लिए 80% पी०एल०एफ० पर नापथा का लिंकेज पहले से ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

देश में सड़कों का जाल

3452. प्रो० प्रेम सिंह चंदूमाजरा :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल यात्रियों का 87 प्रतिशत सड़क मार्ग से यात्रा करता है तथा कुल सामान का 65 प्रतिशत सड़कों से ले जाया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के लिए कुल योजना परिव्यय का 6.5 प्रतिशत आवंटित किया गया था जबकि आठवीं योजना के दौरान यह मात्र 5 प्रतिशत था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि का प्रतिशत क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) सरकार का अनुमान है कि 60 प्रतिशत से अधिक फ्रेट ट्रैफिक और 80 प्रतिशत यात्री ट्रैफिक का यातायात सड़क नेटवर्क द्वारा होता है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

सड़क क्षेत्र का हिस्सा पहली पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय के 1.5 प्रतिशत से घटकर 8वीं वर्षीय योजना में 0.6 प्रतिशत रह गया है।

(ङ) 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है; अत: इस स्तर पर कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

पर्यावरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

3453. श्री रामपाल सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा० अशोक पटेल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों द्वारा नियमित रूप से वार्षिक पर्यावरण प्रतिवेदन भेजना अनिवार्य बनाने के लिए पर्यावरण से संबंधित कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन

3454. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम की खामियों पर विचार करने हेतु किसी कृतक बल का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में

संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रो० अमरीक सिंह की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित एक कार्य दल प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बिजलीघर

3455. श्री रामदास आठवले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कोयला क्षेत्रों में कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वहां नए बिजलीघर स्थापित करने अथवा वर्तमान बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय राज्य में बिजलीघरों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) नौवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नये विद्युत स्टेशन निम्नवत हैं :–

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1.	चन्द्रपुर यू-7	500
2.	दूधगंगा	24
3.	कोयना चरण-4	1000
4.	सरदार सरोवर (27%)	175.5
5.	वारना	16
6.	डाभोल सी०सी०जी०टी०-I	740
7.	भद्रावती टी०पी०एस०	1072
8.	डाभोल सी०सी०जी०टी०-I	1275
9.	घाटघर पी०एस०एस०	250
	जोड़	5052.5

(घ) महाराष्ट्र में विद्यमान विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत है :–

क्र०सं०	विद्युत केन्द्र	विद्युत उत्पादन (मे०वा०)
1	2	3
1.	नासिक	910
2.	करोडी	1080
3.	खापर खेड़ा-2	420
4.	पारस	58
5.	भुसावल	478
6.	परली	690
7.	चन्द्रपुर	2340
8.	उरान जी०टी०	672
9.	उरान डब्ल्यू०एच०आर०पी०	240
10.	कोयना	920
11.	वैथरना	60
12.	तिल्लारी	60
13.	भीरा टेल-रेस	80
14.	ट्राम्बे	1150
15.	ट्राम्बे जी०टी०	180
16.	दहानू	500
17.	खोपोली	72
18.	भिवपुरी	72
19.	भीरा + भीरा पी०एस०एस०	281
20.	टी०ए०पी०एस०	320

विश्वविद्यालयों का विकास

3456. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त किये गये वास्तविक लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण क्या हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रबड़ बिछाना

3457. श्री पी०सी० थामस :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व भारतीय सड़क कांग्रेस में सड़कों पर रबड़ बिछाने के संबंध में चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा की मुख्य बातें क्या थीं तथा उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सड़कों पर रबड़ बिछाने के संबंध में भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा कुछ अनुसंधान/अध्ययन कराये गए हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा "बिट्मन युक्त सड़कें : डिजाइन और निर्माण संबंधी पहलू" विषय पर 25 और 26 अगस्त, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार में रबड़ बोर्ड के श्री के०एस० गोपाल कृष्णन ने रबड़ युक्त सड़कों पर एक दृष्टि संबंधी एक लेख प्रस्तुत किया।

इस विषय पर विचार-विमर्श से उत्पन्न सिफारिशें इस प्रकार हैं:

"हमारा देश एक्सप्रैस मार्गों जैसी तेज गति की सड़कों के युग में प्रवेश करने वाला है तथा अतिरिक्त भार और दबाव का सामना करने के लिए बिट्मन में रबड़ और पॉलीमर आदि जैसे विभिन्न किस्म के योगजों का प्रयोग के मामलों का पता लगाया जाए और प्रारंभ में बाइन्डर पर थोड़ा अधिक खर्च होगा फिर भी इसे प्रोत्साहित किया जाए।"

(ग) जी हां।

(घ) सी०आर०आर०आई० सड़कों को रबड़युक्त बनाने के बारे में निम्नलिखित अध्ययन कर रहा है :

(i) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय अनुसंधान स्कीम आर-54 के तहत रबड़ रूपांतरित बाइन्डरों का उपयोग।

(ii) प्राकृतिक रबड़ रूपांतरित बाइन्डर का प्रयोग करके पेवमेंट निष्पादन अध्ययन।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुम्बई और कांडला पत्तनों का विकास

3458. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुम्बई, कांडला तथा अन्य प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के दौरान मुम्बई और कांडला पत्तनों सहित महापत्तनों के विकास के लिए 7215 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। परिव्यय के पत्तन-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(करोड़ रु०)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	नौवीं योजनागत परिव्यय
1.	कलकत्ता/हल्दिया	545
2.	मुम्बई	980
3.	जवाहर लाल नेहरू	500
4.	चेन्नई	1700
5.	कोचीन	330
6.	विजाग	850
7.	कांडला	360
8.	मुरगांव	260
9.	पारादीप	900
10.	नव मंगलूर	340
11.	ट्टीकोरिन	450
	जोड़	7215

(घ) जी हां।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न महापत्तनों में निजी निवेश के जरिए 8000 करोड़ रु० के अनुमानित निवेश पर लगभग 76 मिलियन टन क्षमता की पत्तन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

विद्युत विनियामक आयोग

3459. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य स्तर के विद्युत विनियामक आयोगों के बारे में संक्षेप में बतायेंगे;

(ख) क्या विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना सभी राज्यों में की जानी है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन से राज्य है जहां उक्त आयोग स्थापित किये जा चुके है; और

(घ) शेष राज्यों में कब तक इन आयोगों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 17 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार, यदि उपयुक्त समझे तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य के लिए एक आयोग की स्थापना कर सकती है जो कि (राज्य का नाम) विद्युत विनियामक आयोग के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार विद्युत विनियामक आयोग (एस०ई०आर०सी०) की स्थापना अलग-अलग राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। अभी तक उड़ीसा और हरियाणा की राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम के अंतर्गत एस०ई०आर०सी० की स्थापना की है।

[अनुवाद]

बीच में स्कूल छोड़ना

3460. श्री अर्जुन सेठी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीब ग्रामीण विद्यार्थियों द्वारा कक्षा एक से कक्षा सात तक के बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सरकार ने विरति दर (स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर) को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें सूक्ष्म आयोजना, सामुदायिक सहभागिता, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के जरिए स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार, बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म तथा उपस्थिति, छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़के तथा लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल तथा छात्रावास शामिल हैं।

प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बेहतर भागीदारी तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रासंगिक तौर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यक कार्यनीति तैयार की गई हैं। इस कार्यक्रम को 149 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सड़कों/पुलों के संबंध में जापानी सहयोग

3461. श्री मोहन रावले : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सड़कों/पुलों के पुनरुद्धार के लिए नवीनतम जापानी जानकारी को प्रयोग में लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के बीच कोई नया सहयोग कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) राजमार्ग सैक्टर में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, जिसमें सड़क पुलों का पुनरुद्धार संबंधी क्षेत्र भी शामिल है, एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में दो जापानी विशेषज्ञों ने जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी के अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत नवम्बर 1998 में भारत का दौरा किया। उनके ज्ञान और अनुभव के व्यापक प्रचार के लिए 14 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में ''सड़क पुलों की स्थिति का सर्वेक्षण और उनका पुनरुद्धार'' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

[हिन्दी]

जीवाश्मों के लिए अनुसंधान केन्द्र

3462. श्री सोम मरांडी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राजमहल की पहाड़ियां जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार राजमहल में जीवाश्मों के संबंध में कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार में राजमहल की पहाड़ियां ऊपरी गोंडवाना जीवाश्मों की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में जीवाश्मों के सर्वेक्षण का संचालन कार्य

जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया (जी०एस०आई०) तथा बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान (बी०एस०आई०पी०) द्वारा अधिग्रहित किया गया है। यह कार्य लगभग 1863 में आरम्भ हुआ और अभी तक जारी है। इसके परिणाम समय-समय पर प्रकाशित किये गये हैं।

(ग) से (ङ) राजमहल में जीवाश्मों से संबंधित अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जी०एस०आई० तथा बी०एस०आई०पी० द्वारा पर्याप्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा

3463. श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97 के दौरान इस संबंध में खर्च की गई राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके अंतर्गत कार्रवाई योजना 1992 में तकनीकी शिक्षा के विकास को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। तकनीकी शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास के लिए सांविधिक विकास के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना इस दिशा में लिया गया एक प्रमुख कदम है। तकनीकी शिक्षा में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके द्वारा राज्यवार निधियों का आवंटन किया जाता हो और इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अथवा इस प्रयोजन से किसी अन्य राज्य के लिए कोई आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या को बढ़ाना

3464. श्री ए० सिद्दराजू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर में प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कितने विद्यार्थियों को लिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संस्थान को विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर में इस समय छात्रों की दाखिला क्षमता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 180 और सॉफ्ट वेयर उद्यमशीलता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 60 है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता में उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना इनमें छात्रों की दाखिला क्षमता बढ़ाने की है। तथापि, वृद्धि के पैमाने का निश्चय विभिन्न सुसंगत घटकों पर विचार करने के बाद ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पंजीकरण

3465. श्री मित्रसेन यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अब तक राज्यवार विभिन्न महाविद्यालयों से पंजीकरण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से राज्यवार कितने महाविद्यालयों को पंजीकृत किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) और 12-ख के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या तथा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या राज्यवार क्रमशः निम्नलिखित अनुसार है :–

क्र. स.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	36	29
2.	असम	29	21
3.	बिहार	9	04
4.	गोवा	06	04
5.	गुजरात	23	10
6.	हरियाणा	04	02
7.	हिमाचल प्रदेश	10	00
8.	जम्मू व कश्मीर	01	01
9.	कर्नाटक	125	46
10.	केरल	20	10
11.	मध्य प्रदेश	98	51

1	2	3	4
12.	महाराष्ट्र	79	37
13.	मणिपुर	04	04
14.	मेघालय	03	00
15.	उड़ीसा	17	04
16.	पंजाब	07	03
17.	राजस्थान	21	10
18.	तमिलनाडु	12	09
19.	त्रिपुरा	02	02
20.	उत्तर प्रदेश	28	16
21.	पश्चिम बंगाल	14	13
22.	दिल्ली	04	03

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजनाएं

3466. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी शिक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्य क्या थे और वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या होंगे;

(घ) क्या कुछ शैक्षिक संस्थाएं धनराशि की अनुपलब्धता और अध्यापकों की कमी के कारण काम नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) राजस्थान में ऐसी दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आवंटित राशि और दिया गया अनुदान निम्नानुसार है :–

वर्ष	आवंटित राशि (रु० लाख में)	दिया गया अनुदान
1993-94	227.00	218.00
1994-95	240.00	261.00
1995-96	342.00	340.00
1996-97	464.00	461.00
1997-98	1562.00	1272.00

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, पठन-पाठन सामग्री, लड़कियों के छात्रवासों के निर्माण के लिए अनुदान दिए गए। मदरसों/मकतबों के छात्रों के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी शुरू करने के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्प संख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले अभि-निर्धारित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जबकि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना उनके पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/रख-रखाव

3467. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/रखरखाव के लिए अपेक्षित योजना-आवंटन संबंधी आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ 23,000 करोड़ रु० की राशि की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का निर्माण

3468. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विश्व बैंक की सहायता से बिहार में एक रेलवे पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1997 के दौरान पारसनाथ रेलवे स्टेशन के समीप इसरी में रेलवे समपार के स्थान पर एक रेलवे ऊपरि पुल का निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रेलवे ऊपरि पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा०रा०रा०प्रा०) विश्व बैंक की ऋण सहायता से बिहार में रा०रा० 2 को चार लेन का बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के माध्यम से परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जहां तक रेलवे पुल के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट का संबंध है, भा०रा०रा०प्रा० ने ऐसी कोई रिपोर्ट [illegible] है।

[illegible] नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रा०रा० 2 को 4 लेन का बनाने और इसरी के समीप रेलवे उपरि पुल की व्यवस्था के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा०रा०रा०प्रा०) द्वारा शुरू किया गया है जैसा कि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

सलाल और उरी जल विद्युत परियोजनाएं

3469. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलाल और उरी जल विद्युत परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर को रायल्टी आधार पर कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जम्मू और कश्मीर को भाखड़ा नहर और अन्य स्रोतों से किस दर पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी;

(ग) इस मद के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) क्या कतिपय केन्द्रीय ऐजेंसियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में कुछ नई जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किए जाने संबंधी योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है तथा इनके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी;

(च) क्या सरकार का विचार कतिपय पन विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को कुछ विदेशी कंपनी को सौंपने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) सलाल और उड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर को 12 प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) गत चार वर्षों के दौरान भाखड़ा काम्प्लेक्स के विद्युत गृहों से जम्मू और कश्मीर को आपूर्ति की गई विद्युत तथा इस पर लगाई गई दर निम्नवत् है :—

अवधि	दर (पैसे/कि०वा०घं०)
1.10.94 से 30.6.95	65.078
1.7.95 से 30.6.96	71.346
1.7.96 से 31.3.97	78.241
28.1.98 से 31.3.98	85.825

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एन०एच०पी०सी० के उत्पादन केंद्रों से जम्मू एवं काश्मीर को प्रति/कि०वा०घं० पर जिस अनंतिम दरों पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, वे निम्नवत् हैं :—

परियोजना	अनंतिम टैरिफ (पैसे/कि०वा०घं०)			
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
सलाल	55	55	55	55
उड़ी	—	—	360	258
टनकपुर	138	138	138	138
चमेरा	216	216	216	216

•टैरिफ अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् समायोजन के तहत।

(ग) जहां तक एन०एच०पी०सी० का संबंध है 1.12.98 की स्थिति के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर की ओर 209.28 करोड़ रुपए बकाया हैं। विलम्बित भुगतान के कारण इस राशि में अधिशुल्क शामिल नहीं है। साथ ही, इस राशि की गणना सितम्बर, 1998 तक आपूर्ति की गई ऊर्जा के बिलों के संबंध में नवम्बर, 1998 तक एन०एच०पी०सी० द्वारा जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त भुगतान का समायोजन करने के पश्चात् की गई है। बी०बी०एम०बी० से आपूर्ति की गई विद्युत के कारण बकाया राशि 15.44 करोड़ रुपए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुख्य पत्तन न्यासों में कार्यरत श्रमशक्ति

3470. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के द्वारा देश के मुख्य पत्तन न्यासों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31.3.1998 को इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के द्वारा इसमें कितनी कमी की गई;

(घ) क्या सरकार ने मुख्य पत्तन न्यासों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के उपयोग की अनुमति नहीं दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) भारत सरकार ने फालतू जनशक्ति को कम करने के उद्देश्य से महापत्तन न्यासों और गोदीकामगार बोर्डों में सन् 1991 में एक विशेष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम लागू की थी। गत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 1,287 कर्मचारी/कामगार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले चुके हैं। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार महापत्तन न्यासों और गोदी कामगार बोर्डों में कुल जनशक्ति 1,03,451 थी।

(घ) और (ङ) चूंकि पत्तन न्यास/गोदी कामगार बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं, अत: राष्ट्रीय नवीकरण कोष से इन्हें निधियां प्रदान नहीं की जा सकीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3471. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) आयोग की वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आयोग को अपने कर्मचारियों के चयन में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में विहित मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान गठन में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1.	डा० (श्रीमती) इन्दिरा बासवराज	सदस्या
2.	श्रीमती सुकेशी ओराम	सदस्या
3.	डा० (श्रीमती) सैयीदीन हमीद	सदस्या
4.	श्रीमती विजय दक्ष	सदस्या

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है :

1.	श्रीमती विभा पार्थासारथी	अध्यक्षा
2.	डा० (सुश्री) पूर्णिमा अडवाणी	सदस्या

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 5 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ग ''ग'' तथा ''घ'' कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग (वर्ग ''ग'' तथा ''घ'' कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 1997 के अनुसार करता है।

जापान दक्षिण एशिया युवा मैत्री कार्यक्रम

3472. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार के निमंत्रण पर भारत से 30 युवा विज्ञान के अध्यापकों का एक दल ''21वीं सदी के लिए जापान दक्षिण एशिया युवा मैत्री कार्यक्रम'' में भाग लेने नवम्बर माह में जापान गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जापान यात्रा पर गये अध्यापकों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। भारत से 28 युवा प्राकृतिक विज्ञान अध्यापकों के एक दल ने 24 नवम्बर, 1998 को जापान के लिए प्रस्थान किया था।

(ख) जापान दक्षिण एशिया युवा मैत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, जापान सरकार ने एक 30 सदस्यीय प्रतिनिमण्डल के दौरे के लिए निमंत्रण दिया है जिसमें 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के प्राकृतिक विज्ञान अध्यापक शामिल हैं।

(ग) जापान दौरे के लिए नामित किए गए अध्यापकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जापान दक्षिण एशिया युवा मैत्री कार्यक्रम के लिए भारतीय सहभागियों की सूची

क्र.सं.	नाम/पते
1	2
1.	श्री रामीसेट्टी शंकर अध्यापक केन्द्रीय विद्यालय सं० 2 नवसेना बाग विशाखापत्तनम-530005

1	2
2.	श्री सबिताब्रत मण्डल अध्यापक केन्द्रीय विद्यालय डाकघर-भुली जिला धनबाद **बिहार-828105**
3.	श्रीमती मधुबाला अध्यापक विद्या बीथि उच्चतर विद्यालय पार्क रोड़ कदम कुआं पटना-3 **बिहार**
4.	सुश्री विनीता गिलबर्ट अध्यापक सेन्ट जोसफ उच्च विद्यालय बोदीपुर, पटना-800001 **बिहार**
5.	श्री अशोक कुमार अध्यापक राजकीय बालक उच्च विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री नगर पटना-23 **बिहार**
6.	श्री राजीव त्यागी अध्यापक लक्ष्मण पब्लिक स्कूल **नई दिल्ली-110016**
7.	डा० अनुरीता शर्मा अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर-6 पंचकुला **हरियाणा**
8.	श्री पवन कुमार पुरी अध्यापक नवोदय विद्यालय पेखुबेला जिला-ऊना **हिमाचल प्रदेश**
9.	श्रीमती सलीम उन्नीसा अध्यापक राजकीय उर्दू उच्चतर प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर एच०ए०आई० बंगलौर-560017 **कर्नाटक**

1	2
10.	श्रीमती ज्योति डंगोरकर अध्यापक जवाहर नवोदय विद्यालय शिगांव जिला-बुलडाना **महाराष्ट्र**
11.	श्री येंगखोम बीरेन सिंह मुख्य अध्यापक काकचिंग बालिका उच्च विद्यालय काकचिंग **मणिपुर-795103**
12.	श्री लालहमंगैथांगा हमा अध्यापक राजकीय रिपब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐजवाल-796001 **मिजोरम**
13.	सुश्री वैनलालहरिएत कीमी खिआंगट अध्यापक, राजकीय हरांगछुआना उच्च विद्यालय, उत्तरी रामहलुनम-796012, **मिजोरम**
14.	श्री सोम नाथ अध्यापक, नवोदय विद्यालय रख जागानू, जिला-ऊधमपुर, **जम्मू व कश्मीर**
15.	श्री आनंद गुप्ता अध्यापक, एस०आई०एस०ई० पंजाब एस०सी०ओ० 66-67, सैक्टर 17-ए, **चण्डीगढ़-160017**
16.	श्रीमती नीता उपाध्याय अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, पाटेहारा कलां, **मिर्जापुर, उ०प्र०**
17.	श्री गजेन्द्र कुमार अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, चौबारी, बरेली, **(उत्तर प्रदेश)**

1	2
18.	सुश्री अंजली सिंह अध्यापक, त्रिलोकी सिंह बाल विद्यालय, कैसरबाग, लखनऊ, **उ०प्र०**
19.	सुश्री ज्योत्स्ना सिंह अध्यापक, माडर्न कालेज, सैक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ-226020, **उ०प्र०**
20.	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह अध्यापक, माडर्न कालेज, सैक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ-226020, **उ०प्र०**
21.	श्री आभ्रा चट्टोपाध्याय अध्यापक, नैहाटी नरेन्द्र विद्या निकेतन, जान मोहम्मद घाट रोड़, नैहाटी, 24 परगना,
22.	श्री बासवराज निजलिंगप्पा वालीकर सहायक अध्यापक, वी०वी० संघ्स गर्ल्स हाईस्कूल, बीजापुर, **कर्नाटक**
23.	श्रीमती बलविन्दर कौर अध्यापिका, सर्वोदय कन्या विद्यालय, ब्लाक-20, त्रिलोक पुरी, **दिल्ली**
24.	श्रीमती पुनीता दुग्गल अध्यापिका, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन, **दिल्ली**
25.	श्रीमती अनिता मोरवाडे अध्यापिका, जवाहर नवोदय विद्यालय, कोडीनार, अमरेली-362720 **गुजरात**
26.	डा० संदीप वर्मा निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, 30, ब्वायज बिल्डिंग, सेक्टर-17, **चण्डीगढ़**
27.	श्रीमती शाहिदा परवीन मुख्याध्यापिका, गवर्नमेंट यू०एच० पब्लिक स्कूल, टैंक गार्डन, **बंगलौर-11**
28.	श्री बेलराज एम०जी० अध्यापक, कन्नोथ यू०पी० स्कूल किरहारीओर कोयीलांडी कोझीकोड़ **केरल**

केरल में सी०आर०जैड० अधिसूचना का कार्यान्वयन

3473. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान रूप में तटीय विनियमन क्षेत्र से केरल में तटीय समुदाय और पर्यटन उद्योग को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सी०आर०जैड०-II श्रेणी के अंतर्गत केरल में सम्पूर्ण खण्डों को लाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार 100 मी० से 50 मीटर तक बैक वाटर्स के "अविकसित जोन" में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) केरल सरकार द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दे केन्द्र सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित समितियों की स्थापना की है :

1. केरल से संबंधित मुद्दों के लिए प्रो० एन बालाकृष्णन नायर।
2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से संबंधित मुद्दों के लिए फादर साल्दान्हा समिति।

3. पूरे देश के तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की जांच के लिए फादर सी०जे० साल्दान्हा समिति।

इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच की जा रही है तथा इनके द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विद्युत उत्पादन में कमी

3474. श्री प्रमथेस मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र "टेलीग्राफ" के दिनांक 16 नवम्बर, 1998 के संस्करण में "एन०टी०पी०सी० टू रिजिस्ट अटैम्पट टू सरेन्डर सेन्ट्रल कोटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केन्द्र सरकार को अन्य विद्युत उत्पादक इकाइयों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गैर-कानूनी तरीके अपनाकर विद्युत उत्पादन में कमी कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के क्षेत्रीय विद्युत केंद्रों की क्षमता का निर्धारण उन क्षेत्रों को राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया गया है, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त निवेश किए हों। लाभभोगी राज्यों ने भी इन केंद्रों से विद्युत के अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए एन०टी०पी०सी० के साथ विद्युत क्रय समझौता किया है। पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० ने तत्कालीन उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से तलचेर थर्मल पावर परियोजना (460 मे०वा०) के अलावा फरक्का सुपर थर्मल पावर परियोजना (1600 मे०वा०), कहलगांव सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-I (840 मे०वा०) और तलचेर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-I (1000 मे०वा०) के माध्यम से 3900 मे०वा० की क्षमता की स्थापना/प्रचालन कर रहा है। एन०टी०पी०सी० के इन विद्युत केंद्रों की क्षमता के मांग में कमी के कारण केवल 40% से 50% तक ही हो रहा है, जो कि बहुत कम है।

प्रस्तावित उपलब्धता आधारित टैरिफ स्वरूप के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों से अपेक्षित होगा कि वे आवंटित भागीदारियों (शेयरों) के अनुपात में एन०टी०पी०सी० केंद्रों के स्थिर प्रभारों का भुगतान करें। तदनुसार राज्य विद्युत बोर्ड स्थिर प्रभारों की अपनी भागीदारी का भुगतान करते रहेंगे चाहे उनकी क्षमता भागीदारियों के समुपयोजन का स्तर कुछ भी हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यशपाल समिति

3475. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यशपाल समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन सभी राज्यों में किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को किन-किन राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और कौन-कौन से राज्य इन्हें कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) यशपाल समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) 2.3.94 को आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 50वीं बैठक में राज्य सरकारों ने मोटे तौर पर यशपाल समिति की सिफारिशों से अपनी सहमति व्यक्त की। जिन बातों पर मतैक्य था उनकी पहचान की गई तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में उन्हें सुझाव दिया गया। अधिकांश राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा इन सिफारिशों का कार्यान्वयन आंशिक रूप से शुरू किया गया है। समिति की सिफारिशों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(I) ऐसी सिफारिशें जिन पर एक बार ही कार्रवाई की जरूरत है, और

(II) ऐसी सिफारिशें जिन पर एक लंबे समय तक हस्तक्षेप की जरूरत है।

सरकार ने कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए कार्य बिंदुओं के दो सैट जारी किए हैं—एक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तथा दूसरा केंद्रीय एजेंसियों के लिए।

राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वयन स्कूली शिक्षा के विकास के लिए सतत रूप में चल रहे उनके कार्यक्रमों का अंग है।

विवरण

प्रो० यशपाल समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

(i) पाठ्यचर्या निर्धारित करने और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो।

(ii) पाठ्यचर्या विकास के लिए प्रतिबद्ध स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(iii) विज्ञान पाठ्यक्रमों में संशोधन ताकि उन्हें बच्चों और शिक्षकों द्वारा कक्षा में किए जाने वाले प्रयोगों और कार्यकलापों के साथ जोड़ा जा सके।

(iv) इतिहास के पाठ्यक्रम में पुनरावृत्ति को दूर करके, "नागरिक शास्त्र" की जगह "समकालीन अध्ययन" लाकर तथा समकालीन वास्तविकताओं के साथ भूगोल के अध्ययन को जोड़ते हुए कक्षा VI- X के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन।

(v) प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्यचर्या की इस दृष्टि से पुनरीक्षा करना कि गति को उतना कम किया जाए जितने पर इन बच्चों को गणित के मूलभूत ज्ञान को सीखना आवश्यक है और प्राथमिक गणित के क्षेत्र को बढ़ाना ताकि उसमें संख्या कार्य के अलावा अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

(vi) भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पर्याप्त रूप से बोल-चाल के मुहावरों, बाल जीवन के अनुभवों और सामान्य जन जीवन से संबंधित कहानियों का प्रयोग होना चाहिए तथा पांडित्यपूर्ण भाषा और अत्याधिक शिक्षाप्रद बातों से बचा जाना चाहिए।

(vii) प्राथमिक कक्षाओं में घर के माहौल में जानकारियों के विस्तार को छोड़कर बच्चों को घर में करने के लिए कोई कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में घर में किए जाने के लिए दिए जाने वाले कार्य अनिवार्य हों तो ऐसे कार्य पाठ्य पुस्तक से नहीं होने चाहिए।

(viii) वर्तमान मानदंड अनुपात (1 : 40) को ही लागू किया जाना चाहिए और इसे कम से कम प्राथमिक कक्षाओं में घटाकर 1 : 30 किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(ix) पत्राचार द्वारा बी० एड० के डिग्री पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए।

(x) कक्षा X और XII के अन्त में ली आने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए वर्तमान पाठ्य पुस्तक आधारित और प्रश्नोत्तर प्रकार की प्रश्नावली की जगह अवधारण पर आधारित प्रश्नावली की शुरूआत करना।

बी०ई० कॉलेज

3476. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बी०ई० कॉलेजों की अत्यन्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए०आई०सी०टी०ई० ने देश में कुछ और निजी बी०ई० पाठ्यक्रम के लिए 1998-99 के दौरान कॉलेज खोलने की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 द्वारा प्रदत्त अधिदेश के अनुसार परिषद् देश में तकनीकी शिक्षा के योजनाबद्ध, कोटिपरक और मात्रात्मक विकास के प्रति उत्तरदायी है। आज की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने डिग्री स्तर के 655 इंजीनियरी कॉलेजों को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने शैक्षिक सत्र 1998-99 के दौरान 88 नए इंजीनियरी कॉलेजों को अनुमोदित किया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेजों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित कॉलेजों की संख्या
मध्य प्रदेश	2
उड़ीसा	2
पश्चिम बंगाल	5
उत्तर प्रदेश	10
हरियाणा	7
दिल्ली	1
पंजाब	4
राजस्थान	1
आन्ध्र प्रदेश	30
तमिलनाडु	19
गुजरात	1
महाराष्ट्र	6
कुल	88

पोरबन्दर के निकट उप-पत्तन (सैटलाइट पोर्ट)

3477. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर के निकट उप-पत्तन (सैटेलाइट पार्ट) स्थापित किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। पोरबंदर में एक अनुषंगी पत्तन की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नालंदा में विनिष्ट वर्धन

3478. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1998 के "द वीक" से प्रकाशित "रूइनस ग्रोथ-वाइल्ड ग्रास हाइड्स द एनसियन्ट सीट आफ लर्निंग" शीर्षक वाले लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सांस्कृतिक धरोहर के रख-रखाव की यथातथ्य स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रकार की उपेक्षा के क्या कारण हैं और इसके समुचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बरसात के मौसम के कारण स्मारकों पर घास-फूस उग जाती है जिसे प्राय: हटा दिया जाता है। इस स्मारक का रखरखाव एवं संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। फिर भी जब कभी आवश्यक होता है तो समग्र संसाधनों की उपलब्धता के अधीन विशिष्ट संरक्षण के उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों पर होने वाला व्यय

3479. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रतिमाह कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) क्या यह धनराशि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस राशि को बढ़ाने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) नवोदय विद्यालयों में छात्रों पर 1997-98 में वार्षिक प्रति छात्र व्यय 14,879 रुपये था। यह व्यय निर्माण पर किये गये व्यय को छोड़कर है।

(ख) और (ग) इस समय, यह राशि छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त दिखाई देती है। परन्तु यह राशि मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित की जाती है।

[अनुवाद]

महिला समृद्धि योजना

3480. श्री एम० राजैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले की महिलाओं को इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महिला समृद्धि योजना स्कीम के अन्तर्गत 186.55 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की गयी।

(ख) 31.3.97 के स्थिति के अनुसार स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संचयी संख्या (राज्य-वार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उन्हें मार्च, 1997 तक लाभ प्रदान किये गये। स्कीम को पुन: निरूपित किया जा रहा है तथा 1.4.97 से ऐसे कोई नये खाते नहीं खोले गए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.3.97 तक महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संचयी संख्या (राज्य-वार) दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		खोले गये खातों की संख्या (आंकड़े लाख रु० में)
1		2
राज्य		
1.	असम	15.08
2.	मध्य प्रदेश	37.73
3.	गोवा	0.46
4.	तमिलनाडु	24.17
5.	मिजोरम	0.23
6.	हरियाणा	7.70
7.	आन्ध्र प्रदेश	28.04
8.	कर्नाटक	15.36
9.	पंजाब	6.65
10.	गुजरात	11.15
11.	हिमाचल प्रदेश	1.92
12.	उत्तर प्रदेश	41.45

	1	2
13.	उड़ीसा	9.42
14.	सिक्किम	0.12
15.	राजस्थान	10.73
16.	केरल	5.21
17.	महाराष्ट्र	11.12
18.	मणिपुर	0.25
19.	पश्चिम बंगाल	7.65
20.	त्रिपुरा	0.35
21.	जम्मू एवं कश्मीर	0.70
22.	बिहार	7.67
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.04
24.	नागालैण्ड	0.05
25.	दिल्ली	0.04
26.	मेघालय	0.05
1.	चण्डीगढ़	0.12
2.	लक्ष्यद्वीप	0.02
3.	पाण्डिचेरी	0.20
4.	दमन एवं द्वीव	0.02
5.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.05
6.	दादरा नगर हवेली	0.03
	योग	245.76

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

3481. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राजमार्गों के नाम क्या हैं जिनका विस्तार किया जाना है तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने गुजरात में तीन रूटों को लगभग 239 कि०मी० की कुल लम्बाई के नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(i) कांडला से मांडवी तक बरास्ता मुंदरा रा०रा०-9 ए का विस्तार।

(ii) धुले-सूरत रा०रा०-6 का हजीरा तक विस्तार।

(iii) जैतपुर-जूनागढ़-वेरावल-सोमनाथ सड़क।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

विद्युत परियोजनाओं में भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थानों की सीमा

3482. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी उपकरणों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए 40% की सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार से सीमा में छूट देने और साथ ही साथ भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थानों के कुल निवेश की गणना करते समय भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को सम्मिलित न करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निजी भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1991 में आरंभ की गई नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से कुल परिव्यय का अधिकतम 40% धनराशि लाई जा सकती है लेकिन शेष धनराशि अन्य स्रोतों से पूरी की जानी चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि निवेशक क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन ला सकें।

(ग) जी, हां।

(घ) अब यह निर्णय लिया गया है कि यद्यपि विदेशी स्रोतों से वित्त पोषण व्यवस्था अधिकतम करने की आवश्यकता और भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रयोग में लाए गए विवेकसंगत मानदंडों की शर्त पर निजी परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा जुटाए जाने वाले स्वदेशी ऋण की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता फिर भी स्वदेशी स्रोत के संयंत्र और उपस्कर के आधार पर विकसित की गई परियोजनाओं के लिए अधिक स्वदेशी ऋण घटक की अनुमति प्रदान करना और अधिक उपयुक्त होगा।

बन्नी चरागाह

3483. डा० वल्लभ भाई कथीरिया :
श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ (गुजरात) में बन्नी चरागाह के विलोपन का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात पारिस्थितिकी आयोग, गुजरात मरुभूमि पारिस्थितिकी संस्थान और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बन्नी के पुनरुद्धार का काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

एक्सप्रेस राजमार्ग

3484. श्री आर०एस० गवई :
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े एक्सप्रेस राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग पर लोनावाला के निकट वन क्षेत्र से जाने वाले एक उपमार्ग की योजना को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित योजनाओं विशेषरूप से महाराष्ट्र की योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) एक्सप्रैस राजमार्गों से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित नहीं है।

(ख) इस मंत्रालय से अनुमति लेनी अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 का विकास करना

3485. श्री जार्ज ईडन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-3 के बारे में प्रस्तावित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कुल कितना वार्षिक प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-3 के चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों में स्थायी तट सुरक्षा उपाय किए जाने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त दोनों नहरों में आवश्यक तट सुरक्षा कार्य को पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) *1998-99 में राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 के लिए 10.30 करोड़ रु० का कुल वार्षिक बजट प्रावधान है। प्रत्येक मद के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।*

(ख) जी हां।

(ग) 1998-99 में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के तट के संरक्षण के लिए 30.00 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया है। चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों के असुरक्षित खंडों में तट के संरक्षण के लिए रोड़ी दार चिनाई करने के लिए 15.00 लाख रु० लागत की एक स्कीम अनुमोदित कर दी गई है और इसे अब कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार तथा परामर्शदाताओं की सिफारिश के आधार पर तट संरक्षण कार्य किया जाएगा।

विवरण

	कार्य/स्कीम	1998-99 में बजट प्रावधान (करोड़ रु०)
1.	बांधों का निर्माण और रख-रखाव	0.50
2.	टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण	0.80
3.	नहर के चौड़ीकरण हेतु पूंजी निकर्षण तथा भूमि अधिग्रहण	4.00
4.	वार्षिक अनुरक्षण कार्य	1.50
5.	सर्वेक्षण जलयानों की खरीद	0.40
6.	सर्वेक्षण उपस्करों की खरीद	0.30
7.	टर्मिनलों का निर्माण और रख-रखाव	2.00
8.	चौबीसों घंटे नौचालन सहायता	0.30
9	तट संरक्षण	0.30
10.	गश्त नौकाओं की खरीद	0.10
11.	प्रदूषण नियंत्रण और ई०एम०पी०	0.10
	कुल	10.30 करोड़ रु०

पत्तन न्यासों में विकलांगों को आरक्षण

3486. श्री चैको : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में श्रेणी III और IV के पदों में प्रोन्नति के लिए शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को दिया जाने वाला 3 प्रतिशत आरक्षण पत्तन न्यासों में भी दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आरक्षण लागू करने के पश्चात् इससे लाभान्वित होने वाले शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश के सभी पत्तन न्यासों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के कितने पद खाली हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार के अनुदेशों को कार्यान्वयन के लिए पत्तन न्यासों को पुन: भेजा गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दो लेन वाले मार्ग का निर्माण

3487. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खेड़ा और बड़ोदा जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर वरसाड के निकट माही नदी पर बने पुल में अतिरिक्त दो लेन वाले 500 मीटर लम्बे मार्ग का निर्माण किया जाएगा;

(ख) क्या इस मार्ग के निर्माण के लिए गुजरात सरकार को केन्द्र सरकार के बीच किसी समझौते पर हसताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसका अनुमानित व्यय क्या होगा और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। 42.00 करोड़ रु० लागत की प्रश्नगत परियोजना के बी०ओ०टी० (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) आधार पर कार्यान्वयन हेतु 16 नवम्बर, 1998 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निर्माण अवधि लगभग 18 महीने होगी।

यौन शिक्षा प्रदान करना

3488. **श्री हरिन पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालयों में यौन शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में बुद्धिजीवियों द्वारा कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विषय पर ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विभिन्न शोध संस्थाओं तथा व्यावसायिक निकायों द्वारा 1970 तथा इसके बाद के वर्षों में किए गए अनेक अध्ययनों में इस बात पर बल दिया गया है कि यौन शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा किशोर शिक्षा का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इन अध्ययनों में से कुछेक को एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रलेखित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार सिर्फ इसी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना आवश्यक नहीं समझती है।

शाहजी सराय में झुग्गियां

3489. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने शाहजी सराय, बेगमपुर, मालवीय नगर, नई दिल्ली जो कि संरक्षित स्मारक है, में झुग्गियों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन झुग्गियों को तत्काल हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1988 में जब इस स्मारक को केन्द्रीय संरक्षित घोषित किया गया उस समय स्थल पर पहले से ही बड़ी संख्या में अनाधिकृत कब्जे थे। उन्होंने तब अपनी बेदखली के प्रयासों का विरोध किया। कुछ मामलों में अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति इस मामले को न्यायालय ले गए तथा ये मामले न्यायालय में निर्णयाधीन हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश/हरियाणा में चालू परियोजनाएं

3490. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश/हरियाणा में केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा वित्त पोषित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी परियोजना-वार अनुमानित लागत क्या है;

(ग) उनके लिए कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) अब तक उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में सी०आर०एफ० के तहत चालू परियोजनाओं के ब्यौरे और उनकी अनुमानित लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आवंटन परियोजना-वार आधार पर नहीं किया जाता तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों

को क्रमश: 618.00 लाख रु० और 380.00 लाख रु० आवंटित किए गए। इन परियोजनाओं पर मार्च, 1998 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 1145.61 लाख रु० और हरियाणा राज्य में 395.45 लाख रु० व्यय हुए हैं। इस राशि में राज्यों का हिस्सा भी शामिल है।

विवरण

	कार्य का नाम	संस्वीकृत राशि (लाख रु०)
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश राज्य		
1.	फर्रुखाबाद बाइपास का निर्माण	54.37
2.	आजमगढ़ वाराणसी सड़क का सुधार	38.00
3.	जियानपुर अनौसी वालिदपुर मोहम्मद सड़क का निर्माण	78.30
	परियोजना में मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाना/सड़क गुणता में सुधार	1965.00
हरियाणा राज्य		
1.	हरियाणा में प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला सुविधाओं में बढ़ोत्तरी	15.74
2.	पानीपत-सफीदों-जीन्द-भिवानी-लोहारू सड़क एस०एन०-14 (जीन्द जिले में सफीदों-जीन्द सड़क खंड, 43 से 54 और 54.50 से 58 कि०मी० (को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए अनुमान	87.20
3.	हरियाणा में 5 वर्ष की अवधि के लिए यातायात इंजीनियरी प्रकोष्ठ	50.00
4.	यमुना नगर-छछौली सड़क को अग्रसेन चौक से बुरिया चौक तक तथा अग्रसेन चौक से बिलासपुर चौक तक 4 लेन का बनाना	80.00
5.	हिसार जिले में अग्रोहा-आदमपुर सड़क को 0 से 16.77 कि०मी० तक मजबूत बनाना	94.61
6.	हिसार जिले में रतिया-बुधलाडा-रतिया-फतेहाबाद सड़क के रतिया नगर खंड को चार लेन का बनाना	86.73

[अनुवाद]

पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध

3491. श्री तारिक अनवर :
श्रीमती रानी नरह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं की अपेक्षाओं के अनुसार वन कार्य किए जाते हैं। तथापि, कुछ राज्यों द्वारा लागू वृक्ष परिरक्षण अधिनियमों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को नियंत्रित किया जाता है।

(ख) से (ङ) पेड़ों की अवैध कटाई के मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और राज्य वन अधिनियमों की सम्बद्ध धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा अपराधियों को दण्ड दिया जाता है।

पी०एच०डी० डिग्री प्रदान करना

3492. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी०एच०डी० डिग्री प्रदान करने का आधार क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में भारत में सभी विश्वविद्यालयों में एक मानक सिद्धांत है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल विलम्बित हो जाता है उन्हें इसके लिए बेकसूर होने के बावजूद, (वेतनवृद्धि, वरिष्ठता इत्यादि के संबंध में) दण्डित किया जाता है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) पी०एच०डी० की डिग्री मूल शोध कार्य के लिए प्रदान की जाती है। पी०एच०डी० पूर्ण करने की तारीख सामान्यत: मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख होती है। तथापि डिग्री तभी प्रदान की जाती है जब दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाता है।

विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं तथा सरकार उनके शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नियुक्तियां

3493. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अब तक पद-वार की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें अ०जा०/अ०ज०जा० की संख्या कितनी है; और

(ग) अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित बकाया पदों का ब्यौरा क्या है और ये पद कब तक भर दिए जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जैसाकि संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

(ग) ग्रुप "ख" पदों में एक अ०जा० और अ०पि०व० की बकाया रिक्तियां हैं। भा०रा०रा०प्रा० क्योंकि एक नया और विकासशील संगठन है, अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० की बकाया रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाता रहता है।

विवरण

भा०रा०रा०प्रा० में अब तक की गई पद-वार नियुक्तियां (अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० सहित)

क्र० सं०	पद का विवरण	प्रतिनियुक्ति आधार पर	सामान्य	पद भरे गए सीधी भर्ती आधार पर		अ०पि०व०
				अ०जा०	अ०ज०जा०	
1	2	3	4	5	6	7
ग्रुप क						
1.	महाप्रबंधक	13	–	–	–	–
2.	उप महाप्रबंधक	6	2x	–	–	–
3.	प्रबंधक	27	2	1	1	1
ग्रुप ख						
1.	लेखा अधिकारी	4	–	–	–	–
2.	सहायक प्रोग्रामर	–	1	–	–	–
3.	निजी सचिव	2	–	–	–	–
4.	पुस्तकाध्यक्ष	–	1	–	–	–
5.	सहायक प्रबंधक	3	–	–	–	–
6.	वैयक्तिक सहायक	11#	–	–	–	–
7.	रोकड़िया	1	–	–	–	–
8.	केयरटेकर एवं स्टोरकीपर	1	–	–	–	–
ग्रुप ग						
1.	रिसेप्शनिस्ट	–	–	–	–	1
2.	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	–	20•	9•	1	5•
3.	ड्राफ्ट्समैन	–	2	2	–	2
4.	स्टॉफ कार ड्राइवर	–	1	2	–	–
ग्रुप घ						
1.	जमादार	1	–	–	–	–
2.	चपरासी	–	3	1	1	1
3.	चौकीदार	2	–	–	–	–

x जिसमें एक अधिकारी शामिल है जिसे प्रारंभ में 1989 में प्रबंधक नियुक्त किया गया था और बाद में 1995 में उप महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

\# जिसमें 7 वे वैयक्तिक सहायक भी शामिल हैं जिनको प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति आधार पर चुना गया और जिनका बाद में उनके अपने अनुरोध पर आमेलन कर लिया गया।

जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने नियुक्ति के बाद त्याग-पत्र दे दिया अर्थात् सामान्य-2, अ०जा०-2, अ०पि०व०-3।

[हिन्दी]

स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या

3494. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के 168.17 मिलियन बच्चों में से 75.47 मिलियन बच्चे स्कूलों में भाग नहीं ले रहे थे। राष्ट्रीय सेंपल सर्वेक्षण 50वां दौर 1993-94 के अनुसार, 5-14 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 85 प्रतिशत थी। स्कूल में भाग लेने वाली बालिकाओं की — तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 55 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत

[अनुवाद]

सीड टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी

3495. श्री सीता राम यादव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका में मान्सैन्टो द्वारा विकसित सीड टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के प्रभावों का आकलन कर लिया है।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या मान्सैन्टो महाराष्ट्र की एक बड़ी भारतीय कम्पनी, एम०ए०एच०वाई०सी०ओ० के साथ मिल कर काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो मान्सैन्टो को अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) "पादप जीन निष्पीडन का नियंत्रण" शीर्षकस्थ एक अमरीकी पेटेन्ट, सं० 5723765, तारीख 3.3.98 को डेल्टा एंड पाइन लैंड क०, यू०एस०ए० और अमरीकी कृषि विभाग के सुपुर्द किया गया है। सीड टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी अभी वाणिज्यिक अनुप्रयोग के स्तर तक विकसित नहीं की गई है। वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं भडारण (पी०पी०क्यू एंड एस०) निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी प्रयुक्त बीजों का भारत में प्रवेश रोकने हेतु एक निदेश जारी किया है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप मान्सैन्टो के पास महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी लिमिटेड (माहिको) मुम्बई की कुल इक्विटी का 26% है। मान्सैन्टो ने माहिको के साथ 50% इक्विटी को लगा कर दूसरी संयुक्त उद्यम कंपनी भी स्थापित की है और इस संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम माहिको मान्सैन्टो बायोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड है।

(घ) भारत में टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी प्रयुक्त बीजों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाने जाने का प्रस्ताव है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे "पादप विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम" में टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के साथ बीजों के पंजीकरण को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किये जाएंगे।

पादप आनुवंशिकी सम्पति सम्बन्धी राष्ट्रीय ब्यूरो को नोडल एजेंसी बनाया गया है और यह अनुसंधान के उद्देश्य से देश में आनुवांशिक दृष्टि से इंजिनियर किये गये पादप सामग्री और बीजों के आयात का एक मात्र प्रवेश द्वार है। टर्मिनेटर जीनों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण एवं विकास के लिए देश में विशेषज्ञता भी है।

विश्वविद्यालय का नामकरण

3496. श्री के० कृष्णामूर्ति : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी विश्वविद्यालय का नामकरण साउथ अफ्रिकन एसोशिएट आफ महात्मा गांधी, बिल्लैवडी, बल्लईमोनई करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुन्दरबन में रायल बंगाल बाघ

3497. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में रायल बंगाल बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार बाघों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुन्दरबन तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहे अत्यधिक वन-कटाव के कारण पर्यावरण संबंधी असंतुलन पैदा हो रहा है तथा जानवरों की संख्या में भी कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) गणना का वर्ष	सुन्दरबन बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या	सुन्दरबन बाघ रिजर्व से बाहर बाघों की संख्या	सुन्दरबन में कुल बाघों की संख्या
1989	269	28	297
1993	251	26	277
1997	263	35	298

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना

3498. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटीय जिलों को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों के साथ जो त्रिसूर, इर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपुझा और कोल्लाम नामक तटीय जिलों को जोड़ती हैं, कोटापुरम से कोल्लाम तक पश्चिमी तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग-3 घोषित कर दिया गया है।

नौचालन चैनल में अपेक्षित गहराई और चौड़ाई उपलब्ध करवाने के लिए निकर्षण, नौचालन सुविधाओं का प्रावधान, बांधों की मरम्मत/रख-रखाव इत्यादि विकास कार्य किए जा रहे हैं। टर्मिनलों के निर्माण और नहर को चौड़ा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1992 में तैयार की गई थी, जिसमें अवसंरचना के सृजन जलमार्ग और टर्मिनल के लिए कुल 65.34 करोड़ रु० लागत की परिकल्पना की गई थी।

[हिन्दी]

मौसम विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

3499. **श्रीमती रमा देवी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तटीय राज्यों में चक्रवातों तथा चक्रवातों के बाद की स्थिति की पूर्व सूचना देने के लिए मौसम विज्ञान केन्द्र के ` ─ के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऐसे प्रस्तावित केन्द्रों की स्थापना का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग के 6 चक्रवात चेतावनी केन्द्र देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों में कार्यरत हैं जिनके द्वारा समुद्र तटीय राज्यों के सभी तटवर्ती क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यकर्ताओं, जनता तथा अन्य प्रयोक्ताओं को चक्रवात चेतावनी तथा इसका प्रसार एक प्रमाणित एवं विश्वस्त प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चक्रवात चेतावनी केन्द्रों की वर्तमान व्यवस्था को पूर्णतः पर्याप्त पाया गया है तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नए केन्द्र स्थापित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। तथापि, 9वीं योजना के दौरान, नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करके चक्रवात चेतावनी प्रणाली का विस्तार करने की योजना है।

[अनुवाद]

जहाजों का निर्यात

3500. **श्री जी०एम० बनातवाला** :
श्री मोइनुल हसन अहमद :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ईरानी कच्चे तेल के आयात के बदले में कोचीन के जहाज के कारखानों में निर्मित जहाजों के निर्यात के लिए नीति संबंधी निर्णय और आवश्यक कार्यवाही के संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा ईरान के साथ प्रस्तावित वस्तुविनिमय के इस सौदे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) केरल सरकार की उद्योग एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती सुशीला गोपालन से इरानी कच्चे तेल के बदले में कोचीन शिपयार्ड लि० में निर्मित जलयानों के निर्यात के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। कोचीन शिपयार्ड लि० से एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया था। कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

3501. **श्री अमर कुमार नागरा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका में विशेषकर निचली अदालतों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामले, सरकार की निगाह में आए हैं और इनमें शामिल पदाधिकारियों का वर्ग-वार और राज्य-ववार ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायपालिका से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार, निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित विषय संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का विषय है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

3502. श्री था० चौबा सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर स्थित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उपयुक्त ग्रंथालय भवन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचनानुसार केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर 1993-94 सत्र से पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। हाल में, अध्यापन कार्यक्रम तीन राज्यों नामत: कालेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल, मणिपुर, पशु चिकित्सा व पशुपालन कालेज, सेलेसिंह, मिजोरम और मत्स्य विषयक कालेज, अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सभी तीन कालेजों के अपने पुस्तकालय भवन हैं, जो उनके अपने-अपने कालेज परिसर में स्थित हैं। इस समय पुस्तकालय के प्रावधान सहित नए कालेज भवन निर्माणाधीन हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेंगाली जलविद्युत परियोजना

3503. श्री तथागत सत्पथी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में रेंगाली जल विद्युत परियोजना की कितनी इकाइयां चालू हो गई हैं;

(ख) इन इकाइयों से प्रतिवर्ष कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या रेंगाली जल विद्युत परियोजना से कुछ अतिरिक्त इकाइयां शुरू करने का प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) वर्तमान में रेंगाली जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 50 मे०वा० क्षमता की 5 यूनिटों को चालू किया गया है।

(ख) रेंगाली जल विद्युत स्टेशन से ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन वर्ष 1997-98 के दौरान 976 मि०यू० और 1998-99 (अक्तूबर, 1998 तक) के दौरान 610 मि०यू० था।

(ग) और (घ) रेंगाली जल विद्युत परियोजना की किसी अतिरिक्त यूनिट को प्रारंभ किए जाने से संबंधित प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

प्रदूषण में सीसे की मात्रा में कमी

3504. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहनों में सीसा रहित पैट्रोल के प्रयोग के पश्चात् दिल्ली में दर्ज किए गए प्रदूषण में सीसे की मात्रा में कितनी कमी आई है;

(ख) वायु में सीसे की मात्रा अनुमत्य सीमा से कितनी अधिक है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त मात्रा में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सीसायुक्त पैट्रोल के हटाए जाने के बाद दिल्ली की परिवेशी वायु में सीसे की 61 प्रतिशत की कमी होने का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

पत्तन न्यासों के स्थान पर निगमों का गठित किया जाना

3505. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुनिंदा पत्तन न्यासों के स्थान पर निगमों का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन से किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी तथा महापत्तन न्यास अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के ऐसे पत्तनों की वैधानिक दृष्टि से क्या स्थिति होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदों का वाणिज्यीकरण

3506. श्री राजनारायण पासी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा वाणिज्यक उपयोग हेतु विकसित मदें कौन-कौन सी हैं;

(ख) इनमें से वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य पाई गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मदों पर प्रयोगशालावार कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इस वाणिज्यीकरण के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कितनी शुल्क राशि प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक की पांच वर्ष की अवधि से अधिक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की प्रयोगशालाओं में वाणिज्यीकरण हेतु लगभग 650 मदों का विकास किया जिनमें से लगभग 275 को वर्तमान में वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया गया। इन 'मदों' के नाम तथा विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन मदों के विकास तथा वाणिज्यीकरण पर किए गए व्यय में केवल सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया व्यय ही शामिल नहीं होता है अपितु अनेक मामलों में औद्योगिक सहयोगकर्त्ता/उपयोगकर्त्ता द्वारा किया गया व्यय भी शामिल होता है। इस प्रकार प्रत्येक मद पर किए गए व्यय की गणना करने हेतु विश्वसनीय आंकड़े संभव नहीं हैं।

(घ) इस वाणिज्यीकरण के परिणामस्वरूप सीएसआइआर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुल्क की राशि लगभग 18 करोड़ रूपए है।

विवरण

वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित उत्पाद/प्रक्रम

(1993-98)

	विकसित उत्पाद/प्रक्रम		वाणिज्यिक अनुज्ञप्त
	1		2
सीबीआरआइ	1.	फ्लाई ऐश लाइन कंपोजिशन से बिक्र स्टेबिलाइजड	नहीं
	2.	केबल फायर बेरियर	हां
	3.	इंडस्ट्रियल वेस्टस के उपयोग से सीमेंट मल्टीब्लैंड	नहीं
	4.	डोर शटर, पोलिस्टेरिन कंपोजिट, एक्सपेंडिड	हां
	5.	डोर फायर रेजिस्टेंट मेटेलिक	हां
	6.	स्टील रिइंफोर्सड कंक्रीट के संरक्षण हेतु इपोक्सी/फिनोलिक आइपीएन-बी सिस्टम	हां
	7.	एयरक्राफ्ट सीट कुशन के संरक्षण हेतु फायर ब्लोकिंग लेयर	हां
	8.	फायर रेजिस्टेन्स फायर स्टोप	हां
	9.	वर्टिकल साफ्ट चूना भट्ठी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न लागत के उपकरण	नहीं
	10.	मशीन सी-ब्रिक मेंकिंग	हां
	11.	मशीन कंक्रीट ब्लॉक हाइड्रोलिक	हां
	12.	पाइल साफ्टवेयर पेकेज	नहीं
	13.	पाइल, स्पलाइस्ड प्रौद्योगिकी	नहीं
	14.	स्क्रेबर, उपकरण में लगाया गया, प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपयोगी	नहीं
सीबीटी	15.	बोडसीड, (बोड एनेलिसीस हेतु स्टेंड सीडिंग मैटिरियल) का निर्माण	नहीं
	16.	पेपर डिस्कस पर एलेंजेस की कोटिंग, एलेर्जी डाया में उपयोगी	नहीं

	1		2
	17.	साइटाइडीन, अमिनो सुरक्षित	नहीं
	18.	डीएमटी सीएल एंड। एच-डेडराजोल (डाइमैथाइल ट्राइटाइल क्लोराइड)	हां
	19.	ग्लोकोज टेस्ट स्ट्रीप	हां
	20.	हाइब्रिड पोलीपेपटाइड, नोबल सिंथेटिक	नहीं
	21.	इममोबिलाइज्ड माइक्रोबियल कंपेजिशन का निर्माण, सीड इनओक्यूलम के रूप में उपयोग हेतु	नहीं
	22.	लिपोजोम एंट्रेप्पड एलर्जेन/एन्टीजेंस द्वारा इम्युनोथैरेपी	नहीं
	23.	कीट, क्षयरोग की जांच के लिए एलीसा आधारित	नहीं
	24.	कीट, एस्पेरजीलोसिस के जांच के लिए इम्युनोलॉजीकल	नहीं
	25.	माइक्रोबियल कंपोजिशन का निर्माण, बी.ओ.डी. आकलन हेतु उपयोगी	नहीं
	26.	एन-प्रोटेक्टेड 2-डीऑक्सीरिबो-न्यूक्लिओसाइड	नहीं
	27.	एल्केलोफिलिक बैक्टरिया के पैकेज के उपयोग द्वारा एल्केलाइन अपशिष्ट जल का निष्प्रभावन	नहीं
	28.	पेपटाइड ऐपीटॉप यूजफुल फॉर डाइग्नोसिस आव एस्पेरजिलोसिस	नहीं
	29.	पॉलीमर सपोर्ट फॉर सिंथेसिस आव ओलोगोस	नहीं
	30.	थियोल मॉडीफाइअर फोस्फोरामाइडाइडट रीजेन्ट	नहीं
	31.	थियोल-लिंक रीजेंट फॉर मैरकैप्टोएल्काइल मोइटी इंटू सिंथेसिस ओलिगो न्यूलियोटाइड	नहीं
	32.	यूनीवर्सल पॉलीमर सपोर्ट फॉर सिंथेटिक आव ओलियो न्यूक्लियोटाइड	नहीं
	33.	असाइक्लोबी (संदर्भ : 7/191/94-टीयू)	हां
	34.	चंडोनियम आयोडाइड (संदर्भ : 7/191/94-टीयू)	हां
	35.	कंपाउंड 80/53-एंटीमलेरियल निकोलस पीरामल (इंडिया) लिमिटेड	हां
	36.	कम्पाउंड 81/470	हां
	37.	करक्यूमिन फोरम करम्यूमा लोंगा	हां
	38.	फिश स्पेनिंग एजेंट बेसड आव सिंथेटिक जीएमआरएचए	हां
	39.	एल-लाइसाइन	हां
	40.	लैक्सेटिव, हर्बल पेलेटेबल	हां
	41.	लैक्सेटिव, हर्बल पेलेटेबल	हां
	42.	नोरगेस्ट्रेल बाय फेरमेंटेशन मैथड	नहीं
	43.	प्रीमाक्विन-एंटीमलेरिया (संदर्श 7/191/94-टीयू)	हां
सीईसीआरआइ	44.	एंटीकोरोजिन एयर ड्राइंग कोटिंग सूजिंग सिलीकोन-टाइटेनेट रेसीन्स हीट	हां
	45.	बैटरीज, लिडएसिड, मैंटनेंस फ्री	हां
	46.	बैटरीज, लिडएसिड, मैंटनेंस फ्री	हां
	47.	सीमेंट पॉलीमर कोटिंग सिस्टम फॉर कोरोजिन प्रिवेनशन	हां

	1		2
	48.	कंसेंट्रेट प्लेटिनम प्लेटिंग सोल्यूशन	हां
	49.	क्रायोजेनिक इंजन थ्रस्ट चैम्बर बाय इलेक्ट्रोफार्मिंग आव नाइ	नहीं
	50.	डायमंड पाउडर इंकोर्पोरेटेड मेटल मैट्रिक्स कोटिंग आव स्टील डिस्क्स	हां
	51.	इलेक्ट्रोडस सिल्वर-सिल्वर क्लोराइड	हां
	52.	एपोक्सी पाउडर फॉर एक्यूओस पाउडर सस्पेंशन कोटिंगस	नहीं
	53.	एपोक्सी सिलीकॉन बेसड हीट रेजिस्टेंट पेंट फॉर प्रोटेक्टिंग मिल्ड स्टील स्ट्रक्चर	नहीं
	54.	फोरम्यूलेशन, पेंट	हां
	55.	फोरम्यूलेशन्स, यैलो क्रोमेटिंग फॉरर एल्यूमिनियम	हां
	56.	गैलीयम मेटल फ्रोम सोडियम एल्यूमिनेट लिकर	हां
	57.	ग्रेवी, मल्टीप्रपज	हां
	58.	इंस्यूलेशन वार्नीस फ्रॉम सीएनएसएल बेसड रेसीन	नहीं
	59.	लिड फ्रॉम बैटरी वैस्ट	हां
	60.	मैगनीज डायोक्साइड सेल, ऐल्काजाइन	नहीं
	61.	मोनोक्लोरोटोल्यून	नहीं
	62.	मल्टीकोट प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑवर कंक्रीट सरफेस	नहीं
	63.	निकील-क्रोमीयम प्लेटिंग आव स्टील ट्यूब्स	नहीं
	64.	पेंट, एपोक्सी पॉलीयूरेथेन फॉर कोटिंग ऑवर कंक्रीट स्ट्रक्चर	हां
	65.	पेंट, रिफ्लेक्टिव रोड मेकिंग	नहीं
	66.	पेंटिंग सिस्टम फॉर एप्लीकेशन इन मैरीन एंड इंडस्ट्रीयल एप्लीकेंशस	हां
	67.	सोडियम परबोरेट	नहीं
	68.	स्टेललेस स्टील, कलरिंग ऑव	हां
	69.	स्टेनलेस स्टील, कलरिंग ऑव	हां
	70.	स्ट्रीपपेवल कोटिंगस	नहीं
	71.	सल्फर कंक्रीट फॉर रिपेयरिंग डेमेण्ड कंक्रीट स्ट्रेक्चर्स	नहीं
	72.	सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम (एसकेडा)	हां
	73.	वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स यूज्ड इन कूलिंग वाटर्स	हां
	74.	वीनिंग फूड, मेल्टेड	हां
सीईईआरआइ	75.	डिजिटल मैपिंग सिस्टम	हां
	76.	डायोण्डस, सिलिकॉन हाइपरएबरपट वरक्टर	नहीं
	77.	डायोण्डस, सिलिकॉन वेरेटक्टर फार टीवी-ट्यूनर	नहीं
	78.	ट्रीप इरीगेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक (माइक्रो कंट्रोलर बेसड)	नहीं
	79.	मेग्नेट्रॉन, 2एमडब्ल्यू एस-बैंड ट्यूनेबल पलसड	नहीं

	1		2
	80.	माइनवाइडर एमपी बेसड मॉनीटरिंग सिस्टम फॉर (माइक्रोमोन)	हां
	81.	मल्टीलूप कंट्रोलर्स, प्रोग्रामेबल (प्रोम्यूल्क-जैड 41)	हां
	82.	रिसीवर, निकेम टू रिसीव स्टीरियो साउंड इन टीवी	नहीं
	83.	स्पीच सीरीसी सिस्टम	नहीं
सीएफआरआइ	84.	बी-पाइकोलाइन एंड पाइराइडीइन बाय कैटेलाइटिक साइक्लाइजेशन रियक्शन	नहीं
	85.	बैटरी ऑव आर्वेस फार प्रोडेक्शन ऑव कोक फॉर डोमेस्टिक यूज	हां
	86.	ब्रिक, कॉमन बिल्डिंग यूजिंग वेस्ट मैटीरियल्स (फ्लाइ/बॉटम ऐश आव कोल आदि)	नहीं
	87.	कोल गैसीफिकेशन इम्प्रूवड प्रोसेस फॉर	नहीं
	88.	डिवाइस फॉर मेंटनिंग आइसोथर्मल कंडीशंस आव ए फिक्सड बेड केटेलाइटिक रियक्टर	नहीं
	89.	डिवाइस डायरेक्ट रिडींग फार मेजरिंग प्लास्टोमीटरिंक प्रोपर्टीज आव कोल	नहीं
	90.	इक्वीपमेंट, इम्प्रूवड फॉर जनरेशन आव फ्यूल गैस फ्रॉम बायोमास	नहीं
	91.	आयरन कैटेलाइस्ट, प्रीवेरेशन आव फॉर वैक्स प्रोडक्शन	नहीं
	92.	लो ऐश फ्यूल एल्टरनेट फॉर इंडस्ट्रीयल/मैटलर्जीकल परपजेज	नहीं
	93.	लो ऐश फ्यूल एल्टरनेटिव टू बाय प्रॉडेक्ट/बीहाइव कॉक	नहीं
	94.	पेट्रोलियम रिजाइड इनटू यूजफूल फ्रकशन अपग्रेडशन आव	नहीं
	95.	पाइराइडाइन एंड 3-पाइकोलाइन फ्रॉम वीपी साइक्लोकंडेनसेशन यूजिंग जियोलाइड कैटेलिस्ट	हां
	96.	पाइराइडाइन कम्पउंड्स	हां
	97.	रीसोर्सिनोल, इम्प्रुवड प्रोसेस	नहीं
	98.	वैक्स, प्रोडेक्शन आव फ्रॉम सिंथेटिक गैस ऑवर इन आयरन कैटेलिस्ट	नहीं
सीएफटीआरआइ	99.	बैकॉन हैम	हां
	100.	बाजरा ब्रीड, कम्पोजिट	नहीं
	101.	बिस्किट फॉरम्यूलेशन (कोको, कोको क्रीम, न्यूट्रो हाई प्रोटीन)	हां
	102.	बिस्किट प्रोडेक्शन (5 वैराइटीज)	हां
	103.	बिस्किट, कारडमॉम फ्लेवरड	नहीं
	104.	बिस्किट, कारडमॉम फ्लेवरड	नहीं
	105.	बिस्किट, लो थैरेप्यूटिक एंड लो सोडियम	नहीं
	106.	बिस्किट इनपोरपोटेटिंग सनफ्लावर सीज-ग्रिट्स एंड वीट जर्म	नहीं
	107.	बिस्किट सुगर फ्री	हां
	108.	कैश्यू केरनेल्स डीप फैट फ्राइड	हां
	109.	चिकन बिरयानी, फ्रॉजेन	हां
	110.	चिकन फ़िश सौसेज	हां

1		2
111.	चिकन वैफर्स	हां
112.	चिल्ली सौस	हां
113.	चिल्लीज, रेड फ्रैक्शनेशन	हां
114.	चिप्स, फ्राइड, फ्रॉम ट्यूबर्स एंड वेजीटेबल्स	नहीं
115.	कोको बीन्स क्योरिंग आव	हां
116.	क्यूभिन ऑयल एक्सट्रेक्शन	हां
117.	डोनट मिक्स, केक	नहीं
118.	डोनट मिक्स, केक	नहीं
119.	डोनट मिक्स कम्बीनेशन आव	नहीं
120.	ड्रीप लोस प्रीवेनशन इन फ्रोजेन फिश	नहीं
121.	इमरजेंसी राशन	हां
122.	एंजाइम, फंगल फाइटेस	हां
123.	इंथेनॉल, प्रोडेक्शन आव यूजिंग सैक्वेरॉमाइसेस सीरेवीसीपई	नहीं
124.	इंथेनॉज, प्रोडेक्शन आव यूजिंग सैक्वेरॉमाइसेस सीरेवीसीपई	नहीं
125.	फाइबर बिस्किट, हाई	नहीं
126.	फाइबर बिस्किट, हाई	नहीं
127.	फिश स्पोननिंग एजेंट बेसड ऑन सिंथेटिक जीएनआरएच-ए	नहीं
128.	फिश विसेसेरा साइलेज फरमेंटेड	नहीं
129.	फॉरम्यूलेशन एनीमल फील्ड कैटल एंड पॉल्ट्री	हां
130.	जिंजर डिहाइड्रेशन/ब्लीचिंग	हां
131.	ग्रेवी मल्टीप्रपण एंड ग्रूवीज फार फिश प्रिपेरेशन्स	हां
132.	इटली मैकर, ऑटोमेटिक	नहीं
133.	जामुन प्रॉडेक्ट्स	नहीं
134.	जुस कंसेन्ट्रेट एंड आरटीएस फॉरम्यूलेशन	नहीं
135.	लैक्टिक एसिड	हां
136.	लिपिड एमलसन डिसरपटीज	नहीं
137.	मशीन, डोसा मेकिंग कंटीन्यूअस	हां
138.	मैज नूडल्ज	नहीं
139.	मैंगो बार	हां
140.	मीट, डीहाइड्रेशन आव	हां
141.	मशरूम, ओपेस्टर कल्चर एंड प्रोडेक्शन ऑव स्पान	हां

	1	2
	142. मशरूम, ओपेस्टर	हां
	143. मशरूम, ओपेस्टर डिहाइड्रेशन आव	हां
	144. मशरूम, ओपेस्टर प्रोडेक्शन आव - रूरल मॉडेल	नहीं
	145. मशरूम, ओपेस्टर प्रोडेक्शन आव - अरबन मॉडेल	हां
	146. न्यूट्रीटिव फूड सप्लीमेंटेरी	हां
	147. ओस्मो टोलरेंट यीस्ट	हां
	148. पापाया/कैरोट टूटी फ्रूटी	हां
	149. पेपर फोस्फाइन इंडीकेटर	हां
	150. पेपर फोस्फाइन इंडीकेटर	हां
	151. पौष्टिक आटा	हां
	152. पोपर, ब्लैक, थर्मल स्टीवीलाइजेशन आव, इम्प्रूवड प्रोसेस	नहीं
	153. फाइटेस प्रोडेक्शन	हां
	154. पीकलेस मॅटन	हां
	155. रागी ब्रेड, कम्पोजिट	नहीं
	156. राइस, बासमती	हां
	157. राइस, क्वीक कूकिंग	नहीं
	158. स्पाइस मिक्सेस फॉर सांबर एंड रसम	हां
	159. स्पाइस ओलियो रेसिन एनरीचड	नहीं
	160. स्पाइरूलिना बायोमास	हां
	161. स्टेनिंग टेकनीक फॉर डिफरेनसिएशन ऑव बासमती राइस	हां
	162. वैक्सोल प्रीपेरेशन	हां
	163. जिंक ईडीटीए चेलेट कॉम्प्लेक्स	नहीं
सीजीसीआरआइ	164. एल्यूमीना ब्रिक्स फ्रोम सिलीमेनाइट बीच	नहीं
	165. एल्यूमीना प्रोडेक्टस, सींट्रड	हां
	166. एल्यूमीना, हाइ प्योरीटी रियेक्टिव (99.5 प्रतिशत)	नहीं
	167. कास्टेबल्स, सीमेंट फ्री डेन्स फ्लोइंग	हां
	168. सिरैमिक हडस फॉर हेमी एंड टोटल हिपसिरैमिक	नहीं
	169. कोटिंगस, ग्लास लिंड इक्वीपमेंट कलरड सिरेमाइज्ड ग्लास	हां
	170. डाइलेक्ट्रिक फॉरम्यूलेशन इक्वीलैंट टू टैम्ट्रॉन एक्स 7 आर 262 एलबेसड आन एसीसी बेरियम टाइटेनेट	हां
	171. इनेमल फ्रिट, बाइट्रियस फार कोटिंग माइल्ड स्टील सैंड गारमेंट	नहीं

	1	2
	172. इनेमल ज्वैलेरी	हां
	173. एफआरपी पल्टरूडेड सपोर्ट फार ऑप्टिक फाइबर	हां
	174. गैस सेंसर्स, थिन फिल्म्स जिंक ऑक्साइड/टिन ऑक्साइड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस	नहीं
	175. ग्लास फॉर डोसीमीटर रेडियोफोटोल्यूमिनिसेंट	हां
	176. ग्लास फ्रीट, लो टेम्परेचर	नहीं
	177. एलपीजी सेंसर फॉर सैफेटी एलार्म	नहीं
	178. माइक्रोपोरोस इन्सूलेशन रिफ्रेक्ट्री	हां
	179. मोइस्चर मीटर फोर सोलिड ब्लॉक	हां
	180. म्यूलाइट, सिंथेटिक एंड जिरको	हां
	181. नोडयूल्स फ्राम राइस हस्क ऐश	हां
	182. प्लास्टर आव पेरिस फ्राम फोस्फोजिप्सम	हां
	183. सीलैंड पॉलीस्टर बेसड	हां
	184. थर्मीस्टोर, पीटीसी और मास्कीटो रिपेले-2	हां
	185. टाइल्स, सिंथेटिक ग्रेनाइट फ्रोमबिच सैड गारनेट	हां
	186. वैक्यूम गेज यूज़िंग सिरेमिक सेंसर	हां
सिमैप	187. 10-डीसेटाइल-बैक्टीन-III (डीएबी)	नहीं
	188. आर्टीथर फ्रोम आर्टीमिसीनीन	हां
	189. आर्टीमिसीनीन फ्रोम डाईहाइड्रा आर्टीमिसिनीक एसिड	नहीं
	190. आर्टीमिसीनन आइसोलेशन आव फ्रोम आर्टीमिसीय एन्नुआ	हां
	191. डिस्टिलेशन यूनिट डिजाइन आव इम्प्रूव्ड	हां
	192. डाइ एंड ऑयल फ्रॉम प्लास फ्लावर्स एक्सट्रेशन आव	हां
	193. इलाइड क्लोन "मिश्री" आव मूलेथी	नहीं
	194. फोरम्यूलेशन फ्रॉम नैचूरल प्रोडेक्टस यूजफूल ऐज पेस्ट रिपेलैंट फॉर स्टोरड प्रोडेक्ट	नहीं
	195. फोरम्यूलेशन यूजफूल एज रिपेलैंट फॉर हाउसफ्लाई	नहीं
	196. जिरेनिओल-रिच सिट्रोनेला स्ट्रेन	नहीं
	197. जर्मन कैमोमाइल	नहीं
	198. हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग आसोलेशन आव	नहीं
	199. हाइड्रा मोरफिनियन यील्डींग ओपीयम पोपी जिनोटाइप डवलपमेंट आव	नहीं
	200. जैपनीज मिंट इम्प्रूवड वैराइटी आव	नहीं
	201. लेमनग्रास वैराइटी (कृष्णा) हाइ यील्डींग	नहीं
	202. मरुसुधा, एन इम्प्रूव्ड क्लटीवर आव गुगुल	नहीं

	1	2
	203. मेथाल मिन्ट (हिमालय) डाइ यील्डींग एंड न्यू क्लटीवर आव	नहीं
	204. मेथॉल मिन्ट (कोसी) हाई यील्डींग	नहीं
	205. मासकीटो रिपेलेंट लोशन	नहीं
	206. नैचुरल डाइ	नहीं
	207. ओलियोनोलिक एसिड फ्रोम ए रिच नैचुरल सोरस (लैंटा ओपमारा) एक्ट्रैक्शन एंड आइसोलेशन आव	नहीं
	208. पाल्मारोसा वीद ब्लैक ग्राम इंटरक्रोपिंग आव	नहीं
	209. पीपरमिंट-कुकरैल	नहीं
	210. पेस्टोनूगेटस, प्रोसेस फॉर मेकिंग	नहीं
	211. साइलियम स्ट्रेन	नहीं
	212. पाइरेथ्रम-झलम	नहीं
	213. राइस मिंट बेसड क्रोपिंग सीक्वेंस सूटेबल फॉर नार्थ कंडीशंस, डवलपमेंट आव	नहीं
	214. रोज ऑयल, डिजाइन आव डिस्टीलेशन यूनिट फॉर	हां
	215. स्पीरमिंट अंडर सबट्रॉपीकल क्लाइमेंट ऑप्टीयम प्लाटिंग टाइम फॉर	नहीं
	216. स्ट्रेन आव जर्मन कैमोमाइल	नहीं
	217. टैक्सोइडस आइसोलेशन आव, फ्रॉम नीडलैंस एंड बारक आव टैक्टस वाली चियाना	नहीं
	218. टैक्सॉल, आइसोलेशन आव, फ्रॉम टैक्टस बैकेट	हां
	219. वेटीवर जीनोटाइप, हाइ यील्डींग	नहीं
सीएलआरआइ	220. बोन इम्प्लॉट, प्रोसेस फॉर प्रीप्रेरशन आव	नहीं
	221. कलरैंट, इकोफ्रैंडली ब्लैक फ्रांम माइरोबैलेन स्लज	नहीं
	222. कोप्लायमर रेसीन इमलशन, एक्रेलिक ब्लॉक	नहीं
	223. कोप्लायमर पोलीयूरेथेन पोलीविनाइल मल्टी ब्लॉक	नहीं
	224. कोप्लायमर, वाटर डिस्पर्सेबल बिटोनाइट ग्राफ्टेड एक्रेलिक	नहीं
	225. डिवाइस टू डिटेक्ट मेग्नेटिक रिजोनेंस	नहीं
	226. डिवाइस लोजिक	नहीं
	227. डाइपेप्टाइड डेरीवेटिव, सिंथेसिस आव	नहीं
	228. ड्यूलमोड, पैस	नहीं
	229. ड्यूलमोड 2 पैस	नहीं
	230. ड्यूलशैप, पैस	नहीं
	231. फाइब्रिन फॉर मैडिकल एप्लीकेशन्स	नहीं
	232. फाइब्रिन पाउडर फॉर मैडिकल एप्लीकेशन्स	नहीं
	233. फाइब्रिन पाउडर फॉर मैडिकल एप्लीकैशन्स	नहीं

	1	2
	234. फाइब्रिन शीट फॉर मैडिकल एप्लीकेशन्स	नहीं
	235. फाइब्रिन स्पॉन्ज फॉर मैडिकल एप्लीकेशन्स एंड फाइब्रिन प्रीपेअरड देअरबाय	नहीं
	236. फाइब्रिन स्पॉन्ज फॉर मैडिकल एप्लीकेशन्स	नहीं
	237. फोइल, ट्रांसफर	हां
	238. पेप्टाइड डेरीवेटिव	नहीं
	239. पेप्टाइड डेरीवेटिव एक्जीवीटिंग इनवाइट्रो इन्हीबिशन आव प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड एंटीमाइक्रोबीयल एसी	नहीं
	240. पोलीयूरेथेन मक्रोइनीफेरटर टेट्राफिनाइलेथेन बेसड	नहीं
	241. रेसीन, इपोक्सी फॉर इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशन्स	नहीं
	242. टेनरी एफलुअन्ट्स ट्रीटमेंट आव	हां
	243. टेनिन एक्सट्रेक्टस ब्लडेड वेजीटेबल	हां
	244. टेनिंग एजेंट, कंटेनिंग टाइटेनियम एंड क्रोम	नहीं
	245. टीसीएमटीबी (थिओसाइएनेट मिथाइथिक बेन्जोथिओजोल)	हां
	246. टेट्राफिनाइलेथेन बेसड पालीयूरेथेन मैक्राइनीफेरटर्स फॉर लीविंग रेडीकल पॉलीमेराइजेशन	नहीं
	247. टाइक्रोटेन ए टेनिंग एजेंट कंटेनिंग टाइटेनियम एंड क्रोम	नहीं
	248. वाटर प्योरीफिकेशन आव बाय यूजिंग म्युटेटेड स्यूडोमोंनस स्ट्रेन	नहीं
सीएमईआरआइ	249. एयर कंडीशनर	नहीं
	250. कोयर ट्रेडल रेट	नहीं
	251. डिकोर्टिकेटर टिवन रोल	नहीं
	252. हार्बेस्टर सुगरकेन	नहीं
	253. हनी, प्योरीफिकेशन आव	नहीं
	254. लूम, सरकुलर कोयर मैट	नहीं
	255. मशीन, यूनिवर्सल फाइबर यार्न मेकिंग	हां
	256. मशीन, रेडियल ड्रिलींग	हां
	257. मशीन, स्टिचिंग बांडिंग	हां
	258. मशीन, स्टिचिंग बाडिंग फॉर जियो टेक्सटाइल्स	हां
	259. मशीन, जिंक कैनट्रिमिंग	हां
	260. ऑयल एक्सपेलर 10 टीपीडी डिजाइन डबलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट	हां
	261. ऑयल एक्सपेलर, मस्टर्ड सीड, डिजाइन आव स्पेशल	नहीं
	262. पम्प, हैंड, शैलो वैल	हां
	263. स्क्रू प्रेस, ट्विन फॉर एक्सट्रेक्शन आव पाम ऑयल	हां
सीएमआरआइ	264. कम्पोजिशन यूजफूल एज ए स्माल डायामीटर सैनसीटीव एक्सप्लोसिव	नहीं

1		2
	265. कम्पोजिशन यूजफूल फॉर एक्सकवेशन वर्क्स	नहीं
	266. कम्पोजिशन वीद हाइ एक्सपेंशन प्रोपर्टीज यूजफूल आव एक्सट्रेक्शन आव पीलर्स इन माइनिंग	नहीं
	267. डेटा एक्वीजीशन सिस्टम यूजफूल फॉर अंडरग्राउंड माइंस	नहीं
	268. डेटा एक्वीजीशन सिस्टम यूजफुल फॉर अंडरग्राउंड माइंस	नहीं
	269. डिवाइस फॉर डिटरमिनेशन कैरिक्टिरिस्टिक्स ऑव डस्टस लिम्बिडस सोलिडस	नहीं
	270. डिवाइस, यूजफूल फॉर प्रोटेक्टिंग ड्रैसर्स/माइन्र्स	नहीं
	271. इक्वीपमेंट फॉर शॉर्टवॉल माइनिंग यूजफूल आव पीलर्स इन माइनिंग	नहीं
	272. एक्सटेनसोमीटर बोरेहोल इलेक्ट्रॉ-मैकनिकल	हां
	273. एक्सटेनसोमीटर, डिजीटल टेप	हां
	274. फायर प्रोटेक्टिव कोटिंग	हां
	275. गारबेज लोडर	नहीं
	276. गारबेज लोडर इकोफ्रैंडली	नहीं
	277. हीट रेसिएर्टेस एक्सप्लोसिव	हां
	278. इंट्रीसीकली सेफ टेलीफोन एक्सचेंज यूजफूल फॉर एरिया हर्वीग एक्सप्लोसिव एटमोसफियर	नहीं
	279. इंट्रीसीकली सेफ टेलीफोन एक्सचेंज यूजफूल फॉर एरिया हर्वीग एक्सप्लोसिव एटमोसफियर	नहीं
	280. किट, लाइफ सेफ्टी	नहीं
	281. पेलेटाइजर, इम्प्रूवड फॉर मेकिंग मेथेन सेंसर	नहीं
	282. पेलेटाइजर, इम्प्रूवड फॉर मेंकिंग मेथेन सेंसर	नहीं
	283. प्रोप, रीजिड स्टील वीद रिमोट रिलीज मैकेनिज्म यूजफूल फॉर सपोर्टिंग माइन/ट्यूनेल्स रूफ्स	नहीं
	284. प्रोप, रीजिड स्टील वीद रिमोट रिलीज मैकेनिज्म यूजफूल फॉर सपोर्टिंग माइन/ट्यूनेल्स रूफ्स	नहीं
	285. प्रोप, रिमोट हाइ सैट	हां
	286. प्रोप, स्ट्रॉग ग्रीन रूफ	हां
	287. प्रोप, वर्टीकल वीद हाइ सैटिंग लोड	नहीं
	288. रिमूवल आव आयरन फ्रॉम जिरकोन	नहीं
	289. स्टील आर्क यूजफूल फॉर वीद स्टेडिंग इफैक्टस आव रॉक बर्स्ट	नहीं
	290. सल्फरिक एसिए, रिकवरी आव	नहीं
	291. टैम्परेचर इंडीकेटर डिजीटल	हां
सीआरआरआइ	292. बाइंडर पोलीमर मोडीफाइड फॉर कंस्ट्रक्शन आव रोड्स	हां
	293. बाइंडर पोलीमर मोडीफाइड फॉर कंस्ट्रक्शन आव रोड्स	हां
	294. पेवेमेंट आव डिटेरिओरेशन मॉडल सोफ्टवेयर आव	नहीं
	295. टैस्टर, कंक्रीट अब्रेशन रेसिसटेंस	नहीं

	1	2
सीएसआइओ	296. एनेलाइजर स्पेसिफिक आयोन माइक्रोप्रोसेसर बेसड	हां
	297. डोर स्कोप	हां
	298. फाइबर ओप्टिक होलोग्राफी	नहीं
	299. इंडीकेडर डिजीटल फॉर इन क्लाइनोमीटर/टिल्ब्अमीटर	नहीं
	300. इंस्ट्रुमेंटस, जियोफिजिकल (एनेलॉग सिसमोग्राफ)	नहीं
	301. इंटीग्रेटेड सिस्टम फोर मेजरमेंट आव न. 3, एनएव 4, पीओ 4	नहीं
	302. मीटर सर्किटस एनर्जी 3-फेज रीएल एंड रिएक्टिव	नहीं
	303. मीटर एनर्जी, सोलिड स्टेट सिंगल फेज	नहीं
	304. मीटर, पीएच इकोनॉमिक फिल्ड यूजेबल	हां
	305. माइक्रोस्कोप, स्केनिंग ट्यूनिंग	हां
	306. ओप्टहालमोस्कोप एंड ओटोस्कोप डाइग्नोस्टिक सैट	हां
	307. टेस्टर सैलीनिटी, सॉइल इंडक्टिव इलैक्ट्रोमैग्नेटिक	नहीं
सीएसएमसीआरआइ	308. एल्यूमीना हाइड्रोक्साइड (प्रिंटिंग ग्रेड)	हां
	309. जोजोबा स्किन केयर लोशन	नहीं
	310. जियोलाइट पाउडर (डिटर्जेंट ग्रेड)	हां
आइएचबीटी	311. बम्बू माइक्रोप्रोपेगेशन आव	नहीं
	312. साइट्रस पील ऑयल	हां
	313. लिलियम, एग्रोटेक्नोलौजीज फॉर स्टेडराइजेशन आव	नहीं
	314. टजेटेस ऑयल	हां
	315. टी बेसड सोफ्ट ड्रिंक्स टेक्नीक फार	नहीं
	316. टी ऑन हिल स्लोप्स, एग्रोटैक्नोलॉजी आव	नहीं
	317. टी प्लांटस माइक्रोप्रोपेगेशन आव	नहीं
	318. टिशू कल्चर टैक्नीक्स फार मास प्रोपोगेशन आव ग्लेडियश एंड आर्किडस	नहीं
	319. टयूलिप्स, एग्रोटेक्नोलॉजीज फार स्टेंडराइजेशन आव	नहीं
आइआइसीटी	320. 1,1,1, ट्राइक्लोरोट्राइफ्लूओरो ऐथेन (आर-113ए)	हां
	321. 10-अंडीसेनोइक एसिड फ्राम कस्टोर ऑयल	हां
	322. 11-एमीनोअंडीसीनोइक एसिड फ्राम कस्टोर ऑयल	हां
	323. 11-ब्रोमांडडीसीनोइक एसिड फ्राम कस्टोर ऑयल	हां
	324. ऐशफेट	हां
	325. एडेसिव, आटोमेटिव लेबलिंग सिंथेटिक पोलीऐक्रिलिक एसिड बेसड	हां
	326. एडेसिव इनसेक्ट कैचिंग (सैक्स फिरोमोन)	हां

1	2
327. एडेसिव आफिस पेस्ट	हां
328. एडेसिव पोलीक्लोरोप्रीन फॉर शूज	हां
329. एडेसिव पोलीयूरेथेन फॉर मेटल पेपर हनी कोम स्ट्रक्चर्स बोडिंग	नहीं
330. एडेसिव, पाउडर	हां
331. एडेसिव, प्रैसर सैनसिटीव एक्रेलिक बेसड	हां
332. एडेसिव, प्रैसर सैनसिटीव एक्रेलिक इमलशन	हां
333. एडेसिव, सर्जीकल साइनो एक्रेलेट बेसड	नहीं
334. एडेसिव, व्हाइड नियोप्रीन बेसड ट्रांसपेरेन्ट	हां
335. एडेसिव, पोलीविनाइल एक्रेलिक एमलशन	हां
336. एल्मोडीपाइन	हां
337. एस्पाइटेम	हां
338. एजेडीरेचटिन (टेक) एक्सट्रक्शन फॉम नीम सीड करनेल्स	हां
339. ऐजीथ्रोमाइसिन	हां
340. बीटोक्सोलोल	नहीं
341. बाइंडर फॉर एकोस्टिक टाइल्स, बोर्ड	हां
342. बाइडर, विनाइल फॉर डिस्टेम्पर्स	हां
343. कैल्शियम पैंटोथिनेट	हां
344. कार्बीडोपा, -एंटी अल्सरोजेनिक	हां
345. केस्टोर ऑयल बेसड कैमिकल प्लांट डिजाइन फॉर (पैकज आव 7 प्रोसेसेज)	हां
346. कैटेजाइस्टस फार कन्वर्जन आव नॉन एडिबल आयल्स टू लिम्बिड पेट्रोलियम प्रोडक्टस	नहीं
347. कैटलाइस्टस फार वैपारे सिंथेसिस आव एंग्राम्बिनोन	नहीं
348. सिफिसीम	हां
349. सैटिरिजाइन-एंटी हिस्टेमाइन	हां
350. सीसाप्राइड	हां
351. कॉपीलीमर्स आइसोब्यूटाइल मेथांएक्रिलेट ब्यूटाइल मेथाइक्रिलेट	हां
352. साइक्लोप्रोपाइलेमाइन	हां
353. साइक्लोसेरीन	हां
354. डेट पाम फ्रांड्स	हां
355. डोसेटेक्सील- एंटी कैंसर ड्रग	हां
356. इफ्लोरिथाइन-फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनैस	नहीं
357. एनेलेप्रिल	हां

1	2
358. फिलोडाइपाइन	नहीं
359. फलूकेनेजोल—एंटी फंगल	हां
360. फोरम्यूलेशन आयुर्वेदिक फार हिलींग क्रेकड हिल्स	नहीं
361. फरफयूटिल एल्कोहल बाय कैटेलाइटिक हाइड्रोजेनेशन आव फरफयूरेलडिहाइड	हां
362. हैलोफैनट्राइन	हां
363. हैलोफैनट्राइन—एंटी मलेरियल	नहीं
364. इंक, इंडिलीइबल टाटूइंग	हां
365. क्राफ्ट पेपर, यूजिंग डेट पाम लीव्ज	हां
366. लैक्वर्स, टीवी पिक्चर ट्यूब	हां
367. लिसीनो प्रिल	हां
368. लोरेटीडाइन	हां
369. मेफ्लोक्विन	हां
370. मिथाइल थियोफिनेट	हां
371. मिथाइल थियोफिनेट	हां
372. ओर्थो एमीनो फिनोल	हां
373. ऑक्सी क्लोर कैटेलाइस्ट	हां
374. पेंट्स, इपोक्सी बेसड एंड क्लोरीनेटेड रबर	हां
375. पेपर बोर्ड्स	नहीं
376. पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन	हां
377. पेस्टिंग गम पाउडर एंड गम लिक्विड	हां
378. पेफ्लोक्सासिन	हां
379. पेन्टामाइडाइन—फॉर काला अजार	नहीं
380. पेट्रोलियम सल्फोनेट्स	नहीं
381. फिनाइल एसेटिक एसिड बाय को रूट	हां
382. फेरोमॉस फार ग्राउंडनट	हां
383. पोलीयूरेथेन कोटिंग सिस्टम कस्टॉर ऑयल एंड पोलीस्टर बेस्ड पोलीओलस टू कम्पोनेटस	हां
384. पोलीयूरेथेन फोरम्यूलेशन फार लेमिनेड पार्टिकल बोर्ड्स	हां
385. प्रीनॉल	हां
386. पाइरेथ्रोइडस ट्राइजोलोन्स	नहीं
387. रेक्टेल सपोजिशन्स	हां
388. राइज ब्रेन वैक्स अपग्रेडेशन आव	हां

	1	2
	389. राइफेब्यूटेन–एंटी टी.बी ड्रग	नहीं
	390. राइफापेन्टीन–एंटी टी.बी ड्रग	नहीं
	391. आरयू-486 (माइफेरीस्टोन)–एंटी प्रोजेस्ट्रॉन एबोर्टीफिसीएंट	हां
	392. सैसर्स, इथेनॉल	नहीं
	393. सैसर्स फार डिटेक्शन आव एलपीजी लीक	हां
	394. शैम्पू बेसड ऑव सॉपनटस	नहीं
	395. शैम्पू रीथेजेल	हां
	396. स्प्रे, एन-ब्यूटाइल, 2-साइएनोएक्रिलेट	हां
	397. सल्टामिसीलीन टोसीलेट	हां
	398. टाइल्स, एकोस्टिक मिनी वूल बेसड	हां
	399. टोल्यून टू बेन्जेलडिहाइड एंड बेन्जोइक एसिड एयर ऑक्सीडेशन आव	नहीं
	400. टॉयकोटेनौल फ्रोम राइस ब्रान वैक्स	हां
	401. ट्राइमिथाइल फोस्फाइट–एमोनिया रूट	नहीं
	402. ट्राइमिथाइल फोस्फाइट	हां
	403. ट्राइमिथाइल फोस्फाइट	हां
	404. वैनीलीन	हां
आइआइपी	405. एडीटिव, डिवैक्सींग/डिऑयलिंग	हां
	406. एंटीऑक्सीडेंटस एल्काइलेटेड फिनॉल बेसड (पीटीबीपी, डी-ब्यूटाइल पी-क्रेसोल)	हां
	407. कैटेलाइस्ट रिसीपी, एफसीसी ए न्यू जनरेशन	नहीं
	408. कैटेलाइस्ट पीटी-री स्क्यूवेड रिफौर्मिंग	नहीं
	409. डिलेथड कोकर एंड स्ट्रेट रन गैस ऑयल हाइड्रोट्रीटमेंट	हां
	410. डिलेथड कोकर एंड स्ट्रेट रन नाफ्था हाइड्रोट्रीटमेंट	हां
	411. फोरम्यूलेशन, कोरोसिअन इनहीबिटर फार गैस टरबाइन इंजन पार्टस	नहीं
	412. फोरम्यूलेशन कोल्ड रोलिंग ऑयल	नहीं
	413. फोरम्यूलेशन एनर्जी एफिसिएंट गीयर ऑयल एडीटिव	नहीं
	414. हेक्सेन यूजिंग एनएमपी एज सोल्वेन्ट फार एक्सट्रैशन	हां
	415. हाइड्रोडिसल्फराइजेशन, डीजल	हां
	416. हाइड्रोडिसल्फराइजेशन, नाफ्था	हां
	417. हाइड्रोजिनेशन आफ पाओ	हां
	418. लिथियम काम्प्लेक्स ग्रीस	हां
	419. एलपीजी, स्टोव, इम्प्रूवड	हां

	1	
	420. ल्यूब्रीसिटी एडीटिव फार गैस टरवाइन ऑयल नाइट्रोजन बेसड	नहीं
	421. नाफ्थाजीन हाइड्रोट्रीटर एंड कैटेलाइटिक कंवर्टर	हां
	422. नाफ्था फ्रॉम पैट्रोलियम बेसड बाय प्रोडेक्ट स्ट्रीम्स रिकवरी आव हाइ प्योरिटी	नहीं
	423. ऑयल प्रैसर स्टोव, फ्यूल एफिसिएंट	नहीं
	424. पिचेज इम्प्रीग्नेटिंग	हां
	425. पोली मिथाइल मेथा एक्रिलेट (पीएमएमए)	नहीं
आइएमटी	426. यूरोकाइनेस	हां
आइटीआरसी	427. सीडी स्ट्रीप फार क्वीक डिटेक्शन आव अल्ट्रेशन आव बटर यलो इन मस्टअरड ऑयल	हां
एनएएल	428. 2एमडब्ल्यू बंबो पावर पैक	नहीं
	429. एयर ट्रांसपेरेंसी मीजरिंग सिस्टम, एयर	हां
	430. एलूमीना हाइड्रेट फिलर्स जो डेंसीटी फार पेपर एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री	हां
	431. एलूमीना ट्राइहाइडरेट फार पेपर एंड प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री	नहीं
	432. एलूमीना सिंथेसिस आव फार मैनुफैक्चरिंग आव इलेक्ट्रॉनिक्स सिरैमिक्स एंड टैक्नीकल सिरैमिक्स	नहीं
	433. एलूमीना सिंथेसिस ऑव फार मैनुफैक्चरिंग इलेक्ट्रानिक सिरैमिक्स	नहीं
	434. सेंटीफ्यूगल कम्प्रैसर पैकेज फार आयल फ्री प्लांट एयर सप्लाई	नहीं
	435. कम्प्रैसर मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल फार आयल फ्री प्लांट एयर सप्लाई	नहीं
	436. फाइनाइट इलेमेंट सोफ्टवेयर पैकेज (एफइपीएसीएस) टू एप्लाइड कम्प्यूटर टेक (एक्ट)	हां
	437. निकेल शीटस इलेक्ट्रोफोर्मिंग	नहीं
	438. सीमलैस मेटल विलोंस बाय इलेक्ट्रोफोर्मिंग	हां
	439. टरबो पावर पैक 2एमडब्ल्यू	नहीं
	440. विंड इलेक्ट्रीक जनरेटर	नहीं
एनबीआरआइ	441. लो कोस्ट हाइ-टेक पोली हाउस नर्सरी टेक्नोलॉजी	हां
एनसीएल	442. 1,4 ब्यूटेनेडीओल फ्रॉम मेलिक एनहाइड्राइड	हां
	443. 2-फोसपोनोब्यूटेन-1,2,4-ट्राइकार्बोनाइलिक एसिए	नहीं
	444. 3-एमिनो-4,5-डाइमिथाइल आइसोक्साजोल	हां
	445. -एक्रिलेमिडो-2-मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड (एएमपीएस)	हां
	446. एमलोडाइपाइन बेसीलेड	नहीं
	447. कैटेलाइस्ट फॉर कंवर्जन आव बेनेजीन टू मैलिक एनहाइड्राइड	हां
	448. कैटेलाइस्ट डवलपमेंट आव एंड प्रोसेस फॉर डाइथाइल बेनेजीन	हां
	449. सेट्रीजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड	नहीं
	450. एपीवेटीडाइन एनेलोगस सिंथेसिस आव	हां

	1	2
	451. हैमोडायलाइजर	हां
	452. हाइड्रोकार्बन रेफ्रीजरेटर्स	नहीं
	453. हाइड्रोक्वीनोन/केटेकोल	हां
	454. लेक्टोस रिकवरी फ्रॉम वे	हां
	455. मेम्ब्रॉन, रिवर्स आसम्मोसिस	हां
	456. नैचुरल गैस टू इथेनॉल कंवर्जन आव	हां
	457. पी-नाइटोफिनोल	हां
	458. पैरा डाइथाइलबेनजीन	हां
	459. पैरा डाइथाइलबेनजीन	नहीं
	460. पैराफिन आक्साइडेशन	हां
	461. पोलीमराइजेशन एंड ओलीगोमेराइजेशन आव एल्फा आलेफिंस	हां
	462. पोलीओल फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीमह्राइवॉयलर मैटीरियल	हां
	463. रैनीटीडाइन	नहीं
	464. टारटेरिक एसिड	हां
	465. टेट्राब्यूटाइल एमोनियम ह्राइड्रोक्साइडटेट्राप्रोपाइल एमोनियम ह्राइड्रॉक्साइड	हां
	466. जियोलाईट बेसड कैटेलाइस्ट फार इम्प्रूविंग यील्ड आव पाइराइडाइम एंड पाइकोलाइन	हां
नीरी	467. 2, 3 ब्यूटेनेडीओल फोरम फेरमेंटशन ब्रॉथ	नहीं
	468. एड्स कोगुलैंट फार युज इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट	नहीं
	469. एड्स फिल्टर	नहीं
	470. एयर सैम्पलर ऑटोमेटिक सीक्वेंसियल इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड	नहीं
	471. एक्वा टैस्टर, रैपीड बैक्टीरियोलोजिकल	नहीं
	472. बायोलोजिकज ट्रीटमेंट सिस्टम डिजाबन फार आयल लेडेन वेस्ट वाटर	नहीं
	473. बायोसर्फेकटैन्ट-2, न्यू	नहीं
	474. कैटेलाइटिक कंवर्टर एंड पार्टिक्यूलेट ट्रैप फार ऑटोमोबाइल एक्सह्रास्ट एमीशन कंट्रोल	हां
	475. सैल्यूलेस प्रोडेक्शन	नहीं
	476. कोल डिसल्फराइजेशन आव	नहीं
	477. डिमल्सीफिकेशन आव आयल	नहीं
	478. डीसल्फराइसेशन ऑव ह्राइड्रोजन सल्फाइड लैडन गैसेज विद रिकवरी ऑव सल्फर	नहीं
	479. डिटेक्शन ऑव एन्ट्रीक वाईरुसस रेपिड फार	नहीं
	480. डिवाइस फार रिडक्शन ऑव स्मोक एमिटिंग फ्रोम डीजल इंजिन एग्जास्ट	नहीं
	481. एचसीएल रिकवरी फ्रोम स्पेन्ट पिकल लिकर	नहीं

	1	2
	482. लो कास्ट सैनीटेशन सिस्टम फार रूरल एरियास	नहीं
	483. नान साल्वेंट बेस्ड फार एकस्ट्रैक्शन एंड रिकवरी ऑव पॉली-बी-हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट	नहीं
	484. प्रिपरेशन ऑव डीएनए मालीक्यूल फार बायोमैथानेशन ऑव इंडस्ट्रीयल वेस्ट एंड वेस्टवाटर	नहीं
	485. पंप. डायाफग्राम एंड ऑयल फ्री वैक्यूम फार एयर सैम्पलिंग	नहीं
	486. रिकार्डर विंड डायरेक्शन एंड वैलोसिटी	नहीं
	487. रिकवरी ऑव ऑयल फ्रोम आयली स्लजिस एंड इमल्शनस	नहीं
	488. सैम्पलिंग किट, मल्टीगैस	नहीं
	489. स्कोमिंग प्रोसैस फार क्रूड आयल यूसिंग एल्कली ट्रीटिड सा डस्ट	नहीं
	490. साफ्टवेयर फार एम्बीएंट एयर क्वालिटी नेटवर्क डिजाइन फार इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट	नहीं
	491. साफ्टवेयर फार डिजाइन आव ग्रीन वैल्ट एज ए मिटीगेशन मैसर	नहीं
	492. साफ्टवेयर फार सालिड वेस्ट मैनेजमैंट सिस्टम आप्टीमाइसेशन	नहीं
	493. साफ्टवेयर फार वेस्टवाटर कौलैक्शन सिस्टम आप्टीमाइसेशन	नहीं
	494. वेस्टवाटर कोक ओवन प्यूरीफिकेशन आव	नहीं
	495. वेस्टवाटर, प्यूरीफिकेशन आव कनटेनिंग पोल्यूटैंट स्पैशली साइनाइड	नहीं
	496. वाटर एनालाइजर, टीट्रमैट्रिक	नहीं
	497. वाटर फिल्टर फार रिमूवल आव पेस्टीसाइडस	नहीं
	498. जिओलाइट यूसिंग फ्लाइऐश वेस्ट	नहीं
	499. जिओलाइट यूसिंग फ्लाइऐश	नहीं
	500. जिओलाइट यूसिंग फ्लाइऐश प्रोडक्शन आव	नहीं
एनजीआरआइ	501. सिस्मीक्ली एकटिव फाल्ट बाई सिस्मीसिटी मानिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन आव	नहीं
एनआइओ	502. बायोफर्टिलाइजर, सीवीड	हां
	503. 2एल-4एन स्टील	हां
	504. एलाय, एफई-एसआइ-एमएन	नहीं
	505. एलाय, लो सिल्वर ब्रेसिंग	नहीं
	506. एलाय, एनआइ-सीआर टाइप रिजिस्टेंस	नहीं
	507. एल्यूमिनियम कास्ट आयरन हीट रिजिस्टेंट	नहीं
	508. एनोडाइज्ड एलूमिनियम कूकवेयर	नहीं
	509. सिरैमिक सैल्	
	510. सिरैमिक टाइल्स, डैकोरेटिव ब्लाक फ्रोम आयरन ओर सिल्म्स, फ्लाइऐश आदि	नहीं
	511. सिरैमिक टाइल्स, डैकोरेटिव ब्लाक फ्रोम	नहीं
	512. क्रोम-टी	नहीं

1	2
513. कानटैक्ट, इलेक्ट्रीकल सिल्वर बेस्ड	नहीं
514. कॉपर पाउडर, इलैक्ट्रीलाइटिक फ्रोम कॉपर वायर सोल्यूशन	नहीं
515. डिवाइस फार आयरन इलैक्ट्रोफोरमिंग यूसिंग स्पोंज आयरन फाइन एज नोडिक मैटिरियल	नहीं
516. इलैक्ट्रोप्लेटिंग थ्रू एसी रूट	नहीं
517. फ्यूस्ड कास्ट प्रोडक्ट-ए सबस्टीट्यूट फार बासाल्ट	नहीं
518. एफई-एफआई (75 प्रतिशत)	नहीं
519. गालाफल्कस	हां
520. गोल्ड एंड सिल्वर फ्रोम गोल्ड रिफाइनिंग ड्रोस/स्लेग	नहीं
521. इनहैबिटर, कोरासन एंड स्केल (कोरिस्का-95)	हां
522. आयरन पाउडर, कास्ट फार प्रोडक्शन पैरासीटामोल एंड बल्क ड्रग्स	नहीं
523. आयरन पाउडर, इलैक्ट्रोलिटिक फ्रोम स्पोंज आयरन माइन्स	नहीं
524. आयरन, एसजी, बाई एमजी ट्रीटमैंट	नहीं
525. लैड फ्रोम बैटरी स्क्रैप	हां
526. लिथियम कैमिकल्स फ्रोम इंडियन लिथियम बियरिंग मिनरल लैपिडोलाइट	नहीं
527. मैगनीज डाइआक्साइड कैमिकल/ऐक्टीवेटिड	नहीं
528. मैगनीज डाइआक्साइड, कैमिकल (सीएमडी)	नहीं
529. क्यूलाइट, सिन्टर्ड	नहीं
530. एमजी कैमिकल्स फ्रोम वेस्ट मैग्नेसाइट ड्स्ट	नहीं
531. नोजल, जिरकॉन जिरकौनिक	नहीं
532. निकल फ्रोम स्पैंट निकल कैटालिर्स्ट	नहीं
533. निकल-क्रोम फ्रोम स्टेनलैस	नहीं
534. आक्सीजन स्क्वैंजर	नहीं
535. पैसीवेटर-एनएमएल गेलासेव	नहीं
536. पैसीवेटर-एलएमएल पासकोन	नहीं
537. पर्सीन रेड फ्रोम एसिड पिकलिंग वेस्ट	नहीं
538. फास्फांइट कोटिंग आन माइल्ड स्टील सरफेस आव हाई टेम्प	नहीं
539. फासफोरिक एसिड	नहीं
540. रेडिएटर प्लूड, लांग लाइफ (कूलैंट)	हां
541. रिमूवल आव टीआइ 02 तथा एफई 203 फ्रोम बाक्साइट सैम्पल	नहीं
542. रेसिन बांडिड एएल 203-एसआइएसी रिफरैक्टरिज	नहीं

1	2
543. स्पौंज आयरन फाइन्स लो प्रेशर ब्रिकेटिंग आव	नहीं
544. स्टेनलैस क्लैड एलूमिनियम	नहीं
545. स्टेनलैस स्टील पाउडर, पेंट ग्रेड	नहीं
546. स्टेनलैस स्टील पाउडर, फार पिगमैंडिट पेंट	नहीं
547. स्टील, कैलोराइसिंग आव	हां
548. स्टील, नाइट्रोजन बियरिंग आस्टैंटिक स्टेनलैस	नहीं
549. स्टील, एनआइ फ्री आस्टैंटिक फार एग्जास्ट वाल्व	नहीं
550. जिंक फ्रोम जिंक ड्रोस, रिकवरी आव	नहीं
551. एनालाइजर, पार्टिकल साइज	हां
552. बायासैंसर, ब्लड ग्लूकोस	हां
553. बायासैंसर, ब्लड ग्लूकोस	हां
554. ब्रशीज, एकटिवेशन ग्रेड	हां
555. कार्बन फाईबर एकटिवेटिड	हां
556. कैटालिस्ट, पीटी–एसआइ प्रोसैस प्रोसैस फार फार्मेशन आव	नहीं
557. डिपोसिशन आव हाइड्रोजेनेटिड	नहीं
558. डिवाइस फार सिनथेसाइसिंग मैटल मैट्रिक्स कम्पोजिट	नहीं
559. डिवाइस फार ट्रासमिटिंग स्टैंडर्ड टाइम	नहीं
560. फार्मूलेशन फार आयरन चैलेशन ए न्यू ओरल आयरन चिलेटिंग ड्रग	नहीं
561. गैस जनरेशन अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर	नहीं
562. आयरन ट्रग फार थैलैसमिआ	नहीं
563. मास्क, फेसलैट फार प्रोटेक्शन आव ट्रैफिक फ्यूम्स	हां
564. मैटल मैट्रिक्स कम्पोजिट, रीइनफोर्सड सिनथेसिस आव	नहीं
565. नाइट्रोजन लेवल इंडीकेटर, लिक्विड बेस्ड	नहीं
566. नाइट्रोजन लेवल इंडिकेटर लिक्विड बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल	नहीं
567. नाइट्रोजन ट्रांसफर पंप लिक्विड सबमर्सिबल	नहीं
568. पेंट रिमूवर, सिंथेटिक	नहीं
569. पर्मानेंट मार्किंग सिस्टम	नहीं
570. पिस्टन गेज प्रेशर स्टैंडर्ड	हां
571. न्यूमैटिकली लेवीटेटिंग प्लेट फार फ्रिक्शनलैस मूवमेंट आव इंजी. कम्पोनेंट	नहीं
572. टैलिक्लाक, मिनिएचराइस्ड	हां

1		2
	573. वाटर रैपलैंट एंड फायर प्रूफिंग कैमिकल	नहीं
आरआरएल, भोपाल	574. एलायस, स्लीज	हां
	575. एलायस, स्लीज	हां
	576. ब्रिक्स, क्ले फ्लाई ऐश	हां
	577. सिरैमिक फाईबर प्रीफार्म	हां
	578. कम्पोसिट कम्पोनेंट, एएल एलाय मैटल मैट्रिक्स, फार आटो एंड इंजी. एप्ली.	हां
	579. कम्पोजिट, एफआरपी, आरइडी एमयूडी फार बिल्डिंग कम्पोनेंट	हां
	580. एफल्यूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन	नहीं
	581. इलैक्ट्रोलाइट, लो वोल्टेज	हां
	582. एफआरपी फैन, ऐरोडायनैमिक फार कूलिंग टावर	हां
	583. एफआरपी गियर केस	हां
	584. हार्ड बोर्ड मैटिरियल फार इन्सूलेशन इन ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड इन्डस	नहीं
	585. मैगनीज आक्साइड फ्रोम पाइरोल्यूसाइट लीचएबल	हां
	586. आर-वूड प्रोटक्टस फ्रोम इंडस्ट्रीयल वेस्ट	हां
आरआरएल, भवनेश्वर	587. क्रोमाइट ओवरबर्डन आव सुकिन्दा बैनीफिकेशन आव	नहीं
	588. आयरन आक्साइड, हाई प्योर	हां
	589. पैन सिनटरिंग प्लांट (35 टीडीपी)	हां
	590. फाईथालोसायानिन ब्लू	नहीं
	591. सीलीमेनाइट यूसिंग फ्लोटेशन कालम बैनीफिकेशन आव	हां
आरआरएल, जम्मू	592. 10-डीएसीटाइल-बैकाटिन-III एंड बैकाटिन-III फ्रोम टैक्टस एसपी. आइसोलेशन आव	नहीं
	593. एन्टीडाइबिटिक फोरम्यूलेशन आव प्लांट ओरिजन	नहीं
	594. एरायल एलकीनोइक एसिड मार्फोलिन एमाइड यूजफूल ऐस थर्मोजेनिक एंड स्पाइसी एजेंट	नहीं
	595. बायोएक्टिव कम्पोसिशन फ्रोम वाइटेक्स निगुन्डो	नहीं
	596. बायोएक्टिव ग्लाइकोपैपटाइड लिपिड फ्रेक्शन फ्रोम का प्लांट ट्राइकोप्स	नहीं
	597. बायोरिजोल्यूशन प्रोसेस फार प्रिप आफव ऐसीटिक एसिड	नहीं
	598. साइट्रोनैलोल, फ्रोम टपैनिक एल्डीहाइड	नहीं
	599. डेमर रेसिन (एक्स शोरिया स्पीशिज) यूटिलाइसेशन आव, फार एरोमेटिक आयल प्रोडक्शन	नहीं
	600. डिवाइस फार सैपरेजिंग सीडस फ्रोम दा फ्रूट स्कीन	नहीं
	601. एक्सट्रैक्शन आव एसैनशियल आयल एंड रुटीन फ्रोम प्लांट मैटीरियल	नहीं
	602. फाईबर, डाइट्री सैपरेशन आव	नहीं

	1	2
	603. फार्मूलेशन फार इनक्रिसिंग स्लिक यील्ड इन सिल्कवार्म बाम्बे मोरी	नहीं
	604. फार्मूलेशन फ्रोम कासिया टोरा फार एनहैनसिंग फिक्यूनडिटी इन एनथेरिया एसपी.	नहीं
	605. गेरानाइल नाइट्राइल फ्रोम लेमन ग्रास आयल	नहीं
	606. ग्लूकोनिक एसिड बाई जेनिटिक्ली अल्टर्ड स्ट्रेन आव ग्लूकोनोबेकटर आक्सीडेन	नहीं
	607. आइसोलोटिन आव हाइपरग्लाइसैमिक फ्रोम टेरोकैरप्स मारसूपियम	नहीं
	608. आइसोलेशन आव फ्रेक्शन प्रोसैसिंग एडैप्टोजैनिक एक्टिविटी फ्रोम प्लांट सैन्टेला एसिआटिका	नहीं
	609. काइनैटिक रिसोल्यूशन आव (+)-6-मेथोक्सी -9-मिथायल-2-नेपथेलीन एसिटिक एसिड यूसिंग ए नोवल एन्जायम	नहीं
	610. मशीन फार प्रोडक्शन आव कोटेड थ्रेड	नहीं
	611. माइक्रोबियल हाइड्रोजाइलेशन आव कैम्पटोथेसन टू 10-हाइड्राक्सी-कैम्पटोथेसिन	नहीं
	612. नोवेल यीस्ट लाइपेस फ्रो काइनैटिक रिसोल्यूशन आव रिसैमिक ड्रग्स	नहीं
	613. पोडोफाइलोटॉक्सिन -1-0-बी-डी ग्लूकोपाइरोनोआइजेड फ्रोम रूट/राइजोम्स आव पोडोफाइलम मोदी आइसोलेशन/पुरी	नहीं
	614. प्रोसैस फार प्रेप आव फार्मास्यूटिक्ल कम्पोजिशन विद इनहैन्सड बायो अवेलेबिलिटी फार इम्यूनोसुपरेस	नहीं
	615. रेसमाइज़ेशन आव एल्कायल एस्ट्रा आव मिथाक्सी-2-नैपथेलीन एसेटिक एसिड	नहीं
	616. सिरिगलडीहाइड	नहीं
	617. टेरपीनोल, सिंगल स्टेप प्रोसैस फार प्रोडक्शन आव	नहीं
आरआरएल, जोरहाट	618. 16-डीहाइड्रोग्रीजनेनोलोन एसिटेट (16-डीपीए) फ्रोम डायोसजेनिन	नहीं
	619. 16-डीहाइड्रोग्रेजनेनोलोन एसिटेट (16-डीपीए) फ्रोम डायोसजेनिन	हां
	620. 3-केटो-4 एंड ओस्टेन-17 कार्बोक्सीलिक एसिड (स्ट्रीओयडल ड्रग)	नहीं
	621. अनैटो (बिका ओरेलाना)	नहीं
	622. बोर्ड फ्रोम पैडी हस्क एंड अदर सैल्यूलोसिक मैटिरियल	हां
	623. बोर्ड, ब्लाक, विद सिंथेटिक सरफेस	नहीं
	624. बोर्ड, फाईबर, सीलिंग, मिडियम डेनसिटी	नहीं
	625. बोर्ड, फाइल, डूप्लेक्स एंड लाइट रूफिंग शीट्स	नहीं
	626. क्लोरीनेटिड पैराफिन बैक्स	नहीं
	627. सीम्बोपोगोन सिट्राटस एग्रोटैक्नोलॉजी आव	नहीं
	628 डाइबेनजाइल डाइसल्फाइड	नहीं
	629. डीएल-नार्गेस्टीरल एंड इट्स इंटरमीडिएट	नहीं
	630. फैरोसीमेंट वाटर स्टोरेस टैंक	नहीं
	631. फाईबर फ्रोम बनाना स्टैम	नहीं

1		2
	632. इन्डीगोफेरा टिस्मैनी, कल्टीवेशन	नहीं
	633. ओसिमम (ओसिमम गार्टिसिमम) एग्रोटेक्नोलोजी ऑन	नहीं
	634. पाल्मारोसा (साइम्बोपोगोन मार्टिनी), एग्रोटेक्नोलोजी ऑन	नहीं
	635. टैफिरोसिया कोनडिडा, ए नान वूड प्लांट एग्रोटेक्नोलोजी आव	नहीं
	636. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आव पोपलर	हां
आरआरएल, त्रिवेन्द्रम	637. एलूमिना एबरेसिव सोल-जेल	नहीं
	638. एनोरिन-44	नहीं
	639. ब्रेक लाइनिंग बेस्ड ऑन एनोरिन 35, लांग लाइफ, लोफेड	नहीं
	640. कैटालिस्ट फ्रोम काओलिन क्लेज	नहीं
	641. कम्पोजिट, एल्यूमिनियम ग्रेफाइट (एजीसी) फार आटोमोटिव इंडस. (ग्रालू)	नहीं
	642. फ्लेम रिटार्डेन्ट फार इवा केबल मैटिरियल कनटेनिंग एनोरिन 53	नहीं
	643. फ्लेम रिटार्डेन्ट, लो स्मोक एनोरिन 53	नहीं
	644. फ्लेम रिटार्डेन्ट, वाइ ड स्पैक्ट्रम फार प्लास्टिक्स	नहीं
	645. फ्रिक्शन डस्ट फ्रोम एनोरिन 35+(एनोरडस्ट)	नहीं
	646. ग्रीन जिंजर फार मेकिंग वैल्यू एडिड प्रोडक्टस	हां
	647. पाम आयल प्रोसैसिंग मिल बाई स्क्रू प्रेस सिस्टम	नहीं
आरआरएल, जम्मू	648. न्यू फार्मास्यूटिकल कम्पोसिशन फार ट्रीटमैंट आर्थरिटिज एंड इनफ्लेमेशन	नहीं
एसईआरसी, गा.	649. पूल आउट टेस्ट डिवाइस इम्परूव्ड	नहीं

श्री साईलाम पन विद्युत केन्द्र

3507. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से राज्य को क्षतिग्रस्त श्री साईलाम पनविद्युत केन्द्र के पुन: चालू होने तक केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अनावंटित संपूर्ण विद्युत के उपयोग हेतु अनुमति देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को मान लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ख) दक्षिणी क्षेत्र केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों के अनावंटित हिस्से में से आंध्र प्रदेश के आवंटन को 21.10.98 को 27% से बढ़ाकर 78% कर दिया गया ताकि श्रीसेलम यूनिटों में आई बाढ़ से उत्पन्न संकट से उबरने में आंध्र प्रदेश की सहायता की जा सके। श्रीसेलम में कुछ यूनिटों का पुनरुद्धार करने से इस आवंटन को 11.12.98 को पुन: संशोधित करके 36% कर दिया गया है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाएं

3508. श्री अजय कुमार एस० सरनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि':

(क) क्या सरकार ने सड़क और पत्तन क्षेत्रों में अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली 5000 करोड़ रू० मूल्य की निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ये परियोजनाएं शुरू की जाएंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। सरकार ने सड़क और पत्तन क्षेत्र के विकास के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए बड़े नितिगत उपाय किए हैं।

(ख) सड़क क्षेत्र में अब तक सौंपी गई बी. ओ. टी. परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं। पत्तन क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

निजी क्षेत्र की परियोजनाएं

(क) सड़क परियोजनाएं

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	रा.रा. सं॰	राज्य	लागत करोड़ रु॰	स्थिति
1.	*थाणे-भिवंडी बाइपास	3 तथा 4	महाराष्ट्र	103	पूरा हो गया
2.	*चालथान रोड ओवर ब्रिज	8	गुजरात	10	पूरा हो गया
3.	*उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	24	पूरा हो गया
4.	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्रप्रदेश	50	प्रगति पर
5.	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	90	प्रगति पर
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	68	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वित्तीय प्रावधान की प्रतीक्षा है।
7.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	113	प्रगति पर
8.	नर्धाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	34	प्रगति पर
9.	पातालगंगा पुल	17	महाराष्ट्र	33	प्रगति पर
10.	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	68	प्रगति पर
11.	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	73	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वित्तीय प्रावधान की प्रतिक्षा हैं।
12.	कोरतलैयर पुल	5	तमिलनाडु	30.00	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
13.	खम्बटकी घाट सुरंग तथा रोड	4	महाराष्ट्र	37.80	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
14.	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	10.45	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
15.	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	32.60	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
16.	माही पुल	8	गुजरात	42.00	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
	जोड़			818.85	

*अब पूरा हो गया और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।

विवरण-II

कार्यान्वित की जा रही अब तक अनुमोदित निजी क्षेत्र/आबद्धपत्तन परियोजनाएं (दिनांक 6.11.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	पत्तन का नाम	क्षमता	परियोजना लागत	पक्षकार का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	कंटेनर टर्मिनल	जे. एन. पी.	6.00	8000	पी एंड ओ परियोजना निर्माणाधीन है।
2.	तरल कार्गो बर्थ	जे. एन. पी	4.50	2000	बी पी सी एल और आई ओ सी पंद्रह दिन में करार को कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद हैं।

1	2	3	4	5	6
3.	पांचवीं तेल जेटी	कांडला	2.00	210	इफ्को पूरी हो चुकी।
4.	वाडीनार में तेल जेटी	कांडला	15.00	14000	एस्सार आयल लि०। करार की शर्तें 7.8.98 को अनुमोदित कर दी गई हैं।
5.	अपतटीय स्टाकयार्ड और बर्थ	मुरगांव	5.00	3000	मुरगांव मारटीना।
6.	प्रारंभ में एक आभासी जेटी का निर्माण कर रहे हैं और उसके बाद स्थायी जेटी में परिवर्तन करेंगे	कांडला	2.00	900	आई ओ सी आभासी जेटी पूरी हो चुकी है।
7.	कंटेनर टर्मिनल	तूतीकोरिन	3.60	1000	पी एस ए करार पर 15.7.98 को हस्ताक्षर किए गए।
८	प्रारंभ में एक आभासी जेटी का कर रहे हैं और उसके स्थायी जेटी में परिवर्तित करेंगे	कांडला	2.00	900	एच पी सी एल आभासी जेटी पूरी हो चुकी है।
9.	पी ओ एल जेटी का निर्माण	कांडला	2.00	750	बी पी सी एल।
	जोड़		42.1 एम टी	30760	

परियोजना की लागत मिलियन रुपयों में है, क्षमता मिलियन टन में है।

मतदाता सूचियों में संशोधन

3509. श्री नरेश पुगलीया : क्या विधि, न्याय और कंपनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम, जहां हाल ही में विधान सभा चुनाव हुए हैं, में मतदाता सूचियां संशोधित नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन युवकों और युवतियों को जो 18 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं, मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस चूक के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में इन चूकों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) निर्वाचक नामावलियां मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान राज्यों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में, उन राज्यों में हाल में हुए विधान सभा निर्वाचनों के पूर्व, अर्हता तारीख के रूप में 1-1-98 के प्रति निर्देश से पुनरीक्षित की गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, किन्तु जो अन्यथा निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अनुसार, अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करवा सकता है।

बड़े पत्तनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय "एक्सप्रेस वे" परियोजनाएं

3510. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों और औद्योगिक शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय "एक्सप्रेस वे" परियोजनाओं की डेवलपरों को बिल्ड-आपरेट-ट्रान्सफर (बी ओ टी) के आधार पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए डेवलपरों का पता लगाने के लिए हाल ही में अमरीका और इंगलैंड की यात्रा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस यात्रा का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) महापत्तनों तक पर्याप्त सड़क संपर्क की व्यवस्था

करने के लिए साध्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। परामर्शदाताओं की छंटनी करने की पेशकशें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। कार्य का स्वरूप और वित्तपोषण का तरीका साध्यता अध्ययनों के निष्कर्षों पर निर्भर होगा।

(ग) और (घ) जी नहीं। जल भूतल परिवहन मंत्री ने 26 सितम्बर, 1998 से 3 अक्तूबर तक सातवीं वार्षिक विश्व आर्थिक विकास कांग्रेस में भाग लेने के लिए यूनाईटेड किंगडम होते हुए अमरीका का दौरा किया था।

शैक्षिक संस्थाओं को शुल्क से छूट

3511. **श्री संदीपान थोरात :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सी. डी.–आर. ओ. एम. के आयात पर यू. जी. सी. से शैक्षिक संस्थाओं ने शुल्क से छूट देने का अधिकार मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक संस्थानों की शोध उद्देश्य हेतु वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय यंत्र और संगणक सॉफ्टवेयर सी. डी.-रोम आदि आयात करने के लिए कस्टम अधिसूचना सं० 51/96 दिनांक 23.7.96 द्वारा पहले ही छूट दे चुकी है। कस्टम छूट हेतु पात्र होने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। चूंकि विश्वविद्यालय और कालेज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन नहीं आते इसीलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि ''शर्तें'' शीर्षक के अंतर्गत एक अतिरिक्त उपवाक्य जोड़कर एक संशोधन जारी किया जाए जिसमें उल्लेख हो कि विश्वविद्यालय और कालेजों के मामले में रजिस्ट्रार या कालेज के प्राचार्य प्रमाणित कर सकते हैं कि उपर्युक्त वस्तु को आवश्यकता केवल शोध कार्य के लिए है। मामला विचार और अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को भेज दिया गया। उस मंत्रालय ने मामले पर कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी है, जिसे प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा गया है।

शिक्षण के लिए अनिवार्य दिन

3512. **श्री के०एस० राव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने प्रति वर्ष के लिए अनिवार्य 180 शिक्षण दिवस पूरे नहीं किये हैं किंतु प्रति वर्ष परीक्षाएं आयोजित करायी हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का इस स्थिति में किस प्रकार का सुधार लाने का विचार है; और

(घ) उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अनिवार्य 180 शिक्षण दिवस पूरे न करने पर भी प्रति वर्ष परीक्षाएं आयोजित करायी हैं और समय पर परिणाम घोषित किये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 222 है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जवाब भेजने वाले 69 विश्वविद्यालयों में से 56 विश्वविद्यालयों ने 1995-96 में 180 दिन का शिक्षण पूरा किया तथा जवाब भेजने वाले 120 विश्वविद्यालयों में से 114 विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षाएं ली गईं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपाय के बारे में किसी भी विश्वविद्यालय को सिफारिश करने तथा इन सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजनार्थ की जानी वाली कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय को उपाय सुझाने का अधिकार प्रदान करती है। तदनुसार यू. जी. सी. ने अपेक्षित संख्या में शिक्षण दिवसों का सुनिश्चय करने के लिए विनियम जारी किए हैं तथा इसने परीक्षा संचालन, परीक्षाफल की घोषणा आदि के लिए शैक्षिक कैलेंडर भी जारी किया है। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए इसने एक समिति भी गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए एवार्ड देने की सिफारिश की थी।. इन सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया गया तथा उसने शैक्षिक कैलेंडर तथा समिति की मुख्य सिफारिशों को भी लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को परिचालित किया।

जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

3513. **श्री अशोक प्रधान :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्यों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठाते।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है जिसमें जल परीक्षण सुविधाएं भी शामिल हैं।

केरल में नवोदय विद्यालय

श्री **टी० गोविन्दन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नवोदय विद्यालयों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केरल में नवोदय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या 5623 है।

(ख) से (घ) 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार केरल में नवोदय विद्यालयों के लिए शिक्षकों (स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और विविध श्रेणियों के शिक्षक) के कुल 283 संस्वीकृत पदों के मुकाबले, 266 शिक्षक पदस्थ हैं और केवल 17 पद रिक्त पड़े हैं। इस समय, इन रिक्तियों को ठेके पर/अंशकालिक शिक्षकों द्वारा भरा जाता है।

निर्धन और उपेक्षित बच्चों के लिए शिक्षा

3515. **श्री सी०डी० गामीत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुलभ महिला एवं बाल कल्याण संस्थान ने समाज के निर्धन और उपेक्षित बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय इन संस्थानों (शैक्षिक संस्थानों) और शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन और उपेक्षित बच्चों को दी गई सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनेस्को द्वारा भी इस कार्य के लिए कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सुलभ महिला एवं बाल कल्याण संस्थान निर्धन तथा उपेक्षित बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने वाली अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है। अत: उक्त संगठन के कार्यकलापों से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) यूनेस्को द्वारा अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत इसे कोई सहायता नहीं दी गई है।

जांच में लोगों की भागीदारी

3516. **श्री बी०एम० मेनसिंकाई** : क्या मानव संसधान विकास मंत्री 30 नवम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने समिति के समक्ष किसी जांच के लिए आम जनता अर्थात व्यक्ति/संगठनों को विचार प्रस्तुत करने संबंधी इसके द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प को नामंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मामले पर विचार-विमर्श किया गया है और स्वीकार्य कार्याविधि को अंतिम रूप दे दिया गया है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता

3517. **श्री भीम दाहाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत राज्य-सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में वर्ष-वार, राज्य-वार कितने लोगों को साक्षर बनाया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि तथा साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जारी की गई अनुदान राशि

राज्य का नाम		1995-96	1996-97 (रुपये लाखों में)	1997-98	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)		
					1995-96	1996-97	1997-98
1.	अरुणाचल प्रदेश	25.63	20.72	3.67	उ०न०	उ०न०	उ०न०
2.	असम	361.07	197.27	86.97	0.29	1.88	0.92
3.	मणिपुर	17.62	20.64	17.94	उ०न०	0.18	उ०न०
4.	मेघालय	123.60	112.45	16.85	उ०न०	उ०न०	0.11
5.	मिजोरम	6.43	0.57	61.23	0.02	उ०न०	उ०न०
6.	नागालैंड	47.81	56.90	32.36	0.18*	0.21*	उ०न०
7.	सिक्किम	--	11.22	--	0.04	0.05	उ०न०
8.	त्रिपुरा	0.10	4.73	4.00	उ०न०	0.93	2.62

नामांकित शिक्षार्थी।

पंचेश्वर पन-बिजली परियोजना

3518. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर की गई पंचेश्वर पन बिजली परियोजना के संबंध में प्रगति न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त परियोजना का काम शुरू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच हुए विचार-विमर्श के पश्चात पंचेश्वर बहु-उद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों के संयुक्त दल ने उन महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाया है जिनका समाधान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए अपेक्षित है।

(ख) और (ग) संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार किए जाने और दोनों देशों द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने के पश्चात् परियोजना पर कार्य आरंभ होगा।

हिन्दी साहित्य अकादमी

3519. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखकों का शोषण करने, रायल्टी का भुगतान न करने और बिहार हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा अनुमोदित पांडुलिपियों के मुद्रित न किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों से "ज्योग्राफी आफ बिहार" पुस्तक की सभी प्रतियों की बि ी कर दिए जाने के बावजूद इसकी रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया;

(ग) क्या द्वितीय संस्करण के लिए चार वर्ष पूर्व प्राप्त हुई अनुमोदित पाण्डुलिपियों को अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दी लेखकों के शोषण और नियमों का उल्लंघन रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

विदेशों में कार्यरत भारतीयों को मतदान का अधिकार

3520. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के लिए कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ग) व्यावहारिक और

प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अभी तक विदेश में रहने वाले भारतीय नागारिकों को मतदान का अधिकार देना संभव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

उजड़े/नष्ट हुए वनों का उपयोग करना

3521. श्री माधवराव पाटील :
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाभ/फल के बंटवारे के आधार पर उजड़े/नष्ट हुए वनों के उपयोग के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान उपरोक्त योजना के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) जी, हां । उजड़े/नष्ट हुए वनों के पुनरुद्धार और वनीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की चार प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों में भोगाधिकार बंटवारे के आधार पर लोगों की सहभागिता का प्रावधान है। ये योजनाएं हैं :-

(i) एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम (आई ए ई पी एस) : वॉटरशेड आधार पर नष्ट हुए वनों के वनीकरण और विकास को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण;

(ii) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम (ए ओ एफ एफ पी एस) : निर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारा उत्पादन को बढ़ाना;

(iii) औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वन उत्पाद का संरक्षण और विकास (एन टी एफ पी) स्कीम आदिवासी लोगों पर विशेष बल देते हुए एन टी एफ़ पी उत्पादन में वृद्धि करना;

(iv) भोगाधिकार बंटवारे के आधार पर नष्ट हुए वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित आदिवासियों और निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों को सहयोजित करना; नष्ट हुए वनों की सुरक्षा और पुनर्वास में आदिवासियों और निर्धन ग्रामीण लोगों के सहयोजन को बढ़ावा देना।

आठवीं योजना के दौरान राज्यवार रिलीज और उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाख में/हेक्टर हेक्टेयरों में)

क्र. सं.	राज्य	आईएईपीएस		एओएफएफपीएस		एनटीएफपी		अनुसूचित आदिवासियों/निर्धन ग्रामीण को सहयोजित करना	
		रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	कवर किया गया क्षेत्र	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	कवर किया गया क्षेत्र	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	कवर किया गया क्षेत्र	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	कवर किया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1057.56	13673	313.08	9992	297.89	5639	33.96	400
2.	अरुणाचल प्रदेश	352.65	4472	54.49	960	102.29	2000		
3.	असम	158.10	4650	565.48	22446	53.50	710		
4.	बिहार	109.35	673	694.50	22108	188.00	4500	83.07	1265
5.	गोवा	38.22	445	29.34	726	34.20	766		
6.	गुजरात	266.09	3670	617.25	13794	556.92	7469	42.39	910
7.	हरियाणा	673.34	8567	1320.24	25648	291.85	3633		
8.	हिमाचल प्रदेश	977.74	13178	627.94	11181	411.89	7580		
9.	जम्मू व कश्मीर	1569.82	19192	127.01	3291	363.26	6723		
10.	कर्नाटक	1155.77	22328	940.03	21684	137.23	2691	36.30	525
11.	केरल	213.77	1745	223.30	4423	40.16	581		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	2212.74	49334	1587.79	55650	268.45	6441	218.64	4805
13.	महाराष्ट्र	138.07	1629	220.25	5866	140.44	2420	140.84	1965
14.	मणिपुर	919.40	14278	520.88	16585	194.61	6207		
15.	मेघालय	633.33	8917	292.56	6133	278.14	5974		
16.	मिजोरम	585.67	8000	1634.75	46090	122.29	3290		
17.	नागालैंड	222.45	2675	25.15	2130	43.85	1307		
18.	उड़ीसा	242.40	3666	796.32	25904	654.88	14770	112.45	0[3]
19.	पंजाब	429.28	5690	869.30	16965	343.00	6050		
20.	राजस्थान	2635.95	45180	1019.13	20215	235.29	3800	53.92	700
21.	सिक्किम	1216.03	21207	327.62	6971	404.25	4680		
22.	तमिलनाडु	142.81	1157	476.83	14933	120.03	2698		
23.	त्रिपुरा	273.79	5408	176.26	8861	56.09	1005		
24.	उत्तर प्रदेश	1959.14	19597	1300.53	23688	9.00	0[3]		
25.	पश्चिम बंगाल	1268.36	18928	659.09	17974	301.16	7075	14:00	0[3]
	कुल	19451.83	298259	15419.12	404218	5648.67	108009	735.57	10570

1. राज्यों के साथ 50 : 50 बंटवारे के आधार पर कार्यान्वित।
2. आठवीं योजना के दौरान नौ राज्यों में कार्यान्वित।
3. आठवीं योजना में कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं हुआ।

मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में व्याप्त रोष

3522. **श्री विट्ठल तुपे :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में बहुत रोष व्याप्त है और वे अपने पदों से इस्तीफे देने पर तुले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत चार महीनों के दौरान मुम्बई उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों/वकीलों ने त्यागपत्र दिये हैं और क्या उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का न्यायाधीशों के रोष के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एस० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) सरकार को मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में रोष की बाबत कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) बम्बई उच्च न्यायालय के दो अपन न्यायाधीशों ने वैयक्तिक आधार पर अपने त्यागपत्र दिए हैं। चूंकि, संविधान में त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए कोई उपबंध नहीं है, अत: त्यागपत्र उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी हो जाता है।

अंतर्राज्यीय सड़कों/पुलों का निर्माण

3523. **श्री डी०एस० अहिरे :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक महत्व की अन्तर्राज्यीय सड़कों/पुलों का निर्माण करके राज्य सरकारों के आर्थिक विकास से सहयोग देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जानी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार मुख्यत: केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तथापि, अंतर्राज्यीय समन्वय में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार आर्थिक और अतंर्राज्यीय महत्व (ई एंड आई) स्कीम के अधीन कुछेक श्रेणियों की सड़क/पुल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय

विशेषता की परियोजनाओं को 100% ऋण सहायता और किसी राज्य विशेष की परियोजनाओं के लिए 50% ऋण सहायता दी जाती है।

(ग) ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

8वीं योजना अवधि के दौरान ई एंड आई स्कीमों के अंतर्गत निधियों को राज्य-वार अदायगी

राज्य का नाम	राशि (लाख रु॰)
कर्नाटक	475.00
मध्य प्रदेश	3.80
राजस्थान	709.00
तमिलनाडु	325.00
	300.00
पश्चिम बंगाल	211.20

टिप्पणी : ई एंड आई के अंतर्गत निधियों का आबंटन स्वीकृत स्कीम और उपलब्ध निधियों के आधार पर एकमुश्त किया जाता है। आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए निधियों को जारी करते समय मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा निधियों के वास्तविक उपयोग और उनके अपने हिस्से के लिए गए खर्च की समीक्षा करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं

3524. **श्री गिरिधर गोमांग :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो बहु-उद्देशीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इस संबंध में परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस योजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उन कार्य-स्थलों के ब्यौरे जहां मार्गस्थ सुविधाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं या प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केवल मार्गस्थ सुविधाएं संबंधी कार्य के लिए अलग से कोई निधियां नियत नहीं की गई हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियां कार्य की प्रगति और निधियों की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण

यात्रीपरक मार्गस्थ सुविधाओं की स्थिति

(क) सरकार द्वारा वित्त-पोषित

क्र.सं॰	राज्य	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	रा. रा.-4 पर पालमनेर	प्रगति पर है
2.	असम	जाखल-बंडल रा॰रा॰-37, 338 कि.मी.	प्रगति पर है
3.	गोवा	रा॰रा॰ 17 पर नगाओ	एल ए पूरा हो चुका है। विकास कार्य अभी संस्वीकृत किया जाना है।
4.	गुजरात	रा॰रा॰-8 पर वपी	प्रगति पर है
5.	हिमाचल प्रदेश	रा॰रा॰ 21 पर नौनी	प्रगति पर है
6.	महाराष्ट्र	रा॰रा॰-8 पर मैनर	प्रगति पर है
7.	मध्य प्रदेश	रा॰रा॰-3 पर खालघाट	प्रगति पर है
8.	उड़ीसा	रा॰रा॰-5 पर रामेश्वर	परिसर प्रचालन में है।
9.	राजस्थान	रा॰रा॰ -8 पर गोमती का चौराहा	एल ए पूरा हो चुका है। विकास कार्य अभी संस्वीकृत किया जाना है।
	तमिलनाडु	रा॰रा॰-7 पर सत्तूर	परिसर प्रचालन में है ।

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित

क्र.सं.	राज्य	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	82 कि.मी.रा॰रा॰-9 का हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड	प्रगति पर है।
2.	असम	रा॰रा॰ 31 पर 862-963 कि.मी.	सुविधा प्रचालन में है।
3.	बिहार	बरहि-आसनसोल खंड में 395 कि.मी. में रा॰रा॰ 2	सुविधा प्रचालन में है।
4.	हरियाणा	रा॰रा॰ 8 पर 75.6 कि.मी. पर धारुहेड़ा में	सुविधा प्रचालन में है।
5.	हिमाचल प्रदेश	रा.रा. 21 पर 158.83 कि.मी.	कार्य प्रगति के उन्नत स्तर पर है।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	246/247 कि.मी पर रा.रा. 1 क	प्रगति पर है।
7.	कर्नाटक	रा.रा.-4 पर 490/475-490/625 कि.मी.	प्रगति पर है।
8.	केरल	रा.रा. 47 पर 471.1-471.3 कि.मी.	सुविधा प्रचालन में है।
9.	मध्य प्रदेश	दुर्ग राजनंद गांव पर 325 कि.मी. रा.रा. 6 का खंड	सुविधा प्रचालन में है।
10.	महाराष्ट्र	रा.रा. 17 कि.मी. 457 पनवेर-पंजिम खंड	सुविधा प्रचालन में है।
11.	महाराष्ट्र	रा.रा. 8 पर 495/85 कि.मी.	कार्य पूरा होने वाला है।
12.	पंजाब	रा.रा. 15 पर 398-399 कि.मी.	प्रगति पर है।
13.	पंजाब	रा.रा. 1 पर 217/195 कि.मी.	सुविधा प्रचालन में है।
14.	राजस्थान	रा.रा. 15 के 15/400-15/610 कि.मी. के बीच	सुविधा प्रचालन में है।
15.	राजस्थान	रा.रा.-8 का 294 कि.मी. (जयपुर-अजमेर खंड)	सुविधा प्रचालन में है।
16.	राजस्थान	रा.रा. 8 पर 368-369 कि.मी.	सुविधा प्रचालन में है।
17.	तमिलनाडु	रा.रा. 7 पर 46 कि.मी. (बंगलौर-कृष्णगिरी खंड)	प्रगति पर है।
18.	उत्तर प्रदेश	रामपुर और बरेली के बीच रा.रा. 24 पर 192/600 कि.मी.	सुविधा प्रचालन में है।
19.	उत्तर प्रदेश	रा.रा. 2 को कानपुर-वाराणसी खंड का 242 कि.मी.	सुविधा प्रचालन में है।
20.	उत्तर प्रदेश	रा.रा. 24 के बरेली-सीतापुर खंड पर	सुविधा प्रचालन में है।
21.	प. बंगाल	रा.रा. 31 पर 805-806 कि.मी. गांव तूफानगंज	सुविधा प्रचालन में है।
22.	प. बंगाल	रा.रा. 34 पर 103 कि.मी.	कार्य प्रगति पर है।
23.	प. बंगाल	रा.रा. 6 के कलकत्ता-खड़गपुर खंड पर 111 कि.मी.	कार्य प्रगति पर है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना

3525. श्री अरविंद काम्बले :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) में स्थापित विशेष न्यायालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन न्यायालयों को स्थापित किए जाने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के मामलों से निबटने के लिए इन विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाते समय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एस० जम्बी दुरई) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग

3526. श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग को निन्दनीय और अहितकारी समझती है। विश्वविद्यालयों और संस्थानों तथा राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस बुराई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं तथा [illegible] के नाम पर विशिष्ट अपराध किए जाते हैं वहां कानूनी [illegible] लगाए जाएं। विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों [illegible] को गैर कानूनी करार करने के लिए अपने अध्यादेशों/विनियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है तथा जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उन्हें "घोर दुराचरण" के अपराधी के रूप में माना जाए ताकि अपराधियों को विश्वविद्यालयों से निष्कासित किया जा सके।

व्याख्यान न करवाया जाना

3527. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडी के शासकीय निकाय का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना क्या है;

(ग) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसड स्टडी के प्राधिकारियों ने नोबल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री डा० अमृत्य सेन द्वारा डा० राधाकृष्णन् की स्मृति में इंस्टीट्यूट में दिये जाने वाले व्याख्यान को नहीं करवाया;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त व्याख्यान अब कौन देगा; और

(ङ) इस परिवर्तन के कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडी, शिमला के शासी निकाय का कार्य-काल समाप्त होने पर, 20 जुलाई, 1998 को इसका पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठित शासी निकाय की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडी, शिमला ने सूचित किया है कि प्रो० अमृत्य सेन को इससे पहले दो बार 28 जनवरी, 1997 और 16 अक्टूबर, 1997 को सितम्बर, 1997 और सितम्बर, 1998 में राधाकृष्णन स्मारक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, किन्तु उन्होंने दोनों ही अवसरों पर इन्कार कर दिया । शासी निकाय ने सितम्बर, 1999 में वर्ष 1999 के लिए राधाकृष्णन स्मारक व्याख्यान देने के लिए सर्वसम्मति से मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। राधाकृष्णन स्मारक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण के संबंध में 15 अक्तूबर, 1998 को हुए शासी निकाय के विचार-विमर्श के दौरान प्रो० सेन का नाम आया ही नहीं।

विवरण

1.	प्रो० जी. सी. पाण्डेय	अध्यक्ष
2.	श्री एम. डी. श्रीनिवासन	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, आई. आई ए. एस. शिमला	
4.	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग	
5.	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग	
6.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
7.	अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	
8.	अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्	
9.	महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	
10.	अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्	
11.	प्रो० गोवर्धन मेहता	
12.	प्रो० पी. के. पोन्नुस्वामी	(स्थानापन्न किए जाने वाले)
13.	डॉ० कीर्ति जोशी	
14.	डॉ० योगानन्द काले	
15.	डॉ० लाकन लाल महरोत्रा।	

पर्यावरण संबंधी शिक्षा

3528. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण के संबंध में दी जाने वाली शिक्षा में जैविक संसाधनों का प्रलेखन और आसपास के वातावरण का परंपरागत ज्ञान भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विभिन्न स्तरों विशेषकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए हैं उनमें वृक्ष, पृथ्वी तथा समुद्री जीवन की कहानी, पक्षियों तथा मानव जातियों के जीवन-यापन का ढंग, जैवीय मंडल, मानव तथा उसका पर्यावरण, कोयला/कच्चा तेल जैसे जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों, वन्य जीव और वन संरक्षण, जातियों एवं जनसंख्या, जीवीय समुदाय जैसे जैविक संसाधनों के प्रलेयन भी हैं। हालांकि, इन विषयों से संबंधित जानकारी मूल पाठ्य-विषयक सामग्री में दी गई हैं।

[हिन्दी]

कलाकृतियों की चोरी

3529. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मूर्तियों और कलाकृतियों की चोरी करके विदेशों में ले जाया गया है और इनमें से कितनी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ भारत वापस लाई गयी हैं;

(ख) इस संबंध में जांच एजेसियों को कितनी सफलता मिली है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस कारण से कितने लोगों को दोषी पाया गया है; और

(घ) पुरातन कलाकृतियों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो जैसी केन्द्र सरकार की एजेन्सियों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में विदेशों में चोरी से ले जाई गई मूर्तियों एवं उपकरणों और उन्हें भारत वापस लाने संबंधी किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त "ख" की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राज्य सरकारों जैसी प्रवर्तित एजेन्सियों से परामर्श एवं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम को सख्ती से लागू कर सीमा शुल्क निकासी केन्द्रों पर सावधानी बरतने एवं गहन चौकसी के जरिये पुरावशेषों की चोरी एवं उनकी तस्करी रोकने के उपाए किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले चुनिंदा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों में सशस्त्र गार्ड लगाई गई है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर शिक्षा

3530. **श्री वेंकटेश** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल कितने विद्यार्थियों को इससे लाभ हुआ है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन राज्यों को कितनी धनराशि दी गई और नवीं योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) शिक्षा विभाग स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद तथा कम्प्यूटर साक्षरता योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में इस विभाग में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र को 890.66 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जबकि केरल को 766.90 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई थी। अलग-अलग राज्यों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की परामर्शदात्री सेवाएं

3531. **श्री प्रसाद बाबूराम तनपूरे :**
श्री एस०एस० ओवेसी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने सड़क अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुसंधान परामर्श देने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने अपने विपणन और अपनी जानकारी के आधार को बढ़ाने के लिए पूर्ण विकसित योजना "केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कार्य 2001" तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक कितने देशों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की गई हैं और इस समय कितने प्रस्ताव हाथ में हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आइ आर) का घटक एकक केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आइ) को सड़क तथा परिवहन इंजीनियर के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास संगठन के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।

(ख और (ग) जी हां । सी आर आर आइ हाइवे तथा परिवहन इंजीनियरी के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं देने तथा अन्य देशों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक तथा अफ्रीका विकास बैंक के पास पहले से ही पंजीकृत है।

(घ) जी हां। सी आर आर आइ ने सी आर आर आइ विजन 2001-कार्य योजना नामक एक विजन प्रलेख तैयार किया है।

(ङ) इस विजन प्रलेख में हैं :

- सी आर आर आइ हेतु मुख्य प्रणोद क्षेत्रों का अभिनिर्धारण;
- सन् 2001 तक प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का निर्धारण; और
- आधुनिकीकृत की जाने वाली परीक्षण सुविधाओं तथा अवसंचना का उल्लेख।

(च) सी आर आर आइ ने पांच देशों को परामर्शी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में विदेश में कोई परामर्शी परियोजनाएं नहीं चल रही हैं।

निधियों का व्ययगत होना

सैफुद्दीन सोज : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान योजनागत निधियों में से 250 करोड़ रुपए की राशि व्ययगत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या निधियों की कमी के कारण ही बारामुला से हंदवाड़ा तथा चौकीबल तक राष्ट्रीय राजमार्ग का व्यापक स्तर पर मरम्मत कार्य शुरु नहीं किया जा सका; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान योजनागत आवंटन में से लगभग 240 करोड़ रुपए वापस किए गए जिसके मोटे तौर पर निम्नलिखित कारण हैं :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने स्थायी पुलों से पथकर की कम वसूली।

(2) अनुसंधान संगठनों/राज्यों से कम मांग/प्रस्ताव।

(3) उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के लिए आवंटन में कटौती।

(4) एल ओ सी खोलने, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति में विलंब और वृक्षों की कटाई आदि की समस्या के कारण निष्पादन एजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों में निधियों का उपयोग न होना।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और इसका विकास एवं रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नागरहोल राष्ट्रीय पार्क में ताज होटल

3533. **श्री के०सी० कोंडय्या :**
श्री सीताराम यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय पार्क में ताज होटल परियोजना की अनुमति देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार को ताज समूह से होटल कॉम्पलेक्स ले लेने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य तथा आरक्षित वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में ऐसे लाभ कमाने वाले उपक्रमों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) नागरहोल नेशनल पार्क में मुरकाल कॉम्पलैक्स एंड कोटेजिज को मैसर्स गेटवे होटल्स एंड रिजोर्टस लि० को पट्टे पर दिए जाने संबंधी कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 28.5.98 को अस्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार के पुनर्विचार संबंधी अनुरोध को भी 17.9.98 को अस्वीकृत किया जा चुका है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यक्रम बंगलौर के मुख्य वन संरक्षक (मध्य) के दिनांक 17.9.98 के आदेशों द्वारा राज्य सरकार को कहा गया है कि वह मुरकाल कॉम्पलैक्स के सभी भवनों तथा सहायक सुविधाओं का मैसर्स गेटवे होटल्स एंड रिजोर्टस लि० से तुरन्त अपने कब्जे में ले लें।

(घ) सुरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन के नियमन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वाणिज्यिक पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करने की अनुमति नहीं है।

वन्य पशु व्यापार नियंत्रक ब्यूरो

3534. **श्री नादेन्दला भास्कर राव :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्य पशु व्यापार नियंत्रक ब्यूरो स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए कोई पुरस्कार दिया जाना आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पशु व्यापार नियंत्रक ब्यूरो की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य विकास योजना के अंतर्गत बहादुरी और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के विशिष्ट मामलों में पुरस्कारों और पारितोषिकों का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अध्ययन सामग्री में परिवर्तन

3535. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री आनन्द मौर्य :
डा॰ अशोक पटेल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री पंकज चौधरी :
डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्राचार के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध अध्ययन सामग्री में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पत्राचार के माध्यम से अध्ययन के लिए नामांकित कुल छात्रों में से लगभग 21 प्रतिशत छात्र ही अपना पाठ्यक्रम पूरा कर पाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1993 में पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों में शैक्षणिक परिवर्तन लाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रदान की थी जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि वर्तमान पाठ्यक्रम सामग्रियों को अपने आप में शिक्षण प्रदान करने वाली सामग्रियों के रूप में परिवर्तित किया जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली सामग्रियाँ अपने आप में पूर्ण और सुस्पष्ट होनी चाहिए । पत्राचार पाठ्यक्रम को अपने आप में शिक्षण प्रदान करने वाली सामग्री के रूप में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के सत्र के अन्त में ली जाने वाली परीक्षओं में सफलता दर अधिक है। दूरस्थ प्रणाली शिक्षण के लिए एक लचीला साधन है तथा इग्नू में उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता अनुकूल है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम

3536. **श्रीमती कमल रानी :** क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि इस पर खर्च की गई है;

(ग) क्या कुछ स्वयंसेवी संगठनों को इस प्रयोजन में लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस तरह से स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) निर्धारित लक्ष्य क्या था और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(च) क्या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग की घटनाएं हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला साक्षरता समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को क्रमशः जारी की गई धनराशि निम्नवत् है :

वर्ष	जिला साक्षरता समिति को जारी की गई अनुदान राशि (लाख रू॰)	स्वैच्छिक संगठनों को जारी की गई अनुदान राशि (लाख रू॰)
1993-94	2,212.88	132.07
1994-95	2,344.43	151.27
1995-96	1,504.44	81.52
1996-97	628.38	77.22
1997-98	389.09	78.72

(ग) जी, हां।

(घ) 56 स्वैच्छिक संगठन/पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 520.80 लाख रू॰ की धनराशि जारी की गई है।

(ङ) उस समय स्वैच्छिक संगठन के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

3537. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री के०डी० सुल्तानपुरी :
श्री सुशील चंद्र वर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार ताप विद्युत तथा जल विद्युत का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या ताप विद्युत तथा जल विद्युत के उत्पादन में कमी आयी है; और

यदि हां, तो इसका राज्य वार ब्यौरा क्या है?

मंत्री (**श्री पी०आर० कुमारमंगलम**) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 1998 के दौरान वर्ष में ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार/क्षेत्रवार/प्रणालीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(सभी आंकड़े मि.यू. मे.)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	विद्युत उत्पादन		
	ताप विद्युत	जल विद्युत	जोड़
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	4505	0	4505
जम्मू और कश्मीर	0	5244	5244
हिमाचल प्रदेश	0	3970	3970
हरियाणा	2178	190	2368
राजस्थान	5695	727	6422
पंजाब	6554	2618	9172
उत्तर प्रदेश	38285	4912	43474
पश्चिम क्षेत्र			
गुजरात	25990	949	26939
महाराष्ट्र	33567	2965	36532
मध्य प्रदेश	27829	2047	29876
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	25191	4837	30028
कर्नाटक	4113	6306	10419
केरल	165	4806	5025
तमिलनाडु	20203	3464	23667
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	5263	135	5398
उड़ीसा	5703	2398	8101
पश्चिम बंगाल	13784	303	14087
डीवीसी	4726	258	4984
सिक्किम	0	23	23
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	0	09	09
असम	606	0	606
मणिपुर	0	379	379
मेघालय	0	374	374
नीमको	565	773	1338
त्रिपुरा	188	37	225

(ख) और (ग) जी, नहीं। अप्रैल-नवम्बर, 1998 के दौरान ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षाकृत क्रमश: 4.3% और 13.5% की वृद्धि हुई है।

आई०आर०सी०सी० का कार्यक्रम

3538. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. आर. सी. सी. द्वारा अब तक शुरू की गई परियोजनाओं के क्या नाम हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने इस निगम को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) आई आर सी सी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के नाम और उनके स्थान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। भारत सरकार के सचिवों की समिति ने आई आर सी सी को बंद करने की सिफारिश की है।

(ग) आई आर सी सी को बंद करने के लिए एक कैबिनट प्रस्ताव संबंधित मूल्यांकन एजेंसियों में परिचालित किया गया है।

विवरण

(1)	जिलटेन क्षेत्र में और उसके आस-पास सड़कों का निर्माण सी ए सं॰ 36 से 44 (9 करार)	लीबिया
(2)	मिसुराता क्षेत्र में सड़कों की सतह बनाना/सी ए सं॰ 1/80	"
(3)	- यथोक्त- सी ए सं॰ 2/80	"
(4)	बीर ड्फन रोड अलांची का निर्माण सी ए सं॰ 1/80	"
(5)	रोड रबाबिया का निर्माण सी ए सं॰ 2/80	"
(6)	रोड अलांची का निर्माण सी ए सं॰ 3/80	"
(7)	सुक्तालता रोड का निर्माण सी ए सं॰ 4/80	"
(8)	मजार अल फ्याज सड़क का निर्माण सी ए सं॰ 1/80	"
(9)	अल हमन अल रजायना सड़क का निर्माण सी ए सं॰ 2/81	"
(10)	अद साउथ जिलटेन एग्रीकल्चरल सड़क का निर्माण सी ए 24/81	"
(11)	गेरियत देर्ज हाईवे का निर्माण सी ए 468/टी/80	"
(12)	अगेदाबिया तबरुक लीबिया हाईवे का निर्माण सी ए सं॰ 445/टी/82	"
(13)	जलावाला पुल और उसके पहुंच मार्गों का निर्माण	"
(14)	अलकायम-अकशत रेलवे लाइन पर 529 बॉक पुलियों का निर्माण	"
(15)	अलधोलोइया पुल और उसके पहुंच मार्गों का निर्माण	"
(16)	सड़क और कंकरीट परियोजना का निर्माण	"
(17)	इब्ब-अल उदयन सड़क का निर्माण	यमन अरब गणराज्य
(18)	ए एन एस पुल का निर्माण	जम्मू और कश्मीर (भारत)
(19)	जम्मू और कश्मीर में यदुनाथ और पंडा खास पुल का निर्माण	"
(20)	असम में लुंगई पुल का निर्माण	"
(21)	तांबरम एयर फील्ड का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	"
(22)	विभिन्न स्थानों पर तीन स्टॉकयार्डों के निर्माण के लिए सेल को परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना।	भुवनेश्वर, राउरकेला इलाहाबाद
(23)	अरुणाचल प्रदेश में बासर में बागवानी एवं वनविद्या महाविद्यालय की योजना, डिजाइन एवं निर्माण।	बासर, अरुणाचल प्रदेश भारत

[अनुवाद]

एक्सप्रेसवे के लिए भूमि

3539. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च गति वाले सुगम एक्सप्रेसवे का नेटवर्क विकसित करने के लिए रियायती दर पर भूमि देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क परियोजनाओं में निजी निवेश विशेष रूप से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार निम्नलिखित मुख्य पहल कर चुकी है :-

(1) सड़क क्षेत्र को वाणिज्यिक ऋण लेने की सुविधा के लिए एक उद्योग घोषित किया गया है।

(2) परियोजना के चालू होने से 20 वर्ष के भीतर किसी अवधि में 5 वर्ष की नैगम कर छूट अवधि और अगले पांच वर्षों में कर के प्रयोजनार्थ 30% लाभ को कम करने की छूट प्राप्त की जा सकती है।

(3) अलग-अलग मामलों के आधार पर अनुमत इक्विटी के 74% और 100% तक सीधे विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन।

(4) परियोजना लागत के 35% तक विदेशी वाणिज्यिक ऋण अनुमति है।

(5) थोक मूल्य सूचकांक के साथ सूचीबद्ध चुंगी दर।

(6) उच्च गुणता के अभिज्ञात उपकरणों के निशुल्क आयात की अनुमति है।

(7) परियोजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि को अवरोधों से मुक्त करने का निर्णय।

[हिन्दी]

बड़ौदरा में गुजरात उच्च न्यायालय और हुबली में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ

3540. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :
श्री एम॰ श्रीनिवास :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदरा में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ तथा हुबली में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गुजरात में राजकोट, सूरत, बड़ौदरा, कच्छ और भावनगर में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए, विभिन्न विधिज्ञ संगमों से, समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

कर्नाटक सरकार ने, हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कहा है।

भारत सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों ही, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर न्यायपीठ की स्थापना के लिए एकमत हों।

गुजरात और कर्नाटक की सरकारों से, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अत: केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

कुटीर ज्योति कार्यक्रम

3541. श्री अर्जुन सेठी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1998-99 के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र सरकार के पास क्या व्यवस्था उपलब्ध है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दौरान (30.11.1998 तक) दी गई 20.11 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इन निधियों के उचित समुपयोजन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार अनुदान का 50% अग्रिम तौर पर कार्य करने के लिए कनैक्शनों की स्वीकृत संख्या के लिए अग्रिम प्रदान करती है तथा अनुदान की बची हुई 50% राशि, कार्य के समापन और लाभभोगियों की सूची प्रस्तुत करने पर राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत विभागों को प्रदान की जाएगी।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संवितरित अनुदान (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	216
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	-
4.	बिहार	262
5.	दिल्ली	-

1	2	3
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	25
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	25
10.	जम्मू व कश्मीर	
11.	कर्नाटक	626
12.	केरल	11
13.	मध्य प्रदेश	265
14.	महाराष्ट्र	275
15.	मणिपुर	–
16.	मेघालय	18
17.	मिजोरम	–
18.	नागालैंड	–
19.	उड़ीसा	–
20.	पंजाब	25
21.	राजस्थान	24
22.	सिक्किम	20
23.	तमिलनाडु	204
24.	त्रिपुरा	15
25.	उत्तर प्रदेश	–
26.	पश्चिम बंगाल	–
27.	केन्द्र शासित प्रदेश	–
	जोड़	2011

[हिन्दी]

बाघ परियोजना की रजत जयंती

3542. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री तेजवीर सिंह :
डा० अशोक पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ परियोजना की रजत जयंती पर हाल में ही एक कार्यशाला आयोजित की गई थी तथा इसमें बाघों को बचाने हेतु विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाघों की निरंतर घटती संख्या के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। बाघ परियोजना के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर बाघों की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नई दिल्ली में 19 से 21 नवम्बर 1998 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने बाघ परियोजना के अंतर्गत मौजूदा 23 बाघ रिजर्वों के अतिरिक्त नौवीं योजना के दौरान छः नए बाघ रिजर्वों को सृजित करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा कई अन्य उपाय भी किए गए हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. राज्य सरकारों को निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गश्त को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं।

2. प्रभावी आसूचना प्राप्त करने और कानूनों को लागू करने हेतु विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई है।

3. अनाधिकार शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रण करने हेतु सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय रिलर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन जैसे भारतीय प्राणि विज्ञान और वानस्पतिक सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

4. बाह्य सीमा व्यापार नियंत्रण के संबंध में चीनी गणराज्य के साथ एक समझौते पर और नेपाल सरकार के महामहिम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5. बाघ संरक्षण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को उठाने के लिए बाघ रेंज देशों अर्थात् ''ग्लोबल टाइगर फोरम'' के लिए एक मंच के सृजन का मामला उठाया।

6. भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण में किए गए प्रयासों में समर्थन के वास्ते गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ करना।

7. संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों में बाघ व्यापार मार्ग खोजने तथा बाघ के हिस्सों और उत्पादों के लिए अदालती पहचान, संदर्भ नियम-पुस्तिका बनाने हेतु समर्थन कार्यक्रम।

8. राज्य सरकारों को क्षेत्रों के पारि-विकास के लिए जैविक दबाव कम करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

9. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थल विशिष्ट "स्पेशल स्ट्राइक फोर्स" को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दुर्लभ पशुओं की खालों की तस्करी

3543. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से दुर्लभ पशुओं की खालों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत छः महीनों के दौरान इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) दुर्लभ प्राणियों की खालों की तस्करी के मामले समय पर भारत सरकार के ध्यान में आते रहते हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के उप निदेशकों-और वन्यजीव संरक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले छः महीनों के दौरान बाघों की चार खालें और तेंदुओं की दो खालें जब्त की गईं और इस संबंध में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का विस्तार, रख-रखाव

3544. कर्नल सोनाराम चोधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रख-रखाव और उनको चौड़ा करने तथा अतिरिक्त राजमार्गों के निर्माण के लिए 1998-99 में कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) क्या दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को चार लेन वाले राजमार्ग में बदला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशी खर्च हो चुकी है और कितने किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) उक्त चार लेन वाले राजमार्ग का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 496 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं। चौड़ा करने के कार्य इत्यादि सहित मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1678.30 करोड़ रु० की अन्य राशि आवंटित की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली-जयपुर सड़क में चार-लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इसे लगभग 127 कि०मी० को यातायात के लिए खोला जा चुका है। गुड़गांव (36.63 कि०मी०) से कोटपुतली (162.5 कि०मी०) तक के शेष खंड में चार-लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है जिस पर नवम्बर, 1998 तक 82 करोड़ रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) कार्य को मार्च, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार/विकास

3545. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना में उड़ीसा के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) 1998-99 के दौरान उड़ीसा के किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, दोहरीकरण और विकास किये जाने का प्रस्ताव है और नवीं योजना के बाकी वर्षों में किन राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, दोहरीकरण और विकास किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। 1997-98 के दौरान उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 52.4 कि०मी० लम्बाई का एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग रा. रा.- 60 जोड़ा गया है। 1998-99 में मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में लगभग 809 कि०मी० की कुल लम्बाई के तीन नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है।

(ख) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1998-99 वित्त वर्ष के दौरान 32.08 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

(ग) 1998-99 के दौरान वार्षिक योजना कार्यक्रम में संलग्न विवरण के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों कार्यों के विकास का प्रावधान है।

विवरण

राज्य : उड़ीसा

वार्षिक योजना 1998-99

सड़क एवं पुल कार्य

क्र. सं.	रा०रा०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
क.	**सड़क कार्य**				
	2-लेन में चौड़ा करना (सुदृढ़ीकरण के साथ/बिना)				
1.	23	50.0-54.0 कि.मी.	3.10	10.40	
2.	23	296.96-305.0 कि.मी.	8.04	4.00	
3.	43	329.0-336.0 कि.मी.	7.00	3.00	
4.	43	358.435-361.0 कि.मी.	2.565	1.20	
5.	43	376.0-377.4 कि.मी.	1.40	0.70	
6.	43	382.8-390.0 कि.मी.	7.20	3.10	
7.	43	437.8-446.0 कि.मी.	9.00	4.00	
	कमजोर दो-लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना :				
8.	5क	67-77.40 कि.मी.	10.6	3.00	
9.	6	401.0-412.0 कि.मी.	11.0	3.30	
10.	6	480.0-491.0 कि.मी.	11.0	3.30	
11.	42	18.0-29.00 कि.मी.	11.3	3.30	
12.	42	39.0-49.0 कि.मी.	10.0	3.00	
13.	43	319.0-322.0 कि.मी.	3.0	0.90	
14.	60	चुने हुए खंड.	6.0	1.30	
	विविध कार्य				
15.	रा.रा. विविध सड़क कार्य: ज्यामितीय एलएस सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, एल ए, पुलिया, पुलप्रवेश मार्ग, सड़क की गुणता में सुधार, सर्वेक्षण और जांच इत्यादि। प्रत्येक कार्य की लागत 50.00 लाख रु० से कम।			4.00	
				40.00	
ख.	**पुल कार्य**				
	बड़े पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण				
16.	23	एप्रोच मार्गों सहित समकोई पुल		12.00	
17.	23	251/317 कि.मी. में सुदीहि नदी पर एच एल पुल		4.00	

1	2	3	4	5	6
	पुलों का पुन: स्थापन				
18.	6, 23 एवं 42	पैकेज 1 के अधीन रा.रा. 6, 23 और 42 पर विपदग्रस्त पुलों (7) में 7 का पुन: स्थापन।	संख्या में 7	2.50	
19.	5, 5 क और रा.रा. 6	पैकेज 11 के अधीन रा.रा. 5, 5 क और 6 पर विपदग्रस्त पुलों (5) का पुन: स्थापन।	संख्या में 5	2.50	
	छोटे पुल				
20.	6	विसोई नाला पुल	24 मी.	0.70	
		नेता नाला पुल	40 मी.	2.00	
		हरदापट नाला पुल	40 मी.	1.00	
23.	रा.रा.	विविध पुल कार्य: सर्वेक्षण और जांच, मरम्मत, पुन: स्थापन, 50.00 लाख रू० प्रत्येक से कम लागत के छोटे पुलों को चौड़ा करना, कंसेलटेंसी सेवाएं इत्यादि।	एल एस	2.00	
				26.70	
		कुल जोड़ : क + ख 66.70 करोड़ रू०			

खेलों के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

3546. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल संघ और स्वैच्छिक संगठनों को कुल कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ख) देश में खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभावान खिलाड़ियों और उनके कोचों को प्रोत्साहित कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खेलों के विकास के लिए कितने स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में देश में खेलों के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा स्वैच्छिक संगठनों को 2907.70 लाख रुपये की कुल अनुदान राशि प्रदान की गयी है। 1996-97 तथा 1997-98 में, योजनागत एवं योजनेत्तर दोनों के अंतर्गत, क्रमश: 874.36 लाख रुपये तथा 1246.70 लाख रुपये की अनुदान राशि विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी गयी है। तथापि, चालू वर्ष अर्थात 1998-99 के दौरान, 15 दिसंबर, 1998 तक उन्हें 775.12 लाख रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है। परिसंघों के अतिरिक्त, ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत, निचले स्तर पर खेलों के संवर्धन हेतु ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्थित खेल क्लबों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 1996-97 के दौरान, 6.17 लाख रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया जबकि 1997-98 में उन्हें 5.35 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया। तथापि, चालू वर्ष में अभी तक ग्रामीण खेल क्लबों को कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है क्योंकि उपर्युक्त योजना कार्यक्रम संशोधनाधीन था।

(ख) सरकार ने खेलों के संवर्धन और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

(1) राष्ट्रीय खेल नीति में संशोधन : 1984 की वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति को संशोधित किया जा रहा है ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्राथमिकता को फिर से परिभाषित किया जा सके तथा खेलों के संवर्धन और विकास के समूचे दृष्टिकोण को नयी दिशा दी जा सके।

(2) राष्ट्रीय खेल विकास निधि : सरकार ने 2.00 करोड़ रुपये के आरंभिक अंशदान से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) की स्थापना की है। इस निधि का उद्देश्य

निर्गामित और साथ-ही-साथ सार्वजनिक क्षेत्र से वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस निधि में किये जाने वाले अंशदान को आकर्षक बनाने की दृष्टि से, इस निधि में किए जाने वाले सभी अंशदानों पर शत-प्रतिशत कर छूट दी गई है।

(3) अवस्थापना का सृजन : अवस्थापना के सृजन संबंधी वर्तमान योजना हाल ही में संशोधित की गई है। मानकों, डिजाइनों तथा आकलनों के सैट तैयार किए गए हैं ताकि एकरूपता और गुणवत्ता बनायी रखी जा सके। खेल अवस्थापना के सृजन के लिए, उन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो खेलों के संवर्धन के कार्य में सक्रियता से जुड़े हुए हैं।

इसके अतिरिक्त कि सरकार देश में खेल प्रतिभाओं का विकास करने के उद्देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार हाल ही में होनहार खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई सहायता की उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। असाधारण रूप से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विभिन्न सम्मान और पुरस्कार जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(ग) देश में खेलों के विकास के लिए जिन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत किए गए उनकी संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	खेल क्लबों की संख्या
1995-96	30
1996-97	20
1997-98	23

जम्मू और कश्मीर में ढांचागत विकास

3547. श्री चमन लाल गुप्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में सड़कों के ढांचागत विकास पर किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) बसोहली-भदरवाह मार्ग और भदरवाह-चम्बा मार्ग परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) राज्य में होने वाले ढांचागत विकास के अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय और सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू और कश्मीर में सड़कों के विकास पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	करोड़ रु॰
1995-96	70.76
1996-97	119.89
1997-98	122.11

(ख) (1) बसोहली-भद्रवाह सड़क : श्रेणी 9 की विनिर्दिष्टताओं तक सुधार की वर्तमान प्रगति इस प्रकार है :

(क) निर्माण पूरा हो गया है।

(ख) सर्फेसिंग 76.07%

(2) भद्रवाह-चम्बा सड़क : इस सड़क का विकास और रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अवसंरचना विकास का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार के लिए योजनागत आवंटन

3548. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में पारिस्थितिकी तथा वनों के विकास के लिए किए गए योजनागत आवंटनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में नए वृक्षारोपण और वनों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय में पारिस्थितिकी और वनों के विकास के लिए बिहार राज्य को 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान क्रमशः 741.26 लाख रुपए तथा 378.28 लाख रुपए की राशि रिलीज की है।

(ख) बिहार में वनरोपण और उनके विस्तार के लिए एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना, क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना, वृक्ष और बीज विकास तथा भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने जैसी अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें

3549. श्री सत्य पाल जैन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निचली अदालतों के (जिला न्यायाधीश स्तर तक के) न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को काफी समय से संशोधित नहीं किया गया है और इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों के बीच बहुत नाराजगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निचली अदालतों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंधों के अधीन, राज्यों की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों का, और उनको उपलभ्य प्रसुविधाओं का विनियमन संबद्ध राज्य सरकार का विषय है।

(ख) और (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय ...गम (रिट याचिका संख्या (022/89) के मामले में न्यायिक ...को सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में कुछ निदेश दिए थे, वे निदेश निवास स्थान की व्यवस्था, निवास स्थान पर कामचलाऊ पुस्तकालय, परिवहन सुविधा, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने आदि के संबंध में थे। अनेक राज्य सरकारों ने, न्यायाधीशों की सेवा शर्तों और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किए हैं और कुछ राज्य सरकारें, उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन में लगी हुई हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुपालन में, न्यायमूर्ति श्री के॰ जे॰ शेट्टी की अध्यक्षता में, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग भी गठित किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के निदेश निबंधनों में, संपूर्ण देश की अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत जांच और सिफारिश भी सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का कोटा

3550. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि से विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात बिगड़ जाएगा और यह स्थानीय विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

3551. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा किन-किन योजनाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कुल कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी है और अनुदान प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनको पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान दिया गया है और उन परियोजनाओं के राज्य-वार तथा योजना-वार नाम क्या हैं जिनके लिए अनुदान दिया गया है;

(घ) क्या अनुदानों की निगरानी के लिए कोई प्रणाली मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

व्यावसायिक संस्थान

3552. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत व्यावसायिक संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों के लिए दी गई अनुदान राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विद्यमान स्कूलों में व्यावसायिक अनुभाग चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक 6486 स्कूलों में 18719 अनुभाग चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इन स्कूलों में 9.35 लाख छात्रों को दाखिला देने की क्षमता है। राज्य-वार नामांकित छात्रों की संख्या के बारे में ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(*अनुदान की राशि लाख रु० में*)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	108.52	-	-
4.	बिहार	415.39	-	-
5.	गोवा	115.04	139.68	-
6.	गुजरात	-	-	-
7.	हरियाणा	621.85	239.28	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1.33	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
10.	कर्नाटक	328.32	357.75	-
11.	केरल	929.35	514.38	223.00
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	3134.44	2239.88	-
14.	मणिपुर	35.24	-	8.00
15.	मेघालय	13.67	4.63	-
16.	मिजोरम	8.80	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	-	-	-
19.	पंजाब	434.53	1.42	-
20.	राजस्थान	-	888.48	-
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तामिलनाडु	-	-	-
23.	त्रिपुरा	-	25.65	-
24.	उत्तर प्रदेश	502.40	473.74	-
25.	पश्चिम बंगाल	-	20.50	-
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
27.	चंडीगढ़	26.86	50.69	27.00
28.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
29.	दमन और दीव	5.06	5.90	-
30.	दिल्ली	50.23	14.92	-
31.	पांडीचेरी	14.06	-	-

[*अनुवाद*]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

3553. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थान-वार कितने छात्र पंजीकृत किए;

(ख) इस स्कूल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थान-वार कितने केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे कुछ और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन० ओ० एस०) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में महाराष्ट्र में विगत 3 वर्षों के दौरान 9277 विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। इन विद्यार्थियों को महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में स्थित अध्ययन केन्द्रों की मदद से शिक्षा प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में विगत 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा स्थापित 88 अध्ययन केन्द्रों की जिलावार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अध्ययन केन्द्रों को मान्यता प्रदान किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के रूप में सम्बद्ध होने के इच्छुक संस्थाओं को समय-समय पर मान्यता प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वे विहित पात्रता शर्तों को पूरी करती हों।

विवरण

विगत 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्रों की जिला-वार सूची

1.	**मुम्बई**	13
2.	नागपुर	2

3.	गोड्चिरोली	1
4.	पुणे	25
5.	थाणे	7
6.	पंचगनी	2
7.	नासिक	5
8.	सिंधुदुर्ग	7
9.	ओसमानाबाद	2
10.	धुले	3
11.	संगली	1
12.	रत्नागिरि	1
13.	परभन्नी	1
	नांदेड	2
	लातुर	4
16.	चन्द्रपुर	2
17.	वर्धा	1
18.	अमरावती	2
19.	अकोला	2
20.	यावतमल	3
21.	बुलधाना	2
	कुल	88

जल विद्युत परियोजना

3554. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर एम.ई.के.ई.टी.यू.आई. के निकट एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तौ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार के साथ-साथ तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में मेकादातु, होगेनक्कल, रासीमनाल और शिवसमुन्द्रम जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अलग-अलग प्रस्ताव रखे हैं। चूंकि दोनों राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव परस्पर विरोधी हैं इसलिए भारत सरकार ने पहल करके राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से अनुरोध किया है कि वह कावेरी जल विवाद अधिकरण के आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की समीक्षा की प्रक्रिया द्वारा सलाह दें।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने विचार-विमर्श के लिए दो वैकल्पिक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है। प्रथम प्रस्ताव में मेकादातु, रासीमनाल और होगेनक्कल पर 3 बांधों की तथा दूसरे प्रस्ताव में कर्नाटक में मेकादातु पर तथा तमिलनाडु में रासीमनाल पर केवल दो बांधों की परिकल्पना की गई है। दोनों वैकल्पिक प्रस्तावों के संबंध में तमिलनाडु सरकार तथा कर्नाटक सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

उड़ीसा में वानिकी का विकास

3555. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वानिकी के विकास के लिए उड़ीसा को परियोजना-वार कितनी वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ख) क्या अनुदान की राशि का उपयोग संतोषजनक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित वनीकरण और सम्बद्ध स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को दी गई स्कीम/परियोजना-वार केन्द्रीय सहायता और उसके उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

स्कीम/परियोजना	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता (पुन: समर्पित राशि शामिल है) (1996-97 से 1998-99)	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता (1996-97 से 1998-99)
1	2	3
1. एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम (आई ए ई पी एस) : परियोजनाएं :		
क. धेनकेनाल जिला	6.00	प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है

1	2	3
	ख. टेल वॉटरशेड	125.00	1998-99 में स्वीकृत
	ग. चिलिका वॉटरशेड	26.00	प्रगति रिपोर्टें प्रतीक्षित है
	घ. सालंदी वॉटरशेड	25.60	
2.	उड़ीसा में क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम परियोजना	265.16	177.34
3.	वृक्ष एवं चरागाह बीच विकास स्कीम	3.50	प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है
4.	औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वन उत्पाद संरक्षण और विकास स्कीम परियोजना	374.18	286.03
5.	भोगाधिकार हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित आदिवासियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	112.45	58.60
6.	"आधुनिक दावानल नियंत्रण प्रविधियां" स्कीमें	23.75	7.50
	कुल मिलाकर "उपभोग" संतोषजनक है।		

किसानों में जागरूकता पैदा करना

3556. श्री आर॰ एस॰ गवई : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में कृषि कार्यों और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मूल सिद्धान्तों, क्षमताओं और हाल में हुई प्रगति के प्रति जागरूकता पैदा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि तथा सहकारिता विभाग जैसे विभिन्न सरकारी विभाग और एजेन्सियां वैज्ञानिक अवधारणाओं तथा विकास के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, जैवउर्वरक, जैवकीटनाशक, रेशमकीटपालन, वर्मीकम्पोस्टिंग, ऊतक संवर्धन, शव उपयोगिता आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण, जागरूकता पैदा करने तथा शिक्षा के लिए अधिक अवसर हैं। इनमें राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, व्यावहारिक अनुसंधान परियोजनाएं और संस्थान-गांव सम्पर्क कार्यक्रम भी हैं। लगभग 10 लाख ग्रामीण कारीगरों को कृषि विज्ञान केन्द्रों (फार्म साइंस सेन्टर्स) तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सप्ताह से लेकर कुछ सप्ताह के लिए होते हैं। कृषि तंत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रति वर्ष लगभग 1000 प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं और लगभग 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जोताई, बुआई, अन्त:संवर्धन, फसल कटाई, दावन एवं फसलोत्तर कार्यों के लिए अनेक प्रकार के कृषि संबंधी कार्यपद्धतियों का विकास किया गया है और किसानों ने इनमें से 26 कार्यपद्धतियों को अपनाया भी है। चयन, परिचालन, अनुरक्षण, मरम्मत एवं फार्म मशीनों में प्रबंधन प्रदान करने के लिए बूंदी (म॰प्र॰), हिसार (हरियाणा), अनंतपुर (आ॰प्र॰) और विश्वनाथ छरियालि, जिला सोनिकपुर (आसाम) में चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं जांच स्थल स्थापित किये गये। केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल (म॰प्र॰) में विभिन्न कृषि मशीनरी के उपयोग हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

कृषि, बागवानी, पुष्पखेती, मानव पोषण, खाद्य प्रसंस्करण, हर्बल औषधि के क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु प्रयास किये गये हैं। जन संचार माध्यम जैसे रेडियो एवं टेलीविजन नेटवर्क का प्रयोग, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण एवं यात्रा कार्यक्रम आधुनिक कृषि मशीनरी के प्रति जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। नये जैवप्रौद्योगिकी पैकेज पर जीवन्त प्रदर्शनों के साथ किसानों के बीच मुद्रित सामग्री भी वितरित की गई है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰-3

3557. श्री जार्ज ईडन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰-3 पर क्या-क्या कार्य किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या कोची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के पास इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰-3 पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य और चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए बजटगत प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दर्शाए गए हैं।

(ख) से (घ) कोची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के पास इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध है।

विवरण

कार्य/स्कीम	1998-99 में बजटगत प्रावधान (करोड़ रु॰)
1. बांधों का निर्माण और अनुरक्षण	0.50
2. टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण	0.80
3. कैपिटल निकर्षण जिनमें नहर को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण भी शामिल है	4.00
नुरक्षण कार्य	1.50
5. सर्वेक्षण जलयानों का अधिग्रहण	0.40
6. सर्वेक्षण उपस्कर की खरीद	0.30
7. टर्मिनलों का निर्माण और अनुरक्षण	2.00
8. 24 घन्टे नौचालन के लिए उपकरण	0.30
9. तट संरक्षण	0.30
10. गश्त नौकाओं का अधिग्रहण	0.10
11. प्रदूषण नियंत्रण और ई एम पी	0.10
जोड़	10.30 करोड़ रु॰

मनंथवाडी में जल विद्युत केन्द्र

3558. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के मनंथवाडी में एक जल विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस परियोजना का जिले, जिसके विशाल वन क्षेत्र में हाथी और एशियाई बाघ रहते हैं, की पारिस्थितकीय और पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजकोट-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार

3559. श्री दिग्गा पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 कि.मी. लम्बे भाग की पहचान दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की निकट भविष्य में राजमार्ग के इस भाग का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी हां। गुजरात राज्य में प्रश्नगत सड़क के 19.4 कि.मी. लम्बाई के कतिपय खंड पहले ही 4 लेन कैरिजवे के हैं और चालू वार्षिक योजना (1998-99) में 4 लेन बनाने के लिए 10.00 कि.मी. लम्बाई शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्यीय निधियों से 29.8 कि.मी. लम्बाई के खंडों में 4 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है और लगभग 121.9 कि.मी. को 4 लेने में चौड़ा करने का प्रस्ताव है।

शिक्षण शुल्क का पुनर्निर्धारण

3560. श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में लगाये गए शिक्षण शुल्क का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रों को ऋण पाने और पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद इसका पुनर्भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने के लिए कोई ऋण योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के उन स्नातकों पर विशेष शुल्क लगाने का है जो पाठ्यक्रम पूरा करने के तत्काल बाद विदेश चले जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) शिक्षा लागत की कतिपय प्रतिशतता, जो वर्ष दर वर्ष काफी बढ़ती जा रही है, को वहन करने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सम्पूर्ण

कार्यकलापों को समन्वित करने वाला केन्द्रीय निकाय) ने 7.11.1996 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में शैक्षिक वर्ष 1997-98 से अवर स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रतिवर्ष शिक्षा शुल्क सहित कुल शुल्कों में वृद्धि करने को अनुमोदित किया।

(ख) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों की कुछ बैंकों से शिक्षा के लिए ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) इस समय, कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नेशनल पावर ग्रिड

3561. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल पावर ग्रिड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य निजी कंपनियों के बीच लेन-देन को विनियोजित करने के लिए क्या तंत्र अभिकल्पित किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। पावर ग्रिड ने एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना के लिए एक संदर्श योजना तैयार की है जिसे ग्याहरवीं योजना के अंत तक सोपानों में क्रियान्वित किया जाएगा। पावर ग्रिड ने प्रथम चरण में एचवीडीसी बैक-टू-बैक लिंक द्वारा क्षेत्रों को जोड़ने की परिकल्पना की है। पावर ग्रिड ने विंध्याचल में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र तथा चन्द्रपुर में दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के मध्य एक बैक-टू-बैक लिंक चालू भी कर दिया है। पावर ग्रिड 659.98 करोड़ रुपए की लागत पर गजुवाका में दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के मध्य एसवीडीसी बैक-टू-बैक लिंक पूरा कर रहा है तथा ससाराम में उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के मध्य एक और लिंक की 671.56 करोड़ रुपए की लागत पर परिकल्पना की गई है। ग्रिड को वृहत आकार की बहु-राजीय परियोजनाओं के साथ नियोजित वृहत अंत:क्षेत्रीय संयोजकों के द्वारा और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण संयोजक प्रदान करने वाली छोटी स्कीमों को भी हाथ में लिया जा रहा है। जैसे ही इन परियोजनाओं को हाथ में ले लिया जाएगा वैसे ही संसाधनों का आवंटन कर दिया जाएगा।

(ग) भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन कर दिया गया है। उड़ीसा और हरियाणा में राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) गठित कर दिए गए हैं। रा० वि० बो० और निजी कम्पनियों के बीच का कारोबार, एसईआरसी का गठन करने के पश्चात्, उनके अधिकार-क्षेत्र के भीतर होगा।

दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा

3562. **श्री पी० एस० गढ़वी** :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आरम्भ की गई इस नई बस सेवा को लोगों ने कितना पसन्द किया है;

(ग) इन दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दिन भर की यात्रा और रास्ते में पड़ने वाले तीन ठहराव वाली ऐसी बस सेवा से देश में हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी का मौका सुलभ हो जाने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी तस्करी को रोकने के उपायों को सुनिश्चित किया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) जी नहीं। तथापि, नई दिल्ली और लाहौर के बीच बस चलाने संबंधी एक प्रस्ताव पर यह मंत्रालय सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार कर रहा है। तथापि, एक ऐसी बस सेवा प्रारंभ करने के लिए एक द्विपक्षीय करार के माध्यम से रूपरेखा तैयार करने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना

3563. **श्री ए० सी० जोस** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की समीक्षा/मूल्यांकन के लिए कोई यंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित अनुदानों पर नजर रखने के लिए कोई निगरानी प्रणाली मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं :

(क) एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में एक अतिरिक्त शिक्षक का प्रावधान, (ख) प्रत्येक प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो कमरों का प्रावधान, और (ग) सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री का प्रावधान। 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को तीन कक्षा तथा तीन शिक्षक उपलब्ध कराने और उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए इस योजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर वर्ष 1993 में इस योजना को संशोधित कर दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समीक्षा बैठकें तथा क्षेत्रीय बैठकों/चर्चा बैठकों के अतिरिक्त तिमाही प्रगति रिपोर्टें निगरानी के आधार हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और अन्य बाह्य एजेंसियों जिनमें आपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओ.आर.जी.), नई दिल्ली, जी.बी. पंत सोशल साइंस इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद तथा संधान, जयपुर शामिल है, द्वारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मूल्यांकन भी किया गया है। इन मूल्यांकन अध्ययनों के अन्तर्गत जो राज्य शामिल किए गए हैं, उनमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने पर इस योजना की समीक्षा भी की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हासिल करने की दृष्टि से ऐसी समीक्षाओं के आधार पर ही परिशोधित/संशोधित किया जाता है अथवा उनका विस्तार किया जाता है।

राज्य सरकारों के पास बची हुई बकाया राशि की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और अनुवर्ती वर्षों के दौरान राज्यों को निधियां जारी करते समय इनको ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

श्रीमती रमा देवी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) बिहार में क्रियान्वयनाधीन ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	परियोजना/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की संभावित तिथि
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1.	तेनुघाट टीपीपी चरण-2 (टीवीएनएल)	3x210	*
2.	मुजफ्फरपुर टीपीपी (बीएसईबी)	2x250	*
3.	जोजोबेरा टीपीपी (जमशेदपुर पावर कं.)	2x120	वित्तीय समापन प्राप्त करने के पश्चात् 33 माह
जल विद्युत परियोजनाएं			
3.	चांदिल एलबीसी (बीएचपीसी)	2x4	1999-2000
4.	उत्तरी कोयल (बीएचपीमी)	2x12	2000-2001
5.	कोयल कारो (एनएचपीसी)	4x172.5+ 1x20	9वीं योजना से आगे

*चूंकि प्रमुख संयंत्र और उपस्कर के लिए अभी आदेश दिया जाना है, इसलिए चालू किए जाने के कार्यक्रम के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन स्कीमों हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था भी लंबित है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाएं

3565. श्री तथागत सत्पथी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विदेश में नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

अध्ययन सामग्री

3566. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए विशेष रूप से बेहतर गति और विषयवस्तु वाली अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसी सामग्री किन-किन भाषाओं में तैयार की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में महिलाओं के लिए ऐसी ही अध्ययन सामग्री तैयार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। यद्यपि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष तौर पर महिलाओं के लिए कोई अध्ययन की बेहतर गति तथा विषयवस्तु (आई.पी.सी.एल.) की अध्ययन सामग्री तैयार नहीं की जा रही है, फिर भी आई.पी.सी.एल. प्रवेशिकाओं की

महत्वपूर्ण विषय सूची में स्त्री-पुरुष समानता तथा महिलाओं की अधिकारिता को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। आई.पी.सी.एल. दृष्टिकोण के अन्तर्गत विशेष तौर पर महिला शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री तैयार नहीं की गई है क्योंकि उक्त दृष्टिकोण में सभी शिक्षार्थी चाहे भले ही वे पुरुष अथवा महिला क्यों न हों, को समाज में उनकी भूमिका तथा महत्व से समान रूप से परिचित कराए जाने की परिकल्पना की गई है। इसी विचार को ध्यान में रखकर, सभी प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए सामान्य अध्ययन-अध्यापन सामग्री तैयार की गई है जिसमें महिला संबंधी क्षेत्रों अर्थात स्त्री-पुरुष समानता, परिवार तथा समाज आदि के निर्माण में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका पर उचित ध्यान दिया गया है।

(ख) महिला शिक्षार्थियों के लिए किसी भाषा में कोई आई.पी.सी.एल. की सामग्री अलग से तैयार नहीं की गई है।

(ग) और (घ) आई.पी.सी.एल. दृष्टिकोण की अध्ययन-अध्यापन सामग्री तैयार करने के लिए यह परिकल्पना की गई है कि सभी शिक्षार्थी चाहे भले ही वे पुरुष अथवा महिला क्यों न हों, को समाज की प्रासंगिकता से उन्हें समान रूप से परिचित कराया जाए।

[अनुवाद]

केरल में मध्याह्न भोजन

3567. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1997-98 के दौरान तथा आज तक मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कितनी मात्रा में चावल आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य द्वारा केन्द्र सरकार से इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान चावल के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में केरल को क्रमश: 627971.2 क्विंटल तथा 480228.8 क्विंटल चावल आवंटित किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन० एल० एम०

3568. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आवंटित की गई धनराशि को खर्च नहीं किया जा सका है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केरल में नव साक्षरों हेतु सतत शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा वर्षवार जारी की गई अनुदान की राशि निम्नवत है :

वर्ष	धनराशि
1995-96	शून्य
1996-97	495.00 लाख रु०
1997-98	शून्य

(ख) और (ग) केरल सरकार को मार्च, 1997 माह में 495.00 लाख रु० की धनराशि जारी की गई थी। केरल सरकार ने इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली, केरल साक्षरता समिति को बारी-बारी धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

विशिष्ट क्षेत्र खेल योजना

3569. **श्री सी० डी० गामीत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट क्षेत्र खेल योजना की परिकल्पना कब की गई थी और यह कब अस्तित्व में आई; और

(ख) उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त योजना का कार्य प्रदर्शन कैसा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विशेष क्षेत्र खेल योजना वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई थी।

(ख) राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के संवर्धन के लिए खेल विज्ञान मापदंण्डों पर आधारित प्रतिभा खोज संबंधी प्रक्रिया के अनुसार प्रतिभाओं का पता लगाया जाता है। ऐसे प्रारंभिक चयन के बाद, चयनित प्रतिभा को मूल्यांकन प्रशिक्षण शिविर में रखा जाता है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और खेल विज्ञान कार्मिकों द्वारा उन पर सावधानी से निगरानी रखी जाती है। इसके पश्चात चयनित प्रतिभाओं को एजवाल, इम्फाल, रांची, तेलीचैरी, जगतपुर, इलाहाबाद, पोर्ट ब्लेयर और ऐलप्पी में स्थित आठ विशेष क्षेत्र खेल केंद्रों में से किसी एक

केन्द्र में तीरंदाजी, साइकलिंग, फैसिंग, मुक्केबाजी, जूडो, कुश्ती, भारोत्तोलन, हाकी, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स, जल क्रीड़ा और फुटबाल जैसी खेल विधाओं में प्रवेश दिया जाता है। इस समय, उक्त योजना के अंतर्गत, 318 प्रशिक्षणार्थी (231 लड़के ओर 87 लड़कियां) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रभावशीलता के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। योजना से दो अर्जुन पुरस्कार विजेता (श्री लिम्बा राम और श्री श्याम लाल, तीरंदाजी में) और कई अन्य खिलाड़ी तैयार हुए हैं।

अपील दायर करना

3670. श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिलों की विशेष व्यवस्था से संबंधित उच्च न्यायालय के 17 नवम्बर, 1998 के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील दायर की है अथवा दायर [illegible] है;

[illegible], तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश में विशेष छूट के संबंध में सिविल रिट याचिका सं॰ 4281/98 में दिनांक 17.11.98 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर करने के प्रश्न पर, निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा।

पदोन्नति

3571. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक :
श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 20 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में सूचीबद्ध कई दोषी व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) उल्लिखित सूची में निम्नलिखित नाम के अधिकारियों को शिक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया है :

1. श्री जैड॰ एस॰ चिकारा
2. श्री आर॰ कुमार

(ग) और (घ) उपर्युक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने पर प्रथम दृष्टि में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामला शुरू करने के लिए कुछ भी सारवान नहीं पाया गया था।

पदोन्नतियां केवल तभी रोकी जाती हैं जब विभागीय पदोन्नति समिति किसी अधिकारी को अयोग्य पाती है अथवा जब किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लम्बित होता है। क्योंकि उपर्युक्त नामों के दोनों अधिकारियों में से किसी के भी विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं था और विभागीय पदोन्नति समिति ने उनको पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया है इसलिए वर्तमान नियमों के अनुसार ही उनको पदोन्नत किया गया है।

फ्लाई ऐश का खतरा

3572. श्री नरेश पुगलीया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को राजधानी में फ्लाई ऐश के खतरे के सम्बन्ध में नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फ्लाई ऐश को फैलने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

3573. श्री संदीपान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि निजी/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु पता लगाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी प्रस्ताव और चालू वर्ष व नौवीं योजना अवधि के दौरान इन स्रोतों से अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है?**

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : आज तक प्रदान की गई बी ओ टी परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। गैर-सरकारी निवेश के लिए अभि-निर्धारित परियोजनाओं की एक दूसरी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। अनुमानित निधियों के बारे में बता पाना मुश्किल है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

25.11.98 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त बी ओ टी परियोजनाओं की सूची

(क) सड़क परियोजनाएं

क्रं.सं.	परियोजना का नाम	रा०रा० सं०	राज्य	लागत करोड़ रु०	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	*थाणे-भिवंडी बाइपास	3 और 4	महाराष्ट्र	103	पूरा हो चुका है।
2.	*चेल्थन सड़कोपरि पुल	8	गुजरात	10	पूरा हो चुका है।
3.	*उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	24	पूरा हो चुका है।
4.	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	50	प्रगति पर है।
5.	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	90	प्रगति पर है।
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	68	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय समापन की प्रतीक्षा है।
7.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	113	प्रगति पर है।
8.	नरधाना सड़कोपरि पुल	3	महाराष्ट्र	34	प्रगति पर है।
9.	पाताल गंगा पुल	17	महाराष्ट्र	33	प्रगति पर है।
10.	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	68	प्रगति पर है।
11.	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	73	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय समापन की प्रतीक्षा है।
12.	कोरतलैयार पुल	5	तमिलनाडु	30.00	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
13.	खबातकी घाट सुरंग एवं सड़क	4	महाराष्ट्र	37.80	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
14.	नसीराबाद सड़कोपरि पुल	6	महाराष्ट्र	10.45	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
15.	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	32.60	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
16.	माही पुल	8	गुजरात	42.00	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
	जोड़			818.85	

*पूरी कर ली गई हैं और यातायात के लिए खोल दी गई हैं।

विवरण-II

विचाराधीन बी ओ टी परियोजनाएं

क्रं. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	दिल्ली-गुड़गांव (6 लेन)	315.40	विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
2.	गुजरात	विद्यमान रा.रा. पुल के नीचे की ओर खेड़ा के समीप वात्रक नदी पर अतिरिक्त पुल का निर्माण	42.00	पूर्व अर्हता पूरी कर ली गई है। निविदा खोली गई और कार्य का ठेका देने. का कार्य चल रहा है।
3.	गुजरात	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग (शेष कार्य)	400.00	रियायत करार को अंतिम रूप दिया जाना है।
4.	गुजरात	गुजरात एस पी वी-बलसाड महाराष्ट्र सीमा (343.381.6 कि.मी.) (लम्बाई-38.6 कि.मी.)	180.00	विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन प्रगति पर है।
5.	महाराष्ट्र	अकोला बाइपास (रा.रा.-6) (लम्बाई-13.5 किमी)	67.90	ठेकेदारों के चयन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। मूल्यांकन किया जा रहा है।
6.	महाराष्ट्र	अमरावती बाइपास (रा.रा.-6) (लं॰-16.0 किमी)	90.30	ठेकेदारों का चयन पूरा कर लिया गया है। वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
7.	महाराष्ट्र	रा.रा.-6 के नागपुर-इहलाबाद खंड के 113/800 कि.मी. में पिंगलै नदी पर पुल का निर्माण	8.25	तकनीकी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है और निविदा दस्तावेज के लिए अनुमोदन जारी किया जा रहा है।
8.	महाराष्ट्र	रा.रा.-7, नागपुर-हैदराबाद सड़क पर बूटीबोरी के समीप 23/800 कि.मी. में आर ओ बी का निर्माण	-	यह कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा इरकॉन के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है।
9.	महाराष्ट्र	पनवेल-महद-पंजिम सड़क रा.रा.-17 की जरप से पत्रादेवी और बांडा से पत्रादेवी (18/758 से 21/598 कि.मी.) मिसिंग लिंक का निर्माण।	2.84	तकनीकी प्रस्तावों और निविदा दस्तावेज की जांच की जा रही है।
10.	महाराष्ट्र	पुणे-सोलापुर-हैदराबाद सड़क रा.रा.-9 को 4 लेन का बनाना (0/0 से 4/500 कि.मी. में सोलापुर बाइपास को 4 लेन बनाना	18.00	सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है और राज्य लो.नि.वि. से तकनीकी प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
11.	महाराष्ट्र	पुणे-सोलापुर सड़क रा.रा.-9 पर 144/800 कि.मी. में भीमा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	12.5	सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है और राज्य लो.नि.वि. से तकनीकी प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
12.	महाराष्ट्र	नागपुर-धुले सड़क रा.रा.-6 पर फेकरी गांव के समीप 399/0 कि.मी. में पहुंच मार्गों के साथ आर ओ बी का निर्माण।	-	तकनीकी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और यह कार्य म.रा.स.वि. निगम द्वारा इरकॉन के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है।
13.	महाराष्ट्र	रा.रा.-4 पर पुणे सिटी से 25 कि.मी. बाहर पश्चिमी डाइवर्जन पर फ्लाइओवर मुल (वाजरे) का निर्माण	-	यह कार्य भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किया जा रहा है।
14.	महाराष्ट्र	मुम्बई-पुणे सड़क रा.रा.-4 के 133/800-138/200 कि.मी. तक मुम्बरा बाइपास का निर्माण।	32.00	तकनीकी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।
15.	महाराष्ट्र	नागपुर क्षेत्र में रा.रा.-6 और 7 चुनिंदा खंडों को सुदृढ़ करना।	-	तकनीकी प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
16.	पंजाब	अम्बाला कालका सड़क (रा.रा.-22) के 32.08 कि.मी. में डेराबासी में आर ओ बी का निर्माण	25.00	30.7.98 तक इस कार्य का ठेका देने की संभावना है।

1	2	3	4	5
17.	पंजाब	चंडीगढ़-कीरथपुर सड़क (रा.रा.-21) के 26.428 कि.मी. में कुरली में आर ओ बी का निर्माण	20.00	30.7.98 तक कार्य का ठेका दिए जाने की संभावना है।
18.	राजस्थान	आर ओ बी (6)	114.36	किशनगढ़ आर ओ बी-चयन पूरा कर लिया गया है, वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। अन्य के लिए रेलवे के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
19.	राजस्थान	जयपुर-किशनगढ़ (4 लेन बनाना) लम्बाई 93 कि.मी.	362.00	तकनीकी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। ठेकेदारों का चयन किया गया है। भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और रियायत करार तैयार किया जा रहा है।
20.	तमिलनाडु	तमिलनाडु में रा.रा.-46 के 73/6 कि.मी. पर विद्यमान लेवल क्रोसिंग के बदले में आर ओ बी और उसके पहुंचमार्गों तथा गुडयातम सड़क (पचकुप्पम के समीप) को जोड़ने के लिए सेवा सड़क का निर्माण	10.00	राज्य लो.नि.वि. द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
21.	तमिलनाडु	तिरूनेवेली बाइपास (रा.रा.-7)	55.50	लो.नि.वि. द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
22.	तमिलनाडु	होसूर-कृष्णागिरि (4 लेन) (लम्बाई 61 कि.मी)	227.20	तकनीकी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। ठेकेदारों का चयन किया गया। राज्य लो. नि.वि. द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। रियायत करार तैयार किया जा रहा है।
23.	तमिलनाडु	चिंगेलपेट-टिंडीवनम (67 से 122 कि.मी.) (लम्बाई 55 कि.मी.)	211.00	तकनीकी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। ठेकेदारों का चयन किया गया। भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। रियायत करार तैयार किया जा रहा है।
24.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद बाइपास (चरण-1)	100.00	ठेकेदारों की पूर्व अर्हता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।
25.	पश्चिम बंगाल	रा.रा.-8 को 670 कि.मी. में हुगली नदी पर दूसरे विवेकानन्द पुल का निर्माण (लम्बाई 5 कि.मी.)	330.00	रियायत करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है।
26.	पश्चिम बंगाल	रा.रा.-34 पर बेलघरिया एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8 कि.मी)	88.00	परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
27.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग	300.00	परामर्शदाताओं की नियुक्ति प्रगति पर है।
28.	बी ओ टी परियोजनाएं (मेट्रो कारीडॉर)		2025.00	साध्यता अध्ययन प्रगति पर है।
29.	नीलमंगला-तुमकुर		211.00	पूर्व अर्हता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्राधिकरणों का गठन

3574. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्राधिकरणों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों को कितनी धनराशि दी जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित प्राधिकरणों का गठन किया गया है :

(i) पारिस्थितिकी ह्रास (निवारण और प्रतिपूर्ति भुगतान) प्राधिकरण, तमिलनाडु।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण।

(iii) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण।

(iv) दहानु तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण।

(v) जल कृषि प्राधिकरण।

(ग) पारिस्थितिकी ह्रास (निवारण और प्रतिपूर्ति - भुगतान) प्राधिकरण के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी प्राधिकरणों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

(घ) इन प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों से यह पता चलता है कि :

(क) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण :

(i) इस प्राधिकरण के उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए राज्यों को यह सलाह दी जा रही है कि वे राज्य भूजल प्राधिकरणों का गठन करें।

(ii) भूजल प्रदूषण और क्षीणता (डिप्लीशन) की दृष्टि से असुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है।

(iii) वर्तमान/प्रस्तावित भूजल एक्स्ट्रैक्शन के पंजीकरण की कार्यविधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) दहानु तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण

इस प्राधिकरण ने कई पेचीदा मामलों की जांच की है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्रदेश में स्टोन क्रैशर्स और खदानों के लिए अनुमति।

(ख) दहानु स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र को मानीटर करना।

(ग) दहानु में पत्तन की स्थापना हेतु प्रस्ताव।

(घ) दहानु क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण

दिल्ली ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए इस प्राधिकरण ने विशिष्ट मामलों की वर्तमान स्थिति और की जाने वाली भावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठनों के साथ अब तक कुछ बैठकें आयोजित की हैं। यह प्राधिकरण दिल्ली सरकार के साथ समन्वय भी स्थापित करता है।

(घ) जल कृषि प्राधिकरण

अब तक की गई 9 बैठकों में इस प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया है :

1. जल कृषि फार्मों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु कार्य प्रणाली।
2. प्रोसेसिंग फीस, आवेदन प्रपत्र।
3. दिशानिर्देश।
4. अवधि, जिसके लिए लाइसेंस दिए जा सकते हैं।
5. उच्च ज्वार रेखा चिह्न से संबंधित मामले।
6. प्रशिक्षण जरूरतें।
7. किसानों के प्रतिनिधित्व सहित उप समितियों का गठन।

(ङ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

बाल विवाह

3575. **श्री डी० एस० अहिरे :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल विवाहों की संख्या में कमी नहीं आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के मामलों में दोषियों को कठोर दंड देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एस॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 अंतिम बार 1978 में बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधित किया गया था कि अधिनियम के अधीन अपराध, अन्वेषण के प्रयोजन के लिए और उन मामलों से, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 (नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी), भिन्न मामलों के लिए और बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, संज्ञेय होंगे। इस समय, अधिनियम के उपबंधों को अधिक कठोर बनाने के लिए इस निमित्त और विधायी उपाय अनुध्यात नहीं हैं। बाल विवाह की प्रथा, समाज के कतिपय वर्गों में गहराई से सन्निहित हैं और विधान अपने आप में इस प्रथा को रोकने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के माध्यम से ही इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।

नौवहन उद्योग को निगमित कर प्रोत्साहन

3576. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी**
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठिनाइयों का सामना कर रहे देश के नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निगमित कर प्रोत्साहनों संबंधी एक नया प्रस्ताव लाने की कोई योजना है;

(ख) क्या मंत्रालय का यह भी विचार है कि वाणिज्यिक परिवहन के सभी साधनों में समानता लाने के लिए जहाजों की अवमूल्यन दर को 20% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो नौवहन उद्योग के लिए लाए जा रहे नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस मंत्रालय ने नौवहन उद्योग के वित्तीय और वित्तपोषण संबंधी लाभ के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) आयकर अधिनियम की धारा 33 ए सी को 31.3.1995 से पहले के मूल रूप में बहाल करना।

(2) मूल्यह्रास दर परिवहन के अन्य साधनों अर्थात् ट्रकों, कारों, वायुयानों आदि के समतुल्य।

(3) विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के औसत अवधि मानदंड में छूट।

(4) तटीय नौवहन को बुनियादी उद्योगों के लाभ का दर्जा दिया जाए और वह अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लि॰ (आई डी एफ सी) से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर पुराने तथा जीर्णशीर्ण पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण

3577. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा तिरूअनंतपुरम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर कुझरिबुरैय से पुराने तथा जीर्णशीर्ण पुल के स्थान पर एक नए पुल का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : राज्य सरकार ने बी ओ टी (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) के आधार पर निजी क्षेत्र की सहभागिता से राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰-47 पर खुजथुराई के निकट 604/4 कि.मी. पर नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

आरक्षण लाभ

2578. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर फैलोशिप तथा लेक्चररशिप की पात्रता हेतु कोई परीक्षा आयोजित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा में आरक्षण संबंधी अनुदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को शुल्क इत्यादि में रियायत दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो 1997 में हुई उक्त परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने पर भी सफल घोषित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रु॰ लिए जाते हैं जबकि सामान्य अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में 400 रु॰ लिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है।

(ग) एन ई टी अर्हता प्राप्त लेक्चररों और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं की शैक्षिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अन्य

पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क तथा आयु को छोड़कर और कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

जल विद्युत संयंत्र

3579. श्री विट्ठल तुपे :
श्री अभयसिंह एस॰ भोंसले :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्राधिकरणों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर पूर्व और सिक्किम में क्रियान्वयन हेतु नए अभिज्ञात केन्द्र क्षेत्र, जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जल विद्युत परियोजनाओं पर निवेश अनुमोद पर विचार किए जाने से पूर्व परियोजना प्राधिकारियों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त करना और पर्यावरण एवं वन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें गहन अध्ययन शामिल है जैसे पर्यावरण तंत्र प्रबंधन, वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण, जल संसाधन प्रबंधन, वनस्पति पशु संरक्षण और प्रबंधन् भूमि के उपयोग संबंधी योजना सामाजिक विज्ञान/पुनर्वास, पारिस्थिकी पर्यावरण स्वास्थ्य प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और आवाह क्षेत्र उपचार/इसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हों।

विवरण

उत्तर-पूर्व और सिक्किम में क्रियान्वयन हेतु अभिज्ञात किए गए नये विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्थल सहित परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	क्रियान्वयन एजेंसी
1	2	3	4
1.	कोपिली जल विद्युत परियोजना चरण-2, असम	25	नीपको
2.	तुईवई जल विद्युत परियोजना, मिजोरम	210	नीपको
3.	लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना, असम	150	नीपको
4.	रंगानदी जल विद्युत परियोजना चरण-2, अरुणाचल प्रदेश	180	नीपको
5.	कार्मेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	600	नीपको
6.	तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना, असम	1500	नीपको/एनएचपीसी
7.	दिकरोंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	100	नीपको
8.	सिस्सरी जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	225	नीपको
9.	कोलोडीन जल विद्युत परियोजना	90	नीपको
10.	पक्के जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	75	नीपको
11.	पापुम्पम जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	100	नीपको
12.	धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना, मिजोरम	120	निपको
13.	तीस्ता-5, सिक्किम	510	एनएचपीसी
14.	लोकतक निचली धारा, मणिपुर	90	एनएचपीसी
15.	तिबू जंगकी, नागालैंड	778	एनएचपीसी
16.	तीस्ता-3, सिक्किम	1200	एनएचपीसी

1	2	3	4
17.	तीस्ता-4, सिक्किम	495	एनएचपीसी
18.	तीस्ता-6, सिक्किम	360	एनएचपीसी
19.	तीस्ता-2, सिक्किम	370	एनएचपीसी
20.	तीस्ता-1, सिक्किम	320	एनएचपीसी
21.	डेम्बे, अरुणाचल प्रदेश	520	एनएचपीसी
22.	दिहांग, अरुणाचल प्रदेश	13400	एनएचपीसी
23.	सुबनसरी, अरुणाचल प्रदेश	7300	एनएचपीसी
24.	लोहित, अरुणाचल प्रदेश	3000	एनएचपीसी
25.	किमी, अरुणाचल प्रदेश	1100	एनएचपीसी
26.	देबांग बांध, अरुणाचल प्रदेश	1000	एनएचपीसी

वन्य पशुओं का मांस

3580. श्री ए॰ वेंकटेश नायक :
श्री अभयसिंह एस॰ भोंसले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध शिकार तथा वन्य पशुओं का मांस बेचने की घटनाएं बढ़ा रही हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में अवैध शिकार में सहायता करने के लिए ऐसे शिकारियों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) अवैध शिकार तथा वन्यजीवों का मांस बेचने के लिए दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने का दायित्व राज्य सरकारों का है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन महत्वपूर्ण प्रजातियों का अवैध शिकार किया गया, वे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	बाघ	गैंडे	*हाथी
1995	5	42	77
1996	6	40	63
1997	4	11(नवंबर, 97)	40

*वित्तीय वर्ष के अनुसार

(ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में जल-भूतल परिवहन की विकास परियोजनाएं

3581. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल-भूतल परिवहन के विकास के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं ने भी ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और परियोजना-वार इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) स्वीकृत ऋण राशि के उपयोग के लिए जाने के कारण सरकार ने 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में इन देशों/वित्तीय संस्थानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) कार्यान्वित की जा रही भूतल परिवहन विकास की मुख्य परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। ओवरसीज इकॉनामिक को-आपरेशन फंड, जापान (ओ ई सी एफ) ने पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किए हैं और इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) ओवरसीज इकॉनामिक को-आपरेशन फंड द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता के अंतर्गत कोई प्रतिबद्धता प्रभार देय नहीं है।

विवरण-I

देश में कार्यान्वित की जा रही भूतल परिवहन परियोजनाओं के ब्यौरे

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1	2	3
1.	हरियाणा	रा.रा.-1 के कि.मी. 132.67-212.16 तक करनाल और अम्बाला के बीच 4 लेन बनाना (लम्बाई 79.50 कि.मी.)
2.	पंजाब	रा.रा.-1 के 212.2 से 252.25 कि.मी. तक सरहिंद और पंजाब/हरियाणा सीमा के बीच के खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 40.00 कि.मी.)
		रा.रा.-5 के भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड (00 कि.मी. से 27.8 कि.मी. तक) में 4 लेन बनाना (लम्बाई 27.80 कि.मी.)
4.	मध्य प्रदेश	इंदौर बाइपास (32.6 कि.मी.) के निर्माण सहित रा.रा.-3 के इंदौर-देवास खंड (573 से 590.6 कि.मी. तक) में 4 लेन बनाना (लम्बाई 50.20 कि.मी.)
5.	महाराष्ट्र	रा.रा.-8 के 439 से 497 कि.मी. के बीच बेसिन क्रीक और मनोर खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 58.00 कि.मी.)
6.	पश्चिम बंगाल	रा.रा.-8 के 438.6 से 474.0 कि.मी. तक रानीगंज और पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा के बीच के खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 35.40 कि.मी.)
7.	केरल	रा.रा.-47 के अल्वई शेरथलई खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 47.00 कि.मी.)
8.	उत्तर प्रदेश	रा.रा.-2 के मथुरा-आगरा खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 51.33 कि.मी.)
9.	हरियाणा और राजस्थान	रा.रा.-8 के गुड़गांव-कोटपुतली खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 125.93 कि.मी.)
10.	पश्चिम बंगाल	रा.रा.-2 के रानीगंज-पानागढ़ खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 42.00 कि.मी.)
11.	बिहार	रा.रा.-2 के बरवा अड्डा-बाराकर खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 42.70 कि.मी.)
12.	आंध्र प्रदेश	रा.रा.-9 के नन्दीग्राम-विजयवाड़ा खंड को मजबूत करना (लम्बाई 48.00 कि.मी.)
13.	आंध्र प्रदेश	रा.रा.-5 के विजयवाड़ा-इलूरू खंड को मजबूत करना (लम्बाई 74.08 कि.मी.)
14.	उत्तर प्रदेश	रा.रा.-27 के पहुंच मार्गों के साथ इलाहाबाद में यमुना नदी पर नैनी पुल (लम्बाई 5.40 कि.मी.)
15.	आंध्र प्रदेश	रा.रा.-5 के चिलाकलुरीपेट-विजयवाड़ा खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 83.25 कि.मी.)
16.	उड़ीसा	रा.रा.-5 के जगतपुर-चांदीखोल खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 33.20 कि.मी.)
17.	उत्तर प्रदेश	हापुड़ बाइपास सहित रा.रा.-24 के गाजियाबाद-हापुड़ खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 33.00 कि.मी)
18.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी पर पुल सहित वाराणसी बाइपास
19.	गुजरात	अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस मार्ग
20.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता-पालसित खंड (दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग)
21.	महाराष्ट्र	थाणे-भिवंडी बाइपास पर 4 लेनों का निर्माण
22.	गुजरात	रा.रा.-8 पर नर्मदा नदी के पुल का निर्माण

(2) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन परियोजनाएं

क्रम सं॰	परियोजना का नाम
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 1 का विकास
2.	हल्दिया से हलाहाबाद तक गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2
3.	धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र-राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3
4.	चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों के साथ-साथ कोटापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तटीय नहर

(3) पत्तन परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	पत्तन का नाम
1	2	3
1.	कंटेनर टर्मिनल	जे.एन.पी.
2.	तरल कार्गो बर्थ	जे.एन.पी.
3.	चौथी तेल जेटी	कांडला
4.	कोडिनार में तेल जेटी	कांडला
5.	अपतटीय स्टॉकयार्ड और बर्थ	मुरगांव

1	2	3
6.	प्रारंभ में आभाषी जेटी का निर्माण और उसके बाद स्थायी जेटी में परिवर्तन	कांडला
7.	कंटेनर टर्मिनल	तूतीकोरिन
8.	प्रारंभ में आभाषी जेटी का निर्माण और उसके बाद स्थायी जेटी में परिवर्तन	कांडला
9.	पी ओ एल जेटी का निर्माण	कांडला

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाए

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	ऋण की राशि मिलियन येन में
1.	उत्तर प्रदेश	रा.रा.-2 के मथुरा-आगरा खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 51.33 किमी)	4,855
2.	उत्तर प्रदेश	रा.रा.-27 के पहुंच मार्गों सहित इलाहाबाद में यमुना नदी पर नैनी पुल (लम्बाई 5.40 कि.मी.)	10,037
3.	आंध्र प्रदेश	रा.रा.-5 के चिलाकलुरीपेट-विजयवाड़ा खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 83.25 कि.मी.)	11,360
4.	उड़ीसा	रा.रा.-5 के जगतपुर-चांदीखोल खंड में 4 लेन बनाना (लम्बाई 33.20 कि.मी.)	5,836
5.	उत्तर प्रदेश	रा.रा.-24 के गाजियाबाद-हापुड़ खंड में 4 लेन बनाना और हापुड़ बाइपास (लम्बाई 33.00 कि.मी.)	4,837

चुनावों के दौरान आचरण-संहिता का उल्लंघन

3582. **श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग को हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा आचरण-संहिता का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण द्वारा आवासीय खेलकूद विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

3583. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेलकूद प्राधिकरण देश के आवासीय खेलकूद विद्यालयों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है और वे किन-किन राज्यों में कौन से स्थानों पर स्थित हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान इन विद्यालयों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत इसके द्वारा अंगीकृत पता लगाए गए आवासीय स्कूलों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिसका उद्देश्य पहचान की गई खेल विधाओं में 9-12 वर्ष के आयु वर्ग के युवा स्कूली बच्चों की प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका विकास करना है।

अंगीकृत स्कूलों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :

(1) नई खेल सुविधाओं के सृजन अथवा वर्तमान खेल सुविधाओं के सुधार हेतु 5.00 लाख रू॰ (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 7.50 लाख रू॰) का एक बारगी अवस्थापना अनुदान।

(2) 50,000/- रू॰ का वार्षिक अनुदान जिसमें खेल मैदानों के रख-रखाव के लिए 20,000/- रू॰, उपभोज्य खेल सामग्री की खरीद के लिए 27,500/- रू॰ तथा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद के लिए 2,500/- रू॰ की राशि शामिल है।

(3) उनके आवास, भोजन, स्कूल में प्रवेश, बच्चे तथा अनुरक्षक को यात्रा भत्ता, ट्यूशन फीस, स्कूल की वर्दी, खेल किट, चिकित्सा एवं बीमा कवर आदि पर होने वाला खर्च।

(ग) इस समय, योजना के अन्तर्गत 29 स्कूलों तथा दो अखाड़ों को अंगीकृत किया गया है। इन स्कूलों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान इन स्कूलों को 333.45 लाख रू॰ की अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

विवरण

क्र.सं.	स्थान (राज्य)	स्कूलों की संख्या
1.	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	1
2.	बंगलौर (कर्नाटक)	1
3.	कोट्टायम (केरल)	1
4.	गुमला, रांची (बिहार)	2
5.	कलकत्ता, कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल)	2
6.	सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)	1
7.	अगरतला (त्रिपुरा)	1
8.	गंगटोक (सिक्किम)	1
[illegible]	[illegible]राणसी, लखनऊ ([illegible]श)	3
10.	इन्दौर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	2
11.	पुणे, अहमद नगर, पंचगनी, नासिक, (महाराष्ट्र)	4
	सांगली, तालिमपुणे (महाराष्ट्र)	2 अखाड़ा
12.	उदयपुर (राजस्थान)	1
13.	गोवा	1
14.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	1
15.	गुवाहाटी (असम)	1
16.	इम्फाल (मणिपुर)	1
17.	शिलांग (मेघालय)	1
18.	चण्डीगढ़	1
19.	जालंधर (पंजाब)	1
20.	राई, सोनीपत (हरियाणा)	2
		31 (29+2)

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों और केन्द्रों की मियाद बढ़ाने संबंधी अध्ययन

3584. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों से विद्युत संयंत्रों और केन्द्रों की मियाद बढ़ाने संबंधी अध्ययन कराने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अधिकारी दल ने इस प्रयोजन के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के विभिन्न विद्युत केंद्रों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विद्युत वित्त निगम और राज्य बिजली बोर्डों ने ईष्टतम और लागत प्रवाही तरीके से कार्यों के क्षेत्र को परिभाषित करने और प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर कार्य करवाने की दृष्टि से वर्ष 1998-99 के दौरान नवीकरण और आधुनिकीकरण जीवन विस्तार अध्ययन कार्य आरंभ करने के लिए 15 ताप विद्युत स्टेशनों को संयुक्त रूप से अभिज्ञात किया है। इन स्टेशनों में तूतीकोरिन, कोराडी, विजयवाड़ा, रामागुंडम ''क'', भटिण्डा, परली पारस, सतपुड़ा, धुव्रण, पतरातू, दिरपुर, हरदुआगंज, पनकी, ओबरा और चन्द्रपुर शामिल हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंट्रमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) और संबंधित विद्युत स्टशेनों के अधिकारियों के एक दल ने कार्यान्वयनाधीन आर एंड एम (चरण-2) स्कीम की समीक्षा करने तथा नौवीं योजना के लिए आर एंड एम कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त कार्यों को अभिज्ञात करने के लिए देश में विभिन्न ताप विद्युत स्टेशनों का दौरा किया है। यूनिटों के कार्यशील जीवन और कार्यनिष्पादन के आधार पर 70 ताप विद्युत/गैस यूनिटों, जिनकी आर्थिक दृष्टि से मियाद पूरी हो गई है, को जीवन विस्तार अध्ययन कार्य/कार्यक्रम हेतु अभिज्ञात किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत गृह के लिए ऋण

3585. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री राजेंद्र अग्निहोत्री :
श्री चेतन चौहान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत गृहों की स्थापना करने के लिए दीर्घकालीन ऋण का पूर्णरूपेण उपयोग करने हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत सरकार के दिनांक 22.10.91 के संकल्प के अनुसार विद्युत परियोजना के कुल परिव्यय की अधिकतम 40% तक की राशि भारतीय वित्तीय संस्थानों से ऋण के तौर पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। भारत सरकार ने अब दिनांक 13.10.98 के अपने संकल्प के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि यद्यपि भारतीय वित्तीय संस्थानों

द्वारा अनुपालित विवेकपूर्ण मानदण्डों और बाह्य स्रोतों से वित्त पोषण अधिकतम करने की आवश्यकता के आधार पर परियोजना प्रवर्तक द्वारा प्राप्त किए गए घरेलू ऋण की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तथापि स्वदेशी स्रोत से प्राप्त उपस्कर और संयंत्र के आधार पर विकसित परियोजनाओं के लिए उच्च घरेलू ऋण घटक अनुमत करना अधिक वांछनीय होगा विद्युत परियोजनाओं के लिए दीर्घ अवधि के ऋण बाह्य स्रोतों के अलावा विद्युत वित्त निगम और अन्य भारतीय वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

बिजली संयंत्रों के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय नीति

3586. **श्री नरेश पुगलीया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों विद्युत वित्त निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य परामर्शदाताओं के साथ विचार विमर्श कर बिजली संयंत्रों के. उन्नयन हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने असंतोषजनक कार्य निष्पादन एवं यूनिटों को अपनी निर्धारित क्षमता पर लाने के लिए विद्यमान विद्युत केंद्रों के उन्नयन/नवीकरण और आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। ताप विद्युत केंद्रों के संबंध में सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों जिसका अनुवीक्षण के. वि. प्रा. द्वारा किया जा रहा था के तौर पर सातवीं अवधि में नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया है। हालांकि आठवीं योजनावधि के बाद से नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन विद्युत वित्त निगम द्वारा किया जा रहा है। सरकार अब नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को दिए जाने वाले विद्युत वित्त निगम के ऋणों पर 4-6% तक की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 78 ताप विद्युत केंद्रों, जिसके अधीन 361 यूनिटें हैं को शामिल किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 1987 से नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 55 जल विद्युत स्कीमें हाथ में ली गई। ताप विद्युत और जल विद्युत केंद्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के स्पिल ओवर कार्यों को नौवीं योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है। नवीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता वाले विद्युत केंद्रों के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भेल और विद्युत वित्त निगम के प्रतिनिधियों के एक दल का गठन किया गया था।

जल विद्युत केंद्रों के संबंध में हाल ही के जल विद्युत नीति के अनुसार भारत सरकार ने जल विद्युत केंद्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के निर्धारण हेतु स्थायी समिति के गठन का निर्णय लिया है। नए जल विद्युत केंद्रों के निर्धारण और तकनीकी व निधि आवश्यकताओं के गठ जोड़ इत्यादि के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत वित्त निगम और भेल के अधिकारियों के दल का गठन किया जाएगा।

पारादीप बंदरगाह पर सामान तेल तथा कोयला घाट

3587. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या **जल-भतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारादीप/बंदरगाह पर स्थापित किए जाने वाले सामान, तेल और कोयले के प्रस्तावति/घाटों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) 9वीं योजना के दौरान पारादीप में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावति बर्थों की संख्या निम्न प्रकार है :

(i)	सामान्य कार्गो	03
(ii)	तेल	01
(iii)	कोयला	02

(ख) परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन इस प्रकार है :

(i)	सामान्य कार्गो बर्थ	63 करोड़ रु०
(ii)	तेल बर्थ	48 करोड़ रु०
(iii)	कोयला बर्थ	628 करोड़ रु०

(ग) सभी बर्थों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सामान्य कार्गो बर्थों को फरवरी 2000 तक, तेल बर्थों को जनवरी, 2000 में और कोयला बर्थों को अप्रैल, 2000 में पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है।

विकास के लिए वन भूमि का आवंटन

3588. **श्री अरविन्द कांबले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन भूमि के आवंटन के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ख) सरकार को वन तथा मरू भूमि के विकास के लिए इनके आवंटन हेतु प्राइवेट पार्टियों तथा औद्योगिक घरानों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं और सरकार द्वारा उससे कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) फिलहाल, वन भूमि प्राइवेट पार्टियों और औद्योगिक घरानों को विकास के लिए आवंटन करने की सरकार की कोई नीति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सलाल बांध को गादरहित करना

3589. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांध में बहुत अधिक गाद जमा होने की वजह से सलाल पनविद्युत परियोजना को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने परियोजना के सलश द्वार को खोलने की स्वीकृति नहीं दी है और बांध के द्वारों को खोले बिना इसे गादरहित करना संभव नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो बांध को गादरहित करने के लिए व्यावहारिक विकल्प का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) की विद्युत परियोजना (एचईपी) चेनाव नदी में गाद जमा होने के कारण मानसून के महीनों के दौरान प्रचालन में कठिनाईयों का समाना करती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन यूनिटों को बंद करना पड़ता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ इंडस जल समझौता पानी को एकदम से रोकने और छोड़ने की अनुमति नहीं देता है तथा यह अपेक्षा रखता है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक बहाव को बनाए रखा जाए। चूंकि सलाल जल-विद्युत परियोजना से पानी के बहाव को मशीनों और स्पिल-वे के जरिए नियंत्रित किया जाता है ताकि प्राकृतिक नदी प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। अत: गाद को निकालने का कोई भी प्रबंध करना संभव नहीं है।

निर्माण के दौरान बांध में छ: अंदरूनी जलद्वारों के निर्माण का प्रावधान किया गया था; यह जलद्वार निर्माण के दौरान पानी को छोड़ने का माध्यम थे तथा इन्हें बांध के निर्माण के दौरान बंद किए जाने का प्रावधान था। निर्माण जल द्वारों को बंद करने का प्रावधान इसी प्रकार की परियोजनाओं में होने वाली पद्धति के अनुरूप है यह जलद्वार गाद को बाहर निकालने के लिए नहीं बने हैं तथा पाकिस्तान द्वारा इन जलद्वारों को खोलने पर सहमत न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परियोजना को पूरी क्षमता पर प्रचालित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए गाद के प्रभाव को कम करने तथा विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने और उत्पादन को अधिकतम करने हेतु कई तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 1998-99 (नवम्बर, 1998 तक) के दौरान उत्पादन, गत वर्ष (1997-98) की समान अवधि के दौरान उत्पादित 2371.11 मि.यू. की तुलना में 2770.12 मिलियन यूनिट रहा। चालू वर्ष (1998-99) के लिए सलाल जल-विद्युत परियोजना हेतु निर्धारित लक्ष्य 2335.00 मिलियन यूनिट है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

3590. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के नवीकरण, रख-रखाव और सुधार पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में से गुजरता है। प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियां समग्र आधार पर आवंटित की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में मूल कार्यों पर और राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर निम्नलिखित राशियां खर्च की गई हैं :

वर्ष	मूल कार्य (करोड़ रु०)	अनुरक्षण तथा मरम्मत (करोड़ रु०)	राज्य
1995-96	12.76	17.90	तमिलनाडु
	48.64	28.43	आंध्र प्रदेश
	36.02	14.48	उड़ीसा
1996-97	20.25	24.13	तमिलनाडु
	39.10	35.45	आंध्र प्रदेश
	59.17	19.82	उड़ीसा
1997-98	25.68	29.81	तमिलनाडु
	59.56	38.98	आंध्र प्रदेश
	64.75	25.22	उड़ीसा

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल कार्यों और अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निम्नलिखित राशियां नियत की गई हैं :

	मूल कार्य (करोड़ रु०)	अनुरक्षण एवं मरम्मत (करोड़ रु०)
तमिलनाडु	36.73	27.20
आंध्र प्रदेश	43.77	34.804
उड़ीसा	82.08	18.20

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाइयां

3591. श्री अजीत जोगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा उनकी वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयां उचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में स्थित विद्युत उत्पादन यूनिटों का समग्र कार्य निष्पादन संतोषजनक है। इन यूनिटों ने अप्रैल-नवम्बर, 1998 के दौरान 28241 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 29876 मि.यू. ऊर्जा का उत्पादन किया है। तथापि, निम्नलिखित यूनिटें नियोजित अनुरक्षण तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अधीन हैं :

1.	कोरबा-2 (पूर्व) यूनिट-1 (50.0 मे.वा.)	पूंजी अनुरक्षण
2.	कोरबा-3 (पूर्व) यूनिट-1 (120 मे.वा.)	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
3.	कोरबा (पश्चिम) यूनिट-3 (210 मे.वा.)	वार्षिक अनुरक्षण

विवरण

मध्य में स्थित विद्युत उत्पादन यूनिटें

	स्टेशन का नाम	स्थान	संख्या × यूनिटें	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा. 30.11.98)
अ	**जल विद्युत**			
1.	बीरसिंहपुर	बीरसिंहपुर	1×20	20.00
2.	बारगी	बारगीनगर	2×45	90.00
3.	बाणसागर	सरमोर	3×105	315.00
4.	हसदेव बांगो	बिलासपुर	3×40	120.00
5.	गांधीसागर	गांधीसागर	5×23	115.00
6.	पेंच	बोडर ऑफ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र	2×80	160.00
उप जोड़ (जल) क्षमता और यूनिटों की संख्या			16	820.00
बी	**ताप विद्युत**			
1.	कोरबा पूर्व-II	कोरबा	4×50+2×120	440.00
2.	कोरबा पश्चिम	कोरबा पश्चिम	4×210	840.00
3.	अमरकंटक (I+II)	अमरकंटक	2×30+2×120	300.00
4.	सतपुड़ा	सतपुड़ा	5×62.50+1×200+3×211	1142.50
5.	संजय गांधी	बीरसिंहपुर	2×120	420.00
6.	कोरबा एसटीपीएस (सी सैक्टर)	कोरबा	3×200+3×500	2100.00
7.	विन्ध्याचल एटीपीएस (सी सैक्टर)	विन्ध्याचल	6×210	1260.00
यूनिटों की संख्या और क्षमता का उप जोड़ (ताप)			37	6502.50
यूनिटों की संख्या और क्षमता का जोड़ (जल विद्युत+ताप विद्युत)			53	7322.50

[अनुवाद]

साक्षरता कार्यक्रमों को जारी रखना

3592. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में नवसाक्षर कक्षाओं से सीखी गई बातों को इन कार्यक्रमों के जारी नहीं रखे जाने के कारण भूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो साक्षरता कार्यक्रमों को जारी रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) किन-किन राज्यों द्वारा आज की तारीख तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। जिलों [illegible] का पहला चरण पूरा होने के पश्चात उत्तर साक्षरता [illegible] किए जाते हैं ताकि शिक्षार्थी निरक्षरता के गर्त में पुनः [illegible] इसके बाद सतत शिक्षा की योजना आरंभ की जाती है जो साक्षरता संबंधी हासिल की गई दक्षताओं को बनाए रखने की सुविधाएं प्रदान करती है ताकि शिक्षार्थी मूल शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।

(ग) राज्यों द्वारा संपूर्ण साक्षरता की स्थिति के अनुसार कोई घोषणा नहीं की जाती है। साक्षरता अभियानों का कार्यान्वयन करने वाली जिला साक्षरता समितियों को बाह्य मूल्यांकन के परिणामों को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई है।

पुष्पगिरि विहार के अवशेष

3593. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्राचीन पुष्पगिरि विहार के अवशेष जर्जर स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रसिद्ध बौद्ध पुष्पगिरि विश्वविद्यालय के संरक्षण तथा रख-रखाव हेतु कोई अनुदान उपलब्ध करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जैसा कि उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है, जयपुर जिले की लंगुडी हिल पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल के अवशेष पाए गए हैं, जिसकी पहचान कुछ इतिहासकार, प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेख में उल्लिखित पुष्पगिरि विहार से करते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 के दौरान, उड़ीसा सरकार ने इस स्थल के रखरखाव के लिए उड़ीसा मैरीटाइम एवं दक्षिण-पूर्व एशियन अध्ययन संस्थान को 2.00 लाख रुपए स्वीकृत किए।

पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की व्यवहार्यता

3594. श्री आर०एस० गवई : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विद्युत के क्रय-विक्रय की अवधारणा को समर्थन देने से इन्कार कर दिया है और प्रस्तावित पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ग) क्या मेगा विद्युत नीति में संशोधन हेतु विश्व बैंक द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में वृहत् विद्युत परियोजनाओं के विकास संबंधी नीति को नया रूप दिया है जो कि एक से अधिक राज्य की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, एक पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (पीटीसी) की स्थापना करने का प्रावधान है जो निजी वृहत् परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करके उसे संबंधित राज्य बिजली बोर्डों को बेचेगी। पीटीसी की स्थापना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं मांगी गई है। तथापि, वृहत् विद्युत परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की सेवाओं का वित्त पोषण करने के लिए पावरग्रिड ने विश्व बैंक से सम्पर्क किया है।

जीन टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी

3595. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीन टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों और फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रौद्योगिकी से भारत को नुकसान पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कितने क्षेत्र-परीक्षण किये गए हैं; और

(ङ) परीक्षण किन राज्यों में किये गए/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) जीन टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी (पादप जीन निष्पीडन पर नियंत्रण) बीज की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन लाएगी ताकि इसका उपयोग यदि दूसरी फसल को उगाने के लिए किया जाता है तो इसका अंकुरण ही नहीं होगा। इस प्रौद्योगिकी का विकास अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जब इस प्रौद्योगिकी

के लिए संगृहीत बीजों का क्षेत्र-परीक्षण होना है। अत: भारत को किसी तरह के नुकसान पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश में उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय अनुदान

3596. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पात्र छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1998-99 हेतु इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) यह मंत्रालय इस प्रकार की कोई योजना नहीं चलाता है जिसके अंतर्गत विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को वित्तीय अनुदान दिए जा सकें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम

3597. **श्री ए० सी० जोस :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष (आज तक) के दौरान पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और उसका वास्तव में कितना उपयोग हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : जिला साक्षरता समितियों के तत्वाधान में कार्यान्वित किए जाने वाले संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। ये समितियां जिला स्तर पर पंजीकृत समितियां हैं, जिसके अध्यक्ष जिलाधीश हैं। परियोजना के आधार पर इन समितियों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कुल 93.97 करोड़ रु० के बजट में से संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए 20 करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अब तक 7.62 करोड़ रु० की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। एक राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान आज तक संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए जिला साक्षरता समितियों को प्रदान की गई निधियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत की गई राशि (लाख रु०)
1	2
1. असम	50.00
2. बिहार	56.50
3. गुजरात	25.00
4. हरियाणा	28.77
5. हिमाचल प्रदेश	17.00
6. कर्नाटक	16.00
7. मध्य प्रदेश	65.00
8. महाराष्ट्र	85.00
9. मेघालय	20.00
10. उड़ीसा	10.00
11. राजस्थान	62.00
12. तमिलनाडु	22.00
13. त्रिपुरा	30.00
14. उत्तर प्रदेश	128.65
15. पश्चिम बंगाल	32.05
16. नई दिल्ली	114.08
कुल	762.05

उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशन

3598. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशन कितने और कौन-कौन से हैं;

(ख) उक्त विद्युत स्टेशनों की क्षमता कितनी है तथा वर्तमान समय में प्रत्येक विद्युत स्टेशन द्वारा प्रति वर्ष वास्तव में कितने मे. वा. विद्युत का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी किसी इकाई का विस्तार करनें का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का उड़ीसा में कोई नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उड़ीसा में अवस्थित केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों का नाम, उनकी अधिष्ठापित क्षमता सहित नीचे दिया गया है :

विद्युत केन्द्र का नाम	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	विद्युत उत्पादन 97-98 (मि.यू.)
तालचेर एसटीपीएस (2×500)	1000	4136
तालचेर टीपीएस (4×62.5+2×1[illegible])	470	2097

(ग) और (घ) तालचेर एसटीपीएस को 2000 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता को विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) जी, हां। ब्यौरा निम्नवत है :

परियोजना का नाम		कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
[illegible]		
	[illegible]ना चरण-2 (एच)	120.0
2	बारगढ़ (एच)	9.0
3.	पोत्तेरू (एच)	6.0
4.	अपर इन्द्रावती (एच)	600.0
5.	जलापुत बांध 50% (एच)	9.0
	जोड़	744.0
निजी क्षेत्र		
1.	[illegible]ब वैली 3 व 4 (टी)	420.0

गुजरात के दांग जिले में जड़ी-बूटी संसाधन

3599. श्री सी॰डी॰ गामित : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दांग के जंगलों में जड़ी-बूटी के प्रचुर संसाधनों के दोहन हेतु दांग जिले गुजरात के वनस्पति उद्यान के जनजातीय लोगों का औषधीय प्रजातियों के पौधरोपण हेतु कतिपय ब्लाक दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ब्लाकों की संख्या और नामों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक जड़ी-बूटी अजायबघर बनाने हेतु गुजरात सरकार से भी सहयोग की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला डांग (गुजरात) में आदिवासी समुदाय की सहायता से स्थानीय औषधीय पौधों की रोपाई के लिए राज्य वन विभाग ने 2 मी॰ × 2 मी॰ आकार वाले 40 ब्लॉकों की पहचान की है। ये ब्लॉक वघाई (जिला डांग) के वनस्पति उद्यान (बॉटनिकल गार्डन) में तैयार किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए आचार संहिता

3600. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर न्यायपालिका के लिए आचार संहिता की आवश्यकता का अनुभव करते हुए एक समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची की मदों में से एक मद राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना है जो अन्य बातों के साथ न्यायपालिका के लिए सदाचार संहिता तैयार करेगी।

भारत-यूरोपीय नौवहन नीति

3601. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री मोहन रावले :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ तथा भारत के बीच भारतीय नौवहन अंतरण नीति पर विचार करने हेतु अगले महीने बैठक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन कंपनियों को यूरोपीय संघ द्वारा यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की ओर से इन कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए दिए गए निर्णय के कारण शुल्क संबंधी विचार-विमर्श करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ से भारत के साथ पुनः नए सिरे से विचार-विमर्श करने हेतु कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में किस हद तक भारतीय नौवहन को सहायता दे रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

3602. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में देश के शेष राज्यों के साथ इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उत्पादित विद्युत के समुचित उपयोग हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का ब्यौरा (राज्य-वार) तथा देश के बाकी हिस्सों के साथ इसके तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत हैं :

राज्य/प्रणाली का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
अरुणाचल प्रदेश	15.0	17.0	13.0
असम	1434.00	1362.00	1072.00
मणिपुर	480.0	497.0	535.0
मेघालय	539.00	480.0	598.0
मिजोरम	0.0	0.0	0.0
नागालैंड	0.0	0.0	0.0
त्रिपुरा	193.00	244.00	302.00
नीपको	1052.00	1389.00	1527.00
जोड़ (उ.पू.क्षे.)	3713.00	3989.00	4047.00
अखिल भारत	379877	394489	420622

(ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए, पावरग्रिड द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में कई पारेषण स्कीमों को आरंभ किया गया है। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य न केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी हिस्से से होते हुए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के मध्य एक राजमार्ग के निर्माण के लिए 400 के.वी. संयोजकों से ऊपरी असम के हिस्से को सुदृढ़ करना है बल्कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए दक्षिणी असम में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ भी करना है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड ने कुशल ग्रिड प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक भार प्रेषण स्कीम की स्थापना भी आरंभ कर दी है। इससे क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के बेहतर समुपयोजन में सहायता मिलेगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

3603. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन 1984-85 से प्रारंभ हुआ था;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अब तक इसमें शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान कितने विद्यालयों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे विद्यालयों में छात्र अभी भी पुराने हार्डवेयर पर ही काम कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और उक्त विद्यालयों को अद्यतन हार्डवेयर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) 291 केन्द्रीय विद्यालय संशोधन-पूर्व विद्यालय कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना के अंतर्गत आते थे जो अब 1 अप्रैल, 1998 से बंद कर दी गई है। 164 केन्द्रीय विद्यालय संशोधित विद्यालय कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना के अंतर्गत हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 212 केन्द्रीय विद्यालयों को अगले तीन वर्षों के दौरान संशोधित विद्यालय कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों में वर्तमान हार्डवेयर (बी.बी.सी. माइक्रोसिस्टम के स्थान पर यदि निधियां उपलब्ध हुईं तो संशोधित हार्डवेयर संरूप लगा दिया जाएगा।

विवरण

विद्यालय कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन के अंतर्गत शामिल किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	संशोधन पूर्व परियोजना	संशोधित परियोजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	18	3
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	-
5.	बिहार	23	4
6.	चंडीगढ़	4	3

1	2	3	4
7.	दिल्ली	16	23
8.	गोवा	1	1
9.	गुजरात	14	3
10.	हरियाणा	8	1
11.	हिमाचल प्रदेश	2	1
12.	जम्मू एवं कश्मीर	7	2
13.	कर्नाटक	8	8
14.	केरल	9	8
15.	मध्य प्रदेश	23	16
16.	महाराष्ट्र	22	13
17.	मणिपुर	1	-
[illegible]	मेघालय	1	1
[illegible]	[illegible]	2	–
20.	उड़ीसा	7	4
21.	पंजाब	12	5
22.	राजस्थान	12	9
23.	सिक्किम	1	–
24.	तमिलनाडु	16	6
25.	उत्तर प्रदेश	46	24
26.	पश्चिम बंगाल	19	13
	कुल	291	164

विद्युत क्षेत्र में निजी तथा विदेश निवेश

3604. श्री संदीपान थोरात : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र में निजी तथा विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नई तुलनात्मक विद्युत नीति में और अधिक सुधारों को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा विद्युत क्षेत्र में निजी तथा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए किन रियायतों, ढांचागत और प्रणाली संबंधी सुधारों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) समय और लागत में वृद्धि से बचने के लिए वृहत् विद्युत परियोजनाओं के प्रभावी समन्वय और कारगर कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र की विद्युत स्कीमों के विकास की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिए अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित वर्ष 1999 में घोषित नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने हाल ही में बड़ी विद्युत परियोजनाओं के विकास की एक नीति बनाई है। संशोधित नीति के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ परियोजना स्थलों को उन बड़ी परियोजनाओं की स्थापना किए जाने हेतु अभिज्ञात किया गया है जो एक से अधिक राज्यों की विद्युत आवश्यकता को पूरा कर सकें। सरकार द्वारा गठित स्थायी स्वतंत्र दल प्रारंभिक रूप से बड़ी निजी विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन की देख-रेख करने के लिए एक शीर्ष निकाय होगा। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए टैरिफ प्रस्ताव प्राप्त करते समय जहां तक संभव हो प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा। इन परियोजनाओं को कुछ रियायतें प्रदान की जा रही हैं और इन्हें सुधार कार्य से जोड़ा जा रहा है। इन रियायतों में पूंजीगत उपस्करों के आयात पर अभिज्ञात बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्करों के स्वदेशी निर्माताओं को मान्य निर्यात लाभ और छूट प्राप्त कराधान प्रणाली आदि शामिल है। नीति सुधार कार्य को भी प्रोत्साहित करती है क्योंकि बड़ी परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने के लिए लाभभोगी राज्य के लिए पूर्व शर्तें हैं जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित राज्यों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी जिसे पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी और राज्यों को एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वितरण का निजीकरण करना पड़ेगा।

नीति में पावर ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना करने की भी परिकल्पना की गई है जो कि निजी बड़ी परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करेगा और संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों को इसकी बिक्री करेगा। यद्यपि प्रस्तावित बड़ी विद्युत परियोजनाओं के परिणामस्वरूप टैरिफ कम हो जाएगी फिर भी ऐसा करने से नीति से जुड़े रियायतों के कारण विदेशी निवेश समेत निजी निवेश आकर्षित होगा और कि परियोजना विकासकर्त्ता केवल एक एजेंसी से संबंधित होंगे।

(ग) संशोधित बड़ी विद्युत परियोजना संबंधी नीति में यह निर्धारित किया गया है कि सभी स्वीकृतियां और भूमि प्राप्त किए जाने के पश्चात ही परियोजनाओं को विकासकर्त्ताओं को प्रदान किया जाएगा ताकि अधिक प्रतिस्पर्धा वाले बोलीदाताओं को सौंपे जाने के बाद परियोजनाओं को तुरन्त आरंभ किया जा सके। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक दो स्तर वाली पर्यावरणीय स्वीकृति की परिकल्पना की गई है और जिसमें स्थल स्वीकृति पहले प्रदान की जाएगी। इन कदमों से बड़ी विद्युत परियोजनाओं का समय से क्रियान्वयन किए जाने की प्रत्याशा है।

कैपिटेशन शुल्क एकत्र करना

3605. श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक संस्थानों में कैपिटेशन शुल्क वसूल करने को बन्द करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए विनियमों के अनुसार और विशेषतः

उन्नीकृष्णन मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट गैर सहायता वाली व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क ढांचा अधिसूचित किया गया है। इनमें कैपिटेशन फीस लेने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही कोई गुंजाइश।

नोटरी स्टैम्पों की कमी

3606. श्री नरेश पुगलीया : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में नोटरी स्टैम्पों की अत्यधिक कमी है और मुकदमा करने वालों को उन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है जैसा कि 21 अगस्त, 1998 के ''स्ट्रेटसमैन'' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संबंध में क्या तथ्य बताये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में नोटरी स्टैम्पों की कमी को दूर करने के लिए कोई तत्काल कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजधानी में नोटरी स्टैम्पों की प्रति माह अनुमानित मांग क्या है और समूचे देश में इन स्टैम्पों का कुल उत्पादन कितना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार -

(क) और (ख) दिल्ली में अप्रैल, 1998 से अगस्त, 1998 तक के दौरान, कम आपूर्ति के कारण नोटेरी स्टाम्पों की कमी रही है। तथापि, सितम्बर-अक्तूबर, 1998 के दौरान, वैयक्तिक परिदान के माध्यम से नोटेरी स्टाम्प एकत्रित करने के लिए इंतजाम किए गए थे। दिल्ली सरकार ने, रिपोर्ट दी है कि अब दिल्ली में नोटेरी स्टाम्पों की कमी नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सिक्योरिटी प्रैस, नासिक में संस्थापित पुरानी मशीनों के स्थान पर क्रमिक रीति से नई मशीनें लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(ङ) दिल्ली के लिए, वर्ष 1998-99 के मांगपत्र के अनुसार, अनुमानित मांग 52000 शीटों की है। दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों से 14,38,140 शीटों की मांग के प्रति भारत सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 1,41,475 शीटों की आपूर्ति कर पाया था।

व्यावसायिक शिक्षा

3607. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटील :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं योजना में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए थे;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कई राज्यों से व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत पांच वर्षों के दौरान व्यासायिक शिक्षा के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना लक्षद्वीप के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को भी राशि दी जाती है। आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 361.36 करोड़ रु॰ दिए गए।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पाठ्यचर्या और दक्षता स्तर का विकास करने के लिए वर्ष 1993 में केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान ने पूरे देश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ परामर्श करके 160 पाठ्यक्रमों का विकास किया है। अभी तक पूरे देश में 6486 स्कूलों में 18719 अनुभाग कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकारों को इस योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए केन्द्रीय, राज्य, जिले और संस्थागत स्तर पर प्रबन्ध संरचना स्थापित करने की सलाह दी गई है। यह योजना भारत सरकार में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना के रूप में उभर कर आई है जिसमें 9.35 लाख छात्रों के नामांकन की क्षमता तैयार की गई है।

(घ) और (ङ.) इस योजना के कार्यान्वयन में वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन करने और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी समूह गठित किया गया था। इस कार्यकारी समूह की सिफारिशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संगठनों के साथ आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक योजनाएं भी का की जा रही हैं।

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई राज्य-वार राशि और अब तक खर्च न की गयी राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

अनुदान राशि (रू० लाख) में

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	अब तक खर्च न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	640.58	327.45	-	-	-	777.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	0.35
3.	असम	291.54	164.42	108.52	-	-	460.59
4.	बिहार	408.51	157.87	415.39	-	-	196.70
5.	गोवा	56.93	100.42	115.04	139.68	-	13.11
6.	गुजरात	781.73	-	-		-	-
	[illegible]	228.18	379.14	621.85	239.28	-	-
	[illegible] प्रदेश	-	-	1.33	-	-	12.60
9.	जम्मू और कश्मीर	22.55	-	-	-		22.55
10.	कर्नाटक	1012.69	729.55	328.32	357.75	-	430.64
11.	केरल	352.40	885.23	929.35	514.38	223.00	794.43
12.	मध्य प्रदेश	-	20.80	-	-	-	326.01
13.	महाराष्ट्र	2035.74	2449.69	3134.44	2239.88	-	2553.13
14.	मणिपुर	7.40	40.24	35.24	-	8.00	25.79
15.	मेघालय	-	-	13.67	4.63	-	-
16.	मिजोरम	21.92	-	8.80	-	-	4.99
17.	नागालैंड	1.40	-	-	-	-	16.24
18.	उड़ीसा	650.00	102.20	-	-	-	844.84
19.	पंजाब	253.74	265.02	434.53	1.42	-	109.37
20.	राजस्थान	385.19	556.54	-	888.48	-	509.31
21.	सिक्किम	7.15	-	-	-	-	9.61
22.	तामिलनाडु	700.16	706.55	-	-	-	63.90
23.	त्रिपुरा	4.12	-	-	25.65	-	21.34
24.	उत्तर प्रदेश	258.42	265.39	502.40	473.74	-	350.93
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	20.50	-	3.01
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	1.74

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चंडीगढ़	22.77	23.99	26.86	50.69	27.00	3.13
28.	दादरा एवं नगर हवेली	2.79	–	–	–	–	2.79
29.	दमन और दीव	3.09	2.66	5.06	5.90	–	–
30.	दिल्ली	–	105.00	50.23	14.92	–	60.75
31.	पांडीचेरी	17.44	16.26	14.06	–	–	37.98

[हिन्दी]

विभिन्न भाषाओं में न्यायालयों के फैसले

3608. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों को संबंधित राज्यों की भाषा में फैसला सुनाने का निर्देश देने का प्रस्ताव है जिससे कि मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति अपनी भाषा में या राजभाषा में न्याय प्राप्त कर सके; और

(ख) यदि हां, तो भारत को छोड़कर उन देशों के नाम क्या हैं जहां फैसले विदेशी भाषा में दिये जाते हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा परन्तु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा में होंगे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य का अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग राज्यपाल, राष्ट्रपति की सम्मति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आदि के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अभी तक चार उत्तरी राज्यों, अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने, अपने राज्य के उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाहियों और साथ ही निर्णयों, डिक्रियों आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

(ख) न्याय विभाग द्वारा ऐसी जानकारी नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना और इनको चार लेनों वाले मार्ग के रूप में विकसित करना

2609. श्री टी॰ गोविन्दन :
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष और नौवीं योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और इनको चार लेनों वाले मार्ग के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, चालू वर्ष 1998-99 के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत वार्षिक योजना 1998-99 में शामिल करने के लिए कार्यों की सूची

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन का बनाना

क्र. सं.	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु॰)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	9	एस एंड आई हैदराबाद-विजयवाड़ा और हैदराबाद-पुणे खंडों को चार लेन का बनाना	380.00	2.40

1	2	3	4	5
2.	7	एस एंड आई हैदराबाद-निजामाबाद और हैदराबाद-पुणे खंडों को चार लेन का बनाना	753.00	4.50
		जोड़	1133.00	6.90
असम				
1.	37	खम्पारा से जोरबट तक 165-171 कि.मी. को चार लेन में चौड़ा करना	6.60	1.00
2.	31सी	बिजनी और श्रीरामपुर के बीच चार-लेन बनाने के लिए एस एंड आई	80.00	0.60
		जोड़	86.60	1.60
बिहार				
1.	28	360-522 कि.मी. में चार लेन बनाने के लिए एस एंड आई (कारिया से गोपालगंज तक, मुजफ्फर पुर)	162.00	8.00
2.	31	चार-लेन बनाने के लिए एस एंड आई (पूर्णिया-डालकोला)	50.00	2.50
3.	57	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फरवसगंज-पूर्णिया के लिए एस एंड आई	300.00	3.00
		जोड़	512.00	13.50
1.	1	4-लेन से 6-लेन में चौड़ा करना जिसमें मौजूदा पेवमेंट के 8.5 से 16.0 कि.मी. तक को सुदृढ़ करना भी शामिल है	7.50	12.00
		जोड़	7.50	12.00
गुजरात				
1.	8ए	14/0-24/0 कि.मी. तक चार-लेन में चौड़ा करना	10.00	12.00
2.	8ए	85/4-100/0 कि.मी. तक चार-लेन में चौड़ा करना	14.60	13.00
3.	8बी	160/0-170/0 कि.मी. तक चार-लेन में चौड़ा करना	15.00	15.00
		जोड़	39.60	40.00
हरियाणा				
1.	10	220/0-250/30 कि.मी. तक कमजोर दो लेन को सुदृढ़ करना	30.30	10.00
2.	65	अम्बाला-कैथल-हिसार-फतेहपुर के कमजोर दो लेन को सुदृढ़ करना	210.00	21.00
		जोड़	240.30	31.00
कर्नाटक				
1.	7	हैदराबाद बंगलौर खंड के 557-528 कि.मी. को चार लेन में चौड़ा करना	29.00	7.50
		जोड़	29.00	7.50
केरल				
1.	47	त्रिचूर-अल्वई खंड (चरण 1) 317/0-332/0 कि.मी.	15.00	45.00
		जोड़	15.00	45.00
मध्य प्रदेश				
1.	3	चुनिंदा खंडों को चार लेन का बनाने के लिए एस एंड आई	एल एस	2.00

1	2	3	4	5
2.	7	चुनिंदा खंडों को चार लेन का बनाने के लिए एस एंड आई	एल एस	2.00
3.	6	रायपुर-दुर्ग खंड को चार लेन क़ा बनाना 303/0-308/6 कि.मी.	5.60	7.00
		जोड़	5.60	11.00
महाराष्ट्र				
चार लेन में चौड़ा करना				
1.	3	थाणे-नासिक रोड (414/0 से 589/500 कि.मी. तक) एस एंड आई	30.00	0.30
2.	7	नागपुर-हैदराबाद रोड (एस एंड आई)	20.00	0.20
कमजोर दो-लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना				3.00
3.	3	बम्बई-आगरा रोड (196/0 से 204/0 कि.मी. तक)	8.00	2.00
4.	3	बम्बई-आगरा रोड (265/0 से 240/0 कि.मी. तक)	5.00	3.00
5.	4बी	खंड 1 ए से बी	7.00	3.50
6.	4 बी	खंड बी सी और सी डी	10.00	2.50
7.	6	नागपुर-रायपुर रोड (515/0 से 522/0 कि.मी. तक)	7.00	2.00
		जोड़	87.00	16.50
मणिपुर				
पेव्ड शोल्डर्स के प्रावधान सहित 4-लेन में चौड़ा करना				
1.	39	314/0 से 317/60 कि.मी. तक	3.60	3.10
2.	39	311/0 से 314/0 कि.मी. तक	3.00	3.00
		जोड़	6.60	6.10
पंजाब				
1.	10	रा.रा. 10 पर मालौत कस्बे नगर-सीमा के भीतर चार लेन बनाना	4.00	9.35
		जोड़	4.00	9.35
राजस्थान				
1.	11	चार लेन में चौड़ा करना 241/0-346/3 कि.मी. (जी पी आर-एस आई के)	5.30	1.50
2.	12	चार लेन में चौड़ा करना 12/4-16/0 कि.मी. (जी पी आर-टोंक)	3.60	1.50
3.	15	चार लेन में चौड़ा करना 239/0-240/5 (बी के आर-जी एन आर खंड)	1.50	0.75
4.	15	चार लेन में चौड़ा करना 1/5-5/0 (बी के आर-जी एन आर खंड)	3.50	1.75
		जोड़	13.90	5.50
तमिलनाडु				
1.	7	धर्मपुरी कस्बे से गुजरने वाले बंगलोर-सालेन-मदुरै खंड का 134/0 से 141/0 कि.मी.	7.00	8.87
2.	7	थापुर घाट से गुजरने वाले बंगलोर-सालेन-मदुरै खंड का 156/0 से 163/4 कि.मी.	7.40	25.00
		जोड़	14.40	33.87

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
1.	25	लखनऊ शहर के भाग में 1 से 4.3 कि.मी. में 6-लेन तक चौड़ा करना	3.30	4.53
2.	24	लखनऊ शहर के भाग में 490 से 492 कि.मी. में चौड़ा करना और सुदृढ़ करना	2.00	4.62
3.	2	कानपुर-वाराणसी खंड में इलाहाबाद शहर लिंक के 192 और 193 कि.मी. में चौड़ा करना	2.00	1.60
		जोड़	7.30	10.75
पश्चिम बंगाल				
मौजूदा 2-लेन को सुदृढ़ करने सहित 4-लेन में चौड़ा करना				
1.	34	329/8 से 332/0 कि.मी. तक (माल्दा के नजदीक)	2.20	5.00
2.	35	55/9 से 58/4 कि.मी. तक जिसमें ककड़ पुल को चौड़ा करना भी शामिल है	2.50	5.00
		जोड़	4.70	10.00

लोक अदालतें

3610. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनको कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ग) नालसा के तत्वाधान में, 12 सितम्बर, 1998 को, नई दिल्ली में हुई राज्य विधिक प्राधिकरणों की प्रथम वार्षिक बैठक में यह सिफारिश करते हुए संकल्प किया गया है कि जिलों में कार्य कर रहे नियमित न्यायालयों का भार कुछ कम करने के लिए वादकारों के विवादों के सुलहकारी समाधान के लिए एक अतिरिक्त न्याय मंच का उपबंध करने के लिए देश के सभी जिलों में स्थायी और अनवरत लोक अदालतें यथाशीघ्र स्थापित की जाएं। स्थायी और अनवरत लोक अदालतें स्थापित करना, चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की मदों में से एक मद है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पूरे देश में ऐसी लोक अदालतों की स्थापना को सक्रिय रूप से मानीटर कर रहे हैं।

(ख) कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है किन्तु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों पर अविलंब ऐसी लोक अदालतें स्थापित करने के लिए जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पत्तनों की परिसम्पत्तियां पट्टे पर निजी क्षेत्रों को देना

3611. श्री अरविंद काम्बले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुख्य पत्तनों की वर्तमान परिसम्पत्तियां निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। पत्तन न्यासों की विद्यमान परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना महापत्तनों की कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि के लिए उनके विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों में अभिनिर्धारित क्षेत्रों में से है।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर-पुरी और कोणार्क-पिपली मार्गों को चार लेन वाला बनाना

3612. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर-पुरी और कोणार्क-पिपली मार्ग को चार लेन वाला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दिये गए इन प्रस्तावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इनको अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। भुवनेश्वर-पुरी सड़क को अभी हाल में नया राष्ट्रीय राजमार्ग

घोषित किया गया है। कोणार्क-पीपली सड़क एक राज्यीय सड़क है और राज्यीय सड़क के विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में साक्षरता दर

3613. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक के 20वीं शताब्दी के अंत से पूर्व शत-प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त कर लेने की आशा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई विशेष प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय कर्नाटक में 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर 56.04 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) संपूर्ण देश में साक्षरता की स्थिति में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा की एक त्रि-आयामी कार्यनीति बनाई गई है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 15-35 आयु-वर्ग में देश के 100 मिलियन निरक्षरों को साक्षर बना कर उन्हें सन् 2005 तक पूर्ण रूप से साक्षर कर देना है। ''निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम'' नामक योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल किए जाने का प्रस्ताव है। संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान की योजनाएं एक अभियान के तौर पर कार्यान्वित की जाती हैं। यह अभियान क्षेत्र-विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवक आधारित, लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी है।

(ङ) साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत कर्नाटक में, शामिल किए गए 23 जिलों में से तीन जिलों में आपरेशन रेस्टोरेशन कार्यक्रम तथा 20 जिलों में उत्तर साक्षरता चरण चल रहा है। अब तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक में 43,68,776 व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश में महेश्वर जल विद्युत परियोजना

3614. श्री आर०एस० गवई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में मंडलेश्वर में प्रस्तावित 400 मे.वा. की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को विगत में दी गई मंजूरी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना से विस्थापित ग्रामीणों के लिए परियोजना के प्रवर्तकों ने सही पुनर्वास पैकेज नहीं बनाया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना के प्रवर्तकों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ.) परियोजना के प्रवर्तकों ने पुनर्वास पैकेज पर कार्य शुरू कर दिया है। गांव जालौद के बारे में पुनर्स्थापना का कार्य पहले से ही आरम्भ हो गया है।

विश्व पुरातत्व सम्मेलन

3615. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1998 में क्रोशिया में विश्व पुरातत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में सरकार द्वारा सम्मेलन में भेजे गए प्रतिभागियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडल ने सत्र का उस समय बहिष्कार कर दिया जब बाबरी-मस्जिद को गिराए जाने की निंदा किए जाने संबंधी संकल्प को पारित किया जाना था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) क्रोशिया में विश्व पुरातत्व कांग्रेस का सम्मेलन मई, 1998 में आयोजित किया गया था।

(ख) भारत सरकार ने इस सम्मेलन के लिए कोई शिष्टमण्डल नहीं भेजा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एन.टी.पी.सी. के अधीन विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

3616. श्री तथागत सत्पथी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कुछ विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विद्युत निगम के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रमानुसार पीछे चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने विश्व बैंक से आंशिक वित्त पोषण लेकर निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है जो इस समय प्रचालनाधीन हैं :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	उत्तर प्रदेश में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना	2000
2.	मध्य प्रदेश में कोरबा सुपर थर्मल पावर परियोजना	2100
3.	आंध्र प्रदेश में रामागुंडम सुपर थर्मल पावर परियोजना	2100
4.	पश्चिम बंगाल में फरक्का सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-1 एवं चरण-2	1600
	...थान में गैस आधारित संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना अन्ता	413
	औरैया उत्तर प्रदेश में और	652
	कवास गुजरात में	645
6.	उत्तर प्रदेश में नेशनल कैपिटल थर्मल पावर परियोजना	840
7.	उड़ीसा में तालचेर सुपर थर्मल पावर परियोजना	1000

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी की निम्नलिखित ताप परियोजनाएं विश्व बैंक के आंशिक वित्त पोषण से क्रियान्वयनाधीन हैं :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.	स्थिति
1.	मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर परियोजना	1000	*
2.	केरल में कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत पयोजना	350	*

*निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

मंगलौर पत्तन पर मछुआरों के लिए जेटी

3617. **श्री जयराम आई०एम० शेट्टी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन पर मछुआरों के लिए जेटी के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और मंगलौर पत्तन पर मछुआरों के लिए जेटी का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

3618. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम देश में अपनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए दीर्घावधिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में निगम अनेक चालू परियोजनाओं पर काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं द्वारा कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा;

(घ) क्या राष्ट्रीय तापविद्युत निगम ने दक्षिणी राज्यों में भी अपनी क्षमता का विस्तार करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की अधिष्ठापित क्षमता 18910 मे.वा. है तथा यह इस समय 3170 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली पांच विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
I.	**कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं**	
1.	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2, मध्य प्रदेश	1000
2.	ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना चरण-2, उत्तर प्रदेश	420
3.	सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना, आंध्रप्रदेश	1000
II.	**गैस/नापथा आधारित विद्युत परियोजनाएं**	
1.	कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना, केरल	350 (115 मे.वा. के गैस टरबाईन को 15.12.98 को चालू कर दिया गया।)
2.	फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना, हरियाणा	400
	जोड़	3170

इसके अतिरिक्त एनटीपीसी ने 8100 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता से ताप विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना भी बनाई है जो स्वीकृतियों/निधियों को सुनिश्चित करने की विभिन्न अवस्थाओं में है। इन परियोजनाओं को 9वीं और 10वीं योजनावधियों के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(घ) और (ङ) एनटीपीसी पहले ही से आंध्र प्रदेश में कोयला आधारित सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। साथ ही, दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं को विस्तृत/स्थापित किए जाने की भी इसकी योजना है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-3, आंध्र प्रदेश	500 मे.वा.
2.	दक्षिणी चैन्नई (चिय्यूर) ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	1000 मे.वा.
3.	कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना चरण-2, केरल	1950 मे.वा.

वन रक्षकों और कर्मचारियों के लिए योजना

3619. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
डा० अशोक पटेल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत वन रक्षकों और कर्मचारियों को व्यापक बीमा पालिसी प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपाय वन कर्मचारियों को लुप्तप्राय: प्रजातियों और वन संपदा के संरक्षण के लिए और प्रेरित करेंगे;

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) राष्ट्रीय पार्कों में कार्यरत वन रक्षकों और कर्मचारियों को अन्य कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वन क्षेत्रों में अवैध शिकार रोकने के लिए किसी बल की स्थापना करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा सामान्य बीमा कम्पनी को बीमा पॉलिसी प्रदान करने की कार्य प्रणाली की छानबीन करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस संबंध में कोई निश्चित वचनबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारत सरकार ने विशिष्ट बहादुरी, उत्कृष्ट निष्पादन और शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार और पारितोषिक देने की योजना प्रस्तावित की है।

(ङ) स्ट्राइक फोर्स की स्थापना हेतु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

3620. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा कितना निवेश किए जाने की आवश्यकता है और किन स्रोतों से धन जुटाया जाएगा; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत संबंधी कार्य दल द्वारा वर्ष 1997-2002 की नौवीं योजनावधि हेतु विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन 86845 करोड़ रुपये किया गया है। देश में निजी विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए भारतीय वित्तीय संस्थान (आईएफआई) तथा घरेलू वाणिज्यिक बैंक मुख्य ऋणदाता है। निजी विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में विदेशी वाणिज्यिक ऋण भी शामिल है।

पावर ग्रिड निगम

3621. श्री ए०सी० जोस : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड निगम वर्ष 1997-98 के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या निगम ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपकरणों की अग्रिम खरीद करने और चालू परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कुल कितना बजट प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यह कितनी मात्रा में पूर्णत: प्रयोग कर ली गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पावरग्रिड परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य की प्राप्ति और उत्पादनरत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुरूप कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र करने के लिए कटिबद्ध हैं। पावरग्रिड ने वर्ष 1997-98 के लिए 1600.00 करोड़ रुपये के बजटीय वार्षिक योजना लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर लिक्युड कारगो बर्थ का निर्माण

3622. डा॰ रवि मल्लू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर लिक्युड कारगो बर्थ के निर्माण सहित पांच पत्तन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या इस परियोजना को मंत्रालय की पर्यावरणीय समिति से भी स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्थापति किए जाने की संभावना है और इनको पूरा करने में कितनी राशि व्यय होगी?

परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) सरकार ने निजी क्षेत्र की 9 पत्तन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

(ख) जी हां। जवाहरलाल नेहरू पत्तन में तरल कार्गो के निर्माण के लिए पर्यावरण समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ग) पर्यावरण के दृष्टिकोण से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्राप्त पत्तन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भाग (क) में उल्लिखित निजी क्षेत्र की 9 पत्तन परियोजनाओं को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

पर्यावरण के दृष्टिकोण से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त पत्तन परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	पत्तन का नाम	परियोजना का नाम
1	2	3
महापत्तन		
1.	ज.ला. नेहरू	मूल अवसंरचना सुविधाओं को प्रदान करने के लिए 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र और कंटेनरों को रखने के लिए 30 हैक्टेयर भूमि का सुधार।
2.	वही	तरल कार्गो बर्थ
3.	वही	समुद्री रसायन टर्मिनल
4.	कांडला	मैसर्स इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि॰ की तरल कार्गो जेटी।
5.	विशाखापत्तनम	इन्नर हार्बर के विस्तारित उत्तरी आर्म में चार बहु प्रयोजीनय बर्थ।
6.	विशाखापत्तनम	मैसर्स ईस्ट इंडिया पैट्रोलियम लि॰ द्वारा एक्जिम क्षेत्र में एल पी जी/पी ओ एल के लिए भंडारण टर्मिनल।
7.	कोचीन	विलिंगडन द्वीप में कंटेनर टर्मिनल।
8.	नव मंगलूर	मैसर्स यूनाइटिड स्टोरेज टैंक टर्मिनल्स लि॰ पैट्रोलियम और पी ओ एल उत्पादों का भंडारण और हैंडल करने के लिए सुविधाओं की स्थापना।
9.	चेन्नई	मैसर्स सूरज एग्रो प्रोडक्ट्स द्वारा भंडारण सुविधाएं।
लघु पत्तन		
10.	मंगरोल, गुजरात	फिशिंग हार्बर का विस्तार (चरण-2)
11.	जखाऊ, गुजरात	फिशिंग हार्बर का मिर्माण
12.	कायमकुलम एवं मुथालापूझी केरल	फिशिंग हार्बर परियोजना
13.	काकीनाडा आंध्र प्रदेश	मैसर्स एच पी सी एल द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के लिए भंडारण सुविधाएं।
14.	रायगढ़ महाराष्ट्र	मैसर्स इस्पात इंडस्ट्री लि॰ द्वारा आबद्ध जेटी का विस्तार
15.	बेपोर, केरल	एल पी जी भंडारण सुविधाओं का विकास
16.	मूलद्वारका गुजरात	मैसर्स गुजरात अम्बुजा सिमेंट्स लि॰ द्वारा बल्क टर्मिनल पर फर्नेस आयल की हैंडलिंग और भंडारण के लिए सुविधाएं।

कार्गो से संबंधित शुल्कों को जोड़ने का प्रस्ताव

3623. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन शुल्क प्राधिकरण ने मंत्रालय के कार्यों से संबंधित शुल्कों को अमरीकी डालर से संबद्ध करने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्तियां व्यक्त की हैं;

(ख) क्या यह कार्यवाही रुपये में गिरावट और अस्थिरता तथा विदेशी निवेशकों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है कि उनके निवेश को भारत के भारत के पत्तनों पर भारतीय मुद्रा में किसी गिरावट के प्रति संरक्षण प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) कार्गो से संबंधित प्रभारों को अमरीकी डालर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) कार्गो से संबंधित, विशेष रूप से कन्टेनरों से संबंधित कुछेक प्रभार मुम्बई और जवाहरलाल नेहरू पत्तनों में पहले ही अमरीकी डालर में मूल्यांकित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग को साफ करने संबंधी कानून

3624. श्री मगन्ती बाबू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गये अतिक्रमणों को दूर करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार के विचारार्थ दो कानूनों की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कानून को कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण, अनियमित उपयोग और राष्ट्रीय राजमार्गों के बिल्कुल समीप भूमि के विकास को जिससे यातायात का निबाध आवागमन प्रभावित होता है नियंत्रित करने के लिए दो विधान बनाने का प्रस्ताव किया है। पहला विधान राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार में भूमि के नियंत्रण और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलन वाले यातायात के विनियमन से संबंधित है। केन्द्रीय विधायन के एक मसौदे को जिसमें अनधिकृत कब्जे को रोकने, अतिक्रमणों को हटाने, पहुच के नियंत्रण, विभिन्न किस्म के यातायात के विनियमन आदि के प्रावधान शामिल हैं, इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दूसरा विधायन मार्गाधिकार से बाहर राष्ट्रीय राजमार्गों की समीपस्थ भूमि पर विकास कार्यों के नियंत्रण के लिए अपेक्षित है। इसका अधिनियमन राज्यों द्वारा किया जाना है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार से बाहर भूमि पर राज्य सरकारों का अधिकार है। असम और राजस्थान ने पहले ही ऐसा विधायन बना दिया है। शेष राज्य सरकारों से भी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीपस्थ भूमि के विकास पर नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान बनाने का अनुरोध किया गया है।

(घ) इन विधानों को पेश करने के बारे में कोई समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत-फ्रांस के बीच सहयोग

3625. श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस-भारत में शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आरंभ करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत विकास उपकर

3626. श्री कांति लाल भूरिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नौवीं योजना के दौरान पनबिजली संयंत्रों के विकास हेतु धन एकत्रित करने के लिए विद्युत विकास उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने सरकार से विद्युत संरक्षण और इसके उपकरणों पर निवेश से संबंधित अनुसंधान और विकास योजना प्रारम्भ करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी उपभोक्ताओं पर 10 पैसा प्रति किलोवाट की दर से विद्युत विकास उपकर लगाने के सुझाव से संबंधित योजना के प्रारूप का दस्तावेज विचारार्थ स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) जी, नहीं। योजना आयोग ने विद्युत विकास उपकर लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। विद्युत उपभोग पर उपकर लगाना जल विद्युत विकास में गति लाने के लिए जल विद्युत विकास पर नीति में सुझाए गए उपायों में से एक है। विद्युत उत्पादन पर 5 पैसे प्रति कि.वा.घंटे की दर से उपकर लगाने के प्रस्ताव पर जिसमें विधान लागू करने के माध्यम से वसूली गई राशि को केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाएगा, विधि मंत्रालय के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विरासत विनियमन नीति

3627. श्री मगन्ती बाबू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ने महाराष्ट्र तथा हाल में आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाये गए राष्ट्रीय विरासत विनियमन नीति की तरह का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ने राष्ट्रीय नीति का भी प्रस्ताव किया है जो कि राज्य के पुरातत्त्व विभागों को मजबूत करेगा; और

(घ) राष्ट्रीय विरासत विनियमन नीति पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला आपूर्ति के नए स्थानों का निर्धारण

3628. श्री लक्ष्मी पनबाक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित की जा रही नयी विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला आपूर्ति के नये स्थलों (लिंकेज) को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं के लिए कुछ नये कोयला आपूर्ति स्थलों के संबंध में भी निर्णय ले लिया है जिसमें सदर्न इलैक्ट्रिक सी.ई.पी.ए. द्वारा सम्वर्द्धित हीरमा की 3690 मेगावाट वाली वृहत् परियोजनाओं के लिए 90 लाख मीटरी टन कोयला आपूर्ति स्थल शामिल है;

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब तक स्थापित करने का ...

परियोजनाओं से कितने विद्युत उत्पादन की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ.) जी, हां। कोयला आपूर्ति लिंकेज वाली स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली विद्युत की मात्रा निम्नवत है:-

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता मे.वा. में
1	2	3
विजाग हिन्दुजा	आंध्र प्रदेश	1040
साबरमती ताप विद्युत कीन्द	गुजरात	120
कोरबा पूर्व डेवू	मध्य प्रदेश	1070
भद्रावती आईएसपीए	महाराष्ट्र	1072
इब वैली 3 व 4	उड़ीसा	420
बालागढ़ बीपी कंपनी	पश्चिमी बंगाल	500
कोरबा पश्चिमी (एमयूके)	मध्य प्रदेश	420
पेंच	मध्य प्रदेश	500
हिरमा चरण-1	उड़ीसा	3960
जवाहरपुर	उत्तर प्रदेश	800
रोजा	उत्तर प्रदेश	567
बीना	मध्य प्रदेश	578
रामागुंडम बीपीएल	आंध्रप्रदेश	520
अपोलो ताप विद्युत केन्द्र	दिल्ली	300
भिलाई संयुक्त उद्यम कंपनी	मध्य प्रदेश	550
कोरबा पश्चिम आरपीजी	मध्य प्रदेश	520
रायगढ़ जिन्दल	मध्य प्रदेश	550
इब 5 व 6	उड़ीसा	420
एन्नौर ताप विद्युत केन्द्र	तमिलनाडु	1000
बक्रेश्वर 4 व 5	पश्चिम बंगाल	420
सागर डिग्धी कुल्ज	पश्चिम बंगाल	1000

कोयला मंत्रालय की स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालीन ने उड़ीसा में सीईपीए इंडिया (लिमिटेड) के हिरमा ताप विद्युत परियोजना (6×660 मे.वा.) को दिए गए पहले के 18 एमटीपीए के लिंकेज को बढ़ाकर 19 एमटीपीए कर दिया गया है जिसमें यह शर्त भी रखी गई है कि ईंधन आपूर्ति करार को 31.3.99 तक पूरा कर लिया जाए।

जहां विजाग (हिन्दुजा), साबरमती टीपीएस, कोरबा पूर्व (डीएईडब्ल्यू), भद्रावती (आईएसपीए), इब घाटी 3 और 4 तथा बालागढ़(बीपीसीओ) को नौवीं योजना के दौरान चालू करने के लिए निर्धारित किया गया है, वहीं उपरोक्त अन्य स्वतंत्र परियोजनाओं को नौवीं योजना के पश्चात् चालू करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, यह भी कहा गया है कि किसी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थामित की जा रही निजी विद्युत परियोजना को राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों से स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों/विदेशी बैंकों इत्यादि से वित्त सुनिश्चित करना होगा। इन परियोजनाओं के कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है तथा इनसे उत्पादित होने वाली विद्युत की मात्रा का निर्धारण इनके द्वारा वित्तीय समापन कर लेने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

विवरण

कोल लिंकेज सहित विद्युत केन्द्रों की सूची

1	2	3	4
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम			
	आ.प्र.	1000	IX योजना और आगे
	मध्य प्रदेश	1000	IX योजना

1	2	3	4
तालचेर-2	उड़ीसा	2000	IX योजना और आगे
ऊंचाहार-2	उ.प्र.	420	IX योजना
रिहन्द-2	मध्य प्रदेश	1000	IX योजना से आगे
सीपत-1	मध्य प्रदेश	2000	IX योजना से आगे
रामागुंडम-3	आ.प्र.	500	IX योजना से आगे
चेय्यूर	आ.प्र	1000	IX योजना से आगे
दामोदर वैली कारपोरेशन			
मैथॉन आरबीसी	पश्चिम बंगाल	1000	IX योजना
मेजिया यूनिट-3 टीपीएस	पश्चिम बंगाल	210	IX योजना
राज्य बिजली बोर्ड			
कोठागुडम-4	आंध्र प्रदेश	250	IX योजना
तेनुघाट विस्तार-3, 5	बिहार	630	IX योजना
गांधीनगर यूनिट-5	गुजरात	210	IX योजना
वनाकबोरी यूनिट-7	गुजरात	210	IX योजना
पानीपत यूनिट-6	हरियाणा	210	IX योजना
रायचूर यूनिट-5 व 7	कर्नाटक	420	IX योजना
संजय/बीरसिंग	मध्य प्रदेश	420	IX योजना
चन्द्रपुर यूनिट-7	महाराष्ट्र	500	IX योजना
सूरतगढ़ टीपीएस	राजस्थान	500	IX योजना
टांडा टीपीएस	उ.प्र.	110	IX योजना
बक्रेश्वर यूनिट 1-3	पश्चिम बंगाल	630	IX योजना
मुजफ्फरपुर विस्तार	बिहार	500	IX योजना से आगे
यमुना नगर	हरियाणा	700	IX योजना से आगे
खापरखेड़ा 3 व 4	महाराष्ट्र	500	IX योजना से आगे
विजयवाड़ा	आ.प्र.	500	IX योजना से आगे
मिजोरम	मिजोरम सरकार	20	IX योजना से आगे

संकेताक्षर :

टीपीएस - ताप विद्युत केन्द्र
एम.पी. - मध्य प्रदेश
आरबीसी. - राइट बैंक कनाल
ए.पी. - आंध्र प्रदेश
यू.पी. - उत्तर प्रदेश
डब्ल्यू.बी. - पश्चिम बंगाल
मिज. जी.ओ.वी.टी. मिजोरम सरकार

वनरोपण में अनियमितताएं

3629. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री मित्रसेन यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग द्वारा महाराष्ट्र के नासिक जिले, उत्तर प्रदेश और बिहार में वृक्षरोपण कार्यक्रम में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई है अथवा कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/परिणाम क्या हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के ंगे।

इंजीनियरी कालेजों की स्थापना

3630. **श्री भगन्ती बाबू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में इस वर्ष और इंजीनियरी कालेजों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने इंजीनियरी कालेज खोलने की स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अलग-अलग कितने इंजीतियरी कालेज स्थापित किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नये इंजीनियरी कालेजों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर अ.भ.त.शि.परि. अधिनियम, 1987 के प्रावंधानों के तहत अपने विनियमों के अनुसार विचार करती है। शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त कुल 45 प्रस्तावों में से आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केवल 12 प्रस्तावों की सिफारिश की है। ये सभी प्राइवेट सेक्टर में हैं।

प्रतिभावान युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करना

3631. **श्री एस०एस० अहलेवालिया :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान में युवाओं की रुचि पुनर्जागृत करने के लिए अगले शैक्षणिक वर्ष से सीधे स्कूलों से ही युवाओं की खोज शुरू करेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षु अवधि के दौरान युवा वैज्ञानिकों को प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) *क्या युवा प्रतिभाएं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की तुलना में* विज्ञान में कोई रुचि नहीं दिखा रही है;

(ङ) यदि हां, उसके क्या कारण हैं; और

(च) विज्ञान को व्यवसाय के रूप में चुनने वालों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अन्य क्या प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी हाँ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) ने स्कूल के विद्यार्थियों में विज्ञान के अध्ययन और अनुसरण में अपूर्व अनुभव, उद्दीपन तथा आमोद-प्रमोद की भावना की प्रेरणा हेतु सीएसआइआर का विज्ञान में युवा नेतृत्व कार्यक्रम (सीपीवाईएलएस) नामक योजना की घोषणा की है। परियोजना कार्य करने तथा अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों में संलग्न चुनिंदा विद्यार्थियों को उनकी छुट्टी के दौरान सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) जी नहीं। ज्ञानाधारित समाज की ओर भूमण्डलीय परिवर्तन के चलते यह आसन्न हो गया है कि सर्वोत्तम भारतीय प्रतिभा विज्ञान का अनुसरण करें और इस पर अधिकार प्राप्त करे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सीपीवाईएलएस की शुरूआत की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सीएसआइआर विज्ञान को व्यवसाय के रूप में चुनने वालों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति, अनुसंधान एसोसिएटशिप, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएटशिप, क्विक हायर फैलोशिप आदि के माध्यम से पहले से ही प्रोत्साहन दे रहा है।

गोदामों/स्टेक यार्डों के निर्माण हेतु भूमि

3632. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेज सुविधाओं के लिए गोदाम/स्टेक यार्डों के निर्माण हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास की भूमि आवंटित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दों की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) जी हां। सरकार को समय-समय पर पत्तन न्यास भूमि

के आवंटन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जिनका निपटान मामले के मौजूदा नीतिगत मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जाता है और इन मार्गनिर्देशों में प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रण का प्रावधान है। इसलिए, किसी विशेष अभ्यावेदन के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबार का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। *देखिये* संख्या एल.टी. 2024/98]

(ख) (एक) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2025/98]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 2026/98]

(2) (एक) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर-काशी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर-काशी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2027/98]

(3) (एक) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, अरू के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, अरू के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2028/98]

वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलाजी, देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फोर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फोर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2029/98]

(2) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिआलाजी, देहरादून के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिआलाजी, देहरादून के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 2030/98]

(3) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मैटलर्जी एण्ड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेश्सनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मैटलर्जी एण्ड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2031/98]

(4) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2032/98]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवान्स्ड साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवान्सड साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2033/98]

(6) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडीकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडीकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2034/98]

(7) (एक) कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2035/98]

(8) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2036/98]

(9) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2037/98]

(11) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2038/98]

(13) (एक) कन्सलटेन्सी डेवलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली, के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सलटेन्सी डेवलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली, के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2039/98]

(14) (एक) कर्नाटक रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2040/98]

(15) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइन्स, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइन्स, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2041/98]

(16) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2042/98]

(17) (एक) असम प्राथमिक शिक्षा अचनी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम प्राथमिक शिक्षा अचनी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2043/98]

(18) (एक) सेन्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डिग्नोसिटक्स, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डिग्नोसिटक्स, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2044/98]

(19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2045/98]

(20) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2046/98]

(ख) (एक) नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदल, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2047/98]

(ग) (एक) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2048/98]

(21) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2049/98]

(22) एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2050/98]

(23) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (गाइडलाइन्स फॉर बीएड थ्रू कोरेसपोंडेंस फॉर रेगुलर सर्विंग टीचर्स) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 25 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 28-3/96-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2051/98]

(24) कला क्षेत्र फाउंडेशन एक्ट, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत कला क्षेत्र फाउंडेशन नियम, 1998 जो 29 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 414(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2052/98]

(25) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2053/98]

(26) (एक) पूर्वोत्तर हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2054/98]

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2055/98]

(ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2056/98]

(ग) (एक) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2057/98]

(घ) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2058/98]

(ङ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2059/98]

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2060/98]

सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री और जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटेरी (संशोधन) नियम, 1998 जो 31 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2061/98]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2062/98]

संकल्प जिसमें राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति अंतर्विष्ट है की एक प्रति तथा जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) दि कैमिकल एक्सीडेंट्स (इमरजेंसी प्लानिंग, प्रीपेयर्डनेस एण्ड रिसपोंस) संशोधन नियम, 1998 जो 14 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 578(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 जो 27 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1998 जो 21 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2063/98]

(2) पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 185(अ) जो 10 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2064/98]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 329(अ) जो 15 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 अप्रैल, 1997 से संपूर्ण भारत में अपशिष्ट तेल को खुले में जलाने का निषेध किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2065/98]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 899(अ) जो 13 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में, निर्दिष्ट खतरनाक अपशिष्टों के आयात को निषेध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2066/98]

(5) अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 609(अ) जो 20 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अंतर्गत जारी कतिपय शर्तों के अध्यधीन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2067/98]

(6) संकल्प जिसमें राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 अंतर्विष्ट है तथा अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना आ॰ 936(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2068/98]

(7) (एक) जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट अल्मोड़ा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट अल्मोड़ा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2069/98]

(9) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2070/98]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इनके कार्यकरण की समीक्षा

जल-परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2071/98]

(ख) (एक) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2072/98]

अपराह्न 12.2½ बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 7 दिसंबर 1998 की हुई उसकी बैठक में पारित किए गए रेल दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए 'कॉटन गिनिंग एण्ड प्रैसिंग फैक्टरी (रिपील)' बिल, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1998 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए 'हाई डिनॉमिनेशन बैंक नोट्स (डीमनीटाइजेशन) एमेन्डमेन्ट बिल, 1998' से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03 बजे

समितियों के प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति
चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं वस्त्र उद्योग की रुग्णता/तालाबंदी के बारे में वस्त्र मंत्रालय संबंधी प्राक्कलन समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन ''आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा सेजगार'' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

स्कवाड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, मैं 'नौसेना बेड़े का उन्नयन और आधुनिकीकरण' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति
की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2) अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक, 1998 के संबंध में शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति
सैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं पावरलूम, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्रों के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 16 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय पूरा असम जल रहा है, कल रात निचले असम के दुबरी जिले में लाओपारा में एक बहुत भारी विस्फोट हुआ जिसमें दस से अधिक व्यक्ति मारे गए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, सदन में रोजाना अनेक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मेरा आग्रह है कि आज खेल और खिलाड़ियों पर चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, असम में स्थिति बहुत खराब है। *(व्यवधान)* वहां रोज विस्फोट हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। मैं आप सबसे सहयोग की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सर, पार्लियामेंट पांच साल के लिए रहनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष खड़े हों तो क्या यह उचित है कि आप खड़े रहें ? यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज कल और परसों हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना में निर्णय लिया है। अत: मैं सब माननीय सदस्यों ोग की अपील करता हूं।

अब श्री राम विलास पासवान बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, हमें असम की स्थिति पर विचार करना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत आदिवासियों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कहिए, श्री राजेश पायलट जी।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मेरा कहना यह है कि असम की स्थिति बहुत खराब है। वहां रोज विस्फोट हो रहे हैं। मुख्य मंत्री दिल्ली में बैठे हैं। वह गृह मंत्री से मिल रहे हैं। आज सम्पूर्ण पूर्वोत्तर जल रहा है। हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि "आज असम में दस लोग मारे गए" "आज असम में 20 लोग मारे गए"। कल, दुबरी जिले के लाओपारा में आतंकवादियों द्वारा एक भीषण विस्फोट किया गया।

आज माननीय गृह मंत्री को वहां की स्थिति के बारे में सदन को जरूर बताना चाहिए। हमें बहुत चिंता है। वहां रोज विस्फोट हो रहे हैं। मगर यहां कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहा है। उन्हें अपने आप ही वक्तव्य देना चाहिए। ... *(व्यवधान)* उन्हें स्वत: ही वक्तव्य देना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभाजन हेतु यहां प्रस्ताव लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसको बिहार की विधान सभा ने रिजैक्ट कर दिया। मेरा निवेदन है कि बिहार के बंटवारे का प्रस्ताव यहां न लाया जाए। ... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, माननीय होम मिनिस्टर साहब कल सुबह इसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना ही चाहिए।

श्री भुवनेश्वर कालिता : आज इस सदन में हमें वक्तव्य चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वे सारे तथ्यों को इकट्ठा करके कल अपना वक्तव्य देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : अभी माननीय गृह मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता : हमें गृह मंत्री की प्रतिक्रिया जाननी है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह कल वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, उन्हें आज वक्तव्य देने दीजिए। ... *(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : इस समय, मैं वहां हुए दो बम विस्फोटों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सहमति व्यक्त कर सकता हूं। परन्तु आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैं उपलब्ध किए गए तथ्यों के आधार पर ही वक्तव्य दे सकता हूं। अत: स्थिति के बारे में औपचारिक वक्तव्य मैं कल दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हमारी बहुत व्यस्त कार्य सूची है। अब मैं श्री राम विलास पासवान को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आप इसे कल उठा सकते हैं, आज नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री पासवान, जो कहेंगे उसे ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया बैठ जाइये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। फातमी जी, मैं आपको कल अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया इस बात को समझिए कि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, कल होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। अब हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, वहां कम से कम आठ लाख लोग आ रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अठावले, आप सदैव सदन के कार्य में बाधा डालते हैं। सदन में कोई बात उठाने का यह सही तरीका नहीं है। कृपया इस बात को समझिए और प्रक्रिया का भी अध्ययन करें। अन्यथा, मुझे आपको चेतावनी देना पड़ेगी।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार के पूर्णिया जिले में कुछ आदिवासी महिलाओं और बच्चों का कथित रूप से जलाया जाना

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "बिहार के पूर्णिया जिले के निखरेल गांव में 14 सितम्बर, 1998 को कुछ आदिवासी महिलाओं और बच्चों को कथित रूप से जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही।"

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले के वैयसी उप-मण्डल के अन्तर्गत गोगार इस्तम्वरार गांव में भूमि के एक टुकड़े के बारे में विवाद था। उक्त भूमि एक मुसव्वर मियां की थी लेकिन इसे कुछ आदिवासियों द्वारा काश्तकारी के आधार पर जोता जा रहा था। लगभग डेढ़ साल पहले भूमि के स्वामी ने घोषणा की थी कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त कर ली है जिसके द्वारा आदिवासियों के सिकमी अथवा काश्तकारी अधिकार समाप्त हो गए हैं। 13.12.98 को भूमि धारक ने इस भूमि को जोतने के लिए ट्रैक्टर भेजा। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ड्राइवर को आदिवासियों द्वारा मार दिया गया और ट्रैक्टर को आग लगा दी गई तथा ट्रैक्टर ड्राइवर के शव को आग में फेंक दिया गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या से क्रोधित होकर अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीणों की एक भारी भीड़ शस्त्रों के साथ आई और कामलादीह, कोयाला, भाकरी तोला और छनाबरी वन के आदिवासियों की 59 झोपड़ियों को आग लगा दी। तीन बच्चों सहित छः आदिवासी मारे गए और आठ लोग घायल हुए।

जिला प्रशासन के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और आग को नियंत्रण में किया। हत्यारों को पकड़ने के लिए छापे मारे गए। अभी तक मुस्सवर मियां सहित 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह मुफ्त राशन, पोलीथीन और कम्बलों के साथ में दी गई राहत के अलावा है।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

मैजिस्ट्रेट सहित 4 स्थैतिक सशस्त्र टुकड़ियां और दो गश्त दल इस क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, उन्होंने नोटिस दिया है। मैं आपको अभी नहीं बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार संबंधी मामला उठाने के लिए एक नोटिस दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी नहीं। श्री राम विलास पासवान

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, गृह [illegible] दिया है, इसमें से कई पूरक प्रश्न उठते हैं। एक [illegible]विवाद का है, दूसरा लोगों के मारे जाने का है। [illegible] नहीं बताया है कि पहली घटना कितने बजे हुई, जब मुसव्वर मियां को मारा गया। जो दूसरी घटना थी, जिससे आदिवासी

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 12.16 बजे

लोग मारे गये, वह कितने बजे की घटना है ? वहां से थाने की दूरी कितनी है और वहां पुलिस प्रशासन बल कितने बजे पहुंचा ?

चूंकि मुझे जानकारी है कि आठ बजे दिन में पहली घटना घटी है, जिसमें भूमिपति यानी मुसव्वर मियां की हत्या हुई और उसके बाद *(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : उनके ड्राइवर की हत्या हुई।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। इसमें उन्होंने ड्राइवर का नहीं कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि उक्त भूमि एक मुसव्वर मियां की थी, जिसे कुछ आदिवासियों द्वारा काश्तकारी आधार पर जोता जा रहा था और डेढ़ बजे उन्होंने घोषणा की थी और न्यायालय के पक्ष में उन्होंने किया था, यह बात ठीक है। जो लोग मारे गये, उसमें पहली घटना हमारी जानकारी के मुताबिक आठ बजे दिन में घटी है और दूसरी घटना 11 बजे या उसके बाद में घटी है। *(व्यवधान)* वही तो मैं कह रहा हूं कि आठ बजे दिन में पहली घटना घटी है और दूसरी घटना दिन में 11 बजे घटी है। जब वहां हल्ला हुआ तो 20-20 किलोमीटर के लोग वहां इकट्ठे हो गये, वहां से थाने की दूरी 4-5 किलोमीटर थी, लेकिन थाने से पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां कितने बजे पहुंचे ? मेरी जानकारी के मुताबिक यदि टाइमली वहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे गये होते तो इस घटना को रोका जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्णिया जिले में यह विवाद आज से नहीं है। बिहार में या दुर्भाग्य से अन्य सारे राज्यों में जो भूमि सुधार कानून है, वह भूमि सुधार कानून लागू नहीं हो पाया है और लागू नहीं हो पाने के कारण अकेले इस जिले में आज से नहीं 1962-63 से, जब हम लोग पढ़ते थे। चन्दवार और बसपुर की घटना वहां घटी थी, जहां 1970 में 60-62 लोग मारे गये थे। हमारे पास में जो विवरण है, उसके बाद 1984 में भी घटना घटी, वहां 1986 में भी घटना घटी, 1991 में घटना घटी, जिसमें कांग्रेस के लोग मारे गये। 1992 में घटना घटी, जिसमें दो सी०पी०एम० के लोग मारे गये। अभी इस घटना के कुछ दिन पहले घटना घटी थी और उसी जगह पर 1991 और 1992 की घटना घटी, गृह मंत्री जी। लेकिन आज तक गरीब को कोई जमीन नहीं मिल पाई और आपका जो एक्ट है, पता नहीं, आपके अंडर में है कि नहीं और आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि यह जो भूमि सुधार कानून है, यह जो सीलिंग एक्ट है और उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में कितने गरीब लोगों को आज तक जमीन मिली है, यह मुझे मालूम नहीं हैं हां, जितने गरीब लोगों को जमीन मिली है, उससे ज्यादा गरीब लोग उसके कारण मारे गये हैं, इतनी हमको जानकारी है।

हम लोगों ने कितनी ही बार जमीन के मुद्दे को लेकर आन्दोलन किया, 1970 में, 1971 में नौ-नौ महीने हम लोग जेल में रहे, लेकिन एक भी गरीब को एक इंच जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि जो जमीन का कानून है, उसका जो प्रोसीजर है, वह इतना टेढ़ा है कि कितना भी कुछ करने के बाद उसमें कुछ नहीं होता। *(व्यवधान)* वह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। इसमें एक ही एक्ट नहीं है, जिसको आप नाइंथ शैड्यूल में डाल सकते हैं, उसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। उसमें हर एक को नाइंथ शैड्यूल में डालना सम्भव है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो जमीन का मामला है, उस जमीन के मामले को लेकर एक तरफ गरीब के मन में आशा जगती है कि चूंकि हमको पर्चा मिल गया है, हम इस जमीन के मालिक हो गए, दूसरी तरफ जो कोर्ट है, उसका नियम और प्रशासन का मुद्दा उसमें बाधाएं पैदा करता है, इससे उनको जमीन नहीं मिल पाती है। आधी शताब्दी हमें आजाद हुए बीत गई है, लेकिन उन लोगों को जमीन नहीं मिल सकी। शुरू में हमने देखा कि बड़े लोगों ने अपने कुत्तो-बिल्लियों के नाम जमीन कराकर उसे अपने कब्जे में कर रखा था। आज की तारीख में कितनी जमीन बची है या नहीं बची, हमें मालूम नहीं है। जमीन पर गरीब को अधिकार मिले, गरीब इस आस में है कि जमीन उसको मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही है, उल्टे उसकी हत्या हो रही है। दूसरी बात मैं प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। प्रशासन का जो रुख है, वह चाहे दलित वर्ग के प्रति हो या अल्पसंख्यकों के प्रति हो, निर्दयतापूर्ण है। मैं इसको दलगत भावना से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं। सीतामढ़ी में गरीब लोग रिलीफ मांगने के लिए जा रहे थे, तो वहां छः लोगों की हत्या हो गई, उनमें दो अल्पसंख्यक थे, अयूब खां और मुनि मियां, जिनको जिंदा जला दिया गया। प्रशासन के सामने जिंदा जला दिया। यह भी नहीं हुआ कि वे अल्पसंख्यक हैं, उनको दफनाया जाए। इसी तरह से एक मुसहर परिवार, जो सबसे गरीब होता है, उसके घर में पुलिस चली गई और एक मुसहर बच्चे को मार दिया। उसकी मां को घसीटने का प्रयत्न किया गया, उसकी गोद में छोटा बच्चा था।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अकेले बिहार का यह मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान : आपको जब मौका मिले, आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहें ... *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अगर बिहार पर बहस होगी तो हम लोग भी बोलेंगे। यह मामला रीता वर्मा जी उठा चुकी हैं, स्टेट सब्जेक्ट है। *(व्यवधान)* अगर इस पर बहस करनी है तो हमें भी मौका दिया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह विषय उठाया जा चुका है। बार-बार यही बात होती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्बन्ध में चर्चा करवाई जाए, यह मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 100 गुना अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को गोलियों से मारा जा रहा है *(व्यवधान)* हमारे जिले में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इनको हर वक्त बिहार ही दिखाई दे रहा है *(व्यवधान)* नियम के विरुद्ध सदन नहीं चल सकता, नियम के अनुसार चलना चाहिए। सीतामढ़ी के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है *(व्यवधान)*

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ०प्र०) : जितने लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं, वे सारे सूचीबद्ध अपराधी हैं *(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी उनके बारे में नोटिस दें कि कौन-कौन लोग मारे गए हैं *(व्यवधान)* वहां सारे माफिया गुंडे मारे जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान, कृपया आप विषय के बारे में ही बोलिए। आप अपना भाषण विषय के बारे में नहीं दे रहे हैं। इसी कारण इतने व्यवधान हो रहे हैं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मुलायम सिंह जी, आप यहां तीन-चार दिन से नहीं थे, यह जीरो ऑवर नहीं है, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें पता है, आप हमें नियम न बताएं। हमारा नाम लेकर बोलेंगे तो हमें भी मौका दें। हमने आपसे ज्यादा नियम पढ़े हैं। जौनपुर में चार मुसलमान मार दिए, क्या हुआ *(व्यवधान)*

यह क्या बात हुई ? *(व्यवधान)* आप दुनिया भर के बारे में बोलिए, हम सुन रहे हैं लेकिन *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं फिर कहना चाहूंगा *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप अपने विषय के बारे में ही बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आप 1977 से मेरे मित्र रहे हैं। आपका और मेरा नाम एक बार नहीं वरन् सैकड़ों बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए आता था। यदि अनुसूचित जनजातियों पर कोई अत्याचार होता है, यह भारतीय संविधान से संबंधित विषय है। यह राज्य का विषय नहीं है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, मैं सोचता हूं, आपने मुझे गलत समझा है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा। गृहमंत्री ने जो कहा है वह पर्याप्त है। मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूं। कृपया अन्य विषयों को लीजिए। मैं कोई विवाद नहीं उठाना चाहता *(व्यवधान)*। मैंने चर्चा के विषय से अलग बात नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूर्णिया में आदिवासी व्यक्तियों को जलाने से संबंधित है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आदिवासी ही नहीं वरन् मुसलमान लोगों को भी जलाये गये हैं। इसी कारण, मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं। यह बात गृह मंत्री जी के वक्तव्य से उठी है।

[हिन्दी]

केवल ट्राइबल्स ही नहीं जलाए जा रहे हैं, मुस्लिम भी वहां जलाए गए हैं। *(व्यवधान)* कुछ लोग इसे हिन्दू-मुसलमान का इश्यू बनाना चाहते हैं।

महोदय, कृपया आप गृह मंत्री के वक्तव्य को पढ़ें।

इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कांसनट्रेट कर रहा हूं। मैंने बिहार सरकार के संबंध में नहीं कहा है। यह सिर्फ ट्राइबल्स का मामला नहीं है बल्कि ट्राइबल्स के पहले मैंने कहा कि इसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। पहले भी जब मारे गए थे तब मुस्लिम मारे गए थे और अभी भी मुस्लिम मारे गए हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मारे गए हैं। मैं इतना ही गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर बिहार सरकार या बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया ? मैं कहना चाहता हूं कि यदि सही समय पर पुलिस वहां पहुंच गई होती, यदि सही समय पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच गया होता तो इतनी बड़ी घटना को घटने से रोका जा सकता था। आज जिस तरीके से चाहे ट्राइबल्स का घर हो या मुस्लिम का घर हो, पुलिस फोर्स द्वारा वहां जाकर उनको बेज्जत किया जा रहा है, उसे रोका जा सकता था। इसलिए मैंने यह सवाल पहले ही पूछा कि कितने बजे यह घटना हुई ? कितने बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचा और जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, उसे कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? मैंने यह सवाल संक्षेप में जानने का प्रयास किया था। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात का एश्योरेंस दे कि यह भूमि विवाद कानून को कम्युनल कलर न दिया जाए जिससे वहां हिन्दू मुसलमान का दंगा, चूंकि हर पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए मैंने आपके माध्यम से क्लेरिफिकेशन जानने की कोशिश की थी जिससे कि गरीब, माइनॉरिटी और सभी वर्गों के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : मैंने नोटिस दिया था। दो मिनट का मुझे मौका दीजिए। *(व्यवधान)* मैंने लिख दिया था। *(व्यवधान)* दूसरे पक्ष को भी सुन लिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता, नियम 197 के अंतर्गत आपको नोटिस देना होगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं सदन के समक्ष थोड़े से शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं। मैं केवल दो मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, यदि मैं आपको अनुमति दूंगा तो मुझे उन्हें भी अनुमति देनी पड़ेगी। इसलिए अभी आप नहीं बोल सकते *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : महोदय, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहती हूं। मैंने यह मामला संसद में उठाया है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको अभी अनुमति नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है।

(व्यवधान)

...दय : क्या ऐसा कोई पूर्व-उदाहरण है ? मैं नहीं ... कोई पूर्व-उदाहरण हो। ऐसा कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होना चाहिए कि नियम 197 के तहत पांच नाम आ सकते हैं। इसमें दो व्यक्तियों के नाम थे, इसलिए दोनों व्यक्तियों के नाम आ गए। इसपर डिसकशन नहीं हो सकता है। नियम 197 के अनुसार स्कोप से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे बताइए, मैं कैसे जा सकता हूं। नियम 197 बिलकुल क्लीयर है कि डिसकशन नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इन्होंने जो कुछ कहा है, सदन को मिसइन्फार्म किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : रीता वर्मा जी सवाल पूछने के लिए कह रही हैं। उधर से बिहार के अन्य सदस्य भी हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरे पास डाक्युमेन्ट्स हैं। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि पुलिस नहीं पहुंची ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत इस पर चर्चा नहीं करवा सकता। आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रो० रीता वर्मा भी इस मुद्दे को उठा रही हैं। श्री शास्त्री जी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और भी कई सदस्य हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नियम में विशेष रूप से कहा गया है कि यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता हूं ? आपको पहले ही सूचना देनी चाहिए थी। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पासवान जी की बात से सहमत हूं, इस घटना को साम्प्रदायिक झगड़ा करके प्रस्तुत करना सर्वथा गलत होगा। मैंने अपने वक्तव्य में पहली बात कही है कि हमने बिहार की सरकार से जानकारी की। बिहार की सरकार ने हमको बताया कि मूलत: यह झगड़ा या यह जो हिंसा हुई, उसका आधार जमीन के बारे में एक विवाद है। उस जमीन के विवाद के बारे में, जो जमीन के मालिक थे, उन्होंने आज से डेढ़ साल पहले एक घोषणा की और उस घोषणा के बाद, अभी-अभी उन्होंने एक ट्रैक्टर भेजा। घोषणा यह की कि अब आपको अधिकार नहीं है, शिकमी अधिकार नहीं हैं, टैनेन्सी अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर जोत करेंगे। उन्होंने ट्रैक्टर भेजा और उस ट्रैक्टर को फिरोज मियां चलाने वाले थे। वह जब ट्रैक्टर लेकर आया, तो वहां पर जितने पहले टैनेन्सी राइट थे, जो पहले वहां पर काश्त करते थे, उन्होंने उसको पकड़कर मारा, जिससे उसकी हत्या हो गई। फिर ट्रैक्टर को जलाया और उसमें उसकी लाश डाल दी। इस कारण वहां पर उत्तेजना फैली। उसके बाद पांच हजार का एक मॉब वहां पर आया और उस पांच हजार के मॉब ने आकर आदिवासियों की झोपड़ी में आग लगा दी तथा आग के लगने से पांच आदमी मारे गए, जिनमें से तीन बच्चे थे। जो तथ्य बिहार सरकार ने हमको दिए, वे हमने आपके सामने रख दिए। इस बारे में राम विलास पासवान जी जानकारी दे रहे हैं और दूसरे सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि कितनी दूरी पर थाना है। इस बारे में आप जानकारी चाहेंगे, तो मैं एक बार फिर जानकारी प्राप्त करके दे दूंगा। लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए, जब इस प्रकार की घटना के बारे में केन्द्रीय सरकार से वक्तव्य मांगा जाता है, तो केन्द्रीय सरकार प्राय: उतना ही वक्तव्य देगी, जितना कि राज्य सरकार सूचित करती है। उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : जब रिपोर्ट मांगी जाती है, तो कन्सर्निंग आफिसर जो केन्द्रीय सरकार का होता है, उसको मालूम होता है कि सप्लीमेंट्री में ये सवाल आ सकते हैं, तो जानकारी लेनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक बात है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह दस बजे की घटना है। लेकिन इस घटना और दूसरी घटना के बीच में दो-तीन घंटे का अंतराल था। यदि इस दो-तीन घंटे के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया होता, तो दूसरी घटना को रोका जा सकता था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पासवान जी, भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को एक प्रकार से दोषी माने और यह घोषणा मैं यहां कर दूं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। आपने जो बातें कहीं वह अगर सही मान ली जाएं और मैं कहूं कि बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें सात लोग मारे गए, तीन बच्चे मारे गए उसको रोकने की स्थिति थी

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसके बावजूद भी वहां की प्रदेश सरकार ने नहीं रोका तो मैं समझता हूं कि उसका अर्थ दूसरा लिया जाएगा। फिर जिस प्रकार की यहां से टिप्पणियां होने लगीं वैसी होने लगेंगी, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर सदन चाहेगा तो मैं और डिटेल्स लाकर सदन को दे सकता हूं। फिलहाल मैं समझता हूं कि जितनी मैंने जानकारी दी है उसके आधार पर इतनी बात स्पष्ट होती है कि जो हुआ वह इस कारण हुआ कि वहां ट्रैक्टर जोतने वाला गया और उस ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या कर दी, उसे जला दिया गया, ये दोनों चीजें ग़लत हुई हैं। उसको सरकार रोक सकती थी या नहीं रोक सकती थी इस पर मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने कहा कि लैंड रिफार्म्स के संबंध में कानून को सरल बनाया जाए। अभी भी जिन लोगों को जमीन दी है वे सीधे जमीन के मालिक हो जाएं, चाहे वे ट्राइबल हों या गरीब हों, क्या इस संबंध में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस विषय में लॉ कमीशन से भी सलाह करूंगा कि आज जो भू सुधार का कानून है उसके बारे में बिहार और अन्य प्रदेशों का अनुभव है, उसके संदर्भ में उसमें फिर से परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं। *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर) : गृह मंत्री जी राज्य सरकार से बात करें। *(व्यवधान)* यह भी पूछ लें कि कोई कचहरी का हुक्म था या ऐसे ही चला गया *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 18 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 18 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : मैं रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। चूंकि मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, इसलिए मेरी अनभिज्ञता को क्षमा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट में यह प्रावधान है कि विदेश नीति पर हम कल चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कल इस पर प्रधान मंत्री जी का जो वक्तव्य आया था उस पर पूरी बहस होनी है।

अपराह्न 12.37 बजे

वाणिज्य बोर्ड और विकास प्राधिकरण (आयकर से छूट) विधेयक*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कॉफी अधिनियम, 1942, रबड़ अधिनियम, 1947, चाय अधिनियम, 1953, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन गठित किसी बोर्ड या प्राधिकरण की आय को आयकर के संदाय से छूट देने का उपबंध करने के प्रयोजनार्थ विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम, 1942, रबड़ अधिनियम, 1947, चाय अधिनियम, 1953, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन गठित किसी बोर्ड या प्राधिकरण की आय को आयकर के संदाय से छूट देने का उपबंध करने के प्रयोजनार्थ विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमपाल : मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.38 बजे

सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 21.12.98 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

अपराह्न 12.39 बजे

आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब नियम 377 के अन्तर्गत मामलों

सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय, सांसद कोटे के स्थानीय क्षेत्र विकास अधिकोष की राशि को दो करोड़ तक बढ़ाया जाये। पूरा सदन इस विषय पर सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रेड्डी, यह 'शून्यकाल' नहीं है। हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : उपाध्यक्ष जी, जब जीरो आवर नहीं होता है तो हमें पहले से बता दिया जाय तो अच्छा है। हम सुबह नोटिस देकर चले जाते हैं कि हमको भी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : बिजनैस एडवाइजरी कमिटि ने डिसाइड किया है।

सदन में पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि आज न तो कोई शून्य काल होगा और न ही कोई भोजनावकाश।

अपराह्न 12.41 बजे

भारतीय हाकी टीम को बधाई

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : सर एक मिनट बोलने दीजिए। भारत की हॉकी टीम को 32 साल बाद गोल्ड मैडल मिला है, हम बधाई देना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियमानुसार 'शून्यकाल' बिलकुल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब इसके लिए आप लोग जोर मत दें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, हमारे हॉकी के खिलाड़ियों को 32 साल के बाद गोल्ड मैडल मिला है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनको हम बधाई देना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान : सर, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से भी बधाई दे दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है।

(व्यवधान)

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुनिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): उपाध्यक्ष जी, यह ठीक है कि बी०ए०सी० की मीटिंग में जीरो आवर के लिए मना हुआ है, लेकिन यह मामला जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। हम 32 वर्षों के बाद हॉकी में जीते हैं। सब सदस्यों की तरफ से और सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव के रूप में हॉकी, कबड्डी और जिन-जिन खेलों में खिलाड़ियों ने गोल्ड मैडल लिए हैं उनको यह सदन बधाई देना चाहता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : देश के लिए यह बड़े गौरव की बात है। पूरा सदन हमारी हॉकी टीम को बधाई देता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जिन-जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मैडल जीते हैं उन सबको बधाई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 21.12.98 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : एक महिला ने दो गोल्ड मैडल लिए हैं।

श्री राम विलास पासवान : अब 32 साल के बाद नहीं हर साल मैडल मिलना चाहिए।

अपराह्न 12.45 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कासगंज-बदायूं मार्ग पर काछिला घाट पर रेल पुल का पुनर्निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कासगंज-बदायूं रोड के काछिला घाट का रेलवे पुल जीर्ण हालत में है। वह कभी भी टूट सकता है। इस घाट से कई रेलगाड़ियां पास होती हैं और सड़क यातायात भी यहीं से होता है। पुल के दोनों ओर सड़क पर वाहन घंटों तक रुके रहते हैं और आने-जाने वालों को काफी प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। यहां पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मांग की है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस काछिला घाट के पुल का शीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करें ताकि रेल और सड़क यातायात सुविधा यात्रियों को प्राप्त हो सके।

(दो) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर महोबा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर महोबा में सिंचाई परियोजनाएं जैसे विराट सागर बांध परियोजना केन्द्र सरकार में स्वीकृति के लिए लंबित थी। राज्य सरकार ने उक्त परियोजना को अस्वीकृत कर दिया है। मैं जन हित में सरकार से मांग करता हूं कि विश्व बैंक की सहायता से उक्त परियोजना को शीघ्र धन आवंटित कर स्वीकृति प्रदान करें।

(तीन) पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ० प्रभा ठाकुर (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाना आजकल आए दिन की बात हो गई है। अक्सर अखबारों में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पुलिस हिरासत में मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। यह एक बहुत गम्भीर चिंताजनक स्थिति है। एक ऐसा अपराधी जिस का अपराध प्रमाणित भी नहीं हुआ, जिस को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देकर कोई सजा नहीं सुनाई गई, ऐसे व्यक्ति की हिरासत में मृत्यु हो जाना पुलिस व्यवस्था के लिए एक कलंक की बात ही कही जाएगी क्योंकि पुलिस पर देश के नागरिकों की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी बनती है। ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं तथा पूरी पुलिस व्यवस्था को भी बदनाम करती हैं। इससे अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि ऐसे हादसों के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई न किया जाना, मामलों को दबाया जाना, कोई सजा न दिया जाना, केवल मुअत्तिल कर देना तथा बाद में उन्हें भी बहाल कर दिया जाना। ऐसी घटनाओं से जनता में पुलिस की विश्वसनीयता तथा सम्मान कम होती है। पुलिस अधिकारियों को बचाने के स्थान पर ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए तभी पुलिस से जनता का विश्वास बढ़ेगा तथा ऐसे गम्भीर हादसों पर रोक लगेगी। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(चार) जनपथ, नई दिल्ली में डॉ० अम्बेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, 1990 में तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में डॉ० अम्बेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की जनपथ नयी दिल्ली में स्थापना के लिए बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसकी पुष्टि वर्ष 1991 और 1993 के दौरान आगामी सरकारों ने भी की थी।

हालांकि उक्त निर्णय के संदर्भ में जनपथ, नयी दिल्ली की कोठी संख्या 13, 15, 17, 19 और 21, अर्थात् पांच कोठियां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पूर्व कल्याण मंत्रालय) को अप्रैल 1994 में आवंटित की गयी थीं लेकिन किन्हीं कारणों से इनमें से मात्र एक कोठी 21 जनपथ को ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त वर्णित सभी पांच कोठियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे डॉ० अम्बेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की जनपथ, नयी दिल्ली में शीघ्र स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश में विशेषकर आजमगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और इसके आस-पास के इलाकों में रह रहे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग पर हो रहे अत्याचार और उनकी सामूहिक हत्या पर दिलाना चाहता हूं। इन वर्गों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं हैं। अभी अक्तूबर माह में एक अनुसूचित जाति परिवार के पांच लोगों की हत्या की गयी।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की हिफाजत हेतु केन्द्रीय स्तर पर तत्काल कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

(छह) दक्षिण रेल जोन के लिए मेट्रो भूमिगत और मेट्रो इलैक्ट्रिक रेलगाड़ियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री सी० गोपाल (अर्कोनम) : तमिलनाडु के वेल्लोर जिला में अर्कोनम रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है। प्रतिदिन दो लाख लोग अर्कोनम से मद्रास, तिरुपति, कांचीपुरम, जोलरपेट्टई, अम्बुर, कोएम्बटुर और सेलम जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं। यात्री भीड़ को कम करने के लिए आम जनता की ओर से लम्बे समय से यह मांग उठती रही है कि अर्कोनम से कोटपरि और तिरुपति तक विद्युत ट्रेनें चलायी जायें। हमें पता चला है कि उक्त मार्गों में विद्युत ट्रेनें चलाने के लिए मेट्रो भूमिगत व मेट्रो विद्युत ट्रेनों के आवंटन की आवश्यकता है। रेल अधिकारियों ने भी केन्द्र सरकार से ऐसी ही अनुशंसा की है। अत: मैं माननीय रेलमंत्री से निवेदन करूंगा कि छात्रों, मजदूरों, ग्रामीण जनता, व्यापारी वर्ग और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण रेलवे को मेट्रो भूमिगत व मेट्रो विद्युत ट्रेन आवंटित की जायें।

— के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महाप्रबंधक, के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा में अभी हाल में स्थापित महाप्रबंधक कार्यालय दूरसंचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां अधिकारी एवं स्टाफ की भारी कमी है। इसके कारण दूरसंचार के विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और विकास के संबंध में जो कार्य किये जाने थे वे ठप्प पड़े हुए हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय के लिये पर्याप्त अधिकारी एवं स्टाफ यहां पर स्थापित किया जाये जिससे यहां के दूरसंचार के विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

[अनुवाद]

(आठ) एक अलग बोडो लैंड राज्य शीघ्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं अपनी बहुत पुरानी और वास्तविक मांग को फिर दुहराना चाहूंगा कि भारत सरकार उत्तरांचल (उत्तराखण्ड), वनांचल (झारखंड) और छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देते समय व्यापक राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर वर्तमान असम से अविलम्ब एक पृथक राज्य बोडोलैंड के सृजन को मान्यता दे।

भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में पश्चिम में असम-प० बंगाल की सीमा से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के साद्या तक वर्तमान असम के भू राजनैतिक सीमा से ब्रहमपूत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 25478 वर्ग सीमा क्षेत्र को अलग कर बोडोलैंड का निर्माण अत्यावश्यक है और यही बोडोलैंड प्रश्न का सौहार्दपूर्ण और सटीक हल है। समूचे उत्तर-पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बोडोलैंड क्षेत्र की अवस्थिति अत्यधिक रणनीतिक है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अलग बोडोलैंड राज्य के निर्माण हेतु संसद के वर्तमान सत्र में ही आवश्यक विधेयक लाने संबंधी ठोस और सकरात्मक नीति संबंधी निर्णय ले।

अपराह्न 2.54 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1998-99*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में 1998-99 के बजट संबंधी अनुदानों की अनुपूरक लोगों पर चर्चा की जायेगी। इन मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये दो घंटे का समय नियत किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्याओं के समाने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :— मांग संख्या 5, 6, 9, 16, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 99, 100, 101, 102 और 103।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के लिये अनूपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

संख्या और मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5. रसायन और उर्वरक विभाग	—	36,84,00,000
6. उर्वरक	1720,83,00,000	—
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय		
9. उपभोक्ता मामले विभाग	9,00,00,000	1,00,00,000
संचार मंत्रालय		
16. दूर संचार विभाग	2,20,00,000	—

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
24. पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	—
विदेश मंत्रालय		
25. विदेश मंत्रालय	1,00,000	—
वित्त मंत्रालय		
26. आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	—
30. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	855,00,00,000	136,00,00,000
31. सरकारी कर्मचारियों को ऋण	—	100,00,00,000
35. लेखा परीक्षा	59,11,00,000	—
38. अप्रत्यक्ष कर	—	2,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
40. स्वास्थ्य विभाग	—	1,00,000
गृह मंत्रालय		
44. मंत्रिमंडल	23,00,000	—
45. पुलिस	440,90,00,000	—
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
48. शिक्षा विभाग	2,00,000	—
49. युवा मामले और खेल	3,00,000	—
50. संस्कृति विभाग	6,41,00,000	—
51. महिला और बाल विकास विभाग	2,00,000	12,00,000
उद्योग मंत्रालय		
52. औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	2,00,000	—
54. भारी उद्योग	5,08,00,000	180,00,00,000
55. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग	2,00,000	—
विधि और न्याय मंत्रालय		
59. विधि और न्याय	2,00,000	—
62. कम्पनी कार्य विभाग	—	2,08,00,000
खान मंत्रालय		
63. खान मंत्रालय	6,48,00,000	3,05,00,000
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
67. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	34,00,000	—
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
69. सांख्यिकी विभाग	8,10,00,000	—
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
76. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	103,32,00,000	—
77. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	—	1,22,00,000
इस्पात मंत्रालय		
78. इस्पात मंत्रालय	—	1,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय		
79. भूतल परिवहन मंत्रालय	1,00,000	—
80. सड़कें	52,41,00,000	1,00,000
81. पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन	28,05,00,000	488,39,00,000
कपड़ा मंत्रालय		
82. कपड़ा मंत्रालय	73,00,000	20,00,00,000
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय		
85. लोक निर्माण कार्य	1,60,00,000	—
जल संसाधन मंत्रालय		
87. जल संसाधन मंत्रालय	1,77,00,000	—
परमाणु ऊर्जा विभाग		
89. परमाणु ऊर्जा	12,22,00,000	—
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
99. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,34,00,000	13,83,00,000
100. चंडीगढ़	—	7,18,00,000
101. दादरा और नगर हवेली	50,00,000	2,30,00,000
102. दमन एवं दीव	—	2,43,00,000
103. लक्षद्वीप	2,85,00,000	1,07,00,000
कुल जोड़ .	**3331,65,00,000**	**995,56,00,000**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी०एम० बनातवाला और प्रो० सैफुद्दीन सोज ने सामान्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे यहां उपस्थित हैं और अपने कटौती प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान स्थानीय क्षेत्र विकास फण्ड को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने के संबंध में कल मैंने अध्यक्ष महोदय को बताया। हम एक बात रखना चाहते हैं कि सरकार सिद्धान्त रूप से धनराशि को 2 करोड़ बढ़ाने पर तैयार है परंतु आज तक ऐसी किसी बात से हमको अवगत नहीं कराया गया है। पूरा सदन धनराशि 2 करोड़ करने के पक्ष में है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय उपयुक्त नहीं है। हमने अगले मुद्दे ... दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सड़क शीर्ष (पृष्ठ 34) के संबंध में 52,42,000,00 रुपये से अनधिक अनुपूरक अुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

केरल से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 के भागों को शीघ्र पूरा करने और उसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता (1)

"कि सड़क शीर्ष (पृष्ठ 34) के संबंध में 52,42,000,00 रुपये से अनधिक अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

केरल के उत्तर-दक्षिण आर पूर्व-पश्चिम गलियारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता (2)

उपाध्यक्ष महोदय : अब चर्चा शुरू होगी।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पूरक मांगें वर्ष 1998-99 की सदन में वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

महोदय, बजट बनाने के समय सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो विभाग है, उसमें अनुमानत: कितना खर्च होगा। बार-बार सप्लीमेंट्री डिमांडज लेकर सदन में आना कुछ अच्छा नहीं लगता है। इनकी जो डिमांड है, इसमें 46 मांगें हैं और 449.76 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति लेनी है। इनको क्यों रुपया दिया जाए, यह सदन के सामने विचारणीय विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में नेशनल हाईवे 1970 के बाद एक इंच भी इन्होंने नहीं बनाया। जवाब देने लगेंगे तो बोलेंगे कि उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। सरकार किसी की हो, वह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार की नीति क्या है। बिहार में 1970 दशक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई नहीं बढ़ी है जबकि जो भी जनसंख्या है सारे देश की उसकी दस प्रतिशत जनसंख्या बिहार की है।

स्वास्थ्य के बारे में इनकी जो डिमांड है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि यह तो वही बात हो गई जो कविवर गोपाल सिंह नेपाली ने कही थी और यह कब कही थी, वित्त मंत्री जी को जानकारी होगी। उन्होंने कहा था :

"फिर भी स्थिति वहीं की वहीं रह गई।
दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं।
रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं।
श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा।
बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि 40,000 की आबादी पर एक सिक्स बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे और एक बार भारत सरकार ने उसका कोटा हर स्टेट को दिया। पता नहीं किस परिस्थिति में उसे बंद कर दिया गया। बिहार को भी वह कोटा नहीं मिला, अन्य राज्यों को भी वह कोटा नहीं मिला जिससे ग्रामीण इलाकों को जो स्वास्थ्य सेवा नजदीक से मिल सकती थी, वह नहीं मिल सकी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे भी उस इलाके से आते हैं और उनका निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग है। वहां जो सिक्स बेडेड हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, आपके अनुदान देने के बाद भी उसका भवन नहीं बन सका जबकि गांव वालों ने ढाई एकड़ जमीन दी और वह भवन नहीं बना सके। फिर आपने अलॉटमेंट देना भी बंद कर दिया। मैं आपसे मांग करता हूं कि यह योजना गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए बहुत आवश्यक है और इसको आपको चालू करना चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका इतनी जबर्दस्त होती है और उससे इतनी क्षति होती है कि उसका अनुदान भी भारत सरकार नहीं दे पाती है। इस तरह की स्थिति दूसरे राज्यों की नहीं है क्योंकि हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं, वह सारी नदियां बिहार से गुजरती हैं, इसलिए इस पर विशेष तरजीह देने की आवश्यकता है और नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच संबंध स्थापित कर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि क्षति नहीं हो पाए। आज एक प्रश्न के उत्तर में जब कृषि मंत्री जवाब दे रहे थे तो हम लोगों को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। आज जितनी बरबादी हुई है, धान की बरबादी हुई है, मकानों की बरबादी हुई है, उस सारी क्षति की पूर्ति राज्य सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए भारत सरकार को बाद में पैसा देने की आवश्यकता है। यह बराबर कहते हैं कि इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जो बिहार में मकान क्षतिग्रस्त हुए

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, उनकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी लेकिन उसका भी अनुदान जो राज्य सरकार को अलॉट किया है, वह बहुत कम है। अगर उसमें भी बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता हो तो उसको बढ़ाना चाहिए जिससे बिहार के लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का नेशनल ऐजेण्डा है कि सबको शुद्ध जल पिलाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वित्त मंत्री जी ने इसकी तरफ कौन सा कदम उठाया है ? ग्रामीण जलापूर्ति योजना थी जिसको राजीव मिशन के द्वारा करना था। आपका उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोआर्डिनेशन था। जिसकी 10-15 हजार की आबादी है, ऐसे शहर जिन राज्यों में भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उसमें आपने सिर्फ छः या सात शहरों को सम्मिलित किया है जिससे बाकी इलाके के लोगों को पानी पीने में कठिनाई होती है उनको शुद्ध पानी नहीं मिल सकता है। यह आपके नेशनल ऐजेण्डा में भी है, इसलिए आप इस योजना को लागू करें और बिहार को अधिक से अधिक अनुदान देने की कृपा करें जिससे कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना लागू हो सके।

नाबार्ड के माध्यम से सड़क और पुल बनाने की योजना है। हमारी बिहार सरकार ने भी इनके पास योजना भेजी है। नाबार्ड से पुल बनाने के लिए चाहे वह आदिवासी या पिछड़े इलाके हों या गंगा का उत्तर इलाका हो या बिहार का इलाका हो, वहां सारी जगहों में जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनमें पुल बनाने के लिए, लम्बी सड़कें बनाने के लिए आर०ई०सी० से जो सड़क बननी है, उसके निर्माण के लिए प्रपोजल और योजना भेजी गई है लेकिन आज तक उस योजना पर भारत सरकार से रुपया नहीं दिया गया। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बात को देखें कि नाबार्ड क्यों इस काम को नहीं कर रहा है। दूसरी योजना नाबार्ड की थी जो ग्रामीण इलाकों में लोगों की सुख-सुविधा के लिए, किसानों के ठीक तरह से खेती के लिए पटवन हो सके, उसके लिए ट्यूबवेल लगाने की योजना थी। उसे स्वीकृति भी दी गई लेकिन आज तक स्टेट ट्यूबवेल लगाने के लिए जो रुपया रिलीज करना था, भारत सरकार ने, नाबार्ड ने अभी तक उस रुपये को रिलीज नहीं किया है जिसके चलते जो मार्च के अंदर लगभग 600 स्टेट ट्यूबवेल बिहार में करने थे, एक में भी काम प्रारंभ नहीं हो सका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस माध्यम से आप हमसें अनुदान स्वीकृत करा रहे हैं और स्कीम आपकी पेण्डिंग है। स्वीकृति के बावजूद भी आपने उसको पैसा नहीं दिया। कृपया यह पैसा दें जिससे किसानों को लाभ मिल सके।

मैं छठी बात कहना चाहता हूं कि धान कटने के बाद हम लोगों के बिहार में गेहूं की खेती होती है। वहां पानी का भी अभाव है और खाद हम लोगों को मिल नहीं रही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से घूमकर आज ही लौटा हूं। मुझे बड़ी परेशानी हुई और सारे लोगों ने कहा कि जब दुकान में खाद लेने जाते हैं तो खाद नहीं मिलती है और पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया कि खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है और हम सभी राज्य सरकारों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, आपने कितना यूरिया उनको दिया है। आखिर उनकी जरूरत कब पूरी होगी ? जब मार्च का महीना आ जाएगा, गेहूं फूटने का वक्त हो जाएगा, तब आप यूरिया भेजेंगे तो वह ब्लैक मार्केट किया जाएगा और व्यापारी उसको दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी लोगों को खाद मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहकर बैठ जाऊंगा। जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना का फंड बढ़ाना चाहिए। गांवों की सड़कें, गांवों के प्राइमरी स्कूल, गांवों के छोटे-मोटे अस्पताल ये सभी सुनिश्चित रोजगार और जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से बनते हैं। इसलिए इस पैसे को बढ़ाना चाहिए। यह थर्मामीटर उसी प्रकार का हो गया कि जैसे रेलवे या हवाई जहाज के रेट होते हैं, जिसमें ढाई क्विंटल का जिसका भार है उसका और जो हल्के शरीर वाला है उसका भी उतना ही टिकट होता है। इन रोजगार योजनाओं में ब्लाक के आधार पर 12 लाख 14 लाख की राशि सबको बराबर-बराबर दी जाती है, जबकि यह आबादी के आधार पर दी जानी चाहिए, जिससे कि गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। गांवों में स्कूल तथा अस्पताल आदि बन सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का चार्ज वित्त मंत्री जी के पास है। नेशनलाइज बैंकों को जो कोटा दिया जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा जो टारगेट फिक्स किये जाते हैं, जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए टारगेट फिक्स किये जाते हैं, उन टारगेटों के लिए बैंकों में पैसा जाता है, लेकिन बेरोजगार लोगों को वह पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। मैंने कई बार यशवंत बाबू से इसके बारे में निवेदन किया था। जब वह पार्लियामेंट के मेम्बर थे, असेम्बली के मेम्बर थे, नेता विरोधी दल थे, जब आप अपनी कांस्टीटुएंसी में जाते थे, डी०आर०डी०ए० की बैठकों में जाते थे तो यही सवाल प्रमुख रूप से उठता था। मैं समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में यह सवाल उठता है। बैंक वालों को जो ऋण मुहैया कराना चाहिए, जितना पैसा रिजर्व बैंक उनको देता है, उस पैसे को वे खर्च नहीं कर पाते हैं। इसके यही मायने हैं कि वित्त मंत्रालय का बैंकों पर कंट्रोल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी लगाम को कसिये, इन पर आप कड़ाई करिये, तभी गरीबों और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्यथा जो अलॉटमैंट दिया जाता है, वह लोगों को नहीं मिल पाता है। वह अलॉटमैंट लोगों को मिलना चाहिए। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो कारगर सुझाव दिये हैं, उन सुझावों के उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो पूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं, यद्यपि उसमें जो राशि बताई गई है, वह बहुत थोड़ी है। तथापि विभिन्न अनुदानों के लिए जिस प्रकार से राशि चाही गई है, उसके संबंध में संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह सही है कि बजट प्रस्तावों के समय पर पूरा विचार हो जाना चाहिए। इसमें बताये गये पहले पृष्ठ पर स्वीकृत प्रावधान में 14450.96 करोड़ की वृद्धि करना प्रस्तावित है, तथापि वर्धित प्रावधान में से 13169.96 करोड़ रुपये की पूर्ति संबंधित विभागों द्वारा बचत प्राप्तियां वसूली से जायेगी। इस प्रकार इस प्रस्ताव में शामिल नकद व्यय 1279.73 करोड़ रुपये है। लेकिन इस संबंध में जो अनुदान की मांगें रखी गई हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपका ध्यान नाफेड पर आकर्षित करना चाहता हूं, चूंकि इसमें कुछ राशि नाफेड को दिए जाने की बात कही गई है। नाफेड को जो राशि दिये जाने की बात कही गई है वह प्याज के आयात और निर्यात के

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

संबंध में कही गई है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड को सहायता प्राप्त दर पर प्याज के वितरण के कारण इसके द्वारा उठाई गई हानियों के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से चार करोड़ रुपये और 2.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे, इन्हें पूरक अनुदान की स्वीकृति के पश्चात निधि को लौटा दिया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति रही उसको पहले पूर्वानुमानित नहीं किया गया और बाद में जो अनुमान किया गया वह भी ठीक नहीं किया गया और देश भर में जिस प्रकार की स्थिति बनी और उसके कारण सरकार को एक प्रकार से दुखद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और यह नाफेड की गलती के कारण हुआ। आपको स्मरण होगा कि एक बार पहले भी इसी प्रकार से नाफेड ने चीनी का आयात किया था और उस चीनी आयात के समय करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी। नाफेड के द्वारा बिना सोचे-विचारे जिस प्रकार से अव्यवस्थित काम किया जाता है, उसकी [illegible] देने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जो का [illegible] करना चाहता हूं कि यद्यपि जो मांगें रखी [illegible] तथापि वे इन पर ध्यान देंगे ताकि नाफेड क कायकरण क बारे में भी ठीक से विचार किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात जो हमारे माननीय सदस्या ने उठाई है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि रासायनिक उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। सदन में पिछले दिनों चर्चा हुई है कि देश में रासायनिक उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं होते-जिससे हमारी कृषि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं विशेष रूप से मध्यप्रदेश के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां आज भी रासायनिक खाद सरलता से उपलब्ध नहीं है। वहां एक और नई विशेष स्थिति है यद्यपि यूरिया सारे देश में समय पर और उचित मूल्य में निर्बाध रूप से उपलब्ध है, लेकिन म०प्र० ऐसा राज्य है जहां पर राज्य सरकार द्वारा यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहां पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि केवल सहकारी समितियों यानी नियंत्रित सहकारी एजेंसियों के माध्यम से ही यूरिया का वितरण हो सकता है। खुले बाजार में यूरिया का वितरण नहीं हो सकता है। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री महोदय का सीधा इस बात से संबंध नहीं है तथापि मैं उनके माध्यम से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बात को देखे कि म०प्र० में किस प्रकार सरलता से किसानों को यूरिया उपलब्ध हो सकेगा क्योंकि हम यहां पर हिन्दुस्तान उर्वरक को धन देने पर भी विचार कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों के बारे में किसानों को चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मंत्री महोदय, 45 डिमांड लेकर आए हैं जिनको गिलोटीन करेंगे। इसलिए और मांगों पर भी बोलिए।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की इकाई नामरूप के लिए इसमें धन मांगा गया है। इसलिए इस विषय के संदर्भ का लाभ लेते हुए मैंने अपनी बात रखी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक और बात की ओर उठाना चाहता हूं। मैं अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहता हूं। इन अनुदान की मांगों में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के लिए भी अतिरिक्त धन मांगा गया है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश भर में यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। यह एक प्रकार से मजाक जैसा हो गया है। इसमें बहुत घपला होता है। समय पर बच्चों को खाना नहीं मिलता है और मिलता है तो ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। इसके कारण लोग कहने लग गए हैं कि यह पोषाहार क्या है यह तो एक प्रकार से अनुचित ढंग से पैसा कमाने का जरिया बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए भी पैकेज हैं और उसमें नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड है और नेपा लिमिटेड है। नेपानगर स्थित उद्योग इस प्रकार का है जो अखबारी कागज बनाता था और बहुत अच्छी क्वालिटी का कागज बनाता था। यह आज घाटे में चल रहा है जिसके कारण हजारों मजदूर आज बेकार होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा उपक्रम है जो स्वदेशी है और कागज का उत्पादन करने वाला एक अच्छा उपक्रम है। उसके लिए अगर और अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़े, तो निश्चित रूप से आप देने की कृपा करें ताकि वह उद्योग बचे और जो हजारों श्रमिक आज बेकारी की स्थिति में आ गए हैं उनको रोजगार मिल सके। इस उद्योग में ऐसी मशीनरी है जो आजकल के आधुनिक विदेशी उपकरणों से भी अच्छी किस्म की है। यह घाटा इसलिए हो रहा है कि हम विदेशों से अखबारी कागज मंगा रहे हैं क्योंकि वहां से अखबारी कागज मंगाना हमें सस्ता पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसे घाटे से बचाया जाए और उसे सक्षम बनाया जाए। ताकि एक अच्छी स्थिति पैदा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो दूसरे उपक्रम हैं, उनके बारे में भी मैं संक्षेप निवेदन करना चाहूंगा। सीमेंट कारपोरेशन में भी अव्यवस्था है, कुप्रबंध है, उसे ठीक किया जाए। यहां नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के बारे में भी कहा गया है। कपड़ा उद्योग के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। उसके बारे में समय-समय पर चर्चा भी हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारा कपड़ा उद्योग संकट में है उसकी ओर मैं आपका ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं। यहां पर बार-बार घोषणाएं तो की जाती हैं कि हम नई वस्त्र नीति बनाने वाले है और उसके तहत जो हजारों श्रमिक आज बेकार हैं और जो हमारी पूंजी लगी हुई है वह बेकार हो रही है, उसकी हम रक्षा करेंगे और मजदूरों को भी हम संरक्षण देंगे, लेकिन ये दोनों ही बातें नहीं हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वस्त्रोद्योग को बचाने की दृष्टि से जितने भी एन०टी०सी० द्वारा संचालित उद्योग हैं ओर उनके अलावा भी जो दूसरे उद्योग हैं जिनको आप पूंजी देने जा रहे हैं, यह अच्छी बात है इस प्रकार से उनके संरक्षण एवं उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करेंगे ताकि जो अनुपूरक मांगें आप लेकर आए हैं उन पर हम ठीक प्रकार से विचार करके उन्हें संस्तुति दे सकें। आयात तो बढ़ा है, व निर्यात घटा है। यह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं कि जिन-जिन विषयों और जिन-जिन मांगों के बारे में आपने मांग पत्र प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां जो खामिया हैं उनको आप दूर करने का प्रयत्न करेंगे ताकि हम विकास की गति को और आगे बढ़ा सकें और जो-जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीने पूर्व बरसात के सत्र में सामान्य बजट और शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट आना बहुत ही विडम्बनापूर्वक लगता है। हमको यह कहने में भी आसानी लगती है कि जो सरकार में बैठे हैं उनको कम से कम साल भर के खर्च का विवरण तैयार कर लेना चाहिए और भविष्य में किस तरह के खर्च की संभावना है, उसको ध्यान में रखकर पूरे वर्ष का वार्षिक बजट बनाया जाना चाहिए जिससे बीच में अनुपूरक मांगों की आवश्यकता न पड़े। लेकिन यह बात व्यवहार में कठिन होती जा रही है क्योंकि जो भी शासन में हो रहा है, वह साधारण क्षेत्रीय दबाव में आकर पुराने राजाओं और महाराजाओं की तरह संसद और इसके आदेश को बाईपास करते हुए समय-समय पर घोषणाएं करने की एक परिपाटी इस देश में चल पड़ी है, जो कि निंदनीय और दुखद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे इससे बचने की कोशिश करें। इसमें अधिकांश मांगें ऐसी हैं, जो या तो खर्च हो गई हैं या जिनको जनहित में खर्च करना बहुत ही आवश्यक है इसलिए जिम्मेदार विपक्ष के नाते उसका विरोध करने का कोई औचित्य और अर्थ नहीं है लेकिन कुछ बातें इसी बहाने सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं।

आज राज्यों में जिस तरह का वित्तीय अनुशासन बढ़ रहा है, वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति और एक खतरनाक संकेत है। भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय अनुदान की मद के रूप में या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से भारत सरकार की गारंटी पर या योजना आयोग द्वारा स्वीकृत मदों में जो कुछ भी धन राज्यों में जा रहा है, उस धन का बहुत पैसा राज्य सरकार, एक तो वह अपना हिस्सा नहीं लगाती और दूसरा यहां से जो गया हुआ पैसा है, उसको अपने प्रशासकीय मद में व्यय करने की प्रवृत्ति राज्यों में लगातार बढ़ रही है। इसके लिए वित्त मंत्री जी किस तरह का अनुशासन राज्यों पर कायम करेंगे, मैं कहने में असमर्थ रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री और भारत सरकार की बिहार सरकार के बारे में कुछ विशेष आक्रामक स्थिति रहती है लेकिन उत्तर प्रदेश की कितनी खराब हालत है, इसके बारे में भी वित्त मंत्री जी को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। वहां पर धीरे-धीरे 50 हजार करोड़ रुपये का खर्चा होता जा रहा है जबकि विकास का सारा काम ठप्प है। वेतन देने के लिए भी वहां पर पैसा नहीं है, यह एक वास्तविकता है। वित्त मंत्री जी इस पर गंभीरता पूर्वक सोचने की कोशिश करें।

दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि अखबारों में छप रहा है कि इनफ्लेशन की गति कम हो रही है। जो जरूरी चीजों के दाम हैं, जब से इस सरकार को धक्का लगा तब से यह देखने में आ रहा है कि चीजें कम हो रही हैं लेकिन उसके जो पाइप प्रौडेक्ट्स हैं, उसकी कीमत लोगों ने बढ़ा दी। पिछले अप्रैल, मई, जून महीने से लेकर आज की तारीख तक चाय की कीमत बढ़ गई। होटलों में जो खाने-पीने के सामान की कमी के कारण होटल मालिकों ने जो बढ़ी हुई दर पर रेट निर्धारित कर दिये, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। दवाओं के दाम जिस तरह बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उस तरह से भारत में दवायें आम आदमी की परिधि से धीरे-धीरे दूर हो जायेंगी। इसके लिए भारत सरकार को आगे कदम बढ़ने की आवश्यकता है। महंगाई के चलते जिन बाईप्रोडैक्ट्स के दाम बढ़ गये, जो दरम्यानी अर्से में एक बड़ी भीषण महंगाई आई, उसमें हम किस तरह की कमी करें जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दिखाई जा सके, उस पर सोचने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस साल भीषण बाढ़ आई, दैवीय आपदाओं की एक तरह से बाढ़ आ गई। आपकी सरकार के आते ही देव इतने नाराज क्यों हो गये, यह एक गंभीर प्रश्न है। उसके चलते भारत सरकार ने जिस तरह का दोहरा मापदंड राज्यों की मदद देने में अपनाया, मैं समझता हूं कि वह अफसोस की बात है। छोटे-छोटे राज्यों को उनकी विपदा के चलते राजनीति कारणों से भारत सरकार ने जिस तरह की मदद की, वैसी मदद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की नहीं हुई। यह मैं आलोचना और उलाहना के स्वर के रूप में कहना चाहता हूं। एक ही पार्टी की सरकार दोनों जगह है और भारत के प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी से जीतकर आते हैं। शायद इसीलिए भारत सरकार को भ्रम हो गया कि चूंकि हम 52 लोक सभा के सदस्य उत्तर प्रदेश की बदौलत हिन्दुस्तान में राज कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहे विपत्ति के महासागर में डूब जाये, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की मदद नहीं करेंगे। मदद का जो अनुपात था, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, उतना समय नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन छोटे-छोटे राज्यों की आपने जितनी मदद की, क्या वही अनुपात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राहत और दैवी आपदा के क्षेत्र में रहा, यह मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं ? मेरी शिकायत है कि उत्तर प्रदेश की इसमें उपेक्षा हुई और प्रधान मंत्री जी ने साफ तौर पर वहां जाकर कह दिया कि मुख्य मंत्री की ओर से कोई मांग ही हमारे दफ्तर में सितम्बर महीने में नहीं आई, माननीय प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य था। वे सभी राज्यों में तो बाढ़ और आपदा देखने गये, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए उनके पास समय नहीं था। उत्तर प्रदेश की बाढ़ देखने की फुरसत एक मिनट की भी माननीय प्रधान मंत्री जी को नहीं थी (व्यवधान) नहीं गये। यही मेरी शिकायत है कि नहीं गये। आप बताइये, किस जिले में गये ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : गोरखपुर में गये।

श्री मोहन सिंह : जब बाढ़ खत्म हो गयी, तब गोरखपुर में गये। बाढ़ की समाप्ति के बाद हवाई जहाज से थोड़ी देर के लिए गोरखपुर के हवाई अड्डे पर गये और एक घंटे के बाद वहां से उड़कर चले आये। जन-प्रतिनिधियों से चंद सैकिण्ड की बातचीत हुई, मैं वहां मौजूद था। लेकिन बाढ़ के समय वे नहीं गये, बाढ़ के दौरान नहीं गये। लेकिन यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार का कोई नुमाइंदा जाये या नहीं जाये, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विलम्ब से ही सही, हम अपने लोगों की इस बात के लिए जो मांग राशि भारत सरकार को भेजी और जिस अनुपात में दूसरे राज्यों को मदद की गई, उत्तर प्रदेश को नहीं की गई, यह मेरी शिकायत है। वह मदद की जाये, यह मैं मांग करना चाहता हूं।

दूसरी बात कहता हूं कि बार-बार सरकार की ओर से कहा गया कि सारी चीजों की महंगाई हुई लेकिन चावल और गेहूं के दाम नहीं बढ़े, उस पर नियंत्रण रहा। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है और इस बात की सत्यता के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक कारण जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको सस्ती कीमत पर राशन मुहैया करने की जो योजना थी और दूसरी जो स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे, उनको दोपहर के भोजन की जो व्यवस्था थी, मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, सरकार द्वारा निगमों को जो अनुदान

[श्री मोहन सिंह]

दिया जाना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, अखबारों में खबर छप रही है कि भारत सरकार ने वह सब्सिडी नहीं दी, जिसके चलते खाद्य निगम अब इस तरह के सस्ते खाद्यान्न को मुहैया करने में विफल होने की स्थिति में है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, यह कहां तक सच्ची बात है, उसके बारे में अन्दरूनी बात नहीं जानता, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, कि ये दोनों स्कीमों किसी भी हालत में बन्द नहीं की जानी चाहिए। यदि आप समाज में सामान्य आदमी को सुख-सुविधा मुहैया करना चाहते हैं तो इन स्कीमों को खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है, इनको जारी रखना चाहिए।

भारत सरकार की जो विकास की दूसरी योजनाएं हैं, सुनिश्चित रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, प्रान्तीय सरकारें अपनी योजनाएं चला रही हैं, उनमें विधायकों की हिस्सेदारी और बढ़ा रही हैं। सांसदों का उन विकास योजनाओं में जो योगदान होना चाहिए, उससे वंचित कर रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना है, इसमें सांसदों की हिस्सेदारी, इनकी भागीदारी, इनका श्रेय, इनका [illegible] जाये और उनके माध्यम से उनकी देख-रेख [illegible] जो ग्रामीण स्तर पर विकास सम्बन्धी [illegible] जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, जो अनुदान मांगों की इस बहस में मुझे कुछ बात कहने और कुछ सुझाव देने का मौका दिया।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करती हूं।

लेकिन मैं साथ-साथ फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि जो इन्फ्लेशन रेट थोड़ा डाउन हुआ है, 6.8 परसेंट हुआ है,

सरकार की एक गति को बनाये रखना है तथा मुद्रा स्फीति की दर को छः प्रतिशत तक सीमित रखना है। तब हमारा इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ सकता है, देश के लिए यह ठीक है। जो प्राइस राइज हुआ था, अब वह थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एमेंडमेंट के लिए जो बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था, उससे एक गलत मैसेज पब्लिक में गया था कि उस एक्ट को कन्सीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि उस एक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको स्ट्रेंदन करना चाहिए।

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए है कि काला बाजारी करने वाले और जमाखोर जमाखोरी अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका लाभ न उठा सकें।

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धन दे रही है। यह धन सरकारी धन है। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 1996-97 की रिपोर्ट की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह रिपोर्ट मार्च 1997 में पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भी भेजी गई थी। आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई कुछ टिप्पणियां देखकर आश्चर्य होगा। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार इस धन का उपयोग नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार फिर भी धन क्यों जारी कर रही है ? राज्य सरकार को यह देखने की चिन्ता नहीं है कि किस प्रकार अधिक खर्च किया गया है और कितना धन शेष बचा हुआ है। इस धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसका दुर्विनियोजन किया जा रहा है।

पृष्ठ 36 पैरा 2.86 पर रिपोर्ट में अनियमित छूट कुल व्यापार का गलत निर्धारण, राजस्व उगाही के बिना भूमि का स्थानांतरण और पट्टे के दस्तावेज आदि के निष्पादन का उल्लेख है। ऐसे संदर्भ रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं। अगर मुझे और समय मिलता तो मैं यह सभी बातें पढ़ती। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993 से 1997 तक केन्द्र सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे लेकिन दुर्भाग्यवश 16 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया है। शेष धनराशि कहां चली गई है।

दक्षिण चौबीस परगना जिला के जिलाधिकारी श्री सैय्यद जाकिर हुसैन ने कलकत्ता नगर निगम के निगम आयुक्त को एक पत्र लिखा कि अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। वह हमारा आदमी नहीं है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है। मेरे पास उनके पत्र की राज्य छाया प्रतिलिपि है। आप देख सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने योजनाओं की सूची भेजी थी लेकिन तीन से चार वर्ष के बाद भी कोई काम नहीं किया गया है। क्या इस मामले में सी०बी०आई० द्वारा जांच कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता ? जबकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन दिया जा रहा है फिर भी 125 करोड़ रुपए में से 16 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। शेष धनराशि का क्या हुआ? इस धन पर मिलने वाला ब्याज कहां चला गया है? *(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह मुद्दा अनुपूरक अनुदान मांगों के क्षेत्र में आता है ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपकी ओर से भी इसकी वकालत कर रही हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : 125 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं, यहां हम दो करोड़ रुपए पर विचार करते हैं

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी, कुमारी ममता बनर्जी को बोलने का पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : 125 करोड़ रुपए में से 16 करोड़ रुपए खर्च हुए, 109 करोड़ रुपए का कितना सूद हुआ, यह पैसा कहां जायेगा, कौन लेगा *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, ये मेरे दृष्टिकोण नहीं हैं। मैं यह उद्धरण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से दे रही हूं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एक वित्तीय लेखा परीक्षा है जो इस मामले में बहुत ही प्रासंगिक है। मैं की गई अनियमितताओं से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही थी। रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख भी किया गया है जिनके संबंध में योजनाओं को पूरा किया गया है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया 1985 से 1998 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अध्ययन करें और देखें कि कितना धन अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया गया है। मैं आपको दस्तावेज दे रही हूं। यह मेरा पत्र नहीं है बल्कि यह पत्र उस जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा लिखा गया है। न केवल मैं, अपितु अन्य सदस्य भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि यह वह केन्द्र सरकार के कोष से धन मंजूर करते हैं तो उस धन का प्रयोग समुचित समय के भीतर तथा समुचित तरीके से किया जाना चाहिए। सम्बन्धित राज्य सरकार को आपके पास लेखा परीक्षा रिपोर्ट भेजनी चाहिए। वे लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। पी०आई०एल० लेखा निधियों के बेसुमार धन दूसरे प्रयोजनों पर खर्च कर रहे हैं।

सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप धन नेहरू रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रमों के लिए देते हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि ऐसी योजनाओं के लिए दिए गए धन की कोई लेखा परीक्षा भी नहीं होती है। यही बात रोजगार आश्वासन योजना पर लागू होती है। इस प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले धन की कोई लेखा परीक्षा नहीं होती है। अत: यह कार्य केन्द्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में क्यों नहीं होना चाहिए ? यदि कोई काम गलत होता है तो केन्द्र सरकार जांच के लिए कह सकती है। जब इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा करता है और वह केन्द्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है तो केन्द्र सरकार को जांच के आदेश देने चाहिए। अत: मैं चाहती हूं कि इस मामले में बरती गई अनियमितताओं, धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की सी०बी०आई० द्वारा जांच करायी जाए। क्या आप इसे भ्रष्टाचार का मामला नहीं मानते हैं ? यह भ्रष्टाचार है। लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और उनके लिए दिए गए धन का प्रयोग वे अपने पार्टी फन्ड के लिए करते हैं। अत: मैं मांग करती हूं कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाय। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में यह सब इंगित किया गया है।

महोदय, यदि आप नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट देखें तो पता चलेगा कि जमीन के घोटाले से लेकर पी०आई०एल० लेखा घोटाला तक हुआ है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि यह सरकार एक कमजोर सरकार साबित हो। इस सरकार को एक मजबूत और प्रभावशाली सरकार के रूप में उभरना चाहिए। यहां तक कि सरकार को कभी-कभार दृढ़प्रतिज्ञता दिखानी चाहिए। यदि धन का कोई दुरुपयोग हुआ है तो विधि को तदनुसार अपना काम करना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप इस पर कार्रवाई करें और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आम जनता यह सोचेगी कि हमारे लिए जो धन जाता है, वह ठीक तरह से उपयोग नहीं होता। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि सी०बी०आई० इंक्वॉयरी की जाए।

[अनुवाद]

आप इसे कर सकते हैं। कभी आप कहते है कि, हां, यदि राज्य सरकार कहे तो आप सी०बी०आई० जांच के आदेश दे सकते हैं। अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

लालू प्रसाद यादव जी ने सी०बी०आई० इंक्वायरी के लिए खुद कहा था।

[अनुवाद]

राज्य सरकार ने तो कहा है। कुछ मामलों में, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च-न्यायालय या अन्य न्यायालय आदेश देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जब केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जब वह सीधे पैसा दे रही हो और उसे सही समय पर तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र न मिल रहा हो तो, मैं समझती हूं कि, केन्द्र सरकार सी०बी०आई० जांच के आदेश दे सकती है। अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि वह जांच के आदेश दे।

[हिन्दी]

बेरोजगारी हमारे देश में बहुत बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी चार-पांच दिन पहले हाउस में एक प्रश्न आया था। मैंने देखा जैसे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बंगाली बेरोजगार युवा हैं।

[अनुवाद]

लेकिन बंगाल में बेरोजगार युवकों की संख्या सर्वाधिक है। बंगाल में 57 लाख युवक बेरोजगार हैं *(व्यवधान)* बिहार में भी हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं बंगाली बेरोजगार युवा है। लेकिन बेरोजगार युवकों के मामले में बंगाल का स्थान सर्वोपरि है। मैंने अन्य राज्यों में बेरोजगार युवकों की संख्या को दर्शाने वाली सूची देखी है।

[हिन्दी]

यू०पी० में भी हैं लेकिन महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और यू०पी० में बेरोजगारी ज्यादा है। इसलिए मैं अपील करना चाहती हूं कि सन् 2000 के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए एक काम्प्रीहेंसिव योजना बनाइए जिससे आने वाले दिनों में वे कुछ कर सकें। उनको नौकरी नहीं मिलती है और एक दिक्कत यह भी है नौकरी के लिए

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[कुमारी ममता बनर्जी]

पोस्टल ऑर्डर फीस देनी पड़ती है और कई बार तो पोस्टल ऑर्डर फीस देने का भी उन्हें मौका नहीं मिलता है। इन्हीं सबमें उनकी उम्र चली जाती है।

[अनुवाद]

मैं उनके कल्याणार्थ विगत 10 वर्षों से संघर्ष कर रही हूं। अत: मैं अपील करती हूं कि *[हिन्दी]* इसके लिए ऑलटरनेटिव होना चाहिए कि पोस्टल ऑर्डर फीस वेव कर देनी चाहिए। *[अनुवाद]* कम से कम नौकरी के लिए आवेदन करते समय कोई पोस्टल ऑर्डर नहीं मांगा जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि किस तरह कुछ राज्य सरकारें पोस्टल ऑर्डर के रूप में बेसुमार धनार्जन कर रही हैं। लेकिन बेरोजगार लोगों को कुछ नहीं मिलता है। उन्हें इस कठिनाई का सामना बुरी तरह करना पड़ रहा है।

अत: मैं माननीय मंत्री से अपील करती हूं कि सबसे पहले तो बेरोजगार युवकों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जानी चाहिए ...टल ऑर्डर माफ किया जाना चाहिए।

... देश के सकल रोजगार में महिला रोजगार केवल दो प्रतिशत है तथा अल्पसंख्यक रोजगार केवल एक प्रतिशत है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह कृपया मामले को देखें ताकि इन वंचित लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

महोदय, आपने सरकारी क्षेत्र में विनिवेश को लेकर काफी दयालुता का परिचय दिया था। पश्चिम बंगाल में एम०एम०सी० से लेकर साइकिल कार्पोरेशन, ''टैरको'' से लेकर नेशनल इंस्ट्रमेन्ट्स और कुछेक अन्य उद्योगों सहित आठ रुग्ण उद्योगों को बन्द किया जा चुका है। ऐसा प्रस्ताव है कि सरकार उन उद्योगों को बन्द करने वाली है। समयाभाव के कारण हम अभी इस वक्त इन सभी मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। संसद का सत्र समाप्त होने पर, यदि आप हमें समय दें तो हम आपके साथ बैठक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए जो भी धन दिया गया था, उस धन की मंजूरी आप द्वारा की जा सकती है। उसके बाद आप इन कंपनियों को पुन: चालू कर सकते हैं और इस तरह कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाया जा सकता है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों में लगभग सभी स्थानों पर स्थित है। एन०टी०सी० भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। एम०ए०एम०सी० के सामने भी इसी तरह की समस्याएं हैं। हमें खुशी है कि आपके हस्तक्षेप के कारण, ''इस्को'' का आधुनिकीकरण किया जाने वाला है। ''इस्को'' के आधुनिकीकरण के संबंध में मैं सरकार के निष्पादन की प्रशंसा करती हूं। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो इस कार्य के संबंध में दो अथवा तीन दिनों में हस्ताक्षर होने वाले हैं। यह मांग हमारे बंगाल पैकेज से भी थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को यथा शीघ्र करें।

जैसाकि श्री मोहन सिंह और श्री राजो सिंह ने कहा है, उर्वरक देश के विभिन्न भागों में उपलबध नहीं है। यह सत्य है कि किसानों को उर्वरक की खरीद काला बाजार से करनी पड़ती है। यदि आपके पास मशीनरी उपलब्ध है तो कृपया पता लगाएं और बताएं कि कौन-कौन से राज्यों में किन-किन स्थानों पर उर्वरक उपलब्ध नहीं है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उर्वरक समुचित समय पर मिले।

इसके अतिरिक्त, 14 विषय उपयोग की आवश्यक वस्तुओं से भी संबंधित हैं। यदि आप इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कर सकें तो लोगों को ये वस्तुएं समुचित समय पर मिल जाएंगी। हालांकि यह मामला राज्य सरकार का है फिर भी केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदेश दे सकती है कि इन 14 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति राशन की दुकानों के जरिए की जाय।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि यह सरकार का मुख्य क्षेत्र होना चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है, चाहे इसे करने वाला कोई भी हो, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि भ्रष्ट लोगों को देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की आजादी न मिले।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं तथा मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की बहुत आभारी हूं। मैं आप से इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेने का अनुरोध करती हूं ताकि लोगों को कठिनाइयां न झेलनी पड़ें।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलते हुए, दो-तीन बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने दावा किया था कि यह संतुलित बजट है और इसके लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस बजट के आने के बाद महंगाई में वृद्धि होने लगी, जिस पर ममता जी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। उन्होंने त्याग पत्र दिया, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने वापिस लिया या नहीं

कुमारी ममता बनर्जी : जब हम लोग देते हैं, तो वापिस नहीं लेते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : ये अभी तक अड़ी हुई हैं। यह दर्शाता है कि महंगाई पर ब्रेक लग सकता है। जब सहयोगी दल अंकुश लगाने लगें, तो कितनी ...* सरकार हो, वह ठंडी पड़ जाती है। सहयोगी दल के लोग कहीं-कहीं ठीक काम करते हैं। ... *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : कितनी सरकार हो - क्या एक सीनियर मैम्बर को ऐसे बोलना चाहिए। क्या यह सदन की शोभा के अनुकूल है? ... *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, सरकार के लिए ... संसदीय है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए ... असंसदीय है। इस बारे में कई बार फैसला हो चुका है।

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रो० रीता वर्मा : क्या ··· संसदीय शब्द है? ··· *(व्यवधान)* महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ··· *(व्यवधान)* मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपका क्या निर्णय है ? ··· *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, महंगाई बढ़ी है। *(व्यवधान)* सरकार के बारे में तय हो चुका है, ··· *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : आप चुप रहें, पहले मुझे रूलिंग चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालता हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार के बारे में ··· संसदीय शब्द है और जब यह पहले की परम्परा में ठीक है तो यह ठीक है। *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : महोदय, फिर इन्होंने यह बात कही है। *(व्यवधान)* यह तो* की हद हो गई। *(व्यवधान)* इन्हें बोलने का तरीका नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मैंने वह शब्द एक्सपंज कर दिया, आप फिर दोबारा बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर आप ऐसे क्यों करते हैं ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि यह चेयर पर बैठते हैं, पैनल में इनका नाम है। अगर यह चेयर पर होते और दूसरा कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता तो क्या यह उस शब्द को न निकालते। *(व्यवधान)* महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न समझा जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना है तो रूल्स को कोट करना है।

श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, आप सबसे सक्षम हैं, मेरा यह कहना है कि इनका नाम पैनल में है। *(व्यवधान)* अगर शब्द उस समय कहा जाता, *(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : यह ऐसे ही वाली भाषा बोलते हैं। *(व्यवधान)* ऐसे लोगों ने संसद का स्तर नीचे गिरा दिया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस शब्द का पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। आप सदन का समय अनावश्यक रूप से क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रो० रीता वर्मा : महोदय, इनको पीठासीन पद से हटा दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)* वह जानबूझकर हमें उकसा रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमने जो शब्द कहा, आपने उसे हटा दिया, उसके बाद भी ये बोलते जा रहे हैं। ··· *(व्यवधान)* महंगाई पर हमें आशंका है, चूंकि सरकार ने दावा किया कि हम स्ट्रौजेंट कानून वाला, असेंशियल कमोडिटीज वाला बिल लाएंगे लेकिन यह अभी तक क्यों नहीं आया? ··· *(व्यवधान)* ये बार-बार कह रहे हैं कि यह बिल आएगा। इसको ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी ने लौटा दिया कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। अब सरकार को चाहिए कि कड़े कानून वाला बिल लाए। यदि आप होर्डर्स की तरफ नहीं हैं तो वह बिल लाइए। हमें लगता है कि आप उस बिल को नहीं लाएंगे, जिससे मुनाफाखोर, जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले धराशायी हों। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, तीसरा, नॉन-बैंकिंग के बारे में मुझे कहना है। नॉन-बैंकिंग संस्थानों के बारे में हम सुनते हैं। हम नहीं जानते कि वित्त मंत्री जी और रिजर्व बैंक इस देश में कितना फर्जी जाल इन संस्थानों के द्वारा कराए हुए है। पर्ल-इंडिया, जे०वी०जी० और न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनको हम नहीं जानते हैं।

प्रो० रीता वर्मा : हैलियस कंपनी को तो आप जानते होंगे कि वह किसकी है ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीब लोगों ने अपना पेट काट कर इन कंपनियों में करोड़ों रुपया जमा किया। पहले गरीब लोग पोस्ट-ऑफिस में रुपया जमा करते थे, लेकिन जब इन नॉन बैंकिंग कंपनियों में किया तो वे गरीब आदमी का पैसा लेकर भाग गयीं। अब गरीब लोग डर रहे हैं कि वह पैसा मिलेगा भी या नहीं। इन पर कानूनी कार्यवाही वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए जिससे गरीब आदमी न लूटा जाए। चाहे वे संस्थान नॉन-बैंकिंग हों या कोई और हों। जे०वी०जी० ने कितना लूटा है, कितने लोग लूटे गये हैं।

प्रो० रीता वर्मा : मैं इनकी बातों से सहमति व्यक्ति करती हूं लेकिन जे०वी०जी० के साथ हैलियस कंपनी की भी जांच हो जाए तो अच्छा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप भी वही बात कह रही हैं। इसका मतलब है कि आप जानती हैं। उपाध्यक्ष जी, इतनी भारी लूट हुई है, इसलिए सरकार को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन जाली संस्थानों ने गरीब आदमियों का करोड़ों रुपया ले रखा है। हमारे पास एक लड़की आई। उसकी शादी नहीं हुई है। उसके पिता नौकरी में थे। वह कहती है कि हमारा रुपया दिला दीजिए, हमारी आप पैरवी कीजिए। अब हम तो इन कंपनियों को जानते नहीं हैं। अब क्या किया जाए। उपाध्यक्ष जी, अब हम बिहार पर आना चाहते हैं। यह सरकार जब से बनी है तब से बिहार के 10 करोड़ लोगों के खिलाफ काम कर रही है। हमारे यहां पर फैडरल स्ट्रक्चर है। कहीं पर उनके खिलाफ सरकार है तो कहीं पर इनके फेवर में है। बिहार के 10 करोड़ लोगों को यह सरकार रसातल में भेज देना चाहती है, उसको दरिद्र बनाना चाहती है, उन लोगों को खत्म करना चाहती है। यह हमारा आरोप इनके ऊपर है। इस सरकार के विरोध के कारण बिहार के 10 करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम सारा हिसाब जोड़ें तो बिहार सरकार का भारत सरकार पर 22 हजार करोड़ रुपया बकाया है। ··· *(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : बिहार में कुछ हुआ नहीं है, अब पैसा बिहार का बाकी है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, प्लीज। रघुवंश प्रसाद जी, आप संक्षेप में दो-चार पाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम भी 10 करोड़ की आबादी के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जब भारत आजाद हुआ था तो प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से उसका नम्बर तीसरा था, लेकिन आज नीचे से पहला है हमने जसवंत बाबू के एक पत्र लिखा था। *(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : यह सरकार और ये लोग चिंता कर रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग दुश्मनी किए है, चिंता नहीं किए हैं। *(व्यवधान)* मैं यह बात उदाहरण देकर साबित करना चाहता हूं। इन्होंने कभी लोगों से परामर्श नहीं किया कि बिहार में क्या होना चाहिए। जब हमने कहा कि बिहार के 22 हजार करोड़ रुपए बकाया लोग कहने लगे कि चारा घोटाला, यह घोटाला और ...ना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार आपकी दुश्मन

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में भारत सरकार के जो कारखाने हैं, वे बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं चालू किए जाते ? बिहार में बरौनी और सिंदरी के कारखाने बंद हैं। वहां एन०टी०सी० चौपट अवस्था में है। ये कारखाने तो आप कम से कम चालू करवा सकते थे। इन्होंने एक भी काम नहीं किया। यह 10 करोड़ जनता को अपना दुश्मन मानते हैं। यह उन्हें अपना नहीं मानते।

बाढ़ के मामले में मोहन सिंह जी प्रधान मंत्री जी से नाराज थे कि वह उत्तर प्रदेश देर से गए लेकिन बिहार में प्रधान मंत्री जी ने झांका तक नहीं। बिहार में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से 40 फीसदी बरबादी हर साल होती है। जो अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं और जो नदियां खास तौर से नेपाल से निकलती हैं, वे हर साल बिहार को बाढ़ से प्रभावित करती हैं। इस बार बिहार में एक करोड़ 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लेकिन प्रधान मंत्री ने वहां झांकने की कोशिश नहीं की और न ही इस बारे में कोई चिंता की। केन्द्र सरकार नेशनल इंटिग्रेशन और भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर बातें करती है लेकिन उनकी नीतियों ने सारा भंडा फोड़ दिया और सारी पोल खोल दी। मैं जहां से खड़ा होता हूं, वहां की जनता यह कहती थी कि इस बार अटल जी को देखना है, उनको सत्ता में आने के लिए मौका देना है लेकिन उनकी आशाओं पर इन्होंने पानी फेर दिया। कांग्रेस ने जो कुछ पिछले 50 सालों में किया वह इन्होंने कुछ महीने में ही कर दिया। अब गांव वाले परेशान हैं। वे हम से कहते हैं कि भाजपा जैसी साम्प्रदायिक सरकार को आन्दोलन करके हटाया जाए। यह सरकार बिहार के हित में नहीं है। 10वें वित्त आयोग ने कहा कि पंचायत का पैसा मिलना चाहिए लेकिन यह वह पैसा नहीं दे रहे हैं। संसद ने 73वां संविधान संशोधन किया और कहा कि पंचायत में आरक्षण दिया जाए। ऐसा कानून बिहार सरकार ने बना दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब वह कानून ही नहीं है जिससे पंचायतों के चुनाव कराए जा सकें। चुनाव न कराने के कारण केन्द्र सरकार ने वह पैसा रोका हुआ है। इसमें बिहार सरकार और जनता का क्या कसूर है ? आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने बहुत विशिष्ट बात उठाई है। यह सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है कि चुनाव नहीं कराए जाएं। मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में पंचायत के चुनाव नहीं होंगे तो संविधान का उल्लंघन होता रहेगा और वह पैसा बिहार को नहीं मिलेगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऐसे किसी फैसले पर स्टे नहीं दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं है। वहां किस कानून के माध्यम से चुनाव कराए जाएं। आप होशियार आदमी हैं। आप इस बारे में सब जानते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : इसके लिए संविधान में व्यवस्था है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे देता है। इससे पुराना कानून संविधान से खत्म हो जाता है। नए कानून को पहले ही हाई कोर्ट ने खत्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है। वह अपील लम्बित है इसलिए अभी ऐसा कोई कानून ही नहीं है। राज्य सरकार के पास पंचायती चुनाव कराने के लिए कोई कानून ही नहीं है। यह कहना कि चुनाव नहीं कराए हैं, पैसा नहीं देंगे, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है।

श्री लाल मुनी चौबे : बिहार में कोई कानून ही नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपके वित्त मंत्री खड़े हुए तो आप उन्हें सपोर्ट करने लगे। कोयले पर रायल्टी ओजल के माध्यम से मिलती है, कीमत के आधार पर नहीं। अगर कोयला 100 रुपए किलो होगा तो ओजल में एक रुपए किलो पर जो पैसे मिलते हैं, वे उसके आधार पर मिलेंगे। सरकार की इस बारे में एक कमेटी है। उस कमेटी ने एक साल पहले फैसला कर दिया कि एड क्लरम के आधार पर पैसे मिलने चाहिए। ओजल के आधार पर रायल्टी मिलने से बिहार को हर साल कई करोड़ रुपए का नुकसान होता हैं। रीता वर्मा जी कोयला क्षेत्र से आती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : लोगों के हित की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है।

प्रो० रीता वर्मा : आपकी कोयला मंत्री ने इस बारे में क्यों नहीं कुछ काम किया ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : कोयला मंत्री कांति सिंह जी थीं। उन्होंने कमेटी बैठा कर ही तय किया था। उस रिपोर्ट पर आपकी सरकार पालथी मार कर बैठ गई। *(व्यवधान)* बिहार को स्पेशल कैटेगिरी में रखना चाहिए। इस कारण बिहार गरीबी की हालत में चला गया। इसका इन्हें कोई ख्याल नहीं है। इन्होंने उसका बकाया रखा हुआ है।

इसलिए हम यह कह रहे हैं कि बिहार का विभाजन नहीं, बिहार का विकास होना चाहिए। यह बिहार को दो खंडों में बांट देना चाहते है। बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बिहार विधान सभा ने उस प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया। फिर भी वह उसे लाना चाहते हैं। यह बिहार के विकास की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। यह बिहार के विनाश और विभाजन वाला बिल लाना चाहते हैं। जब हम उसके खिलाफ आन्दोलन करते हैं तो यह धारा 356 की बात करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : इन्होंने 1990 से 1998 तक क्या विकास कार्य किए ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करिए। आपकी पार्टी को तीन मिनट मिले हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा हिन्दुस्तान में दसवां हिस्सा है। *(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : इन्होंने बिहार का अरबों रुपए जला दिया। वहां खुले आम तस्करी होती है और यह विकास की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सदन पर नियंत्रण करने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सप्लीमैंटरी डिमांड्स हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह लोग पार्टी के अन्दर ऐसे बोलते नहीं होंगे। जनता के हित के सवाल को पार्टी के अन्दर उठाने की इन में हिम्मत नहीं है। हम इस सदन में बिहार की जनता का सवाल उठा रहे हैं। यह पार्टी के बॉस को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। *(व्यवधान)* हम बिहार की जनता के हित में बोलेंगे। *(व्यवधान)* यह हमें चारा घोटाला वाला कह कर चिल्लाते हैं लेकिन हवाला घोटाला वाला वित्त मंत्री हो गया। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री चेतन चौहान का नाम पुकारा है।

प्रो० रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के उपद्रव ने हमें रोक रखा है, क्या हमारी बात खत्म हो गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कई दफा खत्म करने के लिये बोला लेकिन आपने समाप्त नहीं किया।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : केवल एक मिनट के लिये।

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, ये हल्ला कर रहे हैं, ये समाप्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे मुझे सदन पर नियंत्रण करने दें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सिर्फ एक मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक सैंटेंस में समाप्त कीजिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम बिहार की जनता के हित में मांग करते हैं कि 9 लाख हेक्टेयर जल जमाव से प्रभावित जमीन के लिये

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते थे, आपने कह दिया है और हमने उसे सुन लिया है।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि चारा घोटाले पर चर्चा हो रही है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान, क्या आप वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं ?

श्री चेतन चौहान : महोदय, मैं भाग लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप बोलना शुरू करें। अन्यथा मैं किसी दूसरे को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री चेतन चौहान : उपाध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि चारा घोटाले पर बहस हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को दोहरा रहे हैं और समस्या बढ़ा रहे हैं।

श्री चेतन चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड्स फार ग्रांट (जनरल) बिल माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह कोई नई बात नहीं और यहां जैसा कहा गया कि वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था और उसके बाद जल्दी ही सप्लीमेंटरी डिमांड्स लेकर आ गये हैं। हर साल इस प्रकार बजट बनते हैं और मध्य सत्र के दौरान जब पैसा बच जाता है या कहीं पर पैसा कम पड़ जाता है और किसी मंत्रालय को पैसे की आवश्यकता होती है तो इसी प्रकार की सप्लीमैंटरी डिमांड्स लेकर सरकार आती रही है। यह केवल हमारी सरकार ही ऐसा नहीं कर रही है, पूर्व की सभी सरकारें ऐसा करती रही हैं। मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चेतन चौहान]

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि लोगों ने जो यह आशंका जाहिर की थी कि पोखरण टैस्ट के बाद अपने देश के अंदर विदेशी पैसा आना बंद हो जायेगा और अपनी इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि फारेन डायरेक्ट इन्वैस्टमेंट बढ़कर इस वर्ष लगभग 4 बिलियन डालर पहुंच जायेगा और मुझे विश्वास है कि विदेशों से जितना पैसा आयेगा उससे हमारे देश में इंडस्ट्रीज का वातावरण बनेगा और काफी डेवलेपमेंट होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 10 परसेंट होगी लेकिन जिस प्रकार पूरी दुनिया में ग्लोबल रिलसैसन है, उसी का असर अपने देश के अंदर भी है। फिर भी इस साल इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5 से 6 परसेंट होने जा रही है। इसलिये वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि थोड़ा और सख्त कदम उठायें, इंडस्ट्री को थोड़ा और प्रोत्साहन दें। माननीय वित्त मंत्री जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स की एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस बारे में सख्त कदम उठाये जाने की चर्चा की गई थी। इसलिये आग्रह है कि वे सख्त कदम शीघ्र उठाये जायें क्योंकि जैसा आपने कहा था कि 10 परसेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने वाली है, उसे हम पूरा [illegible]

...दय, इंडस्ट्री के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। ... 15 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10-15 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर भेंट की थी। पाकिस्तान से शुगर इम्पोर्ट करने की बात पर चर्चा की गई। इसमें 5 परसेंट ड्यूटी लगाने वाले हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश की शूगर इंडस्ट्री में काफी शंकायें हैं क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा है। मुझे किसानों की चिन्ता है, कारण उत्तर प्रदेश में जो शूगर मिल्स चल रही हैं, उनको एक बहाना मिल जायेगा और किसानों को पेमेंट करने में विलम्ब कर रहे हैं। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी से दो मांग करता हूं। पहला यह कि यदि संभव है और आपका इंटरनेशनल ऐग्रीमेंट नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यह इंपोर्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। यदि इंपोर्ट बंद नहीं हो सकता और इसमें कोई कठिनाई आ रही है, चाहे आपका समझौता हो या कोई अन्य कठिनाई आ रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत ड्यूटी कर दी जाए। यह जो शंका जताई जा रही है कि चीनी के दाम बढ़ जाएंगे तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ड्यूटी बढ़ाना और कम करना आपके हाथ में है। कल चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो आप तुरंत पाकिस्तान या अन्य देशों से चीनी मंगा सकते हैं और ड्यूटी भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार सात दिन के अंदर ही चीनी आ सकती है।

दूसरी बात मैं पेपर इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगा। यह उद्योग भी बहुत बुरी हालत में है क्योंकि यह कार सेक्टर में आता है और लगभग 50 हजार करोड़ रुपए इसमें इनवेस्ट हुआ है। अधिकतर बाहर से विदेशी कागज ही यहां आ रहा है और उसी के कारण हमारी इंडस्ट्री ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही हैं। अधिकतर इंडस्ट्री इसमें बंद हो गई हैं, खास तौर से गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बंद हो गई हैं, और जो चल रही हैं वह लगभग 40-50 प्रतिशत अपनी क्षमता से ऊपर चल रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं और मेरा सुझाव है कि जो डब्ल्यू०टी०ओ० ऐग्रीमेंट है, उसमें ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। मैं रॉ मैटीरियल की बात नहीं कर रहा हूं। जो रॉ मैटीरियल आता है, जिससे इंडस्ट्री चलती है और रोजगार मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट या बनी-बनाई वस्तुएं हमारे देश में आती हैं, इन पर ड्यूटी बढ़नी चाहिए। इसके लिए प्रावधान है और ऐसा जाना जा रहा है कि 2003 ई० तक 45 प्रतिशत ड्यूटी तक हम लगा सकते हैं। तो जहां तक संभव हो, इस पर ड्यूटी बढ़ा दें। मैं नहीं कहता कि पूरी 45 प्रतिशत लगा दें लेकिन ड्यूटी बढ़ाने से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि अपनी जो इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है और चीजें जब महंगी होती हैं तो वह लोग कंपीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होती चली जा रही है। जो कलेक्शन है, वह भी कम होता जा रहा है। जो आंकड़े वित्त मंत्री द्वारा किये गए हैं —

[अनुवाद]

अप्रैल-सितम्बर 1998 के दौरान अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण प्रथम वर्ष के लक्ष्य से 13 प्रतिाशत कम रहा; उत्पाद शुल्क संग्रहण 21,957 करोड़ रुपए हुआ जो लक्ष्य से 15.9 प्रतिशत कम था जबकि सीमा शुल्क संग्रहण 19,503 करोड़ रुपए हुआ जो लक्ष्य से 11.7 प्रतिशत कम था। वास्तव में अब तक उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का संग्रहण प्रत्यक्ष कर के 22.5 प्रतिशत के उच्च संग्रहण से अधिक रहा।

[हिन्दी]

डायरेक्ट टैक्स में जो भी प्रदर्शन है, वह अच्छा रहा है। उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। आप जो कर-समाधान योजना लेकर आए हैं और जो इसका सरलीकरण किया है, उसके कारण डायरेक्ट टैक्स लगभग दस प्रतिशत बढ़ गया है और कलेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। मनी सप्लाई पर मैं जरूर थोड़ी सी चिन्ता जाहिर करना चाहूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह 20 प्रतिशत बढ़ गई थी हालांकि उसका कारण यही रहा कि लगभग 17,000 करोड़ रुपया रीसर्जेंट इंडिया बॉण्ड द्वारा आया था। इसको आप कंट्रोल करिये। एक ऐवरेज आपने 15 साढ़े 15 प्रतिशत कहा है, इसको वहीं पर नियंत्रित करके रखेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि 17,000 करोड़ रुपया जो आपने इकट्ठा किया है, रीसर्जेंट इंडिया बॉण्ड द्वारा, यह पैसा हो सकता है कि काफी महंगा पड़ जाए क्योंकि पांच साल बाद यह पैसा देना है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको देरं तक नहीं रखियेगा। इसको जल्दी से जल्दी इनवेस्ट करियेगा और प्रोडक्टिव परपज में ही इनवेस्ट करियेगा। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेण्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने भी इसी प्रकार का सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि इनफ्रास्ट्रक्चर में देर न लगाए, जल्दी से जल्दी पैसा खर्च करें। हालांकि इनफ्लेशन पर आपने कंट्रोल किया है जो काफी बढ़ गया था, वह अब घट गया है। मेरा निवेदन है कि यह अभी जो आठ प्रतिशत है, इसको भी नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है।

कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बहुत है। इस वर्ष उनकी वृद्धि लगभग 66,563 करोड़ रुपये की हुई है। लगभग 11 प्रतिशत बैंक के डिपॉजिट बढ़े हैं और यह पैसा रिजर्व बैंक में लगा रहे हैं। अच्छे बौरोअर उनको नहीं मिल रहे हैं और इसलिए वह अच्छी तरह से पैसा

नहीं दे पा रहे हैं कर्जा नहीं दे पा रहें हैं। इसके बारे में भी जरूर विचार करें कि पैसा कहां खर्च किया जा सकता है। चूंकि एक तरफ इंडस्ट्रीज को पैसे की आवश्यकता है, खासकर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक्स के पास काफी पैसा है। जैसा मैंने कहा कि उनके पास 66,563 करोड़ रुपया बढ़ा है, इस पर जरूर विचार करियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बीच में कीमतें थोड़ी सी बढ़ी थीं। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण कर लिया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इंफ्लेशन जो लगभग दो परसेंट के आसपास पहुंच रही थी, उसे बढ़ाकर आप आठ परसेंट पर ले आये हैं। मैं इस पर भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मैं इसमें सरकार से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकारों की बैठक हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे और उसमें कीमतें कंट्रोल करने के लिए होर्डर्स, ब्लैकमार्केटियर्स और एंटी सोशल एलीमैंट्स के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1955 के अधीन समय-समय पर कार्यवाई जरूर चलती रहनी चाहिए। प्रीवेंशन ऑफ ब्लैकमार्केटिंग एंड मेन्टीनेन्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1980 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह सलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है, इसे जल्द से जल्द कमेटी से मंगाया जाए, जिससे कि इस पर आप कार्यवाही कर सकें।

अपराह्न 2.16 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

सभापित महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्याज और आलू की समस्या के बारे में कहना चाहूंगा। आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज बहुत कम हैं। दो साल पहले उत्तर प्रदेश में किसान आलू फेंक रहे थे, आलू गाड़ रहे थे, आलू की फसल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आलू को खेतों में ही जोत दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज की सरकार तुरंत व्यवस्था करे और जैसा यहां पर कहा गया है कि हर ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज लगाये जायेंगे, इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। हमारे देश में लगभग 33 प्रतिशत सिंचित जमीन है और शेष जमीन वर्षा पर निर्भर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल पैदावार काफी कम रही है, जगह-जगह बाढ़ें आई हैं, वर्षा बहुत अधिक हुई है, अत: इन सबको दृष्टि में रखते हुए हमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापित महोदय, अंत में मैं वित्त मंत्री जी से इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं कि वे इस पर भी ध्यान दें और प्रधान मंत्री जी ने जो अलग से टू बूस्ट दि इकोनोमी कदम उठाये हैं प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक सम्मेलन में प्रस्तुत की गई 20 सूत्री मध्यम अवधि की आर्थिक कार्य सूची जो 12 प्वाइंट्स आपने दिये हैं, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए जिससे कि सही व्यवस्था हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, आज दिल्ली में रेलवे के नॉन टैक्नीकल 50 हजार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। टैक्नीकल और नॉन टैक्नीकल कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है, मैं चाहूंगा उस पर रेल मंत्री जी ध्यान दें और उनकी यह समस्या हल करें।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मैं वर्ष 1998-99 की अनुपूरक अनुदान मांगों (समान्य) के विरोध में खड़ा हुआ हूं। इस विरोध के मेरे पास कुछ कारण हैं जिससे मेरे तर्क को समर्थन मिलेगा।

केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में अपनायी गई नीति हमारे हित के लिए हानिकारक है। जब मैं केरल राज्य के बारे में सोचता हूं मुझे कतिपय पारंपरिक उद्योगों जिन पर केरल राज्य का एकाधिकार है, पर निश्चित रूप से बल देना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि केरल रबड़ का उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। प्राकृतिक रबड़ के कुल उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत केरल में होता है। केरल की अर्थव्यवस्था अधिकांशत: रबड़ उत्पादन पर निर्भर है।

प्राचीन काल से केरल में नकदी फसल रोपण फसलों का उत्पादन होता रहा है। हम केरलवासी यह जानते हैं कि केरल एक उपभोक्ता राज्य है जहां चावल का कम उत्पादन होता है। हम राज्य की खपत का केवल 40 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं तथा शेष 60 प्रतिशत की पूर्ति हमें अन्य राज्यों से प्राप्त करनी होती है। यह स्थिति है। हम चावल के उत्पादन में इसलिए पिछड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी भूमि नकदी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तथा रबड़ केरल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली नकदी फसलों में से एक है।

पिछले कई वर्षों में रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई है और हम केरल राज्यवासी यह दावा कर सकते हैं कि हम पूरे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सक्षम हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें केंद्र द्वारा रबड़ के बढ़े हुए उत्पादन के संबंध में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति केरल के रबड़ उत्पादकों के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक है।

हाल ही में, केन्द्र सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का विदेशों से आयात करने का निर्णय लिया है। विश्व में दो प्रतिस्पर्धी एजेंट हैं। इनमें से एक मलेशिया है। जहां तक केरल का संबंध है मलेशिया एक मुख्य प्रतिस्पर्धी है और वे रबड़ का आयात कर रहे हैं। अत: केरल में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ बाजार में उपलब्ध नहीं है तथा इसकी खपत में काफी हद तक कमी हो रही है। महोदय, रबड़ के मूल्य के संबंध में बाजार में कोई स्थिरता नहीं है। हमेशा ही इसमें उतार-चढ़ाव रहता है जो राज्य के रबड़ उत्पादकों के हितों के लिए हानिकारक है। हम हमेशा से मांग कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा कुछ किया जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में रबड़ उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया है।

अत: जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, हमारे राज्य को अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। केरल में लगभग रबड़ के 27 लाख लघु उत्पादक हैं किन्तु वे कमोवेश रूप से भुखमरी का सामना कर रहे हैं। वे प्राकृतिक रबड़ की मूल्य में गिरावट के कारण अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तथापि, संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि विदेशों से टायर के आयात से उनकी स्थिति और बदतर हुई है। यही वर्तमान स्थिति है।

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

महोदय, जहां तक हमारे राज्य का प्रश्न है नारियल की फसल पर हमारा एकाधिकार है। केरल में नारियल के लगभग 32 लाख लघु उत्पादक हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी बाजार में कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्य भी हैं जो नारियल के उत्पादन में लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अपनायी गई नीति के कारण नारियल उत्पादकों द्वारा कारोबार किया जाना अत्यधिक कठिन हो गया है।

इसी प्रकार वहां नारियल जटा उद्योग भी सरकार द्वारा अपनायी गई नीति के कारण अत्यधिक संकट का सामना कर रहा है। यह नारियल जटा उद्योग में शामिल लोगों के हितों हेतु अत्यधिक हानिकारक है।

महोदय, वहां कतिपय पारंपरिक उद्योग हैं। इनमें से अधिकांश भुखमरी की कगार पर हैं। इन पारंपरिक उद्योगों में कार्यरत लोगों को सरकार की हाल की आयात नीति के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है।

[illegible]चीन के निकट आल्वे स्थित त्रावणकोर उर्वरक और [illegible]त्र के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उर्वरक और रसायन कारखाने को बन्द करने की नौबत आ गई है। महोदय इस कारखाने को स्वतंत्रता पूर्व स्थापित किया गया था। इस कारखाने को उस समय स्थापित किया गया था जब त्रावणकोर के राजा का इस रियासत पर शासन था। इस कारखाने की स्थापना लगभग 99 वर्ष पूर्व की गई थी।

कुछ अरसा पहले यह कारखाना मुनाफे पर चल रहा था। अब वह घाटे में चल रहा है। उत्पादन में कमी आने और उद्योग के घाटे पर चलने का मुख्य कारण यह है कि कारो लेक्टम पर आयात-शुल्क कम कर दिये जाने के बाद अब यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति-स्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोचीन के समीप एक अमोनिया सल्फेट परियोजना शुरू की गई थी। लेकिन केरल के उच्च न्यायालय ने इस अमोनिया संयंत्र को बन्द करने का निर्देश दिया था और उन्हें मूल संयंत्र को बंद करके एक और संयंत्र स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करना पड़ा। इससे भी यह कारखाना संकट की स्थिति में आ गया। यदि मुझे सही याद है, तो उद्योग में लगभग 5000 कर्मकार कार्यरत हैं। ये सभी कर्मकार भूखे मर रहे हैं। जब तक केन्द्र सरकार उनके बचाव के लिए सामने नहीं आएगी, उनके लिए उस कारखाने में काम करना असंभव होगा। हाल ही में केन्द्र सरकार ने विरल मृदा वाले तटवर्ती क्षेत्र में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की स्थापना करने के बारे में निर्णय लिया है। केरल के उत्तर से दक्षिण भाग के तटवर्ती क्षेत्र में जिरकॉन लिमेनाइट और अन्य सभी विरल सामग्रियां उपलब्ध हैं। वे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोगी हैं। केरल में केरल राज्य सरकार के स्वामित्व में दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं—चतारा मिनरल्स लिमिटेड और त्रावणकोर कैमिकल्स। इन दोनों उपक्रमों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि केन्द्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति दी है। केन्द्र सरकार की हाल की इस नीति के कारण राज्य सरकार के उपक्रमों को बंद करना पड़ेगा। इससे दक्षिण भारत में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अंत में, कोचीन पत्तन की उपेक्षा किये जाने की वजह से एक और समस्या उत्पन्न हो गई है और उसे कोचीन पत्तन का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। इसकी वजह से भी राज्य को संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जब तक वह घरेलू उद्योगों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा हम एक के बाद एक संकट में घिरे रहेंगे और राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी पहलुओं पर विचार करे और नीति की समीक्षा करे। इस संबंध में जिस नीति का अनुसरण किया गया है वह हमारे राज्य के हितों के लिए बहुत नुकसानदायक है।

चीनी नीति के बारे में मुझे यह कहना है कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत कारगार ढंग से लागू किया गया है और इस तथ्य के बावजूद कि हमारे राज्य की राजनीति में बदलाव आए, यह प्रणाली इन वर्षों के दौरान सफल रही है और भविष्य में भी निर्विघ्न रूप से जारी रहेगी। चीनी विनियंत्रण नीति ने हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जब तक चीनी नीति को परिवर्तित नहीं किया जाता है, तब तक सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली गलत सिद्ध होगी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पहले किये गए वायदे के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी का वितरण करने के लिए पर्याप्त कोटा जारी करे।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं।

डा० सरोजा वी० (रासीपुरम) : सर्वप्रथम मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं इस बारे में एक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा कि अनुपूरक अनुदान की मांग किये जाने की कहां जरूरत है, इस बारे में हमने कहां गलती की है।

हम उन सुधारात्मक कदमों का विश्लेषण करने और उन पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें हम लागू करने जा रहे हैं।

यह पता चला है कि सिर्फ उर्वरक विभाग का योजनेतर व्यय ही 600 करोड़ रुपए है। बाकी सभी विभागों में भी योजनेतर व्यय की यही स्थिति है। योजनेतर व्यय पर निगरानी रखने और निधियों को आवंटित करने के संबंध में कोई नीति होनी चाहिए।

सभी विभागों को राज सहायता दी जाती है। मैं राज सहायता दिये जाने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन राज्यों को दी जाने वाली राज सहायता पर समुचित निगरानी रखी जानी चाहिए। इस संबंध में, मेरा यह सुझाव है कि एक निगरानी समिति का गठन किया जाए जिसमें स्थानीय विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों को शामिल किया जाए। भारत सरकार को राज्यों को आवंटित धनराशि तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी समिति गठित करनी चाहिए।

मैं भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के महत्व पर जोर देना चाहूंगा। हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। हमें इस संबंध में नीतियां तैयार करनी हैं। हमने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में राज्यवार आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पता लगाएं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

उत्पादन, मांग और पूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जाए। जब कभी भी पूर्ति में वृद्धि होती है हम उत्पादित वस्तुओं का भण्डारण नहीं कर पाते। जिसके परिणामस्वरूप वस्तु की मांग अधिक होती है, तब अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता को विनियमित किया जाए अपितु उन वस्तुओं के उत्पादन पर भी निगरानी रखी जाए। अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन और उनकी उपलब्धता पर कम से कम तिमाही आधार पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी समिति होनी चाहिए और वह हमें बताए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वास्तव में क्या हो रहा है। जमाखोरों को दंडित करने में कोई ढील न बरती जाए और उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

जहां तक वित्तीय घाटे का सम्बन्ध है, हमें उस पर निश्चित तौर पर निगरानी रखनी चाहिए। यह 5.6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

जहां तक महिलाओं को आर्थिक अधिकार देने का संबंध है, वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने के बाद, मुझे यह पता चला है कि महिला समृद्धि योजना 1993 से 1997 तक लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 2.46 करोड़ लाभार्थी थे और 265 करोड़ रुपए की बचत हुई। महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से योजना आयोग ने इस योजना पर निगरानी रखने के लिए एक समिति गठित की है। इस विशेष योजना को सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है और इस योजना से प्राप्त धन का उपयोग महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक डाक्टर हूं और मैं इस कथन में विश्वास रखती हूं ''इलाज से एहतियात बेहतर है'', चाहे वह कोई प्राकृतिक आपदा के कारण हो अथवा स्वास्थ्य समस्या हो अथवा अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो। लागत-लाभ अनुपात और मांग आपूर्ति के पहलुओं के बारे में विश्लेषण किया जाए। हम किसी योजना को निष्पादित करने से पूर्व उसकी उपयुक्त आयोजना करें। इसके लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाएं। हम योजनाओं को अंतिम रूप देते समय और बजटीय आवंटन करते समय इस बात को भी ध्यान में रखें।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं अपनी नेता डा० पुरतची थालवाई के शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा। कल उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य सभी नेताओं से भी अनुरोध किया था कि लोक सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। मैं उन्हें उद्धृत करूंगा : ''संक्षेप में, हम कगार पर खड़े हैं और न अतल गहराइयों में झांक रहे हैं। यदि इस दिशा में कोई सुधारक कार्रवाई न की गई, तो देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगा।'' जैसा कि मेरी नेता डा० पुरतची थालवाई ने सुझाव दिया है। मैं सरकार से एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करता हूं वित्त मंत्री महोदय से इस संबंध में सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा करता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अनुपूरक मांगों को भी मुख्य बजट की तरह गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अतिरिक्त निधि के लिए अत्यधिक अनुपूरक मांगें मुख्य बजट का महत्व कम करती हैं। अनुपूरक मांगों के माध्यम से अत्यधिक धनराशि मांगे जाने से बजट प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। अत: हमें अनूपूरक मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा।

सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस सरकार का प्रबल विरोधी हूं। तथापि जो भी प्रशंसा योग्य बात होती है उसकी स्पष्ट रूप से प्रशंसा करता हूं। अत: अनुपूरक मांगों का यह पहला बैच उचित सीमा के भीतर ही है। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी की आवश्यकता है। और हमें बताया गया है कि 13,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि समायोजित की जाएगी और इसके लिए वास्तव में धनराशि जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समतुल्य बचतों अथवा अन्य बढ़ी हुई राजस्व प्राप्तियों से उनका समायोजन किया जाएगा। अत: वास्तव में 1,279.73 करोड़ रुपए जारी करने होंगे, मैं समझता हूं कि यह उचित सीमा में है और जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री को श्रेय मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि जिन मदों के लिए अनुपूरक मांगें की जा रही हैं, वे अत्यावश्यक प्रकृति की होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिन पर बजट बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें 46 अनुदान हैं जिनमें से अधिकांश इस मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं।

मैं आपको उदाहरण देने में अधिक समय नहीं लूंगा। यह बात भी आश्चर्यजनक है कि अनुपूरक मांगों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के एकक की पूंजीगत ढांचे के पुनर्विन्यास की मांग की गई है जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन मदों पर पर्याप्त समय और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन्हें बजट के समय उठाना बेहतर होगा, ताकि बजट का महत्व कम न हो। इसमें अनेक मदें ऐसी हैं जिन पर बजट तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए था, उस समय इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और यदि मैं इन सब मदों का विश्लेषण करने लगूं तो इसमें सभा का काफी समय लगेगा। मैं अपनी बात माननीय वित्त मंत्री जी से अपने इस अनुरोध तक ही सीमित रखूंगा कि वह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों पर बजटीय अनुशासन कड़ाई से लागू करें।

सभापति महोदय, मैंने दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हुए हैं और मैं इन दो कटौती प्रस्तावों की विषय वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, मांग संख्या 18 राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त निधि आवंटित करने से संबंधित है। हम इस मांग का विरोध नहीं करते हैं। मैं केरल में व्याप्त स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। केरल से गुजरने वाला राजमार्ग संख्या 17 सरकारी उपेक्षा का एक दुखद

[श्री जी०एम० बनातवाला]

उदाहरण है। यह राजमार्ग 18 वर्ष पूर्व मंजूर किया गया था। इडापल्ली से मंगलौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी तक इस सड़क के अंतिम सरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दो दशक पहले बनाए गए सरेखण विशेष रूप से येल्लांचेरी नगर के मामले, जिसमें इन दो दशकों के दौरान काफी सुधार हुआ है, में संशोधन की आवश्यकता है। इन बातों पर ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कुट्टीपुरम और पुधानाथानी, खण्ड पर 302 और 320 किलोमीटर के बीच मूडाल और वाट्टापारा नाम के दो घाटों के निकटस्थ सड़क का मार्ग दुर्घटना प्रवण है, पिछले दो वर्षों के दौरान वाट्टापारा में लगभग 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें लगभग सौ लोगों की जान जा चुकी है। अतः इस बात पर भी विचार करना होगा।

... मे कान्हीपुरा तक एक राज्य. सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग ... किलोमीटर को जोड़ती है। वाट्टापारा में दुर्घटना होने ... रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इन दो घाट खण्डों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस सड़क का अधिग्रहण कर इसे उपमार्ग के रूप में विकसित कर दें तो वालांचेरी में उपमार्ग की आवश्यकता नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह बात मेरे कटौती प्रस्ताव में भी दी गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस मार्ग कॉरीडोर बनाने की बात कही है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। किन्तु एक संदेह बना हुआ है कि केरल राज्य की उपेक्षा की गई है। यह संदेह इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि इस परियोजना से संबंधित सिविल कार्य को शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूर्व अर्हता निविदाएं आमंत्रित की हैं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का उल्लेख है। इनमें केरल का कोई उल्लेख नहीं है। यह घोर निराशा की बात है। केरल राज्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि केरल प्रस्तावित उत्तर कॉरीडोर राजमार्ग केरल से होकर गुजरना चाहिए।

महोदय, इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कुछ बातें हैं। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए और एक बार पुनः इस बात पर जोर देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदानों की मांगें अत्यावश्यक मदों और उन मदों से संबंधित होनी चाहिए जिन पर बजट तैयार करते समय विचार नहीं किया गया है।

बजट को समुचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। वैसे यह एक प्रशंसनीय बात है कि सभा में लाया गया पहला अनुपूरक बजट उचित है और काफी लम्बे समय के बाद हम यह देख रहे हैं।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे साथी ने जिक्र किया कि प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाई-वे बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हिमाचल प्रदेश को इग्नोर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है। केन्द्र से वहां 300 करोड़ रुपए दिये गए, जो कि वहां की सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह में खर्च कर दिए। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने केन्द्र सरकार से मांग की कि हमें पैसा दो, क्योंकि पिछले दिनों बरसात के समय वहां भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों के मवेशी बह गए, कैटल शैड बह गए और लोगों के जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार छोटे-छोटे राज्यों के प्रति अपने दिल में हमदर्दी नहीं रखेगी तो छोटे राज्यों, खासकर पहाड़ी क्षेत्र कैसे तरक्की कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते तो वहां तरक्की होती। वहां पर मिलीजुली सरकार आई तो उसके मुख्य मंत्री को मजबूत नहीं कर सके, फिर सरकार कैसे मजबूत होगी।

हिमाचल प्रदेश में जो आलू पैदा होता है, उसका सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। आप कहते हैं कि हम प्याज और आलू दोनों का समर्थन मूल्य घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। आपने नेफेड को नौ करोड़ रुपए दिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश को नहीं दिए। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारी बारिश होती है, उससे उत्तर प्रदेश और पंजाब को भी नुकसान होता है। सारे नालों में पानी भर जाता है और वे उफान पर आ जाते हैं। इससे सारा नुकसान अकेले हिमाचल प्रदेश को ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेशों को सहन करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। सरकार को चाहिए कि वह पनबिजली योजना के लिए ज्यादा रकम निर्धारित करे। अगर इस काम में प्राइवेट पार्टीज आगे आती हैं, तो उनको काम करने दें और राज्य सरकार को इसके लिए कर्ज़े। हमारा जो पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश पर बकाया है, वह हमें दिलाया जाए। जब पंजाब का बंटवारा हुआ था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश अलग-अलग राज्य बने थे तो शर्त तय हुई थी कि 7.19 प्रतिशत रायल्टी बिजली की हमें मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया और आपकी सरकार ने भी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया है। यहां जो मंत्री बन जाते हैं, वे सिर्फ अपने-अपने इलाकों का ख्याल रखते हैं। हमारे यहां से भी एक मंत्री बने थे, लेकिन आपने तब उनको टिकने नहीं दिया था और हंगामा खड़ा किया था, जिसके चलते 13 दिन तक सदन की कार्यवाही मंद रही थी। लेकिन अब उन्हीं की बदौलत आपने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है।

हिमाचल प्रदेश के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसको मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उस तरफ आप ध्यान दें। बहुत सी मदों, ए टू जेड, में अपने पैसा देने की बात कही है, मैं भी कहता हूं कि बजट संतुलित होना चाहिए। बजट का मतलब होता है कि लोगों की तकलीफ दूर हो और उनको मार्गदर्शन मिले।

आपने जो कोशिश की है, ठीक है। लेकिन जो छोटे राज्य हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। हमारे गढ़वाल के लोग चिल्ला रहे हैं। गढ़वाल का उत्तरांचल बन रहा है। वहां से भी अभी ऊधमसिंह नगर जाएगा। इस तरह से कमेटियां बनाई जा रही हैं, यह पाखंड अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। उनको स्पष्ट रूप में चाहिए कि आप प्रदेश दे रहे है, उसमें जो क्षेत्र उनके एरिया में पड़ते हैं, वे उनको दिए जाएं ताकि पहाड़ी लोग जो अर्से से अपनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इस आजादी का वे फल चाहते हैं। उनके नौकर नहीं होते। इतना आपने इसमें कर्मचारियों के लिए रखा है, उन को लोन दिया जाएगा।

जितने कर्मचारियों के लिए रखा है, उनको लोन दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोन क्या है। आपके बिहार में जाएं तो वहां 6.7 लाख के करीब रुपया देते हैं। एक एम०पी० के लिए देते हैं। यहां क्या है, यहां एक लाख रखा हुआ है। स्टेटस कम कर दिया है। सारे एम० पीज समझते हैं कि जहां-जहां यह प्रोग्राम राज्य सरकार को आप देते हैं, उनकी मोनीटरिंग नहीं हो रही है। ममता बैनर्जी ने यहां मामला उठाया था। मोनीटरिंग होनी चाहिए। एकाउंटेंट जनरल की तरफ से जो टिप्पणी होती है, उसको आपको देखना चाहिए। यदि कहीं कोई राज्य सरकार पैसे का मिसयूज करती है तो उसे आपको देखना चाहिए। उद्योग की बात अपने की है। उद्योग में आप ज्यादा करना चाहते हैं लेकिन क्या हो रहा है, हमारे यहां जो उद्योग लगे हुए हैं, वे आया राम गया राम हैं, मैं तो उनकी यही कहूंगा। कई बिल्डिंग बनी हैं और बिल्डिंग बनने के बाद बैंकों ने लोन दिया है। उसके बाद वे बंद पड़ी हैं। वहां से आकर हरियाणा, यू०पी० में यही लोग लोन हासिल करते हैं। आपको फाइनेंस करने का तजुर्बा है और इन्हें पैसे खाने का तजुर्बा है। ये गवर्नमेंट का पैसा हड़प लेते हैं। इनकी अपनी गाड़ी नहीं होती है और जो गरीब आदमी है, वह तड़प रहा है, आज मजदूर तड़प रहा है। गरीब लोगों के लिए रोटी खानी मुसीबत हो गई है।

जहां-जहां भी आपके काम हो रहे हैं, उसकी मोनीटरिंग होनी चाहिए। जो बकाया लेना है, वह भी आप नहीं ले रहे हैं। बकाया में भी हजारों इनकम टैक्स के केस पड़े हुए है जिसमें वसूली नहीं की जा रही है। वे कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से स्टे ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को चलाने का एक ही तरीका है। अगर हमारे पास पैसे होंगे, तो राज्य सरकार मजबूत होगी और राज्य सरकार मजबूत होगी तो यह राष्ट्र अच्छा चल सकेगा। आपको गरीबों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। उनके लिए जो स्कीमें चलाई जाती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपको खास ध्यान देना चाहिए। एम०पीज के लिए आप लोगों ने अफसर के खिलाफ सैलरी मुकर्रर कर दी। जो आई०ए० एस० अफसर हैं, उनके साथ पेशन का प्रावधान कर दिया और हिमाचल प्रदेश में कर दिया तथा लोन के लिए एक लाख रुपया 15 प्रतिशत पर आप देते हैं और वहां चार प्रतिशत पर देते हैं। आप अफसरों और कर्मचारियों सबका ध्यान रखिए। जिसको जो भी होगा और विहीकल खरीदने के लिए भी होगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम रशियां हैं। आपको चाहिए कि इसके बारे में विचार करें और विचार करके जो उचित कदम हैं, वे लें।

हमारे यहां जो बिजली के बकाया हैं, आपकी ही वहां सरकार है, उसे तीन सौ करोड़ रुपया लोन दिया है और हमारे लोगों को यह बता दिया कि हमने बहुत बड़ी मदद कर दी और इसी बात पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। हम तो घंटी बजाने वाले हो गए कि बस आपके गुणगान करते रहें। आप इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ लें और इसे करें कि जो सरकार बैलेंस्ड नहीं है, यह ठीक नहीं होती है। जहां बराबरी नहीं है, वह सरकार ठीक नहीं होती है और आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की तरफ आप खास ध्यान देंगे। सारे राष्ट्र की मदें हैं और जहां-जहां भी कमी है, उसे पूरा करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, मैं सप्लीमैंटरी डिमांड्स का समर्थन करता हूं। आर्थिक सुधार के परिणाम जो परिलक्षित होने लगे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान उस समय तकलीफ महसूस करता है जब उसे अपनी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि वह आने वाले सीजन में उस फसल को कम बोता है। बाद में स्थिति खराब हो जाती है। मेरा सुझाव है कि किसानों को अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए मूल्य निर्धारण समिति में किसानों का ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और मैम्बर के रूप में उन्हें ज्यादा स्थान मिले ताकि उसमें किसान अपनी बात रख सकें। आजादी के 50 वर्ष व्यतीत हो गए है। जो लोग वहां विराजमान हैं, उन्होंने किसानों के भले के लिए कुछ काम नहीं किया। फसलों को स्टोर करने के लिए आज भी तहसील स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और भंडारण करने का इंतजाम नहीं है। महंगाई का एक कारण यह भी बना है। तहसील स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसान वहां अपनी फसल को रख सकें और जब उसका अच्छा मूल्य मिले तब उसे बेच कर फायदा उठा सकें।

यहां जिन विभागों की डिमांड्स आई हैं, उनकी प्राथमिकताएं बताई गई हैं। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। आज चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। इसकी हालत सुधारने के लिए नई परियोजनाएं भी नहीं लग रही हैं। बिजली की परियोजनाएं लगें, किसानों को बिजली समय पर मिले, ज्यादा समय मिले ताकि सिंचाई में बाधा न पड़े, खेती के काम में बाधा न पड़े, आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज किसान बिजली की कमी की वजह से काफी तकलीफ महसूस कर रहा है। उसे सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं मिलती। जेनरेटरों पर सबसिडी देने का प्रावधान किया जाए जिससे बिजली न मिलने पर वे जेनरेटरों के द्वारा खेतों में सिंचाई कर सकें और पंप चला सकें। अभी तक जेनरेटरों के लिए सबसिडी की व्यवस्था नहीं की गई है। सदन में बड़ी-बड़ी नदियों पर काफी चर्चा हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने उसके लिए प्रावधान भी किए लेकिन इसमें भी प्रावधान करने होंगे।

महोदय, मैं छोटी-छोटी नदियों की बात करना चाहता हूं। तुलसी दास जी ने एक चौपाई में कहा है "क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई, जस थोरेउ दन खल बौराई।"

अपराह्न 3.00 बजे

यानी छोटी नदियां बड़े वेग से आती हैं और मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी नदियां हैं जो बाढ़ के दिनों में बड़े वेग से आईं कि गांव बह गये

[डा० रामकृष्ण कुसमरिया]

और उन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। फसलें उजड़ गईं और घर उजड़ गये। किसानों की समस्यायें ही समस्यायें हैं। इन सब के लिये कई बार मांग की गई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जहां पर ऐसी प्राकृतिक आपदायें आई हैं, उसके लिये सहायता का प्रावधान रखा जाये।

सभापति महोदय, पेय जल योजना को हमारी सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में प्राथमिकता दी है। देश की 50 वर्ष की आजादी के बाद भी देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र दमोह और पन्ना हैं जहां पेयजल की योजना नहीं है। स्थिति यह है कि लोगों को 3-4 दिन में जाकर पेयजल मिलता है। अभी यह योजना बन गई है जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिये आई हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पेयजल योजना को प्राथमिकता दी जाये। शुद्ध जल उपलब्ध न होना ही सारी [illegible] का कारण है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना [illegible] दी जाये और जल्द ही इस पर कार्यवाही हो।

अत में यही कहना चाहता हूं कि सांसदों के अपने-अपने क्षेत्रों के लिये 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं तो हमें बहुत ही तकलीफ होती है। हमारी प्रार्थना है कि सरकार इस राशि को तुरंत स्वीकृत करे ताकि लोगों के कामों को कर सकें।

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, अपनी बात के आरम्भ में, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं जिसके कारणों का वर्णन मैं वाद-विवाद के दौरान करूंगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं कर सकता। श्री सिन्हा जी, मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपके पास जो धनराशि है उसमें 18 महीनों के भीतर 16 प्रतिशत की कमी रही है और आप वित्तीय अनुशासन नहीं बनाए रख सके हैं तथा वित्तीय घाटे को रोकने में असफल रहे हैं।

मंत्री जी, इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करूं आपको सर्वप्रथम इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्षति पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। उत्तरी बंगाल में आज रुपये की साख को ही चुनौती दी जा रही है, वहां भूटानी मुद्रा बिना रुकावट चल रही है। क्या यह अच्छा संकेत है? आप इन सब पहलुओं के संबंध में असफल रहे हैं। बाहरी एजेन्सियों के प्रभाव के कारण कूचबिहार, जलपाइगुड़ी, दार्जीलिंग जिलों में और अन्य स्थानों पर भूटानी मुद्रा बिना रुकावट चल रही है।

अपराह्न 3.05 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

यह अच्छा संकेत नहीं है। यही उचित समय है कि स्थिति को समझकर क्षति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत उपाय किए जाएं। नवीं योजना के दौरान वित्तीय घाटे का लक्ष्य, औसतन, सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत है। 1997-98 में यह छ: प्रतिशत से अधिक हो गया। 1998-99 में यह छ: प्रतिशत पर नियत है। माननीय वित्त मंत्री, श्री सिन्हा जी बार-बार यह कहते रहे हैं कि वे इसे 5.6 प्रतिशत, अर्थात 91,000 करोड़ रु० पर स्थिर करने वाले हैं। वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वित्त मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगामी तीन वर्षों में यह तीन प्रतिशत से अधिक न बढ़ पाए। सकल ऋणों हेतु 79,375 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यह निर्धारित लक्ष्य से अधिक है और 81,000 करोड़ रु० से भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी वित्तीय अनुशासन रखने में असफल रहे हैं। पूर्व में सरकार तदर्थ 'टेजरी बिल' के माध्यम से ऋण लिया करती थी। फिर विशेष प्रतिभूतियां आईं। फिर 'बाजार में लाई जाने योग्य' कहलाने वाली प्रतिभूतियां आईं। फिर नया नाम, अर्थात् - 'अर्थोपाय के लिए अग्रिम' ढूंढ लिया गया। फिर आया विशेष अर्थोपाय अग्रिम। फिर 'ओवरड्राफ्ट' आया। ओवरड्राफ्ट के बाद यदि सरकार इसे शून्य स्तर तक लाने में असफल रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि इसे निजी प्लेसमेन्ट में रखा जाएगा। यहीं समस्या आती है। क्या हमारा स्वरूप संघीय स्वरूप है? मैं यह इस माननीय सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं। फिर सारा प्रभाव राज्यों पर पड़ता है। यह क्या है?

अनुच्छेद 292 के अनुसार केन्द्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूतियों पर ऋण ले सकती है। अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें संबंधित राज्यों की संचित निधि की प्रतिभूतियों पर ऋण ले सकती हैं। अनुच्छेद 292 और 293 के अनुसार संविधान केन्द्र और राज्यों को समान अवसर देता है। साथ ही राज्य अर्थोपाय अग्रिम ले सकते हैं और ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें राज्य के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक 10 दिन से अधिक ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं देता। 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को देखना होता है कि ओवरड्राफ्ट न रहे। जारी किया गया चेक दस दिनों के बाद नकार दिया जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार के मामले में ऐसा नहीं है। केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गुप्त रूप से मिलकर इसे निजी 'प्लेसमेन्ट' कहती है। निजी प्लेसमेंट क्या है? यदि ऋण सार्वजनिक है तो इसे जनता के लिए जारी किया जाना है लेकिन इसमें वित्त-पोषण सुनिश्चित करने और इसे निजी प्लेसमेन्ट के रूप में अलग से रखे जाने को देखने हेतु रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार की सहायता करता है।

महोदय, क्या वह निजी प्लेसमेन्ट है? हमें पता है निजी प्लेसमेन्ट क्या है? यदि यह निजी प्लेसमेन्ट है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्यत: जनता को वितरित किया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। अत: अब समय आ गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास शक्ति होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकार होना चाहिए। इस पर केन्द्र सरकार द्वारा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए चाहे सरकार किसी की भी हो। अत: मैं एक बार पुन: यह कहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

महोदय, निर्यात की क्या स्थिति है? गत सात महीनों में आयात आठ प्रतिशत तक बढ़ गया है। आयात लगातार बढ़ रहा है पर निर्यात नहीं बढ़ रहा है। इसके क्या कारण हैं वे ही बेहतर जानते हैं। 1996-97

के दौरान निर्यात की विकास दर डालर के अनुसार चार प्रतिशत थी। 1997-98 के दौरान यह 2.6 प्रतिशत थी। गत सात या आठ महीनों में निर्यात वृद्धि दर क्या थी ? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निर्यात वृद्धि कितनी है? यह 5.1 प्रतिशत है। मुझे पता है कि वित्त मंत्री जी यह कह सकते हैं कि 'विश्व बाजार में' आम मंदी छाई हुई है।' ठीक है, मैं सहमत हूं। लेकिन मैं कुछ बतलाना चाहता हूं। 1998-99 की पहली तिमाही के दौरान भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 28 प्रतिशत कमी आई; मलेशिया को निर्यात में 32 प्रतिशत; इंडोनेशिया को 78 प्रतिशत; फिलीपीन्स को 44 प्रतिशत; सिंगापुर को 31 प्रतिशत; थाइलैण्ड को 19 प्रतिशत; ताइवान को 32 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया को होने वाले निर्यात में 54 प्रतिशत गिरावट आई। यह 1998-99 की पहली तिमाही के दौरान इन देशों को भारत से होने वाले निर्यात की स्थिति है।

1997-98 के दौरान भी इन देशों को होने वाले निर्यात में 1.2 प्रतिशत की कमी आई थी क्योंकि मंदी जून, 1997 में आरम्भ हुई थी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टी०आर० बालू : जी हां, महोदय, दो-तीन मिनट में ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

मैं पुन: यह दुहराता हूं कि एशियाई देशों में वर्ष 1997-98 के दौरान की मंदी के बावजूद हमारे निर्यात की विकास दर 2.6 प्रतिशत थी न कि 5.1 प्रतिशत।

अब मैं कारण जानना चाहता हूं। क्या हम बदलती विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने में असफल रहे हैं ? क्या पिछले सात वर्षों से जब से सुधार शुरू हुआ है, भारतीय निर्यात क्षेत्र में कोई ठोस संरचनात्मक बदलाव हुआ है ?

महोदय, भूमण्डलीकरण और कुछ नहीं बल्कि एक नीति है। नीति को प्राप्त करने का तंत्र उदारीकरण है। इस नीति को प्राप्त करने की रणनीति उदारीकरण है। उदारीकरण के पूर्व वर्ष 1979-80 में सकल घरेलू उत्पाद की निर्यात पर 5.49 प्रतिशत थी। वर्ष 1989-90 में सकल घरेलू उत्पाद की निर्यात दर 7.62 प्रतिशत थी। इन दस वर्षों के भीतर 39 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। लेकिन उदारीकरण के बाद की क्या स्थिति है ? वर्ष 1979-80 और 1989-90 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के निर्यात में 39 प्रतिशत की वृद्धि थी। लेकिन पिछले सात वर्षों के उदारीकरण के बाद यह 36 प्रतिशत है। यह तीन प्रतिशत कम है। तब उदारीकरण के बाद निर्यात विकास दर तीन प्रतिशत घट गयी थी। हम कहां गलती कर रहे हैं ? उसका उल्लेख भूमंडलीकरण में उल्लेख किया जाना चाहिए था कि क्या रणनीति ही गलत थी।

निर्यात दिन पर दिन घट रहा है। क्यों ? हम वाणिज्यिक चातुर्य में बहुत पीछे हैं। हम अपने वाणिज्यिक दूतावासों से वाणिज्यिक चातुर्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। विश्वभर के हमारे दूतावासों को हमें सहायता करनी होगी। उन्हें यह पता करना होगा कि भारत से संबंधित देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी०आर० बालू : हमारे दूतावासों को आगे आना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत को मदद मिले ताकि निर्यातक अपनी सेवाओं का उपयोग कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि निर्यात में वृद्धि हो, वह और उसमें और वृद्धि हो।

मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे सरकार का ध्यान दिलाना है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है, तो आज स्थिति क्या है, इस ओर ध्यान देना होगा। आज देश की स्थिति ऐसी नाजुक हो गई है कि लगातार कृषि का उत्पादन घट रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए आने वाले संकट को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने देश की वित्तीय स्थिति को ठीक प्रकार से देखना और नीति को ठीक प्रकार में बनाना और निर्धारित करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी बिहार प्रान्त से आए हैं। वे बहुत योग्य हैं और उम्मीद है कि जो अगला बजट वे पेश करेंगे वह हिन्दुस्तान के गांव और किसानों को मद्देनजर रखते हुए पेश करेंगे ताकि यह देश कम से कम रोटी के मामले में किसी भी कीमत पर कमजोर न पड़े। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की नीतियों के मिसमैनेजमेंट के कारण कभी-कभी देश में हाहाकर मचने की स्थिति पैदा हो जाती है। इस सरकार के आने के बाद हमने छ: रुपए किलो प्याज विदेशों को निर्यात किया और 30 रुपए किलो विदेशों से आयात किया। इसके बावजूद हमारे देश में प्याज के लिए हाहाकर मचा और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और देश के आम नागरिक को प्याज के लिए काफी कठिनाई हुई। मेरा निवेदन है कि वे अपनी नीतियां ऐसी सुसंगत तरीके से बनाएं जिससे देश के आम आदमी को राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो गंगा जमुना की घाटियां हैं वहां सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। हिन्दुस्तान में 450 गन्ना मिलें हैं जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 125 चीनी मिलें हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। आज से पांच साल पहले तक सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में पैदा होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग आज संकट में पड़ गया है। हमारे देश के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में चीनी का उत्पादन 155 लाख टन होने की उम्मीद है और हमारे देश में पहले से ही 50 लाख टन से ज्यादा चीनी मौजूद है और दोनों को मिला दिया जाए तो 205 लाख टन चीनी उपलब्ध हो जाती है और हमारे देश में 150 लाख टन चीनी से ज्यादा की खपत नहीं है। इस प्रकार से भी हमारे देश में 55 लाख टन पहले से ज्यादा विद्यमान है, किन्तु फिर भी हमने विदेशों से 1500 करोड़ रुपए की चीनी आयात कर ली है और आगे भी आयात करने का विचार है। हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टीवी पर ऐलान किया कि अब इस देश में चीनी का आयात नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना ने संसद में बयान दिया कि अगले सप्ताह से चीनी का आयात नहीं होगा।

[श्री कल्पनाथ राय]

वाणिज्य मंत्री श्री हेगड़े ने बयान दिया कि चीनी का आयात नहीं होगा। इसके बावजूद चीनी का आयात हो रहा है और एक ही सरकार है जिसके प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी सामूहिक जिम्मेदारी है, उनके बयानों के बावजूद इस देश में चीनी का आयात किया जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि विभिन्न मंत्रियों के भिन्न-भिन्न बयान इस सावल पर क्यों आ रहे हैं। आप पहले ही 1500 करोड़ रुपए की चीनी मंगा चुके हैं और पाकिस्तान विदेशी मुद्रा दी जा चुकी है। अभी न जाने कितने लाख टन चीनी मंगाने की संभावना है। यहां खाद्य मंत्री ने बयान दिया कि अब सरकार 40 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का विचार कर रही है, जबकि इस समय पांच परसेंट कस्टम ड्यूटी ली आ रही है। इतनी कम कस्टम ड्यूटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? किसानों के गन्ने का दाम आने वाले दिनों में न तो सहकारी चीनी मिल दे पायेगी और न ही निजी मिलें दे पाएंगी--परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में हाहाकार मचेगा। किसान जिसकी कैश क्रॉप गन्ना है, वह उसे बोना बंद करेगा जिससे हमारे देश में गन्ने का उत्पादन कम होगा। उद्योग अलग नष्ट होगा और आने वाले भविष्य में एक का मुकाबला इस देश और सरकार को करना पड़ेगा। कि सरकार ऐसी नीतियां बनाये जिससे संतुलन बना रहे किसान का भी हित होता रहे और उद्योग धंधे भी नष्ट न हों, इंडस्ट्री भी बची रहे और उपभोक्ता को भी सस्ते दाम पर चीजें उपलब्ध होती रहें। जब इन तीनों चीजों में समन्वय होगा तभी हम अपने मुल्क में एक अच्छी नीति को चला सकते हैं।

सभापति जी, मैं दूसरी बात की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी पार्लियामेंट में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हिन्दुस्तान की सड़कों में सुधार करने के लिए पैट्रोलियम पदार्थों में पांच परसेंट ड्यूटी लगाकर सैंट्रल रोड फंड में भारी पैसे की व्यवस्था करेगी जिससे हिन्दुस्तान की सड़कों का सुधार हो सके। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोक सभा में भी पास कर दिया गया और राज्य सभा में भी पास कर दिया। 1997 में जब श्री देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे तब कैबिनेट ने यह फैसला किया कि पैट्रोलियम पदार्थों पर पांच परसेंट ड्यूटी लगाकर सैंट्रल रोड फंड में भारी राशि देंगे और यह राशि देश की सड़कों के निर्माण पर खर्च होगी। किसी भी देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और उसमें सबसे बड़ा रोल सड़कों का है। हिन्दुस्तान की सड़कों की हालत जितनी खराब है उतनी शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। वित्त मंत्री जी, आपके प्रदेश में तो लोग यहां तक कहते हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। पूरे बिहार की यही हालत है। साथ ही आप बिहार के वित्त मंत्री हैं, योग्य व्यक्ति हैं। वित्त मंत्री के साथ आप जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं। यहां जितने भी वित्त मंत्री हुए उनका जनता से कोई रिश्ता नहीं होता लेकिन आप तो जनता से चुनकर आये हैं और जनता से चुने हुए व्यक्ति को फील्ड का नॉलेज, ऊपरी नॉलेज होता है। जब इन दोनों नॉलेज का समन्वय होगा तो एक अच्छा वित्त मंत्री इस मुल्क को मिलेगा। जो प्रस्ताव पास किया गया, यह संसद ने किया है, मैंने पास नहीं किया है। यह पांच साल पहले का प्रस्ताव है। श्री देवेगौड़ा जी के समय में कैबिनेट ने पास किया था कि पैट्रोलियम प्रोडेक्टस पर पांच परसेंट लेवी सेस लगाकर इतनी मात्रा में पैसे की व्यवस्था करेंगे जिससे हिन्दुस्तान की सड़कों का विकास हो सके।

अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों बिन्दुओं पर विचार करके इन्हें लागू करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सप्लीमैंट्री डिमांड ऑफ ग्रांटस का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं० बंगाल) : धन्यवाद, सभापति महोदय, इस चर्चा के अंतिम दौर में भी मेरा नाम पुकारने के लिए आपको धन्यवाद।

इस विषय को शुरू करने से पूर्व मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की उस रिपोर्ट के संबंध में पं० बंगाल सरकार की स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा जिसका इस सदन में माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक का उच्च स्थान है और मैं इस संवैधानिक महानुभाव का बहुत सम्मान करता हूं।

पं० बंगाल सरकार इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निष्कर्षों से भी पूरी तरह अवगत है। पं० बंगाल से इस सदन का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में संवैधानिक मानदंडों के भीतर किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है।

महोदय, मैं आमतौर पर समाचार पत्रों में छपे किसी समाचार का उल्लेख नहीं करता हूं। लेकिन आज मैंने आज के 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित दो वक्तव्यों को देखा है। आपकी अनुमति से मैं यहां उनका उल्लेख करना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने अक्सर भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों द्वारा चलाई जा रही सरकार की कमजोर सरकार के रूप में आलोचना की है। मैंने यह भी 'द स्टेट्समैन' में देखा है कि ए०आई०ए०डी०एम० के० के प्रमुख ने इस अवधि के दौरान हो रही आर्थिक बदहाली के लिए इस सरकार की आलोचना की है। और इस स्थिति पर चर्चा करने हेतु जनवरी के महीने में उनसे एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

महोदय, मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में यह शामिल करना चाहूंगा कि 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित ये दो वक्तव्य सरकार के अन्तर-विरोध की ओर स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं और यह एक अस्थिर सरकार है। संसदीय लोकतंत्र में यह सही है कि स्थिर सरकार का मतलब स्थिर अर्थव्यवस्था और अच्छी राजनीति का मतलब अच्छी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों द्वारा चलाई जा रही इस सरकार की न स्थिर अर्थव्यवस्था है और न ही अच्छी राजनीति। इसलिए हम देश के आर्थिक जीवन में असमंजस, अव्यवस्था और अस्थिरता देखते हैं। यह सरकार स्वदेशी के प्रति प्रतिबद्ध थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस सरकार ने अपना ध्यान स्वदेशी के सिद्धान्त से हटाकर भूमण्डलीकरण की नीति पर केंद्रित कर दिया है। हमारे जीवन के आर्थिक स्तर में भूमण्डलीकरण की यह नीति यूरो-अमरीकन साम्राज्यवाद की तानाशाही के समक्ष पूर्ण समर्पण के सिवाय कुछ नहीं है। मैं समझता

हूं कि निजीकरण और उदारीकरण पर आधारित भूमण्डलीकरण की यह नीति देश की आर्थिक सम्प्रभुता को बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंपने के अलावा और कुछ नहीं है।

क्या मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? यह एक पूर्ण विध्वंस है, मुद्रा का विध्वंस और तीसरी दुनिया के देशों का विध्वंस। उन्होंने भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की नीतियों और सिद्धान्तों का पालन किया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। विश्व बैंक का यह कर्ज जाल भारत के सामने विकराल रूप धारण किये खड़ा है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। मैं इसे समय से पूरा कर लूंगा।

सभापति महोदय : आपके दल को केवल एक मिनट मिला है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : आपकी बड़ी कृपा है महोदय, कृपया एक मिनट और दें।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : धन्यवाद महोदय।

मैं सामान्य अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं करता क्योंकि दरअसल इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बीमार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु कोई मांग नहीं है। वे केवल अकार्य भत्ता दे रहे हैं और इसमें बंद उद्योगों राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और आई०डी०पी०एल० के पुनरुद्धार की कोई सम्भावना नहीं है। सैकड़ों और हजारों कर्मी सड़क पर आ गये हैं। यह परिदृश्य है। हमने बढ़ते मूल्यों, घटते रोजगार, बेरोजगारी, औद्योगिक बंदी, नकारात्मक विकास, रुपये की कीमत में गिरावट और निर्यात तथा राजस्व उगाही में गिरावट देखी है।

यह आर्थिक परिदृश्य है। मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसके दस्तावेज हैं। समयाभाव के कारण मैं उनकी कही सारी बातों पर नहीं बोल सकता। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के 24 और 29 अक्टूबर के बयानों के अनुसार चलें। नई दिल्ली में हुई भारतीय उद्योग परिसंघ की विश्व आर्थिक फोरम के भारतीय आर्थिक शीर्ष सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि वे हमारे देश में हुए विदेशी निवेश के बारे में चिन्तित हैं

(व्यवधान)

महोदय मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित एक समस्या उठाना चाहता हूं। मेरा जिला प्राकृतिक आपदाओं और गंगा, भागीरथी और पद्मा नदियों के किनारों के कटाव से पीड़ित है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। माननीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी मालदा जिले का दौरा किया है। उन्होंने अपनी आंखों से इस जिले में बाढ़ और भू-कटाव के कारण इस जिले में हुऐ भयंकर नुकसान को देखा। लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों में भू-कटाव रोधी कार्यक्रमों को लागू करने हेतु कोई मांग नहीं है। अत: मैं अनुदानों हेतु इन अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर) : महोदय, मुझे यहां बोलने की अनुमति देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपना भाषण माननीय वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण मांगने तक ही सीमित रखूंगा:

अपने बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने दावा किया था कि मुद्रास्फीती की जांच, निर्यात बढ़ाना, व्यापार घाटे को कम करना, कर उगाही को बढ़ाना और समग्र विकास को प्राप्त करना आदि उनके बजट के मुख्य उद्देश्य हैं। अब इस सरकार के कार्यकरण के सात या आठ माह बीतने पर इसके निष्पादन की समीक्षा करें। जहां तक मुद्रास्फीती का प्रश्न है, माननीय वित्त मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था, कि यह छ: या सात प्रतिशत के बीच ही रहेगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि अप्रैल से सितम्बर, 1997 के दौरान तो मुद्रास्फीती दर 4.3 प्रतिशत थी परन्तु अप्रैल से सितम्बर, 1998 के दौरान यह 8.2 प्रतिशत हो गयी। निर्यात के संबंध में मैं मेरे माननीय मित्र श्री टी०आर० बालू के कथन को दोहराना नहीं चाहता। निर्यात के क्षेत्र में नकारात्मक विकास हुआ है। यह हमारे देश में फैली मन्दी के कारण हो सकता है। जहां तक व्यापार घाटे का प्रश्न है यह दोगुना हो गया है। वर्ष 1997 में यह घाटा 2495 मिलियन अंमरीकी डॉलर था, लेकिन चालू वर्ष में यह घाटा 4995 मिलियन अमरीकी डॉलर है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी वित्त मंत्रालय को जांच करनी चाहिए जहां तक औद्योगिक दर का सम्बन्ध है यह वर्ष 1997 में छ: प्रतिशत थी लेकिन इस वर्ष यह गिरकर 3.5 प्रतिशत हो गई है जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य इससे कहीं ऊंचे थे।

अब मुझे राजस्व के मामले पर बोलने की अनुमति दें। क्योंकि यह बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि राजस्व के क्षेत्र में कुल मिलाकर 17 प्रतिशत वृद्धि होगी। उनका मुद्रास्फीती दर छ: से सात प्रतिशत रहने का अनुमान था। इसका मतलब राजस्व के क्षेत्र में वास्तविक बढ़ोतरी दस से ग्यारह प्रतिशत होगी। लेकिन महोदय, मुझे संदेह है कि यदि कोई चमत्कार न हो तो राजस्व के क्षेत्र में लक्षित विकास प्राप्त नहीं होगा। जहां तक प्रत्यक्ष करों की वसूली का सम्बन्ध है, सरकार निर्धारित विकास को प्राप्त कर सकती है। यह पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन महोदय, सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा संग्रहित कुल करों का केवल 15 प्रतिशत है। अत: जहां तक राजस्व के क्षेत्र का सम्बन्ध है अप्रत्यक्ष करों की वसूली अत्यावश्यक है।

महोदय, जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है अनुमानित निगमित कर 26,550 करोड़ थे। यदि हम प्रतिमास यथानुपात वसूली की गणना करें तो यह 2,112 करोड़ रुपये होनी चाहिए लेकिन प्रथम पांच महीनों में यह 700 करोड़ रुपए कम होकर केवल 10,350 करोड़ रुपए हुई है। जहां तक उत्पाद शुल्क का प्रश्न है बजट में अनुमानित राजस्व शुल्क 55,910 करोड़ रुपये संग्रहित होने का अनुमान था अर्थात प्रतिमास यथानुपात 4,660 करोड़ रुपये की वसूली होनी चाहिए। प्रथम पांच

[श्री समीक लाहिड़ी]

महीनों की वसूली 23,300 करोड़ रुपये होनी चाहिए जबकि वास्तविक संग्रहण लगभग 5,000 करोड़ रुपये कम होकर केवल 18,000 करोड़ रुपये हुआ था। वित्त मंत्रालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रथम छमाही में राजस्व का संग्रहण लक्ष्य से 15.9 प्रतिशत कम था। सीमा शुल्क के मामले में भी यही हुआ। उसमें 11.7 प्रतिशत कमी आई। मैं समझता हूं कि राजस्व और सीमा शुल्क संग्रहण में इससे भी अधिक कमी आई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.5 प्रतिशत अधिक हुआ। इसलिए, महोदय मुझे आशंका है कि इन असफलताओं को देखते हुए समग्र वर्तमान काफी बड़े राजकोषीय घाटे को दर्शायेगा और माननीय वित्त मंत्री जैसाकि उन्होंने आश्वासन दिया है, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत तक सीमित रख पाने में कामयाब नहीं होंगे।

एक तरफ तो राजस्व संग्रहण कम है और दूसरी ओर माननीय वित्त मंत्री दोबारा अन्य आवंटन का प्रस्ताव कर रहे हैं जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा और बजट अनुमानों तथा पुनरीक्षित अनुमानों में अंतर और बढ़ जायेगा। यदि बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों में वृद्धि होती है तो पहला झटका सामाजिक क्षेत्र पर आएगा। जैसाकि आप जानते हैं, कोई भी राष्ट्र सामाजिक क्षेत्र की स्थिति में सुधार के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक क्षेत्र, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवसंरचना की स्थिति क्या है? सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्र गहरे संकट में है। इसलिए अनुपूरक बजट से, जिसका प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया जा रहा है, से और वित्तीय कुप्रबंधन हो जाएगा जिससे बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच अंतर में वृद्धि होगी और इससे सामाजिक क्षेत्र को गम्भीर झटका लगेगा।

जहां तक उदारीकरण नीति का संबंध है मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि उदारीकरण से हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। चाहे सामाजिक क्षेत्र को लें अथवा समग्र रूप में विकास को देखें तो कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री पहले के स्वदेशी नारे से क्यों हट गए हैं और वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक लॉबी के साथ मेल जोल कर रहे हैं जिससे देश पूर्ण रूप से संकट की ओर जा रहा है। इसलिए मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डालने के लिए सरकार को दोषी ठहराता हूं। इन शब्दों के साथ में अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं जो माननीय वित्त द्वारा सदन में समक्ष रखी गई हैं। बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा नाम पुकारने के लिए धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री को अपने एक समर्थक दल की नेता और प्रमुख कुमारी जयललिता द्वारा प्रेस में दिए गए वक्तव्य को देखना होगा। जिन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट के कगार पर है। कुमारी जयललिता यह भी महसूस करती हैं कि अनेक अर्थशास्त्री भी यह मानते हैं कि हम संकट की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक संकेतक बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अगर आप भुगतान संतुलन को लें तो इसकी स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। मैं आंकड़ों की जादूगरी नहीं दिखाना चाहता। सभी आंकड़ों से आप परिचित हैं। मैं इस पर समय बर्बाद करना नहीं चाहता।

हमारा निर्यात घट रहा है। आयात बढ़ रहा है। मेरे मित्र श्री बालू ने कहा है कि निर्यात में वृद्धि नकारात्मक है। मैं समझता हूं कि वर्ष 1991 में जब आप जाने वाले थे, हां, यह दोष आपका नहीं है, तब डालर की दृष्टि से हमारा निर्यात नकारात्मक था। हमारा औद्योगिक उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा था। यह शून्य अथवा एक प्रतिशत से कुछ ही कम था। उस निम्नतम स्थिति से हमने एक लम्बा रास्ता तय किया है और देश को सही आर्थिक मार्ग पर लाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अब वापस फिर उसी स्थिति में आ गए हैं। इस तरह का परिदृश्य खतरनाक होता है। मैं समझता हूं कि कोई वित्त मंत्री इस तरह के परिदृश्य को चुपचाप देख नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि क्या आप इसके बावजूद चैन से सो रहे हैं अथवा नहीं कृपया हमें युक्ति युक्त ढंग से बताएं कि क्या यह तथ्य है कि हम आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम उस स्थिति की ओर जा रहे हैं जो स्थिति 1991 में विद्यमान थी जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। आपको भुगतान संतुलन की स्थिति अथवा अन्य संकेतकों का उल्लेख करने की महारत हासिल है। आप सदन को विश्वास में लें और हमें बताएं। यह एक डर है जिसका बहुत से अर्थ-शास्त्री उल्लेख कर रहे हैं और हम इस परिदृश्य से उलझन में हैं। अगर यह बात नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप सुस्पष्ट रूप से लोगों के मन के भय को समाप्त करें। अगर आप को डर है कि आर्थिक परिदृश्य में कुछ ऐसे संकेतक हैं तो आप कृपया युक्तियुक्त ढंग से दोष निवारक कदम उठाएं। मुझे यह कहते हुए दुख है कि ऐसा नहीं हो रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। मैं जानता हूं कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कुछ सीमा तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विश्व बैंक आदि के सामने बाहरी दबाव के कारण झुक रहे हैं और कुछ कानून भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन सब बातों का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या आप निरन्तर रूप से निवेश प्राप्त कर रहे हैं? दुर्भाग्यवश, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब इस क्षेत्र के किसी अन्य देश से तुलना की जाती है तो हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे नीचे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी छोड़ दीजिए, तो देश के भीतर से निवेश की स्थिति क्या है? यह निवेश भी नहीं प्राप्त हो रहा है। घरेलू निवेश जैसी कोई बात नहीं है। देश में आर्थिक कार्यकलाप में पूर्ण गिरावट आई है। यही मेरी सबसे पहली बात है।

महोदय, अवसंरचना क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं किया गया है और अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु कोई निवेश नहीं किया गया है, केवल उन योजनाओं को छोड़कर जो पहले से चल रही थीं। बेरोजगारी बढ़ रही है। यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में वित्त मंत्री को चिन्ता होनी चाहिए। अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश में गिरावट आई है। हमारा कुल निवेश विशेषकर विद्युत क्षेत्र में भी कम है। वह कहते हैं कि बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं और गैर सरकारी निवेश आ रहा है लेकिन इस क्षेत्र में वास्तविक निवेश कितना है? यह निवेश अधिक नहीं है।

मुझे अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्र पर आना है क्योंकि समय कम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कायमकुलम में एक विद्युत संयंत्र है। वह एक ताप संयंत्र है। यह संयंत्र एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र माना जाता है लेकिन यह संयंत्र 350 मेगावाट बिजली ही पैदा कर रहा है। इस समय यह एक सामान्य ताप संयंत्र है लेकिन इसे सुपर ताप

विद्युत संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है। मैं उससे जानना चाहता हूं कि वह वहां एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु वित्तीय मंजूरी देने पर विचार करेंगे। इसे अन्य स्वीकृतियां मिल गई हैं लेकिन जो बात विचाराधीन है वह वित्त मंत्रालय की ओर से मिलने वाली स्वीकृति है।

महोदय, भारत सरकार ने दक्षिण से उत्तर तक कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक एक्सप्रेस राजमार्गों की नई योजना की घोषणा की। यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी एक अच्छी योजना है लेकिन मुझे यह बताते हुए दुख है कि कोई व्यक्ति केरल न जाकर कन्याकुमारी कैसे पहुंच सकता है। यह निराशाजनक बात है कि केरल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मूल मार्ग से अलग मार्ग जान बूझकर लिया गया है। ताकि केरल को छोड़ दिया जाए। मैं चाहूंगा कि वह इस पर भी विचार करें।

एक अन्य बात जिसका उल्लेख मैंने गत बजट भाषण में किया था, वह केरल में रबड़ उत्पादकों की समस्या के बारे में थी। मैंने उल्लेख किया था कि रबड़ उत्पादक पर्याप्त मूल्य की कमी के कारण पीड़ित थे। मैंने पोलीरिथीन के उदार आयात के बारे में लगाए गए शुल्क के बारे में वित्त मंत्री को लिखा था। उन्होंने मुझे उत्तर भी दिया था। मैंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि पोलीरिथीन फोम, रबड़ फोम से सस्ती है और इसलिए लोग पोलीरिथीन को वरीयता दे रहे हैं। उन्होंने यह कहते हुए उत्तर दिया कि नमूना सर्वेक्षण से अन्यथा पता चला। मैं यह कहते हुए उनके उत्तर का खण्डन कर रहा हूं कि नमूना सर्वेक्षण गलत था और तथ्यों के अनुरूप नहीं था।

महोदय, मैं नई दिल्ली के बाजारों में चल रहे मूल्यों का उल्लेख करूंगा। एम०एम० फोम सर्वाधिक रबड़ निर्माताओं द्वारा निर्मित लेटेक्स फोम मैट्रेस, की लागत 239.84 रु० प्रति वर्ग फुट है जबकि एक प्रमुख निर्माता स्लीपवैल द्वारा निर्मित पोलीरिथीन फोम मैट्रेस की लागत केवल पिचासी रुपए प्रति वर्ग फुट है। दो सौ उनतालीस की राशि कहां और पिचासी रुपए की राशि कहां ?

सभापति महोदय : श्री कुरियन, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए। दो या तीन बोलने वाले सदस्य और हैं और वित्त मंत्री को भी उत्तर देना है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : हमारी पार्टी का समय अभी बचा हुआ है। हमारे पास तीस मिनट हैं। हमने अभी तीस मिनट नहीं लिए हैं। मैं यह बात जानता हूं।

सभापति महोदय : मैंने यह नहीं कहा है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : यही मैं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : लेकिन मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : यह ठीक है लेकिन हमारी पार्टी का समय हमें दिया जाना चाहिए। आप उसे कम नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : मैं शिकायत नहीं कर रहा, परन्तु उन्हें जवाब देना होगा।

प्रो० पी०जे० कुरियन : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

इनके अधिकारियों ने मुझे जवाब देते समय इन्हें इस भ्रम में रखा कि रबर फोम सस्ते हैं, जबकि रबर फोम पर प्रति वर्ग फुट 239 रुपये लागत है जबकि पोलीयूरेथीन पर 85 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत है। तो हालत यह है। इससे पता चलता है कि अधिकारी किस प्रकार आयातकों से सांठगांठ रखते हैं। मुझे नहीं मालूम वे ऐसा क्यों करते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और इस बात की जांच कराएं कि अधिकारियों ने उन्हें अंधेरे में कैसे रखा। मैं, माननीय मंत्री जी से पुन: यह अनुरोध कर रहा हूं कि रबर उगाने वालों के उत्पाद आयातित पोलीयूरेथीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अत: पोलीयूरेथीन पर आयात शुल्क बढ़ाकर या रबर फोम उत्पादों पर उत्पाद कर घटाकर रबर उत्पादकों के हितों की रक्षा कीजिए।

आगे, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ विकसित देशों में पोलीयूरेथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है, क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। चूंकि, इस पर वहां प्रतिबंध है तो वे इसे यहां ठेलना चाहते हैं और हम इसका स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति पर ध्यान दें और रबर उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं। कृपया उन अधिकारियों की भी खबर लें जिन्होंने इनको इस संबंध में भ्रमित किया है। मेरे पास इतनी जानकारी है और इसे मैं आपको मुहैया करा रहा हूं।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, परन्तु पैट्रोलियम उत्पादों को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचा जा रहा है। भारत में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करने में क्या झिझक है ? इस पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

हालांकि, मुझे कुछ और भी कहना है और समय भी है, परन्तु चूंकि अध्यक्ष महोदय समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वी०वी० राघवन (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री 14,000 करोड़ रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री महोदय इस राशि में से 13,000 करोड़ रुपये बचत तथा अधिक राजस्व इकट्ठा करके एकत्र करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 13,000 करोड़ रुपये किस प्रकार जुटाए जाएंगे। यदि वह विभिन्न विभागों से बजटीय राशि को खर्च न करने के लिए कहक बचत कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ऐसा कर सकता है। मंत्रालय विभिन्न विभागों को शेष धनराशि खर्च न करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार बचत हो जाएगी। अन्यथा, विभाग कुछ नहीं बचा सकते क्योंकि सभी विभागों में पैसे की कमी है। अत: मुझे नहीं लगता कि बचत की यह आशा फलीभूत होगी।

दूसरी बात, ज्यादा राजस्व जुटाने की है, इसे आप कैसे करेंगे ? समाधान योजना की क्या स्थिति है ? आजकल, दूरदर्शन पर मैं इस योजना के कई विज्ञापन देखता हूं। यह योजना इस वर्ष 31 दिसम्बर, को समाप्त हो रही है जिसमें कुछ ही दिन शेष हैं, तो क्या माननीय

[श्री वी०वी० राघवन]

मंत्री यह बताएंगे कि समाधान योजना कितनी सफल रही है ? विज्ञापन को देखकर तो मुझे लगता है कि यह योजना कोई खास सफल नहीं रही है। तो 13,000 करोड़ रुपये की धनराशि कहां से आएगी ?

मुझे लगता है कि इन अनुपूरक अनुदान मांगों के जरिए 14,000 करोड़ रुपये जुटाने में और परेशानी होगी। मुझे उनसे सहानुभूति है। जब से इन्होंने वित्त मंत्री का पदभार संभाला है, पैट्रोलियम मंत्रालय और राजस्व विभाग में खींचतान मची हुई है। ये कुछ करना चाहते हैं परन्तु इनकी अपनी ही पार्टी इनकी जान सांसत में फंसा देती है। ऐसी हालत में वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय कैसे काम करेंगे ?

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भगवान के लिए देश को साम्राज्यवाद की ओर न ले जाएं। यदि ये पेटेंट विधेयक लाते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष मार्कीटिंग अधिकार दे देते हैं और बीमा विनियामक विधेयक लाते हैं तो 98 करोड़ जनता दुर्भाग्य का शिकार हो जाएगी। देश इसके लिए आपको माफ नहीं करेगा। मंत्री जी, आप अपनी बात दृढ़ता से कहिए, क्योंकि आप एक ओर स्वदेशी पक्षधरों से घिरे हैं तो दूसरी ओर भूमंडलीकरण पक्षधरों से। दृढ़ता से काम लीजिए और इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ...वादी ताकतों से बचाइए। इन असभ्य, असंस्कृतों को देखिए *(व्यवधान)* आजकल। अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में अमरीका और ब्रिटेन को देखिए, आप इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने श्री रामदास आठवले को बोलने के लिए कहा है।

श्री वी०वी० राघवन : मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है परन्तु अध्यक्ष महोदय के कहने पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सप्लीमेन्ट्री डिमांड पर चर्चा करने के लिए और उसे मान्यता दिलाने के लिए हाउस में प्रस्ताव रखा है, लेकिन जो बजट आया है, सप्लीमेन्ट्री डिमांड पर चर्चा हो रही थी, उस पर मेरा यह कहना है कि देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी द्वारा जांच करने की आवश्यकता है। मेरी सूचना यह है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इकोनोमिक डेवलपमेंट का प्लान है, उस प्लान को पांच हजार करोड़ रुपये का करने के लिए वित्त मंत्री जी को विचार करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से मुम्बई देश की इकोनोमिक कैपिटल है। इसलिए वहां स्लम डेवलपमेंट के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और पांच सौ करोड़ रुपये स्लम डेवलपमेंट के लिए और पांच सौ करोड़ रुपये दूसरे डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा मंजूर करने की आवश्यकता है। यदि आप ये अमाउंट वहां के लिए मंजूर करेंगे तो आपकी डिमांड को सपोर्ट करें या न करें, हम उस पर विचार करेंगे। वित्त मंत्री जी हंस रहे हैं, इसलिए मुझे आशा है वह मुम्बई के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेव पमेंट के लिए यह रुपये मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आखिरी समय में मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री जी पूरे राज्य में एक ऐसी शख्सियत होते हैं जिनके हाथ में पूरी वित्तीय व्यवस्था होती है। यदि आप इतिहास को देखें तो वित्त मंत्री का बहुत बड़ा महत्व रहा है। यह वित्त के विशेषज्ञ हैं और जैसा कि कुरियन साहब कह रहे थे कि हमें ऐसे संदेश चाहिए कि हिंदुस्तान में जो उदारीकरण, उधारीकरण, व्यावसायीकरण, और तमाम तरह की नीतियां अपनाई हैं, उनसे हमारे देश की समस्याओं में कमी नहीं आई है, न गरीबी में कमी आई है, न बेरोजगारों में कमी आई है, न महंगाई में कमी आई है और न ही आदमी की जो बेसिक नीड्स होती हैं, आधारभूत समस्याओं में कहीं कोई कमी आई हैं। आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है मैं उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इन्होंने इसे समय से पेश किया, इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन इसका जितना सदुपयोग होना चाहिए, उतना नहीं होता है, बल्कि दुरुपयोग होता है। आपके पास इसका कोई मापदंड नहीं है जिससे कि यह बता सकें कि हमारे अनुपूरक बजट का सही उपयोग होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में ये तमाम हमारी बेसिक नीड्स हैं। हमारे देश की तमाम गरीब जनता की ये बेसिक नीड्स हैं। गांवों में गरीब आदमी को चूर्ण नहीं मिलता है और बड़े लोगों के यहां दवाएं फ्रीज में रखी रहती हैं। क्या आपने गांवों में इलाज तथा दवाओं की कोई व्यवस्था की है। प्रधान मंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा था कि सबसे पहले हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे, सबको पेयजल उपलब्ध करायेंगे। रोजाना पानी का स्ट्रेटा नीचे जा रहा है, बरसात का पानी स्टोर करने की कोई योजना नहीं है, बरसात का पानी बह जाता है। पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई की बात आप छोड़ दीजिए।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। जे०आर० वाई० और सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण अंचलों के लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई गई हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जो योजनाएं हैं उनमें सांसदों की भागीदारी नहीं हो रही है। विधायक निधि और पूर्वांचल निधि को विधायकों के जिम्मे कर दिया है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं उनमें भी सांसदों की पूरी भागीदारी नहीं होने दी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में उत्तर प्रदेश में सांसदों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें और पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु अविलंब समुचित कदम उठाएं तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपए की धनराशि को दो करोड़ रुपए की करें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के लिए वित्त मंत्री महोदय ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। *(व्यवधान)* महोदय मैं माननीय मंत्री के जवाब से पहले अपनी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने माननीय मंत्री को अनुमति दे दी है। उन्हें अपनी बात कहने दें। हमें चार बजे नियम 193 के तहत चर्चा भी करनी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दिया जाए। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मित्रसेन जी आप कृपया बैठिए। माननीय वित्त मंत्री जी का नाम मैं बुला चुका हूं। वे अपना भाषण प्रारंभ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भक्त, आप अपनी बात विनियोग विधेयक के दौरान कह सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : ठीक है महोदय।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं उनका इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहां पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दे उठाए। सभापति महोदय, समय सीमा को देखते हुए, मैं प्रयास करूंगा कि

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चूंकि चार बजे सदन को दूसरे विषय पर चर्चा करनी है। इसलिए यदि सदन की अनुमति हो, तो माननीय वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त कर लें और हम वित्त मंत्रालय की अनुदान की मांगों को पारित कर दें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, ठीक है।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री जी। सदन की अनुमति है। आप कृपया अपना भाषण जारी करें।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : आप सकारात्मक उत्तर दें ···(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं आपका तथा इस सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अब मुझे वाद-विवाद का उत्तर देने की अनुमति दी। मैं कह रहा था कि अनेक मुद्दे उठाए गए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका समाधान करना है। किसी वित्त मंत्री की क्या चिन्ता होती है जब उन्हें बजट के बाद विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों की व्यय संबंधी मांगों को पूरा करना होता है। माननीय सदस्य श्री जी०एम० बनातवाला द्वारा यहां एक मुद्दा उठाया गया था। इस मुद्दे को अन्य सदस्यों द्वारा भी उठाया गया था कि यदि हम बजट ठीक तरह से तैयार करें तो अनुपूरक मांगों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि बजट को यथार्थ के आधार पर तैयार किया जाए तो, आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अनुपूरक मांगों की जरूरत नहीं रहेगी। आकस्मिक और आवश्यक व्यय को पूरा करना ही अनुपूरक मांगों की प्रकृति एवं उद्देश्य है। महोदय, मेरा मानना यह है कि मैंने ठीक ऐसा ही किया है।

श्री जी०एम० बनातवाला ने उदाहरण नहीं दिए हैं। मैं उनके साथ अलग से बैठ कर यह बातचीत करूंगा कि किन मुद्दों के बारे में वह यह महसूस करते हैं कि व्यय का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। मगर जहां तक मेरा संबंध है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों में केवल आकस्मिक व्यय का ही प्रावधान किया गया है जिनका बजट तैयार करते समय अनुमान नहीं लगाया जा सका था।

श्री मोहन सिंह यहां नहीं हैं। वह चले गए, उनका कहना था कि संविधान में ऐसा प्रावधान है जिसके तहत अनुपूरक मांगों को सदन के अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष की अनुपूरक मांगों में मेरा यही प्रयास रहा है। मैं एक बार फिर श्री जी०एम० बनातवाला का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस सरकार के प्रबल विरोधी होते हुए भी कम से कम यह माना है कि अनुपूरक मांगों में नकदी प्रवाह तर्कसम्मत है। हमने भरपूर प्रयास किया है। जहां तक अतिरिक्त व्यय का सवाल है मैं सम्पूर्ण सरकारी तंत्र के साथ बहुत ही सख्त रहा हूं और जब भी अतिरिक्त व्यय की मांग आई, तो मैंने संबंधित मंत्रालय और विभाग से जोर देकर कहा कि उन्हें इसके बराबर बचत करनी ही होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अतिरिक्त व्यय के लिए सहमत होना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इस सख्त अनुशासन के पालन का ही परिणाम है कि अनुपूरक मांगों में व्यय को 1,279 करोड़ रुपये से कम रख पाए हैं।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि श्री वी०वी० राघवन जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है बाकी मांगों की पूर्ति पहचान की गई बचतों के द्वारा होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भविष्य में इन बचतों की पहचान की जाएगी ···*(व्यवधान)* बजटीय प्रावधान कहीं कम होंगे तो कहीं ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। यह हर वर्ष होता है। मैं केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि इस बार सरकार बहुत सावधान है कि बजट में प्रावधान की गई व्यय की सीमा को ना लांघा जाए, मैं चिंतित क्यों हूं ? सदन के अन्य माननीय सदस्यों की तरह मैं भी वित्तीय घाटे के बारे में चिंतित हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे को लगातार प्रो० पी०जे० कुरियन, श्री टी०आर० बालू एवं श्री चेतन चौहान द्वारा उठाया गया है। अनेक सदस्यों ने वित्तीय घाटे के बारे में कहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। इस में कोई शक नहीं है कि वित्तीय घाटा ही चिंता का विषय है क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बजट के वित्तीय घाटे से पता चलती है। लेकिन क्या वित्तीय घाटे की समस्या इसी वर्ष उत्पन्न हुई है ? मेरे पास आंकड़े हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या यह जानकारी मैंने सदन को दी है या नहीं पिछले दो दशकों से देश में वित्तीय घाटे की समस्या का समाधान नहीं हो

[श्री यशवन्त सिन्हा]

पा रहा है। मेरे पास 1980 के आंकड़े हैं। 1980 से 1985 के दौरान सालाना औसत वित्तीय घाटा कितना था ? औसत वित्तीय घाटा प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 6.2 प्रतिशत था। अस्सी के दशक के अंतिम पांच वर्षों के दौरान औसत वित्तीय घाटा कितना था। यह सकल घरेलू उत्पाद का 8.2 प्रतिशत था कृपया इस ओर ध्यान दें।

ऐसा दर्शाया जाता है कि 5.6 या 6 प्रतिशत वित्तीय घाटा अत्यधिक है। यह गलत है। हमें इतना भी वित्तीय घाटा नहीं होने देना चाहिए मगर इससे भी ज्यादा वित्तीय घाटा रहा है। वर्ष 1986-87 में वित्तीय घाटा नौ प्रतिशत था। वास्तव में यह 8.2 प्रतिशत था।

प्रो० पी०जे० कुरियन बता रहे थे कि मैं असहाय वित्त मंत्री हूं। उन्होंने कहा "क्या देश 1991 की स्थिति की ओर जा रहा है।" श्री यशवन्त सिन्हा को 1991 के साथ संबद्ध करना बहुत आसान है *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : यह व्यक्तिगत नहीं है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं इस वाक्य को समाप्त करके अपना [illegible] करूंगा।

[illegible] और 1991 के दौरान उत्पन्न स्थिति 1980 के अन्तिम वर्षों के दौरान अत्यधिक वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष परिणाम था, 1991 के संकट का यही कारण था।

मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वित्तीय घाटे की संपूर्ण अवधारणा भारत सरकार के बजट में मेरे द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। 1991-92 के अंतरिम बजट में मैंने कहा था "यह भारत सरकार का वित्तीय घाटा होगा", और आने वाली सरकारों द्वारा इसे मान लिया गया।

प्रो० पी०जे० कुरियन : डा० मनमोहन सिंह इसे हर वर्ष कम कर रहे थे। ऐसा अब नहीं है। मेरा कहना यही है।

श्री यशवन्त सिन्हा : ऐसा नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं वह बता रहा हूं। यदि प्रो० कुरियन ने बीच में व्यवधान नहीं डाला होता तब मैं इस मुद्दे पर आता।

1991 में वित्तीय घाटा बढ़ कर 8.3 प्रतिशत हो गया। उसके बाद श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। उन्होंने इस देश में आर्थिक सुधार, उदारीकरण और भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। उस सरकार का एक सराहनीय प्रयास भारत सरकार के बजट के वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करना था। तत्पश्चात् क्या हुआ ? अगर आप 1991-92 से 1995-96 की अवधि को लें, तो औसत वित्तीय घाटा इन पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत था। वित्तीय घाटा कम नहीं हुआ। यह सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष था। और वर्ष 1993-94 के दौरान — मैं, प्रो० कुरियन को याद दिलाना चाहता हूं कि वह उस सरकार में थे — यह सकल घरेलू उत्पाद का 7.4 प्रतिशत था। उन वर्षों के दौरान यह वर्ष वार 5.9 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत, 7.4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत था। इसलिए औसत 6.1 प्रतिशत था।

संयुक्त मोर्चा सरकार के समय दो वर्षों के दौरान स्थिति क्या थी ? वर्ष 1996-97 के दौरान वित्तीय घाटा 5.2 प्रतिशत था। यह घाटा काफी समय का सबसे कम घाटा था।

जैसाकि मैंने इस सभा में बताया है कि उस सरकार के अंतिम वर्ष में इस पद पर मेरे पूर्ववर्ती थे। उन्होंने 1997-98 के लिए 4.5 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था। दुर्भाग्यवश कई कारणों से यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसका नतीजा यह हुआ कि उस वर्ष वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत रहा। यदि आप दोनों वर्षों का औसत लें तो यह 5.7 प्रतिशत होता है।

इस तरह के वित्तीय घाटे के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि कोई यथार्थवादी मार्ग अपनाया जाय क्योंकि इसे कम करना, वह भी 5 प्रतिशत से नीचे लाना, एक दु:साध्य प्रक्रिया है। इसलिए मैंने कोई काल्पनिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, बल्कि मात्र 5.6 प्रतिशत का एक यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारित किया है।

अब इसके लिए क्या संघर्ष है ? मेरे सामने क्या-क्या चुनौती हैं ? मेरे समक्ष चुनौती है कि कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाय और कैसे इस स्तर को बरकरार रखा जाय। यह बड़ी चुनौती है और इसके लिए मैं पूरे सदन का सहयोग चाहता हूं, इस समस्या से जूझने के लिए समग्र राष्ट्र का सहयोग चाहता हूं। जब तक हम सभी इसके लिए सहमत नहीं होंगे तब तक वित्तीय घाटे की समस्या को बेहतर ढंग से सुलझाना न तो मेरे लिए और न ही किसी सरकार के लिए संभव हो सकेगा।

हम 90,000 करोड़ रुपये की बात करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैंने 1000 करोड़ रुपये ऋण लेने की सीमा को पहले ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है जबकि यह राशि 80,000 करोड़ रुपये है। यह सही है।

सरकार इस वित्तीय घाटे को कैसे पूरा कर सकती है ? भारत सरकार इसे वर्षों से कैसे पूरा करती आ रही है आज इसे ऋण लेकर पूरा किया जा रहा है। आज अगर हम प्रत्येक बजट में सिर्फ ब्याज भुगतान के बोझ तले दबे हुए हैं तो क्या यह इस वर्ष का परिणाम है, या गत वर्ष का परिणाम है ? प्रत्येक सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार व विदेशों से बड़ी मात्रा में कर्ज लिये हैं जिसका नतीजा यह रहा है कि भारत सरकार के बजटीय संसाधनों पर ब्याज का अत्यधिक बोझ है। यह एक असहनीय स्थिति है और इसके लिए मैं किसी एक सरकार या एक वित्त मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। यह दीर्घकाल से चलता आ रहा है। यह ऐसी समस्या है जिससे हम सबको पूरी तरह से और गहराई से अवगत होना पड़ेगा। तभी हम इसके समाधान के उपाय ढूंढ सकेंगे।

अत: सभा में हमें ऐसे तुच्छ आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए कि किस समय कौन व्यक्ति पदासीन था ? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और उस समस्या के संदर्भ में ही मैंने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके लिए मुझे सहयोग मिलेगा, इस सरकार को सारे सदन और देश की जनता का सहयोग मिलेगा। यह वित्तीय घाटे की समस्या से निबटने के लिए है।

इस वर्ष में क्या-क्या हो रहा है ? प्रो० कुरियन इसका जवाब मुझे ईमानदारी पूर्वक देने के लिए कह रहे थे। मैं बिलकुल ईमानदारी पूर्वक जवाब दूंगा। जहां तक संभव हो सकेगा मैं रचनात्मक उत्तर दूंगा। अब क्या समस्या है ? समस्या यह है कि 1996 के मध्य से आर्थिक गति धीमी हो गयी है। भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से कुछ संबंध नहीं है। पूर्व एशिया का संकट तो काफी बाद में आया। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण राष्ट्र की भीतरी परिस्थितियां रही हैं। हमने इस मंदी का परिणाम या प्रभाव 1996-97 में महसूस किया, 1997-98 में यह और अधिक सामने आया, 1998-99 में भी हमने इसे और अधिक महसूस किया। मैं औद्योगिक उत्पादन के निरंतर ह्रास होती दर से चिंतित हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे सहकर्मी श्री सोमपाल और उनके मंत्रालय के लिए होता तो यह संभव नहीं हो पाता फिर भी मैं आशांवित हूं कि यह मंत्रालय गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन कर पायेगा क्योंकि गत वर्ष में कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई और कृषि उत्पादन घटकर 3.6 प्रतिशत हो गया।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : इस वर्ष के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री यशवंत सिन्हा : हम आशा करते हैं कि इस वर्ष कृषि उत्पादन में तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें ऐसी ही आशा है।

इसके बावजूद कि औद्योगिक उत्पादन की गति अब भी धीमी है मैं आशा कर रहा हूं कि सेवा क्षेत्र की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था में तकरीबन छह प्रतिशत की वृद्धि होगी। लेकिन, फिर भी इस पर हमें विचार करना है।

लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम इसकी किस संदर्भ में बात करते है ? हम जानते हैं कि क्या हुआ है। परमाणु परीक्षण के शीघ्र बाद विश्व के राष्ट्रों ने किस तरह प्रतिक्रिया की उससे भी हम अवगत हैं। मुझे याद है कि जब मैंने सदन में अपना बजट प्रस्तुत किया था तो सदस्यों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को इस संबंध में ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि क्या मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि कई मित्र राष्ट्र हमें अब और ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने इस बात को ध्यान में रखा है। आपको यह बताते हुए मुझे यह खुशी है कि हमने इन प्रतिबंधों का सफलतापूर्वक सामना किया है। लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद लगाये गये प्रतिबंधों से समस्याएं पैदा नहीं हुईं बल्कि 1997 के मध्य में पूर्वी एशिया में आए संकट से यह समस्याएं पैदा हुईं। यह समस्याएं सुलझने की बजाय और बढ़ती गईं। पूर्व एशिया संकट का प्रभाव सबसे पहले जापान में उभर कर सामने आया। जापान अब भी संकट में फंसा हुआ है। फिर संकट का यह बादल रूस की ओर बढ़ता गया और बाद में लेटिन अमरीका और दक्षिण अमरीका भी इसकी चपेट में आ गए। ब्राजील इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ब्राजील, जिसके पास 75 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार था, को भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण देने का अनुरोध करना पड़ा। भारत भी इसी संकट का सामना कर रहा है।

श्री बालू मुझसे यह पूछ रहे थे कि हमारे निर्यात में गिरावट क्यों आई है। निर्यात में वृद्धि लाने के लिए मैं क्या उपाय कर रहा हूं ? मैं कहना चाहता हूं कि "हां, निर्यात में गिरावट आ रही है।"

मैं आयात की दर से भी खुश नहीं हूं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात दर जो आज है, उससे अधिक होनी चाहिए। व्यापार घाटा भी है। वास्तविकता यह है कि व्यापार घाटा पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगुना हो गया है क्योंकि निर्यात दर में वृद्धि नहीं हो रही है। हमने निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। हमने वे रियायतें दी हैं जो पिछली सरकार ने नहीं दी थीं। हमने निर्यात बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन दिए। पूर्वी एशिया संकट के कारण यह समस्यायें हैं क्योंकि इस कारण रूस और जापान जैसे हमारे बड़े व्यापारिक साझेदार कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, यूरोपियन वृद्धि दर में भी गिरावट आ रही है और अमरीका में भी वृद्धि दर स्थिर नहीं है। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन से कोई गलत संकेत नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से देश में हड़बड़ाहट पैदा हो जाएगी। यह केवल वित्त मंत्री मात्र की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सदन की और सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्या है। हम पूर्वी एशिया के संकट में नहीं फंसे हुए हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संकट से सफलतापूर्वक उभार पाए हैं। हमारे कुछ मित्रों के अमित्रतापूर्ण व्यवहार के बावजूद हम स्वयं के बल पर खड़े होने के काबिल हैं। पाकिस्तान की तरह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा नहीं खटखटाया। जब हमें धन की आवश्यकता पड़ी, जब हमें महसूस हुआ कि हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है, तो हमने क्या किया ? हमने अनिवासी भारतीयों के लिए रिसर्जेन्ट इंडिया बॉन्ड जारी किए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हम जो दो बिलियन रुपये ले सकते थे वह हमने विदेशों में रह रहे अपने भाई-बहनो से लिए। उन्होंने इसके प्रति अच्छा उत्साह दिखाया। मैं चाहता हूं कि इस बात की प्रशंसा की जाए पूरे विश्व में भारतीयों ने इसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक उत्साह दिखाया और इसके लिए योगदान दिया।

श्री टी०आर० बालू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भुगतान संतुलन पर कोई दबाव नहीं है, जबकि व्यापार अंतर बढ़ा है। इसका कारण यह है कि हमारे साथी हमें सहयोग दे रहे हैं, अत: कोई समस्या नहीं है। उन सभी समस्याओं के बावजूद जिनसे हम गुजर रहे हैं हम आपकी सरकार द्वारा छोड़ी 26 बिलियन डॉलर की राशि को बरकरार रखे हुए हैं। अत: हमारे भुगतान संतुलन के विषय में चिंता का कोई कारण नहीं है। एक बहस में, मेरे पूर्ववर्ती द्वारा की गई आलोचना का मैंने इस सदन में जवाब दिया था। मैंने कहा था कि चालू लेखा घाटे के बारे में चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। चालू लेखा घाटा 2.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो इसकी बहुत सावधानीपूर्वक देखरेख करता है अब कह रहा है कि जो प्राप्तियां आ रही हैं उनको देखकर, यह लगभग दो प्रतिशत के आस-पास हो सकता है। इसीलिए, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं यह महसूस करता हूं कि उस स्तर पर चालू खाता घाटा को बनाये रखने के लिए सदन द्वारा इस सरकार की सराहना की जानी चाहिए। इन सारी समस्याओं और बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बावजूद हम भारतीय अर्थव्यस्था और भुगतान संतुलन को नियंत्रण में रखने में समर्थ रहे हैं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार में होते हुए हम इस तथ्य का लाभ नहीं उठाते कि भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों की तुलना में भारत का केन्द्रीय बैंक है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, इसने भारतीय रिजर्व बैंक से एक समझौता किया था। उस समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारतीय सरकार के नामे कभी भी पहले छः महीनों में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये और दूसरे छः महीनों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। जब हमने इस सीमा को पार किया तो भारतीय रिजर्व बैंक से हमने जमा से अधिक का ड्राफ्ट लिया। मुझे इस सदन को यह बताने में हर्ष का अनुभव होता है कि प्रचार माध्यमों और अन्यत्र जो भी कहा गया है कि उसके बावजूद हमारा व्यय अनाप-शनाप बढ़ रहा है, मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने समझौते के अंतर्गत निर्धारित की गई 7,000 करोड़ रुपये की इस सीमा को कभी पार नहीं किया है।

जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक मात्र अत्यावश्यक चुनौती जिसे मैं व्यक्तिगत चुनौती के रूप में ले रहा हूं, राजकोषीय घाटा है और मेरी इच्छा इसे सीमित करने की है। राज्यों के तरीकों और ... भी सीमाएं हैं और उन्हें उन सीमाओं के भीतर ही काम ... अनुमति है। यदि कोई राज्य इस सीमा को पार कर लेता ... आकर यह कहता है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से जमा से अधिक राशि का ड्राफ्ट लेना पड़ा, तो हमारे पास दूसरे तरीकों और साधनों से उसकी सहायता करने का प्रावधान है। मैं आपको बता सकता हूं कि राज्य सरकार के विभिन्न राजनैतिक स्वरूप के बावजूद प्रत्येक राज्य सरकार जो हमारे पास आई और जिसने हमारी सहायता मांगी है, उसकी हमने अपने रास्ते से हट कर भी सहायता की है और हमने उन्हें *अर्थउपाय अग्रिम* प्रदान किये हैं। मैं श्री राधाकृष्णन को, जो केरल के संबंध में बोल रहे थे, यह बताना चाहूंगा कि जब मुझे केरल सरकार से यह सूचना मिली कि वह इस संबंध में सहायता चाहती है, तो मैंने केरल की सरकार का राजनैतिक स्वरूप भिन्न होने के बावजूद नियमों से परे जाकर उसकी सहायता की। दिल्ली में बैठकर, हम तुच्छ मानसिकता नहीं अपना सकते और यह नहीं कह सकते कि हम अमुक सरकार की सहायता कर सकते हैं क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा है या हम अमुक राज्य की सहायता करेंगे क्योंकि इसका स्वरूप कुछ और है। संविधान के प्रावधानों और उसमें की गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही हम प्रत्येक राज्य सरकार की सहायता करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी ने एक मुद्दा यह उठाया है कि हम राज्य सरकारों को बड़ी धनराशियां भेज रहे हैं। ये केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अथवा केन्द्रीय योजनाओं के रूप में पहुंच रही हैं। मैं भारत सरकार के इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूं कि इन धनराशियों को सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। सदन में बैठे हुए हम सभी इस बात से परिचित हैं कि वास्तव में होता क्या है। काफी पैसा बीच में ही हड़प लिया जाता है। यदि हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पढ़ें, तो हमें बैठकर उस पर विचार करना होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और इसे राज्य विधानमण्डल को भेजा जाता है। राज्य लोक लेखा समिति से आशा की जाती है कि वह इस पर अपना निर्णय दे और तब राज्य सरकार, अर्थात् कार्यपालिका को बताए कि वास्तव में क्या करना है। यदि हमारे सामने इतनी गंभीर प्रकृति के दृष्टान्त आते हैं जिनमें धनराशि का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया है, तब यह भारत सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि इस संबंध में आवश्यक प्रणाली का गठन हो, जरूरी प्रबंध किये जाएं ताकि धनराशि का उचित ढंग से उपयोग हो सके, क्योंकि यह भारत सरकार का धन नहीं है बल्कि यह भारत की जनता का धन है। इसलिए उस राशि का एक भी रुपया बरबाद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, मैंने अपने अधिकारियों को यह कह रखा है कि वे लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र पर जोर दें और यह सुनिश्चित करने के बाद ही वे धनराशि जारी करें।

मेरे मित्र श्री रघुवंश प्रसाद सिंह सदन में उपस्थित नहीं हैं। वह बिहार का मुद्दा उठा रहे थे। मैं बिहार का हूं, केवल इसी बात से मैं बिहार के प्रति आवश्यकता से ज्यादा नरम नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था में हमें काम करना पड़ता है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मुझे भी सदस्यों की तरह इस बात की चिन्ता है कि धनराशि का अपव्यय न हो। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशियों का सदुपयोग हो, हम संभव कठोरतम मानदण्डों को लागू करना जारी रखेंगे। यदि दुरुपयोग के प्रकरण मिलेंगे, तो भारत सरकार धनराशि के ऐसे दुरुपयोग की जांच करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी।

बहुत-से ऐसे मुद्दे उठाये गये थे जो खास क्षेत्र अथवा खास मंत्रालय से संबंधित थे। मैं कुछ मुद्दों पर विचार व्यक्त कर अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत सारे सदस्य जिनमें पूर्व मंत्री श्री कल्पनाथ राय भी थे, ने चीनी का मुद्दा उठाया था। चीनी उद्योग के समर्थकों में यह आम राय बन चुकी है कि मैं उनका दुश्मन हूं। मैं शंकाओं को दूर करना चाहूंगा। इस देश के कुछ भागों के लिए चीनी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील उद्योग है। हमने चीनी को खुली लाइसेंस प्रणाली में नहीं डाला। चीनी पहले से ही खुली लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत थी और खुली लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत रही है जिसका अर्थ यह है कि बिना किसी लाइसेंस के चीनी एक ऐसा उत्पाद है जिसका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

यह अब भी खुली लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत है। जब हमने यह देखा कि आयात बढ़ रहा है तो इस वर्ष मई में हमने आयात शुल्क लगा दिया। चीनी पर आयात शुल्क नहीं था। वह 'शून्य' था। यह शुल्क मुक्त था। हमने पांच प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया। साथ में हमने 850 रुपये का प्रति टन पर *प्रतिपूर्ति* शुल्क भी लगाया जो चीनी आयात पर 11.5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत शुल्क हुआ।

अब यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सारी की सारी चीनी पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान, ब्राजील और अन्य स्रोतों से भी चीनी जरूर आई है। चीनी का आयात किया गया है और सौभाग्य से यही एक उपयोगी वस्तु है जिसका मूल्य स्थिर रहा है। जब हम मूल्य वृद्धि की बात करते हैं तो हम चीनी की बात नहीं करते। हम खाद्य तेल, प्याज और आलू की बात करते हैं। लेकिन सौभाग्यवश चीनी के संबंध में हम बात नहीं करते क्योंकि चीनी का मूल्य कम रहा है। कांग्रेस सरकार ने यह व्यवस्था की। यह व्यवस्था क्या थी ? हमने ज्यादा से ज्यादा उत्पाद खुली लाइसेंस प्रणाली में डाल दिये क्योंकि जब भी यहां मूल्य बढ़ने वाला होता

है तब मूल्यों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से आयात करने की प्रवृत्ति हो जाती है। यह मुक्त बाजार तन्त्र का एक भाग था जिसे न केवल चीनी के मामले में, जैसा कि मैंने कहा था बल्कि अन्य दूसरे उत्पादों के मामले में भी लागू किया गया। अब इस तन्त्र ने काम करना आरम्भ कर दिया है।

इस सरकार का इरादा इस व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। सरकार का किसानों के लिए कोई परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं है। इसलिए, इस सदन में और दूसरे सदन में जो भावनाएं व्यक्त की गईं उनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम शुल्क ढांचे पर पुन: विचार करेंगे। भारत सरकार इस मामले पर अत्यंत साक्रियता से विचार कर रही है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि शीघ्र ही हम इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन मैं चीनी उद्योग की बात कर रहा हूं और मैं यहां पुन: कहना चाहूंगा कि *(व्यवधान)* यह समयबद्ध होगा। मैं यही कह रहा हूं कि इससे चीनी के खुदरा मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि होने देने के लिए इस सरकार की पुन: आलोचना की जाएगी। हमें लाभ के अनुरूप काम करना होगा। हमें उपभोक्ता, उत्पादक, किसान के हितों के अनुरूप चलना होगा और इसी संदर्भ में हम पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि शीघ्र ही इस मामले में निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री के०एस० राव (मछलीपतनम) : कृषि और खाद्य, दोनों मंत्रियों ने यह निर्णय लिया है कि सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। लेकिन वित्त मंत्रालय के समक्ष अवरोध खड़ा करने के क्या कारण थे ? राष्ट्र के हितों के लिए हम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को संपूर्ण रूप से विचार करना है और यहीं हम विभिन्न पहलुओं के साथ समझौता कर लेते हैं।

महोदय, अन्य विभिन्न मुद्दे भी उठाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से यह वर्ष दुर्भाग्यवश बहुत बुरा रहा है। झंझावात आए, बाढ़ें आईं और कुछ भागों में अकालें पड़ीं और बेमौसम की वर्षा हुई। इनके कारण राज्य तथा केन्द्र सरकार पर दबाव पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि राज्यों को राहत देने में भारत सरकार द्वारा बिलकुल कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कई राज्यों का दौरा करने का समय तो प्रधानमंत्री को मिल गया था लेकिन दुर्भाग्य से कई अन्य राज्यों का दौरा करने का समय उन्हें नहीं मिल सका।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : कृपया आप मेरी बात सुनिये। फिर आप प्रश्न नहीं उठायेंगे। मैं इसे पूरा कर लूं और फिर मैं यह देखता हूं कि आपका प्रश्न अब भी रह गया है तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा।

मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि एक खास तरीके से ही इन निर्णयों पर पहुंचा जाता है। जो सरकार में रहे हैं वे इससे परिचित होंगे। ऐसी किसी आपदा या दु:खद घटना के तुरंत घटते ही हम एक केन्द्रीय दल भेजते हैं। यह दल वहां जाकर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके इसका जायजा लेते हैं।

वापस लौटकर यह दल एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर अन्तर मंत्रालय समिति की बैठक होती है। यह समिति अपने जायजे के उपरांत अपनी अनुशंसा करती है। फिर, हमारे यहां राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत समिति होती है। जोकि राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति होती है। उस समिति की अगले माह जब कभी बैठक होगी तो उस बैठक में बैठकर हम इस पर विचार करेंगे कि प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी जाये। इस बीच हम अपने हाथों को थामे नहीं रहे हैं। बल्कि इस बीच हमने राज्यों को अग्रिम योजना सहायता के द्वारा धन दिया है ताकि जब उन्हें राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत कोष से धन उपलब्ध हो जाये तो इस धनराशि को समायोजित किया जा सके। मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि ऐसा बिना किसी भेदभाव के किया जायेगा और यह देख कर किया जायेगा कि प्रत्येक राज्य को कितना नुकसान हुआ है। अत: इसमें बड़े राज्य और छोटे राज्य का कोई प्रश्न नहीं है। यह राज्यों को हुए नुकसान के अनुपात में तथा केन्द्रीय दल की अनुशंसाओं के आधार पर किया जायेगा। *(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : माननीय वित्त मंत्री याद करें कि यह आम धारणा है कि जब बाढ़ के कारण केरल राज्य भीषण संकट का सामना कर रहा था तो केन्द्र सरकार ने उसकी सहायता में आगे आने से इंकार कर दिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आगे नहीं आये। काफी समय के बाद एक केन्द्रीय टीम वहां आयी थी। उसके बाद भी कोई धनराशि मंजूर नहीं की गयी। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, नहीं *(व्यवधान)* जब मैं उत्तर दे सकता हूं *(व्यवधान)* महोदय, इस उत्तर के तुरंत बाद इसी विषय पर चर्चा होगी। जो भी मामले उठाये जा रहे हैं, उनका उत्तर देने में मैं सदन का समय ले सकता हूं। मेरे सहयोगी श्री सोमपाल जी यहां हैं। श्री राधाकृष्णन जी को इस विषय पर बहस करने का अवसर मिलेगा। जब बहस हो तो वह उन्हीं बातों को उठा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री उन सभी बातों से उनको संतुष्ट कर देंगे *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वोरा जी, इसके बाद नियम 193 के तहत बाढ़ों, चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : वित्त मंत्री जी ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जिक्र किया, मैं उसके बारे में कुछ सफाई चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रिप्लाई समाप्त हो गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप हमारी शंका का समाधान करें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बाद में कर लेना।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आप मेरी शंका का समाधान करिए। *(व्यवधान)* हम आपका संरक्षण चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, और भी कई मुद्दे उठाये गये हैं। मैं सभा के सदस्यों को आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि मैंने उन्हें बखूबी नोट कर लिया है और उन्हें संबंधित मंत्रियों को भेज दूंगा ताकि आवश्यक कार्यवाई की जा सके *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तरी बंगाल में भूटान की मुद्रा के चलन से संबंधित मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं उनसे उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने कुमारी ममता बनर्जी के एक प्रश्न [illegible] पहले ही कह दिया है कि यह भारत सरकार के लिये [illegible] है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उत्तरी बंगाल [illegible] मुद्रा ही चले न कि भूटान की मुद्रा, हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। कल इसी विषय पर दूसरी सभा में एक और प्रश्न है।

श्री के०एस० राव : माननीय मंत्री महोदय को ऊर्जा और राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति कोयला धोबन शालाओं को भी अवसंरचना का दर्जा देना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, कई मुद्दे उठाये गये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर वे बजट को दुबारा देखें, जहां से एक तरह से पूरक मांग उठती हैं तो वे पायेंगे कि कमजोर तबकों खासकर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, ग्रामीण गरीबों, शहरी गरीबों, आधारभूत ढांचों के विकास और बेघरों को आश्रय प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता का बजट भाषण में उल्लेख किया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि बजट में जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया है उनमें से कई मामलों में नीतिनिर्णय लिया जा चुका है और कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। जब फरवरी, 1999 में मैं बजट पेश करूंगा तो इस सरकार के कार्य निष्पादन और उपलब्धियों की समीक्षा होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : आप यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं नहीं जानता, हो सकता है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अगले साल बजट पेश करें। मुझे मालूम नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी : वह आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : लेकिन जो भी बजट पेश करे, उसे इस सरकार की उपलब्धियों और साथ ही सरकार द्वारा झेली गई कठिनाइयों को निष्पक्षता पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए।

मैं श्री बनातवाला से, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है, व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि वे इसके लिये दबाव न डालें। उन्होंने अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया है। जहां तक केरल के राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है, हमने इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे के बारे में मैंने केरल के सदस्यों के विचारों को नोट कर लिया है। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में घोषणा की है। मुझे नहीं मालूम कि किस राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का रेखांकन किया जाना तय हुआ है लेकिन मैं यहां व्यक्त भावनाओं को निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों की जानकारी में लाऊंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : बेरोजगार युवकों के संबंध में उठाये गये मुद्दों पर आपका क्या कहना है?

श्री यशवन्त सिन्हा : ममता जी, इस बात को मैंने नोट कर लिया है। मैं इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि इसका सम्बन्ध राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में क्या आप लिखित में उत्तर भेज सकते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने इस सभा में उठाये गये सभी मुद्दों को नोट कर लिया है और मैं सबका उत्तर दूंगा। प्रो० कुरियन ने पोलीयूरेथीन का मुद्दा उठाया है।

श्री के०एस० राव : राष्ट्र के हित में कोयला की धोबन शालाओं को अवसंरचना का दर्जा देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग और पत्तनों इत्यादि को अवसंरचना का दर्जा देना।

श्री यशवन्त सिन्हा : जिस तरह से अवसंरचना का विस्तार हो रहा है, बमुश्किल ऐसा कोई ही उद्योग होगा जो अवसंरचना क्षेत्र के अन्दर नहीं आयेगा। अतः मैं इस सभा के सभी सदस्यों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे अनुदानों की अनुपूरक मांगों को बिना मत विभाजन के पारित कर दें।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला जी, क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जी०एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

सभा की अनुमति से कटौती प्रस्ताव वापिस लिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्याओं के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष

मैं संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :– मांग संख्या 5, 6, 9, 16, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 99, 100, 102 और 103।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.45 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक **पुर:स्थापित करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, सभा ने केवल अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए समय बढ़ाया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं एक प्रश्न सभा के विचारार्थ रखना चाहता हूं। रूस के प्रधानमंत्री यहां आए हुए हैं। मुझे भारतीय शिष्टमंडल के भाग के रूप में बाद में उनसे चर्चा में भाग लेना है। यदि कार्य की यह मद अभी समाप्त कर ली जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

प्रो० पी०जे० कुरियन : सभापति महोदय, हमने सभा का समय वित्त मंत्री द्वारा अनुदानों की अनुपूरक मांगों का उत्तर देने तक लिए बढ़ाया है। वित्त मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है अत: हमें मद संख्या 27 अर्थात नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा, पर विचार आरंभ करना चाहिए, *(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें इसे अभी विचार करने के लिए नहीं लेना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कार्य की इस मद के लिए समय सभा की भावना को देखते हुए बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि सभा की सहमति हो तो हम मद संख्या 24 पर विचार आरंभ कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

सभापति महोदय : प्रो० कुरियन जी अब हम इस मद पर विचार आरंभ करेंगे। इस पर केवल दो तीन मिनट का समय लगेगा।

प्रो० पी०जे० कुरियन : आपने पहले स्वयं विनिर्णय दिया था कि श्री भक्त विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय बोल सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : वित्त मंत्री जी ने सभा से आग्रह किया था कि रूस के प्रधान मंत्री यहां आए हुए हैं और उन्हें उनके साथ चर्चा में भाग लेना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका मतलब यह नहीं है कि संसद का काम रोक दिया जाए।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त इस विधेयक पर बोलेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सभापति महोदय, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनके बाद, आपको मुझे बोलने का समय देना पड़ेगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने मुझ से अनुमति मांगी थी और मैंने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं भी आपकी अनुमति ले रहा हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 21.12.98 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त ने मेरी अनुमति ली है। कुछ नियम हैं। आपने पहले नोटिस नहीं दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपको अब नोटिस दे रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री भक्त ने पहले नोटिस दिया था और मैंने उन्हें बोलने की अनुमति की थी।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अब नोटिस दे रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अब नहीं दे सकते हैं। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कैसा सहयोग ? आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे

सभापति महोदय : वह खड़े हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मानता हूं। पर, मुझे भी बोलने का अधिकार है *(व्यवधान)* इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे अनुमति दे रहे हैं या नहीं *(व्यवधान)* क्या आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा० स्वामी, कृपया बैठ जाइये। इसके लिए आपने कोई पूर्व सूचना मुझे नहीं दी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप बताइये कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य विनियोग विधेयक पर बोलना चाहता हो तो उसे सदन में 10 बजे तक संबंधित मंत्री के पास एक सूचना भेजनी चाहिए जिसमें कहा गया हो कि वह विधेयक के किसी खास विषयों को उठाना चाहता है और उन पर वस्तुस्थिति जानना चाहता है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके पास विशेष शक्ति है, पर आप उस पर अमल नहीं करना चाहते। वास्तव में बात यही है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह पहले ही सूचना दे चुके थे और मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चन्द शब्द कहने का अवसर प्रदान किया है। पूरक मांगों से संबंधी वर्तमान विनियोग विधेयक संख्या 4, 1998 जो संसद को अधिकृत कर वर्ष 1998-99 के लिए भारतीय संचित निधि से 14,449.96 करोड़ रुपये तक की राशि निकालने के लिए सरकार को अधिकार देता है, के संबंध में मैं विशेषकर माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि एक ओर जहां चालू वर्ष के दौरान जिसके लिए उन्होंने धन की मांग की है, उनके मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को परिपत्र जारी कर अपने-अपने खर्च में 10 फीसदी की विशेष कटौती करने को कहा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इतनी बड़ी राशि की मांग की है। क्या वे हमें बता सकते हैं कि उनके बजट-आकलन का सिद्धांत क्या है ?

जैसाकि हमने पाया है, यह एक आम धारणा बन गई है कि प्रत्येक वर्ष बजट में मूल राशि का आवंटन कर दिया जाता है और फिर बाद में अनुपूरक अनुदानों के समय उन्होंने और अधिक राशि की मांग की है। परिणामतः न तो आवंटित मूल राशि का व्यय किया गया और ना ही अनुपूरक अनुदानों का। क्या वे इस सम्मानित सदन को बता सकते हैं कि आखिर वे किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं? कैसे वे वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन कर रहे हैं ?

मेरा दूसरा मुद्दा 10 फीसदी की विशेष कटौती के बारे में है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। यह सदन कार्यपालिका, सरकार को शीर्षों और उप शीर्षों के अंतर्गत विशेष प्रयोजन के लिए धन निकालने और खर्च करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने हेतु सर्वोपरि है। अब जब वे बजट पारित करवा रहे हैं तो वे राष्ट्र को वचन देते हैं कि "ये राशियां आवंटित की गई हैं और ये काम हैं जिसे वे राष्ट्र की जनता की भलाई के लिए करेंगे।" लेकिन, बाद में जब वे संसद के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो फिर पिछली तिथियों व चुपके से पेश किये जाने वाले परिपत्र सभी मंत्रालयों को जारी करते हैं कि "आप लोगों ने इस धन को खर्च नहीं किया।" क्या इस तरह वे राष्ट्र के हित को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं ?

जब वे 10 फीसदी की विशेष कटौती की बात कर रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने परिपत्र भी जारी किये हैं, तो वे फिर क्यों और अधिक धन की मांग कर रहे हैं ? उस धन से वे क्या करेंगे ? अनुपूरक अनुदानों पर उन्होंने जवाब दिया है कि वे इस धन को कहीं से जुटायेंगे। कुछ और धन की जरूरत होगी।

इसमें धन कुछ कम है, कुछ वृद्धि है या कुछ कमी है, इस पर विचार किया जायेगा। लेकिन, क्या आप साफ-साफ बता सकते हैं कि बजट तैयार करने व उसके आकलन की आपकी क्या प्रणाली है, तथा आप कैसे इसे कर रहे हैं ? यही मेरा प्रश्न है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं इस देश में उसी प्रणाली का अनुसरण कर रहा हूं जिसका कि 1950 के बाद से अर्थात् जब से संविधान अस्तित्व में आया, उत्तरोत्तर सरकारों ने विगत वर्षों से किया है। अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए मैंने स्पष्ट किया था कि ऐसे कई अवसर आते हैं जब मंत्रीगण अतिरिक्त खर्च की मांग करते हैं और ऐसे में यह सुनिश्चित करना वित्त मंत्री का प्रयास रहता है कि इससे कुल खर्च न बढ़े क्योंकि अगर हम बचत नहीं करेंगे तो स्थिति बिलकुल अस्थिर हो जायेगी। इसीलिए हम अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : आप राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जब आप अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों पर दृष्टिपात करेंगे तो आप पायेंगे कि प्रत्येक मद में किये गये खर्च तर्क संगत हैं। हमने कहा है कि हम ऐसा प्रावधान क्यों कर रहे हैं तथा ऐसी परिस्थितियां क्यों जरूरी हुई हैं। मुझे यकीन है कि समग्र अर्थव्यवस्था और मितव्ययता के विषय पर माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह सुनिश्चित करना सरकार का नैसर्गिक कर्त्तव्य है कि पैसा उचित तरीके से खर्च हो और जो खर्च नहीं किये जा सकते उसकी बचत की जाये। यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित में है कि हमने बजट की औपचारिकता पूरी करने के बाद भी बचत की है। मैं निष्पक्ष रूप से सम्पूर्ण लेखों सहित सीधे सदन में आया हूं। यह आपके सामने है, इस सदन से कुछ भी नहीं छिपाया गया है और यह इस सदन के अधिकार क्षेत्र में है कि वे इसे स्वीकृत करें या नामंजूर। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि यह पूरी तरह से निष्पक्ष और वास्तविक है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से और कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तीसरा वाचन भी होता है। इसके लिए 10 वजे से पहले आपको सूचित करना मैं आवश्यक नहीं समझता। यह सदन की परम्परा है। आपको सभी अधिकार प्राप्त हैं। आप नियम 318 पढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं यह जानता हूं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कृपया संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री सदन को विश्वास में लें। क्या यह सच है कि बजट में उन्होंने कहा था कि कुल कर राजस्व 22 प्रतिशत बढ़ेगा और अप्रैल से लेकर नवबंर की अवधि तक के जिसके आंकड़े भी उपलब्ध हैं, हमारी *जानकारी* के अनुसार, वार्षिक दर मात्र 7 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.00 बजे

वस्तुत:, नवबंर के महीने में, कर राजस्व वास्तव में नकारात्मक होते हैं। नीचे की ओर जा रहे सभी संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री विस्तृत विवरण देने पर विचार करेंगे अथवा श्वेत पत्र प्रस्तुत करने पर विचार करेंगे ताकि हम बजट सत्र से पहले यह ठीक-ठीक जान सकें कि हमारी स्थिति क्या है और उन्हें या जो भी हो, उसे उस समय बजट तैयार करने वाले को देश को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से परामर्श दे सकें। यह देश का प्रश्न है।

उदाहरण के लिए, विदेशी निवेश को लें जिस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। गत वर्ष नवंबर में जो कि एक बुरा वर्ष रहा है, विदेशी निवेश की संग्रहीत राशि 9 बिलियन रुपये थी। अब यह घटकर 8.5 बिलयन रुपये हो गई है। इसका अर्थ है, लोग बेच रहे हैं। इसका अर्थ है, हम इन्डोनेशियाई पद्धति को अपना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस सदन को यह बताएं कि क्या यह सच है कि जिस दर पर वह अपना राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, वह उससे बहुत कम है जो उन्होंने हमें वर्ष के आरम्भ में बताई थी।

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, हम लक्ष्य की ओर हैं; जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, उसमें कमी आई है। इस तथ्य को मैंने सदन से कभी नहीं छिपाया है। जब भी अवसर आया है, मैंने कहा है कि इसमें कमी आई है। यह कमी किस प्रकार की होगी और कितनी होगी यह ऐसी बात है जिसकी गणना वर्ष के अंत में की जानी चाहिए, न कि इस समय।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : व्यावहारिक रूप से, यह वर्ष का अंतिम समय है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं पूरे जोर से और विश्वास से इन्डोनेशिया और अन्य पूर्वी एशियाई देशों की ओर बार-बार किये जाने वाले इस संदर्भ पर इस सदन में आपत्ति व्यक्त करता हूं। भारत संकट में नहीं

[श्री यशवन्त सिन्हा]

है। कृपया यह याद रखें। सभी समस्याओं के बावजूद, हमने इस अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाया है। मैं चाहूंगा कि डा० स्वामी इस बात को ध्यान में रखें और इसे बार-बार दोहराते न रहें। भारत इंडोनेशिया नहीं है और वह इंडोनेशिया के रास्ते पर नहीं चलेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन नियम 193 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

...न्द **गहलोत** (शाजापुर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था

सभापति महोदय : जी हां, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री थावरचन्द गहलोत : सभापति महोदय, आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 26 पर तत्कालीन अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त के वर्ष 1989-91 के 30वें प्रतिवेदन पर विचार करने का उल्लेख है तथा उसमें फुट नोट में उसका पूरा विवरण भी दिया गया है कि उस पर कब विचार किया जाएगा, किन्तु सभापति महोदय उस पर विचार नहीं किया जा रहा है और पिछली सरकार के समय में हुए अनेक आदेशों के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों का प्रमोशन रूका हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा की जाए और मुझे बताया जाए कि यदि अभी इस पर चर्चा नहीं की जा रही है, तो कब की जाएगी ?

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उस मद पर चर्चा चार बजे होनी थी जैसा कि कार्य सूची में दिया गया है। चूंकि वह मद अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए बहस निर्णय के अनुसार आगे शुरू होगी।

श्री थावरचन्द गहलोत : सभापति महोदय, कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय तो हो चुका है कि इस पर चर्चा कराई जाए और यह विषय पिछले कई दिनों से कार्यसूची में बहस के लिए इसी प्रयोजन से आता रहा है, लेकिन इस पर अभी तक बहस पूरी नहीं हुई है।

सभापति महोदय : इस विषय पर विचार होगा और विषय पुनः कार्य मंत्रणा समिति में जाएगा और वहां से इस पर बहस करने के लिए समय नियत होगा। तब इस पर आगे बहस होगी। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को निमंत्रित करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, महोदय ऐसा लगता है कि सभा की कार्यवाही में बहुत शोरगुल है क्योंकि आदेश पत्र में कहा गया है कि यह चर्चा चार बजे आरम्भ होगी और अब पांच बज गये हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी आपत्ति सही है कि एक विषय पर चर्चा के दौरान दूसरे विषय पर चर्चा शुरू हो जाती है और किसी विषय पर न तो ठीक से चर्चा हो पाती है न कोई निर्णय। मैं समझती हूं कि उचित पद्धति द्वारा एक चर्चा खत्म करके दूसरी शुरू करनी चाहिए।

अपराह्न 5.05 बजे

[श्री के० येरननायडू *पीठासीन हुए]*

अन्यथा सदस्य भूल जायेंगे कि उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। आज हमने यह चर्चा शुरू की है और जब तक यह चर्चा समाप्त होगी, तब तक तीन और चर्चायें शुरू हो जायेंगी और यह चर्चा भुला दी जायेगी। जो भी हो रहा है, उसका मुझे दुख है और मैं चाहता हूं कि यह मामला संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष उठाऊं ताकि हम भिन्न तरीके से बहस कर सकें।

जो भी हो, आपने मुझे बुलाया है तो मैं प्राकृतिक विपदा के कारण फसलों को हुई क्षति के बारे में नियम 193 के तहत चर्चा शुरू कर रही हूं। इस वर्ष के दौरान वर्षा, बाढ़, आकस्मिक बाढ़, चक्रवात और सूखे से 19 राज्य प्रभावित हुए। सरकार द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार ये उन्नीस राज्य हैं — आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। इन 19 राज्यों का उल्लेख पूछे गए एक प्रश्न के लिए 16 दिसम्बर 1998 को सरकार द्वारा दिये गये उत्तर में किया गया है।

एक और रोचक बात यह है कि दिए गए कई उत्तरों में, अलग-अलग आकड़े दिये गये हैं। मैं विस्तार में नहीं जा रही हूं परन्तु मैं एक-दो उदाहरण दूंगी। मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल गये हैं। एक ही विषय पर अलग-अलग तिथियों को पूछे गए अलग-अलग प्रश्नों में अलग-अलग आंकड़े मिले हैं। मुझे नहीं मालूम है कि इनमें से किसे वास्तविक उत्तर माना जाय। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, गुजरात तथा केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से सर्वाधिक प्रभावित प्रान्त हैं। हम प्राप्त जवाबों से मिले आंकड़े भी देख रहे हैं। अभी मैं उन आकड़ों पर नहीं जा रही हूं। 1997 की तुलना में फसलों और मवेशियों की अधिक क्षति हुई है। 1997 की अपेक्षा व्यक्तियों

की मृत्यु भी अधिक संख्या में हुई है। एक उत्तर के अनुसार इस वर्ष 3494 लोग मारे गये। 1997-98 के आंकड़ों के अनुसार 153.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों को नुकसान हुआ। एक और उत्तर में उनके अनुसार दो वर्षों यानि 1997-98 और 1998-99 में 151.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल की क्षति हुई। क्या यह संभव है कि एक उत्तर में उनके अनुसार 1997-98 के दौरान 153.74 लाख हेक्टेयर की फसल का नुकसान हुआ और एक दूसरे जवाब में उन्होंने बताया है कि दोनों वर्ष मिलाकर 151.6 लाख हेक्टेयर की फसल को क्षति हुई।

क्या यह संभव है ? मैं यह उल्लिखित करना चाहूंगी कि उत्तर दिये गये आंकड़े काल्पनिक हैं। अन्यथा इस तरह के उत्तर नहीं दिये जा सकते। आंकड़ों के अनुसार 1997 के दौरान 3,30,849 घरों और झोपड़-पट्टियों को नुकसान हुआ। यह एक भारी क्षति थी। 475.9 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई। अगर ये सारे आंकड़े सही थे तो मैं यही कह सकती हूं कि इस वर्ष हुई क्षति और भी अधिक है। मेरे विचार में सरकार ने जो किया है, वह न तो अल्पावधि और न ही दीर्घावधि में स्थिति से निपटने का समाधान है।

इस संबंध में मैं प० बंगाल का उदाहरण देना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं प० बंगाल में खासतौर से इसके उत्तरी भाग को भारी वर्षा, बाढ़ और बांध से हुई क्षति के कारण भारी नुकसान हुआ। पं० बंगाल सरकार की गणना के अनुसार, कुल 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प० बंगाल राज्य सरकार ने 700 करोड़ की मांग की थी। केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि दी ? पिछले साल केन्द्र सरकार ने क्षति की भरपाई हेतु कुछ धनराशि देने का निश्चय किया था। इस साल सरकार ने कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए दिए। इस तीस करोड़ रुपए में 30% राशि अनुदान के रूप में और बाकी 70 प्रतिशत 12.13% ब्याज दर के हिसाब से कर्ज के रूप में दी गयी है।

इसका अर्थ है कि हमें जितना मिला है, उससे अधिक हमें चुकाना होगा। अतः हम क्या करें ? अब इस वर्ष के राहत कोष की चर्चा करें। जैसा कि आपको मालूम है एक राष्ट्रीय विपदा राहत कोष है और एक राज्य सरकार राहत कोष। इस तथ्य के बावजूद कि हम कुल मिलाकर 700 करोड़ की राशि चाहते थे, पर हमें न तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से और न ही राज्य आपदा कोष से कुछ मिला। यह स्थिति 10वें वित्त आयोग की इस अनुशंसा के बावजूद रही कि अगर आपदा बहुत भीषण हो तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से धनराशि अवश्य जारी की जानी चाहिये। दुर्भाग्य से जैसा कि मैंने पहले कहा है, उसके अतिरिक्त पं० बंगाल को कोई सहायता नहीं मिली।

बाढ़ रोकने संबंधी एक प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि पुल और बांध के निर्माण और मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता संबंधी अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ पर सचाई यह है कि हमने इसके लिए अनुरोध किया है। माल्दा पर 'स्पर' का निर्माण फरक्का प्राधिकरण द्वारा किया जाना था परंतु उन्होंने अभी तक यह काम नहीं किया। 20वें और 21वें स्पर का निर्माण तुरंत नहीं करने पर पद्मा और गंगा आपस में मिल जायेंगी और पूरे क्षेत्र का सर्वनाश कर देंगी। स्थिति ऐसी है कि इससे आस-पास के जिलों में पूर्ण तबाही हो जायेगी। इसकी हालत पहले ही शोचनीय है और इसी कारण हम सहायता चाहते थे। इस गंगा-पद्मा कार्य योजना के लिए इन वर्षों में 15 करोड़ के अलावा सरकार ने बहुत ही कम धनराशि दी है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं चर्चा शुरू कर रही हूं और मैंने एक भी अतिरिक्त शब्द नहीं कहा है।

प्रत्येक 'स्पर' के निर्माण में करीब 15 करोड़ रुपए लगेंगे। अभी तक केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। जब तक इन दो 'स्परों' का तुरंत निर्माण नहीं हो जाता हम गंभीर संकट में घिर जाएंगे।

अगला मुद्दा फसल बीमा का है। संयुक्त मोर्चे की सरकार के कार्यकाल के दौरान इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। तत्कालीन कृषि मंत्री श्री चुतरानन मिश्र ने कठिन परिश्रम के साथ इसे शुरू किया था लेकिन अभी तक इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने आठ राज्यों के 24 चयनित जिलों को ही मंजूरी दी है। अगर यही हालत है तो ऐसी फसल बीमा योजना का क्या औचित्य है ? फसल बीमा योजना तभी लाभकारी है जब और अधिक क्षेत्र में इसे लागू किया जाये। ये प्राकृतिक विपदायें हर साल घटती हैं। प्रत्येक वर्ष इनकी तीव्रता घटती-बढ़ती रहती है। अतः फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से उचित ध्यान देने का और पूरे देश के किसानों को बीमा योजना से लाभान्वित होने का आश्वासन देने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, क्योंकि आप मुझे अपनी बात समाप्त करने को कह रहे हैं और मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूं, अतः इन उदाहरणों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, यद्यपि मुझे काफी चीजें कहनी हैं। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त कर रही हूं कि वर्तमान केन्द्र सरकार जिस तरह राष्ट्रीय विपदा के विषय से निपटी है, वह तरीका ही खतरनाक है। मैं यही कह सकती हूं कि पूरे देश भर में लोग चाहे राज्यों में कैसी भी सरकार क्यों न हो इस सरकार की उपलब्धियों से बहुत नाखुश हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि भविष्य में सरकार तरीकों में ऐसे बदलाव लाये ताकि लोग ऐसी विपदाओं का सामना कर सकें।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : सभापति जी, गीता मुखर्जी जी ने जो नियम 193 के अधीन डिसकशन इनिशिएट किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में सारे हिन्दुस्तान में जब कभी भी अनप्रीसीडेंटेड रेन्स, साइक्लोन या ड्राउट हो तो हिन्दुस्तान का आम किसान और कमजोर वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हर प्रांत में पैसे का अभाव रहता है।

हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और जहां पर अधिकतर लोगों का मुख्य धंधा खेती पर निर्भर करता है। अगर एक साल में उसे बरसात की वजह से या किसी वक्त सूखे की वजह से किसान को नुकसान हो तो दस-पन्द्रह साल तक लगातार किसान की हालत खराब रहती है।

[श्री सुरेन्द्र सिंह]

वेस्ट बंगाल के बारे में बहन जी ने चर्चा की। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो हिन्दुस्तान की राजधानी के तीन तरफ लगता है और जब कभी भी बाढ़ हो, सूखा हो तो हिन्दुस्तान की राजधानी पर उसका सीधा असर पड़ता है। जब बाढ़ ज्यादा होती है और फसल खराब होती है तो दिल्ली में सब्जी, एर्सेशियल कमोडिटीज के भाव बढ़ जाते हैं। 1995 में हरियाणा में बाढ़ की वजह से 22 लाख एकड़ जमीन का नुकसान हुआ। लगातार तीन साल-चार साल उस जमीन पर कोई काश्त नहीं हो सकी। हमने 2000 करोड़ रुपए के नुकसान को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार से 1004 करोड़ रुपए की मांग की थी और उसके मुकाबले सोमपाल जी यहां बैठे हैं, हमें केवल 39.10 करोड़ रुपया मिला तथा 300 करोड़ रुपया आपने तेरह फीसदी के ब्याज की दर पर दिया। 1996 में राजस्थान में बहुत ज्यादा बरसात हुई क्योंकि राजस्थान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वहां के दो बांध कामेदा और रावली, दोनों बांध टूटने की वजह से राजस्थान का सारा पानी हमारे यहां आ गया उस वक्त 2,75,000 एकड़ जमीन की फसल नष्ट हो गई और 3200 कि०मी० सड़क का नुकसान हुआ। हमने केन्द्र की सरकार से 757 करोड़ रुपए की राहत मांगी थी जबकि ——— टोटल नुकसान 2971 करोड़ रुपये का हुआ था। मंत्री जी हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें राहत के लिए कितना ...ना।

इसके साथ-साथ जब बाढ़ आती है, तो उसके बाद के प्रभाव काफी होते हैं। राज्य में पिछले चार-पांच सालों में बाढ़ की वजह से वाटर-लोगिंग काफी हुई है। कई लाख एकड़ किसानों की जमीन पर काश्त नहीं हो सकी। पानी के स्टैगनेशन की वजह से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में बहुत इलाके हैं, जो बाढ़ की वजह से खराब हो जाते हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं, जो सूखे की वजह से खराब हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, जिसके तहत सरकार जिस क्षेत्र में सरप्लस पानी है, चाहे वह फ्लड की वजह से हो या हैवी रेन फाल की वजह से हो, उसको डाइवर्ट करके ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा, तो उससे अन्डरग्राउण्ड वाटर की स्थिति अच्छी होगी। यदि केन्द्रीय सरकार पिछले सालों का हिसाब लगाए कि उसने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, कितना पैसा राज्य सरकारों को दिया है। यदि एक मास्टर प्लान बनाया गया होता, तो कुछ काम उस दिशा में हो गया होता। राजस्थान ऐसा राज्य है, जहां हमेशा सूखा रहता है। पीने के पानी तक की समस्या रहती है। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाए, तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समस्या के लिए मास्टर प्लान तैयार करें। मेरे विचार से छोटे राज्यों को इस प्लान से अधिक लाभ होगा।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (मछलीपत्तनम) : अध्यक्ष महोदय, हम बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रति वर्ष होने वाले नुकसान पर चर्चा करते रहे हैं और हम सब बाढ़ और चक्रवात से होने वाले नुकसान की मात्रा के बारे में जानते हैं। हालांकि राज्य और केन्द्र सरकारें पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं फिर भी मुहैया कराई गई सुविधाएं अपर्याप्त हैं। मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि सरकार किसानों या प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हुए पूरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, परन्तु मेरा हमेशा विनम्र निवेदन रहा है - सदन में पहले बोलते हुए भी मैंने कहा है - कि कई प्रकार से इन आपदाओं से बचने के लिए किफायती और स्थायी उपाय किए जा सकते हैं, जबकि चक्रवातों से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हम शत-प्रतिशत खतरा चाहे न टाल पाएं, परंतु हर वर्ष दी जाने वाली चक्रवात राहत से कुछ अधिक खर्च कर स्थायी ढांचा तैयार कर नुकसान को कई गुना कम कर सकते हैं।

मैं अपने क्षेत्र से कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में लगभग प्रतिवर्ष चक्रवात आते हैं। दुर्भाग्यवश, इनका सर्वाधिक असर गांवों में किसानों और समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। पिछली बार लगभग दो महीने पहले कृष्णा नदी में बाढ़ आई थी और इससे कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्रों में पान के पत्तों, सब्जियां, हल्दी और गन्ने की फसलें तबाह हो गई थीं। इन फसलों से किसानों को प्रति एकड़ 40,000 रुपये से एक लाख रुपये तक आमदन होनी थी।

राज्य सरकार ने पूरी फसल नष्ट होने पर प्रति एकड़ 500 रुपये का मुआवजा दिया था, अर्थात् प्रति एकड़ 50,000 रुपये पर 500 रुपये की राहत दी गई। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, किसी भी दल की सरकार हो, वह किसानों को हुए पूरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। परन्तु, क्या हम इन अभागे किसानों को साल-दर-साल भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं ?

मैं जानता हूं कि पूरे देश में फसल बीमा योजना लागू करने में कुछ समस्याएं हैं। परन्तु, जिन क्षेत्रों में चक्रवात और बाढ़ अक्सर आती हैं, कम से कम, वहां के किसानों के हितों की रक्षा एक व्यापक फसल बीमा योजना से अवश्य की जानी चाहिए। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने जानना चाहा कि क्या इन फसलों पर बीमा प्रीमियम बढ़ाया जा सकता है। हां, क्यों नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसान बीमा प्रीमियम में थोड़ी बढ़ोतरी का विरोध करेंगे। वे केवल इतना चाहते हैं कि ऐसी आपदाओं के समय उनकी रक्षा की जाए। किसानों और व्यापारियों या उद्योगपतियों के लिए न्याय अलग-अलग नहीं हो सकता। जब किसी उद्योग में कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी पूरे नुकसान की भरपाई करती है। जब उद्योगपति या व्यापारी के हितों की रक्षा की जाती है, किसानों को ऐसे क्यों छोड़ा जाए ? यदि बीमा कंपनियां सोचती हैं कि कृषि जगत में नुकसान बहुत ज्यादा है तो उद्योगपतियों या व्यापारियों के बारे में भी ऐसा ही है। उद्योग या व्यापार में तो हमारी बीमा नीति जारी है, परन्तु हम इसे किसानों पर लागू नहीं करना चाहते।

इस प्रकार, कुछ स्थायी ढांचे और हौज आदि का संतुलन जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। बाढ़ के दौरान ये उपाय विनाश से बचाव करेंगे। इसके अलावा, यदि छोटे नदी-नालों पर छोटे-छोटे बांध बना दिए जाएं तो पानी का पर्याप्त मात्रा का भंडारण किया जा सकता है। इनसे, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा, दूसरी ओर फसलों की सिंचाई का काम भी किया जा सकेगा।

अत: उपयुक्त आयोजना और राज्य सरकार को उपयुक्त निदेश देकर किसानों को नुकसान से बचाया जा सकता है और इस प्रकार हम वर्षों से उपेक्षित अभागे किसानों को उबार सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तटीय क्षेत्र के उन किसानों के लाभ के लिए कोई विशेष योजना तैयार करें, जो चक्रवात और बाढ़ से अक्सर पीड़ित रहते हैं।

अपराह्न 5.32 बजे

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का पुन: चालू किया जाना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कार्य सूची में शामिल आधे घंटे की चर्चा शुरू करेगी।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मुझे भी इस पर बोलने के लिए एक मिनट का समय दे देते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह जी, यही प्रक्रिया है। अब सायं के 5 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। मैं किसी अन्य विषय की अनुमति नहीं दे सकता हूं। डा० पाण्डेय, कृपया एक संक्षिप्त वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : क्या इसके बाद चर्चा जारी रहेगी ?

सभापति महोदय : आधे घंटे की इस चर्चा के बाद हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, 4 दिसम्बर को मंत्री जी के समक्ष एन०टी०सी० मिलों के संबंध में एक प्रश्न प्रस्तुत किया गया था। मंत्री जी ने उत्तर देते हुए उनके रिवाइवल और आधुनिकीकरण के बारे में कुछ उत्तर दिए थे लेकिन तब भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका ठीक से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, मैं मंत्री ज़ी से उस संदर्भ में जानना चाहूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं और मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में कहा कि एन०टी०सी० द्वारा संचालित 120 मिलों में से एक मिल बंद हो गई है और 119 मिलें अभी भी उनके हाथ में हैं। उनका गए तीन वर्षों में 1995-96 में 518.38 करोड़, 1996-97 में 573.21 करोड़ और 1997-98 में 646.25 करोड़ का घाटा हुआ है, लगातार तीन वर्षों में घाटे होते रहे हैं इसके बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने प्रयत्न किए और प्रयत्न कर रहे हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि सन् 1992 में एक योजना वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर उन्हें चलाने की बनी थी, लेकिन 1992 की योजना भी सरकार की असफल रही और वे उनके पुनर्जीवन के लिए अक्षम रहे तथा एन०टी०सी० मिलें और ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच गईं। उसके बाद फिर से 1995 में उन्होंने टर्न स्ट्रेटजी नामक एक योजना बनाई थी और उस योजना के तहत अलग-अलग राज्य सरकारों से पैसा मांगा था, क्योंकि राज्य सरकारों को इन मिलों के सुधार करने और इन मिलों को चलाने के बारे में तथा इनके आधुनिकीकरण के लिए पैसा देना था। जैसा कि मुझे सूचना है कि इस प्लान के अंदर 2005 करोड़ का प्रस्ताव था। महाराष्ट्र ने 17 सौ करोड़ रुपया जो देना था वह नहीं दिया जिसके कारण वह योजना असफल हो गयी। सबसे ज्यादा मिलें महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद गुजरात और अन्य राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश में जो मिलें हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और वहां हजारों मजदूर बेकार है। इन्दौर, उज्जैन व रतलाम की मिलों की हालत खराब है। राज्य और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाता है लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। माननीय वस्त्र-मंत्री जी ने लगभग 95 हजार श्रमिकों को वी०आर० एस० के तहत अलग कर दिया है और अभी भी यह योजना चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वे और कितने मजदूरों की छंटनी करने वाले हैं तथा 119 मिलों में से कितनी चलने के योग्य हैं और उनको चलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। अभी आपने थ्री फील्ड स्ट्रेटेजी बताई है। आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 119 मिलों में से 37 मिलें ऐसी हैं जिनको चलाने की योजना आप रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में या अन्य प्रदेशों में ऐसी कौनसी मिलें हैं जिनको चलाने की योजना आप रख रहे हैं तथा उनमें कितने श्रमिक लगे हुए हैं। मैंने पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानना चाहा था कि सभी मिलों के पास जो अतिरिक्त भूमि है क्या उस भूमि को बेचकर मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में सोचा जा सकता है। यह अतिरिक्त भूमि 1514.57 एकड़ के करीब है और जिसकी कीमत लगभग 2349.10 करोड़ रुपये है। इसमें फ्री-होल्ड या पूर्ण-स्वामित्व वाली तथा लीज होल्ड दोनों तरह की जमीनें हैं। फ्री-होल्ड की 114 और लीज होल्ड की 13 है। मैं जानना चाहता हूं कि रिवाइवल प्लान के लिए क्या आपने जमीन बेचने के बारे में कोई विज्ञापन विज्ञापित किया है या यह योजना विचाराधीन है या राज्य सरकारों से इस बारे में कोई बातचीत चल रही है। त्रिस्तरीय योजना क्या इस वर्ष के अंत तक सामने आ सकेगी या इसमें और समय लगेगा।

आपने विशेषज्ञ समिति के निर्माण के बारे में भी एक बात कही थी। वह समिति कब तक बन जाएगी। वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? मिल सेक्टर में, पावर-लूम सेक्टर में और हथकरघा सेक्टर में जो कम्प्टीशन चल रहा है उसके कारण आज बड़ी कठिनाई खड़ी हो गयी है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या आपने कोई प्रयास किया है या नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक तीनों ही सेक्टर्स में जो उत्पादन हुआ है उसमें उत्पादित कपड़े में लगातार गिरावट आई है। केवल पावर-लूम में उत्पादन बढ़ा है। पावरलूम सेक्टर में आज स्थिति अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी पावर-लूम सेक्टर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। कपड़ा नीति के बारे में मैं बाद में आऊंगा। उसका प्रभाव कपड़ा मिलों पर जो पड़ा

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

है उसके बारे में आपने क्या किया है। मैंने 17 जुलाई को जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में आपने कहा था कि पावर-सेक्टर, हैंड-लूम सेक्टर और मिल सेक्टर में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और वर्ष 1997-98 में क्रमशः 1990, 2271, 2019, 1957 और 1163 उत्पादन हुआ है। इस तरह से उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सूती कपड़ा मिलों के लिए वांछित मात्रा में सूत कपास उपलब्ध होना चाहिए, वह सूत या धागा उपलब्ध होना चाहिए, वह सूत भी उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि कपास के उत्पादन में भी कमी आई है। जब कभी किसान कपास का उत्पादन करता है और वह ज्यादा उत्पादित होती है और उसके वाजिब दाम नहीं मिलते हैं। वह फिर लौट कर दूसरी फसलों में चला जाता है। कपास के उत्पादन में गए वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में कितना कपास का उत्पादन हुआ और कितना स्टाक है, कितनी कपड़ा मिलों को आवश्यकता है, उनको देखते हुए वह काफी है या नहीं ? दूसरे फाइबर और यार्न इतने कम्पीटिशन में आ गए हैं कि काटन पीछे हट गई है। इसके कारण सूत मिलों को बड़ी कठिनाई हो रही है। अभी 'राष्ट्रीय सहारा' में ..98 को जो एक समाचार प्रकाशित हुआ, मैं उसकी तरफ ...ना चाहता हूं।

> "इस समय भारतीय कपड़ा उद्योग मुद्रा संकट की चपेट में आए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के यार्न व फैब्रिक के उत्पाद में गिरावट से प्रभावित हो रहा है। जनवरी 1998 से स्थिति और गम्भीर हुई है जबकि भारत में हाल के वर्षों में स्पन व फिलामैंट यार्न की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी की वजह से आपूर्ति अधिक हो गई है। घरेलू बाजार अतिरिक्त उत्पादन को खपाने में अक्षम है। दूसरी तरफ देश में चीन, नेपाल, हांगकांग, दक्षिण कोरिया व बंगलादेश से कपड़ा उत्पादों का आयात बढ़ता जा रहा है। भारत में कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश कपड़ा मिलें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। उन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण हासिल करने में भी परेशानी हो रही है। जो ऋण उन्हें प्राप्त हो रहा है उस पर उच्च ब्याज दर भी उनकी समस्या बढ़ाने वाला है। पड़ोसी व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों में कपड़ा उद्योगों को 6 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध है। इसके मुकाबले भारत में 17 से 18 प्रतिशत पर ऋण मिलता है। यही कारण है कि लागत कीमत में सीधी वृद्धि हो रही है।"

मैं जानना चाहूंगा कि हमारे यहां कपड़े का आयात क्यों बढ़ रहा है ? चाहे वह आयात पाकिस्तान, नेपाल और दूसरे देशों के जरिए हो। निश्चय ही इसका असर घरेलू उत्पादन पर पड़ेगा। दूसरी बात राष्ट्रीय सहारा अखबार में ऋणों की उपलब्धता की आई है। वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों से उपलब्धता सुगमता से होनी चाहिए लेकिन वह नहीं हो रही है। ब्याज की दरें 17-18 परसेंट हैं। जबकि दूसरे देशों में इन उद्योगों में लगे लोगों को पांच या छः परसेंट पर ऋण मिलता है। यही कारण है कि वह कम्पीटिशन करने में सक्षम होते हैं। यह बात केवल कपड़े की नहीं है, दूसरी चीजों की भी यही हालत है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार बैंकों के साथ बातचीत कर नीति निर्धारित कर सकती है। इन उद्योगों में लगे लोगों को कम दर पर ऋण मिल सके, इसका प्रयास करना चाहिए।

सरकार रिवाइवल प्लान बनाने जा रही है। सरकार वह कब तक सदन के सामने लाएगी ? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में भी कहा है कि :

> "कपड़ा उद्योग में रिसेशन तो चल रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि रिसेशन नहीं है। रिसेशन से बहुत हद तक उद्योग को बाहर लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जहां तक मिस-मैनेजमैंट का सवाल है तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है लेकिन जिस तरीके से समय सीमा और सामंजस्य से मिल चलनी चाहिए, वैसा नहीं हुआ है, इसलिए मेरा कहना है कि मैनेजमैंट वाली बात सही है।"

कपड़ा उद्योग को सक्षम बनाने की दृष्टि से आपका जो प्लान है, वह केवल प्लान न रहे, वह सामने आए और लोगों को लाभ मिले। साथ ही मजदूरों में एक आशंका पैदा हो गई है कि उन्हें घर में बिठाया जा रहा है। उनके सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। वे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए लाचार हो गए हैं। दूसरी तरफ उद्योगों में लगने वाल करोड़ों रुपया आज फिजूल जा रहा है। मशीनें जंग खा रही हैं। इन उद्योगों को बचाने की दृष्टि से आप क्या करने जा रहे हैं ? कृपया अपने उत्तर में स्पष्ट करें।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति जी, स्थिति इतनी भयंकर है कि टैक्सटाइल का टोटल बजट 850 करोड़ रुपए का है। इनमें से 550 करोड़ रुपए एन०टी०सी० की बीमार मिलों के लिए है। वह इनके कर्मचारियों की तनख्वाह में चले जाएंगे। 300 करोड़ रुपए बचते हैं। आप उन्हें पावरलूम, हैंडिक्राफ्ट्स और हैंडलूम में ले जाएं। इन मिलों को चलाना इसलिए जरूरी है कि ये कपड़े के साथ-साथ यार्न भी बनाते हैं। वे कम से कम यार्न बनाना शुरू कर दें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस काम को कब तक करवा देंगे ? इससे यार्न की कीमत स्टेबल रह सकेगी और एक्सपोर्ट भी प्रभावित नहीं होगा। एक्सपोर्ट के स्रोत बंद हो गये, यार्न की कीमत बढ़ गई। यार्न स्टेबिल न रहने के कारण राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंच रही है। बेसिक गलती यह रही कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से पावरलूम का उत्पादन 70 परसेंट और बजट एक परसेंट मिलता रहा है। यह कितनी अजीबोगरीब स्थिति है ? यदि बिना राष्ट्रीय सहायता के 70 परसेंट कपड़े का उत्पादन हो सकता है तो फिर इस देश में टैक्सटाइल मिनिस्टर की जरूरत ही क्या है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप पावरलूम डैवलेपमेंट कमिशन का गठन करेंगे ? उत्तर प्रदेश की 11 मिलों में से कितनी मिलों को नई योजना के अंतर्गत चालू करने जा रहे हैं ? उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि आज 212 करोड़ रुपये की भूमि फालतू पड़ी हुई है, 19 करोड़ रुपये की पुरानी मशीनें बिक सकती हैं। कुल मिलाकर 294 करोड़ रुपये से मिलें माडर्न हो सकती हैं। ग्रोवर कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि फालतू जमीन को बेचकर इन मिलों को माडर्न किया जाये लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि इस पैसे को महाराष्ट्र में लगाया जाये। हम कहते हैं कि महाराष्ट्र को माडर्न करो लेकिन यह कब तक योजना लागू करेंगे। यदि स्टेट में मिल की फालतू जमीन को बेचकर वहां की मिल को माडर्न करते तो यार्न मिलता और कपड़ा बनना शुरू होता। अब तक इस देश में हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट इसलिये डेवलेप नहीं हो सका क्योंकि पिछले 50 साल में कोमस को-आपरेटिव सोसाइटीज को सहायता दी जा रही है। अगर यह गलती नहीं होती तो प्राइमेट हैंडलूम ओनर्स देश के नं० वन एक्सपोर्टर्स होते।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से कुछ बातें जानना चाहता हूं। ये मिल कब तक चालू करेंगे, उत्तर प्रदेश की 11 मिलों में से कितनी मिलों को माडर्न करने के लिये टेकअप करेंगे, जमीन बेचकर इनको माडर्न कब तक करेंगे और पावरलूम कमिशन का गठन कब तक करेंगे ? जितनी मिलें जिस सैक्टर में उत्पादन कर रही हैं, उनकी बचत किस अनुपात में बांटेंगे तथा को-आप्रेटिव सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर में हैंडिक्राफ्ट और हैंडलूम को सहायता देंगे या नहीं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास, उत्तर) : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

सभापति महोदय : नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। इसे आधे घंटे के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए। श्री बालू, आपको नियमों की जानकारी है।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास, दक्षिण) : महोदय, मैं बोलने नहीं जा रहा हूं। यह दो मिनट की बात है।

सभापति महोदय : यह एक अथवा दो मिनट का प्रश्न नहीं है। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : सभापति महोदय, माननीय पांडेय जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारे सवाल उठाये हैं। एन०टी०सी० मिलों को रिवाइव करने के लिये स्ट्रेटेजी प्लान बने, यह सच है कि उन्हें जिस तरह से एग्जिविट और इंप्लीमेंट होना चाहिये था, नहीं हुए। लेकिन इससे यह मानना ठीक नहीं कि जो नई स्ट्रेटेजी बनेगी, उसका भी यही हाल होगा। जो स्ट्रेटेजी बनेगी और अंडर कंसीडेशन है, उससे एन०टी०सी० मिलों के मजदूरों को बहुत फायदा होगा। इसके पहले जो फेल्योर्स हुए हैं, उससे हम बच पायेंगे।

सभापति जी, माननीय पांडेय जी ने सही बताया कि अब तक तीन स्ट्रेटेजी और तीन प्लान बने। पहला 1992 में बना लेकिन वह पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से जो पैसा लेना था, उन्होंने देने से इंकार कर दिया। इसका कारण यह था कि जिन मिलों का माडर्नाइजेशन किया जाना था, वे बी० आई०एफ०आर० में पड़ी थीं। इसके बाद भी वह बनी। जैसे बताया गया कि 1995 में दो लाख पांच करोड़ रुपये की लागत से रिवाइवल प्लान बना लेकिन महाराष्ट्र में जो बंद मिलें हैं, उनकी जमीन बेचकर 1780 करोड़ रुपये हमें लेने थे। वह जमीन हम नहीं बेच पाए। सिर्फ जमीन बेचकर पैसा आएगा तो मॉडर्नाइज होगा, इस आधार पर वह योजना बनी थी, प्लान बना था, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं हो सका।

इससे आगे 1997 में टर्न अराउंड प्लान बना, जिसकी टोटल ऐस्टिमेटेड कॉस्ट 2684.66 करोड़ रुपये थी। वह कैबिनेट में डिसकस हुआ और कैबिनेट ने, उस पर विस्तार से चर्चा हो सके, इसलिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिसीजन लिया, उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल को कैसे यह प्लान सक्सेस हो, इस पर एक पेपर बनाने के लिए कहा गया। उसके आधार पर हम जो स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं — रिवाइवल प्लान 1990 का — वह तीन-चार स्ट्रेटेजी का प्लान है। वह जो प्लान बनेगा, जो अभी कंसीडरेशन स्टेज में है, कैबिनेट के पास हम पूरा नोट रख देंगे। उसके अंतर्गत 119 मिलों में से 37 मिलें चलेंगी जो वायेबल हैं। 82 ऐसी मिलें हैं जो बिलकुल चल नहीं सकतीं। मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारी 119 मिलों में से 34 मिलें ऐसी हैं जो चलती नहीं हैं, टोटली क्लोज्ड हैं। जो रिवाइवल प्लान हम बनाने जा रहे हैं उसका जिक्र अभी पाण्डे जी ने अपने भाषण में किया कि कहां से पैसा आएगा, किस प्रकार की जमीन बेचकर आएगा। जो 34 वायेबल मिलें हैं, उनमें कारबी 298.4 एकड़ जमीन है, जिसकी वैल्यू 733.95 करोड़ रुपये है और जो अनवायेबल मिल्स हैं, उनकी लैण्ड 1492.01 एकड़ है और उसकी वैल्यू 1947.62 करोड़ रुपये है। मशीनरी की भी उसमें कॉस्ट लगाई गई है। टोटल ऐस्टिमेटेड कॉस्ट 2786.56 करोड़ रुपये है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्लान बनेगा, उसमें वायेबल भी शमिल हैं, अनवायेबल भी शामिल हैं, और वी०आर०एस० भी शामिल हैं।

वी०आर०एस० का मामला एक माननीय सदस्य ने उठाया है कि यह वी०आर०एस० क्या हैं। अभी भी हम वी०आर०एस० दे रहे हैं। जो वी०आर०एस० अभी हम दे रहे हैं और वित्त मंत्री जी ने भी बजट में एक वी०आर०एस० की घोषणा की थी, लेकिन हम मानते हैं कि अगर मजदूरों को और इनसेन्टिव मिले, गुजरात पैटर्न पर वी०आर०एस० का इंप्लीमेंटेशन हो, उसका जिक्र हमने रिवाइवल प्लान 1998 में किया है। यह जो पूरा प्लान बनेगा, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जितनी भी जल्दी हो सके, इसका ऐक्जीक्यूशन हो यह सरकार की इच्छा है। लेकिन उसमें भी समय लगेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार तय कर लिया तो तुरंत उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। सभापित महोदय, यह पूरी स्ट्रेटेजी बी०आई०एफ०आर० के पास जायेगी। वे यूनियन वालों को बुलायेंगे और जिनके भी ड्यूज हैं, चाहे वे स्टेच्यूटरी ड्यूज हों या कोई और ड्यूज हों, उनके बारे में बात करेंगे और हमें लगता कि इस सब मशविरे के बाद इस योजना को लागू करने में शायद एक या दो साल निकल सकता है। लेकिन जितना जल्दी इसका एक्जीक्यूशन हो, इम्पलीमेन्टेशन हो, इस दिशा में सरकार आगे बढ़े ।

सभापति महोदय, इसमें एक मुद्दा विशेषज्ञ कमेटी के बारे में और उठाया गया है जैसे कि विशेषज्ञ कमेटी के बारे में डीटेल मांगे गये हैं। मैं चाहूंगा कि जो रिवाइवल प्लान बनेगा और अगर हमें उसका कैबिनेट अप्रूवल मिल गया तो इसके बारे में हम एक सैपरेट कमीशन बनायेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को चेयरमैन बनायेंगे और इनकी जमीन को कैसे सेल करना है, वह तय करेंगे और इसके आधार पर यह कमेटी काम करेगी। मिल सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुआ है, यह बात सही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मिल सेक्टर का प्रोडक्शन इसलिए कम हो रहा है चूंकि पावरलूम सेक्टर की संख्या बढ़ रही है। पावरलूम सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है और पावरलूम सेक्टर का जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो और मजदूरों को इसमें रोजी मिलती है। चूंकि डीसैण्ट्रलाइज यूनिट्स खड़ी होती जा रही हैं। मिल सेक्टर के नुकसान को कम करने की कोशिश की है। पावरलूम सेक्टर का जो प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी के बारे में सरकार सावधान होकर इस

[श्री काशीराम राणा]

दिशा में चिंतित है। कपड़ा मिलों को सूती यार्न नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। ऐसी कई मिलें हैं जिनकी अनेक और भी परेशानियां हैं, उनको शायद यार्न नहीं मिलता होगा। लेकिन जो मिलें अच्छी तरह से चलती हैं उनको सूती यार्न मिलता रहता है। देश में कपास का उत्पादन भी बढ़ा है। पिछले वर्ष 156 लाख बेल्स का कपास का उत्पादन हुआ था, इस बार करीब 165 से 170 लाख बेल्स काटन का प्रोडक्शन होगा। लास्ट ईयर के कम्पैरीजन में इस साल कॉटन का उत्पादन बढ़ेगा।

सभापति महोदय, माननीय सांसद ने यह बात उठाई है जो रीसैशन की स्थिति है, मंदी की स्थिति है और इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बैंक उनको ऋण दें। इसके लिए भी मिनिस्ट्री ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें पावरलूम सैक्टर, मिल सैक्टर या स्पिनिंग करने वालों को फाइनेंशियल असिस्टैंस देने के लिए हमने सभी इंस्टीट्यूशंस के चैयरमेन को बताया है। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि केस बाई केस हम इनको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और इसके साथ-साथ हम मॉनीटरिंग करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से इनको सहायता मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था ने रहेंगे।

लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मंत्री जी, ब्याज की दरें बहुत अधिक हैं, 17 से 18 प्रतिशत इन पर ब्याज लगता है, वह कैसे कम हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री काशीराम राणा : जहां तक मजदूरों का सवाल है उनकी रोजी-रोटी चलती रहे, इसके बारे में सरकार केयर करती है। कोई मजदूर रिट्रेन्च न हो, हमेशा सरकार की यह चिंता रही है और इसीलिए आज एन०टी०सी० के सिक होते हुए भी हम करीब 9; हजार मजदूरों और स्टाफ को वेजिज दे रहे हैं। मजदूरों को कम से कम परेशानी भुगतनी पड़े, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन एन०टी०सी० की जो स्थिति है, उसमें सभी मजदूर चाहते हैं कि यदि एन०टी०सी० चालू न रहे तो वे वी०आर०एस० लेकर चले जाएं।

अपराह्न 6.00 बजे

सभापति महोदय, हमारे गुजरात में गुजरात सरकार और वहां की 11 मिलों के मजदूरों ने वी०आर०एस० स्वीकार की और मजदूरों ने उसे माना। जब मजदूर संगठनों ने देखा कि वे मिलें चल ही नहीं सकती हैं और जनता का पैसा ऐसे ही बेकार हो रहा है तब उन्होंने वी०आर०एस० स्वीकार किया और वे चले गए।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एन०टी०सी० की जो 119 मिलें हैं उनमें से ज्यादा से ज्यादा को चलाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए पूरा कंसन्ट्रेशन किया जाएगा और उनको मॉडर्नाईज किया जाएगा। जो प्लान उनके लिए बनाया गया है उसके अनुसार पूरा काम किया जाएगा। हमारा यही प्रयास होगा कि हम सरकार से ज्यादा से ज्यादा धन बिना ब्याज के ऋण के रूप में लें और हमें मिलों की जमीन न बेचनी पड़े। इस प्रकार की योजना हमारे रिवाइव प्लान में है।

सभापति महोदय, अमरपाल सिंह जी ने एक बात पूछी है कि यू०पी० में कितनी मिलें वाएबल हैं और कितनी नॉन वाएबल हैं। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि अभी तक पूरी रिपोर्ट आई नहीं है। जब पूरी और आखिरी रिपोर्ट आ जाएगी तभी पता चलेगा कि कितनी मिलें चलने लायक हैं और कितनी चलने लायक नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि पावरलूम डिवेलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाए। यह सुझाव बहुत अच्छा और स्वागतयोग्य है। हमारे देश में जब हैंडलूम विकास निगम है, तो पावरलूम विकास निगम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम इस बारे में पॉजीटिवली विचार करेंगे। अमरपाल सिंह जी ने यार्न के भाव अधिक होने का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं उन्हें बता दूं कि यार्न के भाव बाजार में पहले से ही अधिक हैं। हमारी ओर से यार्न की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की गई है। उससे भी 40 से 50 प्रतिशत अधिक पर परचेज हो रहा है। यार्न की कीमतें इंटरनैशनल मार्केट में हमारे यहां से कम हो गई हैं। हमारे देश में काटन यार्न के भाव बहुत ज्यादा हैं इसकी इन्फर्मेशन हमें मिली है, लेकिन उसकी वजह से एन०टी०सी० की मिलों पर कोई असर नहीं हुआ। ये भाव तो जब एन०टी०सी० की मिलें हमारे पास आई थीं उससे पहले भी जयादा थे। ये एन०टी०सी० मिलें काटन यार्न के भाव के ज्यादा होन के कारण बंद नहीं हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम काटन के भावों को भी मानीटर करते रहते हैं जिससे हमारी जो काटन या पावरलूम की मिलें हैं उनको यार्न अवेलेबल हो सके।

श्री माधवराव पाटील (नासिक) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र के बारे में सवाल का उत्तर नहीं दिया है कि महाराष्ट्र की कपड़ा मिलों की भूमि को बेचकर जो धन आएगा, क्या उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में ही करने पर विचार करेंगे ?

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदय, यहां पर अनेक सवाल रखे गए हैं जिनमें से एक सवाल यह भी है कि कुल कितने कर्मचारी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सितम्बर, 1998 तक वर्कर 82,810 और ऑफीसर इत्यादि 9,893 हैं। इस प्रकार से कुल एन०टी०सी० के कर्मचारियों की संख्या 96,370 है। *(व्यवधान)*

श्री अमर पाल सिंह : सभापति महोदय, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, को अपना आंसर कम्पलीट करने दीजिए।

श्री काशी राम राणा : सभापति महोदय, सैलरी के बारे में भेदभाव की स्थिति को दूर करने के लिए सुप्रीमकोर्ट ने एक डायरैक्शन दी है उसके अनुसार एमीकेबल साल्यूशन के बारे में हम लीगल डिपार्टमेंट से ओपीनियन मांग रहे हैं और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।

मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सवाल रेज किये हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि एन०टी०सी० की जो सिक मिलें हैं, उनकी ऐसी स्थिति आज या कल नहीं हुई है। जब वे नेशनलाइज हुई तब से यह स्थिति है। पिछली सरकारों ने इसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन वे नाकामयाब रहे। हमें विश्वास है कि नई स्ट्रेटेजी के आधार पर एन०टी०सी० की सालों से जो सिक मिलें हैं, उनको हम पूरे हाउस के सहयोग से उनकी समस्या को सुलझाने में सफल होंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलान) : महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

संभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्होंने सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मेरा प्रश्न यह था कि जिस सैक्टर में जितना उत्पादन हो रहा है, क्या बजट एलोकेशन उसके अनुरूप करेंगे तथा हैंडीक्राफ्ट, पावरलूम और हैंडलूम सैक्टर में आज तक जो सहायता बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज को दी जा रही है, वैसी ही सहायता क्या आप प्राइवेट ओनर्स को भी देंगे या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री काशी राम राणा : महोदय, यह सुझाव कार्यवाही करने के लिए है। सरकार इसका ध्यान रखेगी।

जहां तक बजट का सवाल है, *(व्यवधान)* माननीय सदस्यों ने इसके बारे में जो सजेशन दिया है, हम उसका ख्याल रखेंगे।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है।

सभापति महोदय : अनेक लोग बिना कोई नोटिस दिए प्रश्न करने के लिए कह रहे हैं।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में आई है कि अर्थक्षम मिलों की संख्या केवल 34 है। हमने कोलाम स्थित पार्वती मिल के बारे में एकदम साफसुथरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसे पुनः अर्थक्षम बनाया जा सकता है लेकिन इसे 34 मिलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। *(व्यवधान)* इसे आसानी पुनः अर्थक्षम बनाया जा सकता है। हमने, मजदूर संघ की ओर से एक बहुत ही साफसुथरी परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और हम लोग सबसे पहले हैं जो दीर्घकालीन समझौते करने जा रहे हैं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं लेकिन इस मिल को 34 मिलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिसे अर्थक्षम बनाया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह ब्यौरों का अध्ययन करने के बाद इस बारे में कोई विचार करेंगे ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए।

श्री प्रेमचन्द्रन वह आपको उत्तर बाद में देंगे। कृपया बैठ जाइए।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री काशीराम राणा : अभी तक पुनरुद्धार योजना का समूचा प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

श्री सी०जी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, हम माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि अपशिष्ट कपास (कॉटन वेस्ट) का निर्यात नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ओपन-एंड वाली छोटी-छोटी कताई बुनाई मिलों की कच्ची सामग्री है। उससे विद्युत-करघा और हस्तकरघा क्षेत्र को "लो काउन्ट यार्न" के कारण काफी लाभ होगा। हम यह सुझाव वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के जरिए पहले ही दे चुके हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम भविष्य में अपशिष्ट कपास का निर्यात इस देश से नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास, दक्षिण) : महोदय, मंत्री महोदय का क्या उत्तर है ?

सभापति महोदय : कोई जरूरी नहीं है कि वह हर चीज का उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : यह एक सुझाव है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय : सब कुछ महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करते हैं। श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र।

अपराह्न 6.08 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति – जारी

[हिन्दी]

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : माननीय सभापति जी, आपात-कालीन प्रकोपों से देश में समय-समय पर तबाही होती रही है, चाहे वह गुजरात में आये हुए चक्रवात के कारण तबाही हुई हो। (व्यवधान) सभापति जी, मैं कह रहा था कि चाहे गुजरात में आये भीषण चक्रवात से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को क्षति पहुंची हो या उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में पहाड़ों के खिसकने से ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हुई भीषण जन-धन की हानि हुई हो। मालपा की घटना में, जिसमें मानसरोवर यात्री रुके हुए थे, पूरे का पूरा काफिला नष्ट हो गया। इधर आई हुई भीषण वर्षा से, नदियों में आई बाढ़ से उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में करोड़ों हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई। उनकी फसलें नष्ट हो गईं। गांव के अन्दर पानी घुस गया और बहुत से शहरों में पानी गुस गया, जिसके कारण से वहां की सड़कें नष्ट हो गईं। हजारों की संख्या में लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है।

ये दैवी प्रकोप, ये आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं और सरकार जब ये दैवी प्रकोप और आपदाएं आती हैं तो उनसे निपटने के लिए राहत की घोषणा करती है, लेकिन यह राहत

[श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र]

अपराह्न 6.12 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। राज्य सरकारें इन आपदाओं से निपटने में अपने को अक्षम पाती हैं और इसीलिए केन्द्र सरकार की ओर सहायता पाने के लिए देखती हैं। अब की बार 1998 में मानसून की वर्षा में और बाढ़ से करीब-करीब एक करोड़ से ऊपर लोग बेघरबार हो गये। बाढ़ का पानी घुसने के कारण उनके मकान गिर गये, बहुत से मकान बह गये। नदियों के कटाव से गांव के गांव साफ हो गये और उत्तर प्रदेश में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर, सीतापुर और पडरौना आदि 53 जनपद बाढ़ की चपेट में आ गये। जहां उत्तर प्रदेश में 53 जिले बाढ़ की चपेट में आये, 28 जनपद बिहार में, 20 असम में, सात वेस्ट बंगाल में आये हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बहुत ही गम्भीर क्षति हुई है। प्रतिवर्ष मानसून में बाढ़ के कारण गंगा की तलहटी और ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्से में रहने वाले लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ... बाढ़ का प्रकोप हो गया, वहां पर खरीफ की फसलें पूर्णतया ...ई। वहां पर संक्रामक रोग फैल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ... में संक्रामक रोग, वायरल फीवर, डायरिया आदि से लोग ग्रसित हुए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और असम का दौरा करने के बाद 42 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की थी, लेकिन जो जन-धन की हानि हुई है, जो लोग उसमें मरे हैं, जो फसलें नष्ट हुई हैं, उससे इन 42 करोड़ रुपयों से उन प्रदेशों में कोई भी राहत सम्भव नहीं है और न कुछ राहत दी जा सकती है। इस बाढ़ के कारण से विभिन्न शहरों में पानी घुस गया, वहां कच्चे मकान गिर गए। राज्य सरकार ने तुरंत सहायता की। वहां पर बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास किए और उनको जीने के लिए एक-दो समय के भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन जो सम्पत्ति नष्ट हो गई और जो फसलों को नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।

बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो अपना रास्ता बदल देती हैं। जैसे नेपाल की सीमा से निकलने वाली शारदा नदी है। जब पानी का बहाव तेज होता है तो इस तरह की नदियां अपनी दिशा बदल देती हैं, जिससे उनकी चपेट में जो गांव आते हैं, उनके मकानों और सम्पत्ति को वे बहा ले जाती हैं। बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर शारदा नदी के कटान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि सीतापुर की चार तहसीलों में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें बाढ़ का पानी न आया हो। गोरखपुर, देवरिया और पडरौना में भीषण तबाही हुई है, जिसके कारण वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बहुत सी सड़कें टूट गईं, बांध टूट गए, पुल-पुलिया ध्वस्त हो गईं, उनकी मरम्मत के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 300 करोड़ रुपए राहत के रूप में दिए हैं, लेकिन इतने से जन-धन की जो हानि हुई है, उससे इस आपदा से नहीं निपटा जा सकता।

मैं बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। जिन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जितने लोगों के मकान कट गए हैं, उनको इंदिरा आवास योजना के तहत विशेष धन देकर सरकार उन्हें राहत पहुंचाने का काम करे। जो नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, उनमें अगर दोनों तरफ तटबंध बना दिए जाएं, जैसे मैंने शारदा नदी का जिक्र किया था, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल और गांव उन नदियों की चपेट में आने से बच सकते हैं।

पूर्व की सरकार ने प्राकृतिक आपदा कोष को पूर्णरूप से खाली किया गया है। इसलिए प्राकृतिक आपदा कोष से केन्द्र सरकार सहायता नहीं कर पा रही है। मेरा सुझाव है कि स्थाई रूप से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इस कोष को जो 700 करोड़ रुपए के करीब का बनाया जाता है और बढ़ाया जाए, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से भली प्रकार से निपटा जा सके।

एक मेरा सुझाव यह है कि चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र, शारदा, सरयू या यमुना हो, इनमें कुछ तटबंध बनाकर और इनको सीमित करने का काम किया जाए; ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी आपदाओं की सूचना देने के लिए कुछ केन्द्र स्थापित किए हैं। अगर कुछ ऐसा किया जाए जो कि ऐसी आपदाओं की पूर्व से सूचना दे सके ताकि उस क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को पूर्व से सूचना मिल जाए तो उस पूर्व की सूचना से काफी राहत मिल सकती है और वहां के लोग अपना सामान या अपना घर छोड़कर ऊंची जगह पर आ सकते हैं। अभी कुछ बांधों से पानी छोड़ा गया। हरियाणा से पानी छोड़ा गया जिससे दिल्ली में बाढ़ आ गई। इसी प्रकार से पीलीभीत जिले में बने हुए शारदा बैराज से पानी छोड़ा गया और उसके कारण वहां से सभी नदियों का जल स्तर बढ़ गया जिसके कारण फसल आदि की भीषण क्षति हुई है। अतः मैं राज्य सरकार को विशेषकर उत्तर प्रदेश को जिसके 53 जिले हैं और जो बाढ़ की इस विभीषका से प्रभावित हुए हैं, उनको विशेष राहत दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि नियम 193 के अधीन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र चैल का क्षेत्रफल बिलकुल लम्बाई में है। उसके एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ यमुना नदी है और जब भी बाढ़ आती है तो विकराल रूप ले लेती है और खासकर जो हमारी गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसे हुए गांव या क्षेत्र हैं, उनकी खेती भी नष्ट हो जाती हैं, गांव में भी पानी चढ़ जाता है। दूसरी तरफ इस वर्ष बाढ़ में पूर्वांचल में जो तबाही आई है, वह सर्वविदित है। गोरखपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल के जनपदों में पानी सभी जगह पर इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और गोरखपुर में बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। खागा और सिराथू के कुछ गांवों में नदियों का इतना जबर्दस्त कटाव हुआ कि जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद नदी अपना रास्ता जरूर बदलती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान, खासकर ऊपर खेती करने वाले जो लोग हैं, उनका ही नहीं बल्कि कछारा में भी खेती करने वाले जो किसान हैं; जो मटर और सब्जी की पैदावार करते हैं तथा जिससे उनका पूरे साल भर का जीवन

चलता है लेकिन इस बाढ़ की वजह से वे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें।

हमारे तमाम पूर्वांचल के साथी बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि जब पूर्वांचल में बाढ़ आई थी तब पूरा गांव तबाह हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जिन अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग के जिन भी लोगों के घर बह गए हैं, उनको इंदिरा आवास योजना या निर्मल आवास योजना के तहत आवास दिए जाएं। यह धनराशि बहुत कम है इसलिए कुछ और धनराशि देकर उन लोगों के लिए आवास बनाए जाएं जिनके पास खेत और घर छोड़कर बाकी कुछ नहीं बचा है, केवल उनका अपना जीवन बच गया है। दूसरी तरफ रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र की विशेष योजना के तहत उनको अनुदान या ऋण दिया जाए। ताकि उनको रोजगार मिल सके और वे अपना जीवनयापन कर सकें।

सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री राहत कार्य के नाम पर बहुत सारा पैसा देते हैं, लेकिन राहत कार्य में लगे लोगों की वजह से विस्थापित लोगों को राशन-पानी की व्यवस्था का फायदा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि बृहद रूप में उस पैसे की धांधली होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर स्वयं सेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों के लोगों की एक टीम बनाये, जो वहां के कामों का सर्वे करे, ताकि केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए पैसों का सदुपयोग हो।

दूसरी बात, सेना और स्वयं सेवी संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्वांचल में आई बाढ़ को अपना घर समझकर रोका। मैं मा॰ीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात यह भी लाना चाहता हूं कि नेपाल देश से बहुत सा पानी पूर्वांचल में आने से तबाही होती है। इसको रोकने के लिए सरकार को नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार का चंद सुझाव देना चाहता हूं। नदियों में बालू की समस्या से बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इसको निकालने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके साथ ही कटाव के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को सुविधा हो।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित चर्चा में भाग लेने का अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद। यह हमारे देश में नियमित खास बात हो गई है। बाढ़, चक्रवात और सूखा प्राकृतिक आपदाओं की खास बातें हैं। चक्रवात की समस्या हल नहीं की जा सकती लेकिन बाढ़ और सूखा की समस्याओं से निपटा जा सकता है। चक्रवात से हुए विनाश का मुकाबला करने के लिए निवारक उपाय किए जा सकते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष चक्रवात आते है । मिदनापुर जिले के अंतर्गत आने वाले हल्दिया और दीघा और अण्डमान कुछ ऐसे तटीय क्षेत्र हैं जिनका विनाश चक्रवातों द्वारा किया जा रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि तटवर्ती क्षेत्र के किस भाग में प्रतिवर्ष चक्रवात का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विनाश का मुकाबला करने के लिए कुछ निवारक उपाय किए जा सकते हैं।

आपदा प्रबंधन इस स्थिति से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं। जब भी चक्रवात आते हैं तो भारी विनाश होता है घरों, धान की फसलों, पेड़ों के जड़ से उखड़ने आदि का नुकसान होता है। उन्नत प्रौद्योगिकी और विज्ञान के युग में विनाश का मुकाबला करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा सकते हैं।

मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन बांध के गलत डिजाइन के कारण बाढ़ें आ रही हैं। निर्माणाधीन बांध की कुल योजना लागू नहीं हुई हैं। निर्माणाधीन बांध के आंशिक रूप से लागू होने के कारण बंगाल प्रतिवर्ष बाढ़ों से प्रभावित होता है। संबंधित अधिकारीगण पश्चिम बंगाल में पानी बहने दे रहे हैं क्योंकि निर्माणाधीन बांध की क्षमता भारी वर्षा को समाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मैं समझता हूं इसे गम्भीरता पूर्वक हल किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग विशेषकर मिदनापुर में प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है। मैं समझता हूं बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं करके हल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। नदियां गाद से भरी होती हैं। नदी के बांधों के कटाव के कारण तथा बंगाल की खाड़ी की बाढ़ के कारण नदियों के पाटों में भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। चूंकि यह एक विकट स्थिति होती है जब भारी वर्षा होती है तो सारे क्षेत्र जल प्लावित हो जाते हैं। पानी एकत्र करने के लिए किसी जलाशय की कोई योजना नहीं है। अगर हम जलाशयों की व्यवस्था कर लें तो हम बहुत कारगार ढंग से बाढ़ से निपट सकेंगे। हम भविष्य में भी सिंचाई हेतु उस पानी का उपयोग कर सकेंगे। यदि बिलकुल वर्षा न हो तो सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग किया जा सकता है।

चूंकि पर्याप्त पानी नहीं होता है इसलिए पानी खारा हो जाता है। कभी-कभी भयंकर अकाल के कारण पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है। चूंकि गंगा में अधिक खारापन होता है इसलिए सिंचाई पर भारी प्रभाव पड़ता है जिससे बदले में खेती पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं इस समस्या को आसानी से निपटाया जा सकता है। लेकिन सरकार को इन समस्याओं से निपटने के लिए सत्यनिष्ठ प्रयास और कोशिश करनी चाहिए। प्रतिवर्ष हम या तो बाढ़ या अकाल अथवा दोनों का सामना कर रहे हैं। सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि हम इन प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सकें। जब कोई बाढ़, सूखा अथवा चक्रवात आता है तो सरकार प्राकृतिक आपदा राहत कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। लेकिन प्रदान की जाने वाली धनराशि पर्याप्त नहीं होती है और यह समय पर नहीं मिलती है। विनाश होने के चार अथवा पांच माह बाद जब गरीब लोग बेघर हो जाते हैं और जब सड़कें खराब हो जाती हैं तो भारत सरकार राज्य सरकारों को कुछ धन भेजती है। मेरा प्रस्ताव है कि सूखा प्रवण और बाढ़ प्रवण तथा चक्रवात प्रवण प्रत्येक राज्य सरकार को उपयुक्त धनराशि अगाऊ प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे इस स्थिति से आसानी

[श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ]

से निपट सकें। जब कोई विशेष राज्य बाढ़ और सूखे से प्रभावित होता है तो वह विशेष राज्य धन प्रदान कर स्थिति से कारगर ढंग से निपट सकता है। इसलिए मैं इस मामले की जांच करने के लिए माननीय मंत्री से सविनय अनुरोध करूंगा। सरकार को जलाशयों का निर्माण करना चाहिए ताकि पानी को एकत्र किया जा सके और नदियों की गाद निकाली जा सके जिससे कि भारी वर्षा के पानी को समाने की नदियों की क्षमता बढ़ सके। सरकार को तटवर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब चक्रवात किसी विशेष स्थान को नुकसान पहुंचाता है तो वे मिट्टी के अन्दर का पानी नीचे चला जाता है। तटवर्ती क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि पानी के खारेपन के कारण यह खेती के लिए बेकार हो जाता है और सिंचाई नहीं हो पाती है। इसीलिए विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि तटवर्ती क्षेत्रों में इस वर्षा के पानी का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सके।

यदि ये सभी उपाय करती है तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सकता है। हम बाढ़ों और सूखे से निपट सकते हैं।

यह भी पाया गया है कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष से वितरण राज्यों में समान रूप से नहीं किया जाता है। कुछ राज्य इस निधि से वंचित रह जाते हैं जबकि अन्य राज्यों को लाभ मिल जाता है। केन्द्र के पास कोई कार्यप्रणाली नहीं है। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति बनानी चाहिए जिसे हुई विनाश की मात्रा के अनुसार अलग-अलग राज्यों को निधियां आवंटित करनी चाहिए। इस कार्यप्रणाली का विकास अन्यथा किया जाना चाहिए, नहीं तो अनेक राज्यों को लाभ पहुंचता रहेगा जबकि अन्य राज्य इस निधि से वंचित रह जायेंगे। मेरा यही अनुरोध है। इस उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में हम इन प्राकृतिक आपदाओं से हुए विनाश से निपटने में असमर्थ हैं। यह अरुचिकर, अवांछनीय है। आज जबकि आदमी चांद पर पहुंच गया है फिर भी हम इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में असमर्थ हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय सकारात्मक रूप से इस महत्वपूर्ण मुद्दे का उत्तर दें।

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जैसाकि हम जानते हैं प्रतिवर्ष हमारे देश के अलग-अलग भाग विभिन्न संकटों का सामना करते हैं। इस वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र ने गम्भीर आपदा का सामना किया है। इस वर्ष गुजरात ने विशेषकर कच्छ जिले ने एक अभूतपूर्व चक्रवात का सामना किया है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक अपनी जानें गंवा चुके हैं। लगभग 3000 से 4000 गरीब श्रमिक अपनी जानें गंवा चुके हैं और बहुत से अपने घर और आश्रय गंवा चुके हैं। कच्छ जिला पीने के पानी की घोर कमी का सामना कर रहा है। पिछले पचास वर्षों से कच्छ ने लगभग 32 सूखों का सामना किया है जिसके परिणामस्वरूप गरीब किसानों को वहां से अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। उस जिले के पशु पालकों के पास वह स्थान छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। इस वर्ष लगभग तीन हजार लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और गुजरात राज्य द्वारा अभी तक कोई विशेष धनराशि प्राप्त नहीं की गई है। गुजरात राज्य ने कम से कम लगभग 610 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है। अपने एक उत्तर में केन्द्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 1998-99 में 116.20 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जबकि एक अन्य उत्तर में यह कहा गया है कि वर्ष 1998-99 के लिए 150.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अलग-अलग समय पर अलग-अलग उत्तर दिए गए हैं। हमने कांदला के श्रमिकों, जो अपनी जानें गंवा चुके हैं, के पुनर्वास के लिए कहा है। लगभग तीन हजार मकान बनाए जाने हैं। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि यह कार्य कैसे किया जाए। गुजरात सरकार एक-तिहाई धन देने के लिए सहमत हो गई है लेकिन शेष धनराशि कहां से आएगी ? जब तक यह धनराशि आएगी तब तक मकानों का निर्माण नहीं किया जाएगा और गरीब किसानों को बेघर रहना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह धनराशि तत्काल जारी करें क्योंकि अभूतपूर्व चक्रवात के कारण यह अभूतपूर्व वर्ष है जिसका कच्छ जिले ने सामना किया है। कच्छ पत्तन ट्रस्ट ने कुछ जमीन दी है। ये कामगार कांदला पत्तन से सम्बद्ध थे। यह देश में एक मात्र नमक उत्पादक क्षेत्र है और यह देश में उत्पादित किए जा रहे नमक का लगभग 60 प्रतिशत नमक का उत्पादन करता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कामगारों को आश्रय दिया जाना चाहिए। कांदला पत्तन ट्रस्ट के पास कुछ आरक्षित धन होता है। केन्द्र सरकार को ट्रस्ट से यह धन देने के लिए कहना चाहिए।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कच्छ जिला 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक बड़ा क्षेत्र है और वह वर्ष दर वर्ष अकाल का सामना कर रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने 32 अकालों का सामना किया है। लोग यहां से पलायन कर गये हैं। हमारे पास मांडवी, मुन्द्रा और अंगार तालुकों के दक्षिणी तट पर बहुत थोड़ी वनस्पति है। हमारे यहां खेरक, चीकू और आम के कुछ पेड़ थे। कच्छ में केवल खेरक के पेड़ ही उगाये जा रहे हैं। इस वर्ष चक्रवात के कारण हमें लगभग 12 से 15 लाख वृक्षों का नुकसान हुआ। अब, इन किसानों को अन्तर्विष्ट ब्याज सहित ऋणों के द्वारा लम्बी अवधि तक सहायता दी जानी चाहिए। उन्हें बीज और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि ये सुविधायें इन किसानों को उपलब्ध नहीं करायी गईं तो ये किसान, जिन्होंने अपनी 30 से 40 वर्षों की मेहतन से इन वृक्षों को उगाया था, बर्बाद हो जायेंगे। वे भूमिहीन मजदूर जो इन किसानों पर निर्भर थे के पास भी और कोई कार्य नहीं रह जायेगा। अत: मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सरकार इनके लिए लंबी अवधि की सहायता प्रदान करने हेतु कुछ प्रबंध करे।

जहां तक भूमिहीन मजदूर का संबंध है, उनके लिए इंदिरा आवास योजना जैसी कोई विशेष आवास योजना होनी चाहिए। वहां कोई विशेष योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार कहती है कि इस पर प्राकृतिक आपदा राहत कोष और अंतर मंत्रालय ग्रुप की बैठकों में विचार किया जायेगा। मुझे नहीं मालूम की इस पर कब विचार किया जायेगा। गुजरात सरकार ने नुकसान की क्षतिपूर्ति करने

हेतु 610 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें कोई शक नहीं की इससे कहीं ज्यादा का नुकसान हुआ, चूंकि खुद कांडला को 300 करौड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और 4,000 लोगों को अपने बहुमूल्य जीवन से हाथ धोना पड़ा है। यदि गरीब श्रमिकों को संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया तो उनका क्या होगा ? अत: मैं माननीय मंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं कि वे कच्छ जिले के लिए कुछ विशेष प्रबंध करें।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति महोदय, अभी तक इस सदन में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ तथा साइक्लोन पर चर्चा होती रही है लेकिन सुखाड़ के बारे में इस सदन में किसी ने चर्चा नहीं की है। हमारे देश का आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का बड़ा भाग ड्राई फार्मिंग में आते हैं। इस बैल्ट का हजारों मील इलाका बिना बरसात के सूखा रहता है। राजस्थान में इसकी सबसे भंयकर हालत है। वहां की नदियों में साल के 2-3 महीने में पानी रहता है और उसका इस्तेमाल नहीं होने से वह पानी 3-4 घंटों में गायब हो जाता है। जब बरसात आती है तो ये नदियां इतनी स्पीड से बहती हैं कि गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पालो, नागौर, जालौर और बाडमेर जिले, गुजरात का लगा हुआ क्षेत्र रन ऑफ कच्छ और उससे लगा हुआ 150-200 मील का एरिया भयंकर रूप से सुखाड़ से प्रभावित है। जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि एक बूंद पानी नहीं मिलता है। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि यदि कहीं पानी मिलता भी है तो उसमें एक जहरीला पदार्थ आ जाता है। जिसके पीने से लोग कुबड़े हो जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और उन लोगों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इस बीमारी की चपेट में हजारों-लाखों लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि राज्य सरकार से आई हुई रिपोर्ट जब तक दिल्ली पहुंचती है, तब तक वहां वर्षा हो चुकी होती है और भारत सरकार कहती है कि वहां सूखा खत्म हो गया है। इसलिये राहत कार्य शुरू नहीं होता। मुझे याद है कि सन् 1995, 1996 और 1998 में राजस्थान में इतना भयानक सूखा पड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राजस्थान सरकार को 10 लाख टन अनाज दिया और तीन साल राहत कार्य चलता रहा। इससे वहां के किसानों को राहत मिली।

सभापति महोदय, वहां के किसानों और लोगों की मुसीबत है ही, हजारों की तादाद में किसानों के पशु चारे के अभाव में मर जाते है। मेरे क्षेत्र में सैंकड़ों भेड़-बकरियां चारे के अभाव में दूसरे प्रदेशों में यथा—मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में लोगों द्वारा ले जाई जाती है तो उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है। उन लोगों को मारा जाता है, लूटा जाता है जो भेड़-बकरियां लेकर जाते हैं। दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में ऐसी भेड़-बकारियां रायका वालों की बंद पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि एक स्पेशल टीम राजस्थान में भेजकर खासकर पश्चिम राजस्थान में स्टडी कराएं और वहां राहत कार्य तुरंत शुरू कराएं ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। वहां लोगों को पीने का पानी उपलबध नहीं है। वहां जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि राज्य सरकार के पास साधन नहीं हैं कि वह जल स्तर के लिए कुछ कर सके। बहुत डीप वेल लगाने पड़ते हैं। भारत सरकार की ओर से वहां डीप वेल लगाकर लोगों को कम से कम पीने का पानी पहुंचा दिया जाए जिससे कि लोग बच सकें। वहां के लोगों के जीवन का मुख्य आधार पशु हैं। पश्चिम राजस्थान में पशु बरबाद हो गए, हजारों की तादाद में गाय मर गई हैं। मैं मंत्री महोदय से विशेष अपील करने के लिए बैठा हूं कि कृपया राजस्थान के पश्चिम भाग के लिए एक स्पेशल टीम भेजें ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिले और वहां के पशुओं के लिए कुछ चारा भेजा जाए ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हुई क्षति के बारे में यहां चर्चा हो रही है। बाढ़ से बरबादी बड़े भारी पैमाने पर बिहार राज्य में हुई है। उत्तर बिहार में मधुबनी, खगरिया, सुपौली, सीतामढ़ी आदि जिलों में इतना नुकसान हुआ कि लोगों को बड़ी कठिनाइयां बाढ़ के कारण हुईं और वैसी विपदा के समय में मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। जब बड़ी विपदा आती है तो उसकी सुध ली जाती है, लेकिन सुध लेने का काम भी भारत सरकार ने नहीं किया। मैं बिहार की माननीय मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती राबड़ी देवी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विपदा का मुकाबला बड़ी हिम्मत से किया। जैसी बाढ़ की चपेट में लोग पड़े थे, उनको आज तक के इतिहास में बिहार में कभी भी सहायता के नाम पर इतनी सहायता अनाज या धनराशि के रूप में नहीं दी गई, जितनी इस बार बिहार की मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने दी है। उन्होंने प्रति परिवार एक क्विंटल गेहूं देने का ऐलान किया और जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको राजकोष से एक परिवार को एक क्विंटल यानी 100 किलो गेहूं और 200 रुपये नमक, तेल आदि के लिए और पशुओं की हालत ठीक करने के लिए उनके चारे के लिए 200 रुपये प्रति परिवार मुहैया कराया। यह राज्य सरकार द्वारा किया गया, लेकिन केन्द्र सरकार वैसी विपत्ति के समय में मदद करने की बात तो दूर रही, उल्टे जब बाढ़ पर चर्चा और बाढ़ में राज्य सरकार को क्या करना है, इसके लिए सदन बुलाया गया तो उसी समय केन्द्र सरकार ने वहां वनांचल विधेयक भेज दिया। बाढ़ की विपदा पर चर्चा के लिए सदन की बैठक बुलाई थी कि बाढ़ से कैसे निपटारा हो, बाढ़ का कैसे मुकाबला करें। तभी वनांचल विधेयक स्वीकृति के लिए भेजा गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फसल की बरबादी के बारे में सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार राज्य में किसान ने अपनी फसल एक बार नहीं, तीन बार बोई और जब फसल उगी तो उस फसल में काल जैसी बीमारी लगी और वह फसल बरबाद हो गई और जो बड़े पैमाने पर मकान गिरे उनका निर्माण नहीं कराया गया। केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि राज्य सरकार की सूची ही नहीं आई। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को चुनौती देता हूं कि राज्य सरकार की सूची गृह निर्माण के लिए आई है। यह बहाना बना रहे हैं कि सूची नहीं आई है।

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव]

सभापति महोदय, इसके साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में जितनी बरबादी बाढ़ से हुई है और अगर बिहार को बाढ़ से बचाना है तो उसका एक ही निदान है कि नेपाल से कमला, कोसी, बागमती और अधवारा समूह की जो नदियां निकलती हैं, जहां इनका उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल पर नेपाल में यदि एक डैम बना दिया जाए तो बिहार पर बड़ा भारी उपकार होगा। इससे वहां बिजली पैदा होगी और इतनी बिजली पैदा होगी कि बिहार बाहर भी बिजली दे सकता है और बाढ़ से भी राज्य को सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। मैं केन्द्र सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप बाढ़ का स्थायी निदान चाहते हैं तो आप नेपाल सरकार से बात करके वहां एक डैम बनाएं। मेरा दूसरा सुझाव यह है इस विपदा के समय में आपने सुधि नहीं ली, लेकिन एक काम आप अभी भी कर सकते हैं कि जिन गरीबों के मकान गिर गये हैं, बह गये हैं, उनका गृह निर्माण करने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार पैसा भेज दे, जिससे कि वहां गृह निर्माण हो आपका बिहार राज्य पर सबसे बड़ा उपकार होगा। के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, सारे देश में बाढ़ और सूखे की वजह से जो बरबादी हुई है, उसके बारे में यहां विशेष चर्चा चल रही है। देश की 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है, खेतिहर मजदूरों की है और इतनी बड़ी पापुलेशन का अधिकतर हिस्सा प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में आता है। चाहे वह सूखे की बात हो या फ्लड की बात हो।

सभापति महोदय, आज हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। लेकिन पिछले 50 सालों में इस भयंकर समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। समस्याएं अनेक हैं जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और जनसंख्या की समस्याएं हैं। उसी प्रकार से बाढ़ या प्राकृतिक प्रकोपों की समस्या से इस देश के लोगों का नुकसान होता है। यह एक बहुत भयंकर समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों करोड़, अरबों, खरबों रुपयों का नुकसान किसी न किसी शक्ल में इस देश के हिस्सों में होता है। लगभग हर प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में फ्लड आती है, किसी हिस्से में साइक्लोन आता है और कहीं सूखा पड़ता है। हर दृष्टि से किसान बरबाद होता है, खेतिहर मजदूर बरबाद होता है। जहां तक हमारे प्रदेश हरियाणा का संबंध है, यह प्रदेश लगातार पिछले 50 सालों से फ्लड की चेपट में रहा है। कुछ प्रांत ऐसे होंगे जहां कभी-कभी फ्लड आती होंगी। लेकिन हमारे प्रदेश के 19 जिलों में से 12 जिले प्रतिवर्ष फ्लड से प्रभावित होते हैं।

सभापति महोदय, सात जिले ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित होते हैं। दोनों दृष्टियों से किसान बर्बाद होता है और अफसोस इस बात का है कि 50 साल से इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। हर जगह जहां भी किसान का नुकसान होता है वह चिल्लाएगा और मुआवजे तथा सहायता की मांग करेगा और जितना पैसा हम प्रति वर्ष फ्लड के ऊपर खर्च करते हैं, यदि दो-तीन वर्ष का इकट्ठा उतना धन एक साथ ड्रेनों की सफाई कराने या नई ड्रेनें खोदने पर खर्च कर दें, तो यह समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी, लेकिन ऐसा न कर जब फ्लड आता है और जब किसान चिल्लाते हैं, तो थोड़ा सा धन उनको सहायता के लिए दे दिया जाता है। जिसका सदुपयोग न होकर दुरुपयोग होता है। वह धन किसानों को नहीं मिलता बल्कि बिचौलिए खा जाते हैं। दुबारा जब बाढ़ आती है, तो फिर सरकार द्वारा वही पुरानी प्रक्रिया दोहरा दी जाती है। मेरा आग्रह है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, किसान तो एक ऐसा गरीब इंसान है जो प्रकृति पर निर्भर करता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बिजली की कमी और कभी खाद की कमी उसे परेशान करती है। इस बार खाद और बिजली की कमी की वजह से किसान परेशान रहा। हमारे प्रदेश में किसानों के साथ ज्यादतियां हुईं और आंदोलन करने पर गोलियां चलीं। हमारे किसान नेता दो-तीन सालों से जेलों में बंद हैं। उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। किसानों को बिजली की वजह से एजीटेशन करना पड़ा जिसके कारण उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हमारी किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता श्री घासी राम नैण जो बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, वे पिछले तीन महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। उनको छोड़ने की हमने बार-बार प्रार्थना की है, लेकिन उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है और वे आज भी जेल में बंद हैं।

सभापति महोदय, हम हरियाणा में आई बाढ़ के संबंध में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। उन्हें इस बारे में जानकारी भी थी कि हरियाणा में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार हमें कोई मदद नहीं मिली है। हमारा 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसके मुकाबले में यदि केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी भी, तो वह बहुत थोड़ी होगी क्योंकि हम जानते हैं सरकार के साधन सीमित हैं और किसान का नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन जब किसान का नुकसान होता है, तो वह चिल्लाता है और सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार उसके कष्ट में आगे आए और उसे राहत प्रदान करें। किसानों का तो भगवान ही रक्षक है और उसी के भरोसे पर हमारे देश में खेती होती है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे कृषि मंत्री ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाई है। हालांकि मैंने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन अखबारों में आया है। मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छा कदम है और किसानों की यह बहुत पुरानी मांग है जिसके ऊपर कृषि मंत्री महोदय ने इस बार ध्यान दिया है। इस बार कृषि मंत्री महोदय ने गेहूं का दाम 550 रुपए प्रति क्विंटल का दिया है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों और कृषि मूल्य आयोग के अनुसार गेहूं की उत्पादन लगात 700 रुपए प्रति क्विंटल आती है, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के समय में कभी भी किसानों को एक, दो और तीन रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गेहूं की बढ़ी हुई कीमत नहीं मिली, लेकिन इस सरकार के काल में पहली बार हो रहा है कि किसानों को 95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ी हुई कीमत मिली है। हम यह जानते हैं कि किसान की लागत के मुकाबले में गेहूं का यह दाम कम है, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हर वर्ष फ्लड और सूखे की चपेट में हमारा जो भाग आता है उससे बचने के उपाय किए जाएं और प्रभावित क्षेत्र के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए। उन किसानों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये और सहायता के साथ-साथ हमेशा के लिए एक ऐसा प्रौजेक्ट बनाया जाये जिससे किसानों को मांगने पर मजबूर न होना पड़े। उन्हें दर-दर धक्के न खाने पड़ें इसलिए पैसा उधर डायवर्ट होने के बजाय प्रौजेक्टों पर डायवर्ट होना चाहिए। समय से पहले ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए और समय से पहले ही फ्लड का सारा इंतजाम होना चाहिए। अभी जिस तरह बूटा सिंह जी बोल रहे थे कि एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ फ्लड है, तो आप ऐसा प्रौजेक्ट बनाइये जिससे फ्लड का जो पानी है, वह सूखे वाले इलाकों में चला जाए। इससे फ्लड से भी बचा जायेगा और सूखे का भी इलाज हो जायेगा, दोनों मतलब हल हो जायेंगे। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल 22 दिसम्बर, 1998 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1998/ 1 पौष, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।